मुश्तरका खान्दान

अर्थात्

शामिल शरीक हिन्दू परिवार

तथा

पैतृकऋण या मौरूसी क़र्ज़ा

सर्वाङ्ग पूर्ण विस्तृत क़ानून एवं हाल तककी
सब नज़ीरों व उदाहरणों व अन्य
क़ानूनोंके पूरे हवालों सहित

हिन्दी में हिन्दू-लॉ के लेखक

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

द्वारा सम्पादित

सन् १९२९ ई०

मुद्रित

क़ानून प्रेस—कानपुर

मूल्य १॥), डा० ।=)

प्राक् कथन

हिन्दू शामिल शरीक परिवारको मुश्तरका खान्दान कहते हैं। अविभक्त कुटुम्ब या अविभाजित परिवार या विना बटा हुआ कुटुम्ब या खानपान, पूजा पाठ और जायदादके सम्बन्धमें एकहीमें मिलकर रहने वाले परिवार के व्यक्ति इत्यादि नाम भेदसे मुश्तरका खान्दान कहा जाता है। ऊपर सब नाम एकही अर्थके सूचक हैं। हिन्दू खान्दान स्वभाव और जन्मसे शामिल शरीक होता है उसके लोग ज्यों ज्यों बट कर अलग होते जाते हैं उतनेही अलग अलग मुश्तरका खान्दान बनाते जाते हैं। हिन्दुओंकी अति प्राचीन पृथा चली आती है कि वे आपसमें सम्मिलित रूपसे रहते हैं हिन्दुओंमें खानपान, पूजा पाठ और जाययदाद सब मुश्तरका होती है। उत्तराधिकार (वरासत) मुश्तरका खान्दानकी दूसरी तरहपर और दूसरे सिद्धांतोंके द्वारा निश्चितकी जाती है एवं बटेहुए पुरुषकी दूसरे तरह और दूसरे सिद्धांतों द्वारा।

हिन्दू खान्दान मुश्तरका माना जाता है जबतक कोई बटा हुआ साबित न कर दे। हिन्दू शामिल शरीक अपने घरोंमें रहते हैं, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और भाई, चाचा और उनकी स्त्रियां तथा उनकी सन्तान आदि सब एक साथ रहते हैं। जितने लोग (मर्द या स्त्री) एक साथ रहते हैं उन सबोंका शामिल शरीक सम्पत्तिमें हक़ नहीं होता, कितनोंही का होता है और कितनेही सिर्फ भरण पोषण पानेके अधिकारी होते हैं। स्कूलोंके मतभेदसे इस विषय में भी बड़ा झमेला उनके हक़ोंके बारेमें पड़ा हुआ है। पाठक जब कोई बात इस पुस्तक द्वारा ढूंढना चाहें या जानना चाहें तो उन्हें स्कूलोंका मतभेद सतर्क ध्यान में रखना चाहिये।

स्कूलका अर्थ मदरसा, स्कूल जहां लड़के पढ़ते हैं नहीं है। स्कूलका अर्थ धर्म शास्त्रकी शाखाएं है। इस विषयमें हमने अपने हिन्दूलॉ के प्रथम प्रकरणमें विस्तारसे उल्लेख किया है यदि सब बातें जो इस सम्बन्धमें जानना चाहिये विस्तृत इसी पुस्तकमें लिख दी जातीं तो हिन्दूलॉमें और इस किताब में कोई भेद न रह जाता। किन्तु यथासाध्य हमने अपने पाठकों के हितके लिये पूर्ण चेष्टाकी है कि वे इस किताबके द्वारा मुश्तरका खान्दानकी सब बातें, विस्तारसे, उदाहरणों एवं हाल तककी सब नज़ीरों के गम्भीर भावों

सहित समझ सकें। मेरा निवेदन तो यह है कि हमारे प्रत्येक भाई को कानून का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये यदि इस रूखे और कठिन विषयसे अरुचि है तो कमसे कम वे मुश्तरका खान्दान सम्बन्धी क़ानून तो अवश्य जानलें क्योंकि वे ऐसेही परिवारमें रहते हैं और इसके जाननेसे उनके स्वत्वों, हक़ों और जायदादकी बहुत कुछ रक्षा होगी, वे समझकर कामकर सकेंगे, स्वार्थी लोगों के बहकानेमें न आवेंगे।

यह मुश्तरका खान्दान नामक क़ानून, हिन्दूलॉका एक अङ्ग है। हिन्दूलॉ में इस विषयका पूर्ण विवरण है। हमने हिन्दूलॉ से यह अङ्ग इस कारण पृथक रूपसे भी छापा है कि कतिपय हमारे भाई आर्थिक दुःख के कारण पूरा हिन्दूलॉ नहीं खरीद सकते और उन्हें इस सम्बन्धके क़ानूनकी जानकारीकी आवश्यकता है तो उनको सहायता मिले, वे इसके द्वारा अपने मामलेको पूर्ण रीतिसे समझ सकें।

यह पुस्तक अपने विषयमें पूर्ण होनेपर भी पैतृक-ऋण अर्थात् मौरूसी क़र्ज़ों के आवश्यक विषयसे अलंकृत है। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रपर पिता, पितामह, प्रपितामहके लिये क़र्ज़ोंकी जिम्मेदारी कहां तक, किस प्रकार, कैसी सूरतोंमें होती है और कब नहीं होती, जायज़ क़र्ज़ तथा नाजायज़ क़र्ज़ कौन हैं इत्यादि बड़े गम्भीर विषयोंसे परिपूर्ण हैं। इस विषयमें 'कोपार्सनरी' कोपार्सनर या कोपार्सनरी प्रापर्टी (जायदाद) शब्द आये हैं उनका अर्थ इस किताबकी दफ़ा १३ से ३३ तक प्रसङ्गानुसार विस्तारसे समझा दिया गया है आप उन शब्दोंको पहले जान लें और स्मरण रखें ताकि विषय के समझने में आप को कोई रुकावट न हो। यह क़ानून हमने अपने हिन्दी जानने वाले सज्जन भाइयोंके लिये परिश्रम से लिखा है हमें पूर्ण आशा है कि इसके द्वारा उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा यदि किसी अंश में हुआ तो भी हमारा परिश्रम सफल हो जायगा।

ता० १ अक्टूबर सन् १९२१ ई०

विनीत—

चन्द्रशेखर शुक्ल

मुश्तरका ख़ानदान

दफ़ावार सविवरण सूची

दफ़ा	विषय	पेज
१	हिन्दू खान्दान मुश्तरका होता है	१
	—मुश्तरका, पक्षकारोंके वर्ताव से समझा जाना	२
२	मुश्तरका ख़ान्दान के मेम्बर	२
	—हर एक मेम्बर ४ हक़ रखता है	२
	—देव दासी, वेश्याओं, नर्तकी की हिस्सेदारी	२
	—लड़की जो वेश्याके गर्भसे पैदा हुयी हो	३
३	अपनी पैदाइशसे कौन लोग जायदादमें हक़ रखते हैं	३
४	मुश्तरका ख़ान्दानमे कौन आदमी होते हैं	४
	—मामा और बहनका लड़का	४
	—नाबालिग़की जायदादपर वली	५
५	मेम्बरोंके हक़	५
६	मिताक्षरा स्कूलके अनुसार मुश्तरका ख़ान्दान	६
७	मुश्तरका ख़ान्दान बनानेसे नहीं बनता	६
८	मुश्तरका ख़ान्दानकी शाखाएं	६
९	मुश्तरका ख़ान्दान कब टूट जाता है	६
१०	अलग रहनेसे मुश्तरका ख़ान्दान नहीं टूटता	७
	—क़ब्ज़ा मुख़ालिफ़ाना नहीं होता	७
११	कुल देवता	८
१२	मुश्तरका ख़ान्दानका सुबूत किसके जिम्मे होगा	८
	कोपार्सनरी	
१३	कोपार्सनरी	८
	—कोपार्सनरी का अर्थ व व्याख्या	८
१४	बार सुबूत उसपर होगा जो बटा हुआ ख़ान्दान बयान करे	९
१५	बटवारेके बाद मुश्तरका हो जाना	१०
१६	कोपार्सनरी तीन पीढ़ीमें रहती है	१०
१७	आख़ीर मालिक से तीन पीढ़ीमें कोपार्सनरी रहती है	११

दफा	विषय	पेज
	कोपार्सनर	
१८	कौन लोग कोपार्सनर हैं और कौन नहीं तथा उनके हक़	१४
	—दत्तक पुत्र कोपार्सनर है	१५
	—पर पोतेके बेटे कब कोपार्सनर होंगे	१५
	—पोतेका अपने बापके स्थानापन्न होना	१५
	—परपोतेका अपने दादाके स्थानापन्न होना	१५
	—परपोतेके बेटेको कब हक़ नहीं मिलेगा	१६
१६	मिताक्षराके अनुसार कोपार्सनर	१६
२०	अनौरस पुत्र	१६
	—शूद्र क़ौममें अनौरस पुत्रका हक़ माना गया है	१७
	—शूद्र क़ौममें अनौरस पुत्रका हक़ पैदाइशसे होता है	१७
	—जब औरस और अनौरस दोनों तरहके पुत्र हों	१८
	—बापके मरनेके बाद अनौरस पुत्रोंका सरवाइवरशिप	१८
	—अनौरस पुत्र को जायदाद कब मिलेगी	१८
	—अनौरस पुत्रको शूद्रोंमें भी जायदाद न मिलना	१६
२१	मिताक्षरालॉ में औरत कोपार्सनर नहीं होती	१६
२२	कोपार्सनर होनेके अयोग्य पुरुष	१६
२३	अयोग्यताके साबित करनेका भार किसपर होगा	२०
२४	मरा हुआ माना जायगा	२०
२५	लड़केको हक़ कब नहीं मिलेगा	२१
२६	अपना हिस्सा छोड़ देना	२१
२७	कोपार्सनरके अधिकार	२१
२८	कोपार्सनरका मरना	२५
२६	कोपार्सनरके मरनेसे मुश्तरका व्यापार नष्ट नहीं होता	२५
	कोपार्सनरी प्रापर्टी	
३०	अप्रतिबन्ध और सप्रतिबन्ध वरासत	२६
३१	अप्रतिबन्ध जायदादमें सरवाइवरशिप होता है	२७
३२	बङ्गाल स्कूलमें अप्रतिबन्ध जायदाद नहीं होती	२८
३२(ए)	मुश्तरका जायदाद दो तरहकी होती है	२६
३३	मुश्तरका जायदाद कौन कौन होती है	२६
	अलहदा या खुद हासिलकी हुई जायदाद	
३४	अलहदा या खुद हासिलकी हुई जायदाद	४१
३५	अलहदा कमाई	४५

दफा	विषय	पेज
३६	विद्वत्ताकी कमाई	४६
३७	बीमाका रुपया	४७
३८	मुश्तरका जायदादके मामलोंमें अदालतका अनुमान	४८
३६	अलहदा जायदादपर अधिकार	५२
४०	मुश्तरका कारबार	५३
	—कोपार्सनरोंके कारोबारका वर्णन	५३-५६
	—कोपार्सनरोंके अधिकारका वर्णन	५६-५६
४१	मेनेजरके अधिकार	५६
	—आमदनीपर मेनेजरका अधिकार	६०
	—मुआहिदा जो व्यक्तिगत हो	६१
	—मन्दिरमें लगा सकता है	६१
	—साझीदार मेनेजर	६१
	—वली जायदादका नहीं बन सकता	६२
४२	मेनेजरको बटवारेके समय हिसाब देनेकी जिम्मेदारी	६३
४३	मेनेजरका अधिकार मुश्तरका खानदानके लिये क़र्जा लेनेका	६४
४४	मुश्तरका खानदानके कारोबारके मेनेजरके अधिकार	६६
४५	मेनेजरके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल किया जाना	६८
४६	मुश्तरका खानदानकी क़ानूनी ज़रूरतें	७४
४७	मुश्तरका खानदानकी ज़रूरतोंका बार सुबूत और खरीदारकी जिम्मेदारी	७८
४८	पञ्चायत करनेके बारेमें मेनेजरका अधिकार	८२
४६	मेनेजर द्वारा क़र्ज़ोंका स्वीकार किया जाना	८२
५०	अनेक कोपार्सनरोंमें किसी एकका अलहदा दावा करना	८३
५१	मेनेजरका अदालतमें दावा करना	८४
५२	दौरान मुक़दमेमें कोपार्सनरोंका फरीक़ बनाया जाना और मियाद	८६
५३	सब कोपार्सनरोंको मुद्दई बनाया जाना	८८
५४	सब कोपार्सनरोंको मुद्दाअलेह बनाया जाना	८६
५५	मेनेजर पर डिकरी	६०
५६	बापके ज़ाती क़र्ज़ेकी डिकरी	६१
५७	बापका किसी नाबालिगके दावेमें समझौता करना	६२

मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल

दफा	विषय	पेज
५८	मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल कौन कर सकता है	६४
५६	नाबालिग होनेपर मुश्तरका जायदाद कैसे खरीदी जाय	६५
६०	बापके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तकाल	६६
६१	बचे हुये कोपार्सनरके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल	६६

दफा	विषय	पेज
	मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके लाभका इन्तक़ाल	
६२	मुश्तरका जायदादका दान करना या वसीयत द्वारा दान करना	१००
६३	मुश्तरका जायदादका वेचना या रेहन करना	१०१
६४	जब बापने अपना क़र्जा चुकानेके लिये जायदादका इन्तक़ाल किया हो	१०२
६५	अदालतकी डिकरीसे मुश्तरका जायदादका कुर्क होना और नीलाम होना	१०४
६६	मुश्तरका जायदादके ख़रीदारके हक़	१०६
६७	मुश्तरका जायदादका हिस्सा जिस आदमीका बिक गया हो उसकी स्थिति	११०
६८	अगर कोपार्सनर अपना हिस्सा छोड़ दे	११०
६९	दिवालिया कोपार्सनर	१११
७०	मुश्तरका खानदानके फर्मका दिवाला	११२
	मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल मंसूख कराना	
७१	दानका मंसूख कराना	११४
७२	बिक्री और रेहनका मंसूख कराना	११४
७३	मुश्तरका जायदादके इन्तक़ाल हो जानेपर कौन उज्र कर सकता है	११७
७४	जायज़ इन्तक़ालके समय यदि गर्भमें भी पुत्र न हो तो हक़ नहीं है	११९
७५	जायदादके इन्तकालके बाद यदि दत्तक लिया गया हो	१२१
७६	मांके गर्भ में रहते हुये पुत्रके अधिकार	१२१
	दायभागलॉ	
७७	दायभागलॉ के अनुसार मुश्तरका खानदानकी खास पहचान	१२२
७८	लड़के अपनी पैदाइशसे कोई हक नहीं प्राप्त करते	१२३
७९	पैतृक जायदादके इन्तकाल करनेमें बापको पूरा अधिकार	१२३
८०	लड़के बापसे बटवारा नहीं करा सकते और न हिसाब मांग सकते हैं	१२४
८१	दायभागलॉ के अनुसार पैतृक सम्पत्ति कौन है	१२४
८२	दायभागलॉ के अनुसार कोपार्सनर	१२४
८३	दायभागलॉ की कोपार्सनरी जायदाद	१२५
८४	दायभागमें हर एक कोपार्सनर अपना हिस्सा लेता है	१२५
८५	दायभागमें सरवाइवरशिप	१२६
८६	कोपार्सनरका पूरा अधिकार	१२६

दफ़ा	विषय	पेज
८७	अदालतकी डिकरीका असर	१२६
८८	दायभागलॉ का मेनेजर	१२७
८९	कोपार्सनरी जायदादका लाभ	१२७
९०	बटवारा करानेका अधिकार	१२७
९१	कोपार्सनरी जायदादमें अदालतका ख़याल	१२७

पैतृक ऋण अर्थात् मौरूसी क़र्ज़ा

दफ़ा	विषय	पेज
९२	पुत्रका कर्तव्य और जिम्मेदारी	१२८-१३३
९३	कर्ज़ा देने वालेका कर्तव्य	१३३
९४	अनुचित कामोंके कर्जका पुत्र जिम्मेदार नहीं है	१३५
९५	सूद दिया जायगा	१३७
९६	बापका अधिकार	१३८
९७	पहलेके कर्जोंके लिये रेहन	१४१
९८	जब लड़के फरीक न बनाये गये हों तो क्या पाबन्दी है	१४६
९९	नीलामसे पुत्रके हकका चला जाना	१४९
१००	रुपयेकी डिकरी	१५१
१०१	बेकायदा नीलामसे पुत्रोंका हक़ रक्षित रहता है	१५२
१०२	बापके मरनेके बाद इजराय डिकरी	१५२
१०३	क़ानूनी प्रतिनिधि	१५३
१०४	पुत्रोंका हक कब चला जाता है	१५४
१०५	बार सुबूत	१५५
१०६	ख़रीदारका कर्तव्य	१५५
१०७	पुत्रोंपर डिकरी	१५६
१०८	पुत्रोंपर बापके कर्जकी साधारण जिम्मेदारी	१५६
१०९	बापकी ज़िन्दगीमें पुत्र कहा तक जिम्मेदार है	१५७
११०	जिन्दा है या मर गया	१५८
१११	पुत्रोंपर नालिश करनेकी मियाद	१५८
११२	क़र्ज़ जिनका बोझ जायदादपर नहीं पड़ता	१५९
११३	बापके क़र्ज का बोझा पुत्रकी जायदादपर नहीं पड़ता	१५९
११४	पैतृक ऋण देना जायदादही पर निर्भर नहीं है	१६१
११५	दूसरे हिस्सेदार जिम्मेदार नहीं होंगे	१६२
११६	क़र्ज़ा न चुकानेमें धर्म शास्त्रका मत	१६२
११७	बे क़ानूनी या बुरे कामोंके लिये बापके कर्ज	१६३
११८	बापके लिये हुए क़ानूनी क़र्ज़	१६६—१७०

॥ इति ॥

मुश्तरका खानदान

मिताक्षरालॉके अनुसार

नोट—मुश्तरका खानदान वह कहलाता है जिसमें एक कुटुम्बके बहुतसे लोग शामिल शरीक रहते हों और किसी तरहका अलगाव न हो। इसीको अविभक्त परिवार, अविभाजित परिवार या कुटुम्ब, बिना बटा हुआ परिवार, अविच्छिन्न परिवार, संयुक्त परिवार या कुटुम्ब, तथा मुश्तरका खानदान आदि नामोंसे कहते हैं। हिन्दुओंमें प्राय सब लोग संयुक्त परिवारमें रहते हैं। इस प्रकरणमें शामिल शरीक कुटुम्बकी सीमाका विस्तार, अधिकार, जिम्मेदारियां तथा कौन जायदाद शामिल शरीक है और कौन नहीं, जायदादका इन्तक़ाल मंसूख कराना और हक़दारके मरनेपर उसके हिस्सेकी जायदाद किन लोगोंको मिलेगी, इत्यादि बातोंका उल्लेख किया गया है।

दफा १ हिन्दू खानदान मुश्तरका होता है

आम तौरपर हिन्दू ख़ानदान मुश्तरका होता है, इसीलिये अदालतोंमें हिन्दू ख़ानदान पहले मुश्तरका (शामिल शरीक) मान लिया जाता है जब तककि उसके ख़िलाफ साबित न किया जाय। मगर यह बात ज़रूर है, कि मुश्तरका ख़ानदानमें जिस क़दर दूरकी रिश्तेदारी होती जायगी उसी क़दर बमुक़ाबिले नजदीकी रिश्तेदारीके उस ख़ानदानका मुश्तरका माना जाना कमज़ोर होता जायगा, अर्थात् दूरकी रिश्तेदारीको मुश्तरका मानना कमज़ोर होगा, देखो—मोरू विश्वनाथ बनाम गनेश 10 Bom H. C 444, 468; प्रीतकुंवर बनाम महादेवप्रसाद 21 I. A 134, S C 22 Cal 85

जब किसी हिन्दू ख़ानदानमें बटवारा करानेसे अलहदगी हो जावे तो भी वह अलहदगी अधिक समयतक क़ायम नहीं रह सकती, क्योंकि जब कोई आदमी अपने भाई या दूसरे हिस्सेदारसे अलहदा होगया और अलहदा होने के बाद उसके लड़का पैदा होगया, तो वह आदमी जो अलहदा हुआ था एक नये मुश्तरका ख़ानदानका मुखियाहो जाता है वह उसका मूल पुरुष कहलाता है। इस नये ख़ान्दानमें उसके बेटे, पोते, परपोते, शामिल हैं। इस अलहदा

हुये आदमीके मरनेपर जब उसकी छोड़ी हुई जायदाद उसके बेटोंके पास आवेगी, तब वह जायदाद फिर कुदरती तौरसे मुश्तरका हो जाया करती है। नतीजा यह है कि आम तौरपर हिन्दू ख़ानदान मुश्तरका होता है. देखो—रामनरायनसिंह बनाम प्रीतमसिंह 11 B. L. R. 397; S C. 20 Suth. 189, और देखो—दफा २१८।

प्रत्येक हिन्दू ख़ान्दान मुश्तरका समझा जायगा, जब तककि उसका बटवारा न साबित किया जाय—कोई जायदाद मुश्तरका है यह फरीकोंके बर्तावसे समझा जायगा, उस सूरतमें जबकि कोई शहादत न होगी—अदालतको उस समय बहुतही सावधानीकी आवश्यकता है जिस समय कि हिन्दू स्त्रीके मुश्तरका होनेका प्रश्न हो—क़ानून शहादतकी दफा १०१—कुमुदिनी दास्या बनाम सुख सुन्दरी दास्या A. I. R. 1925 Cal. 257.

दफा २ मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर

हिन्दुओंमें मुश्तरका ख़ानदानका फैलाव बहुत बड़ा है—मुश्तरका ख़ानदानमें मृत पुरुषके पूर्वज और उनकी सन्तान, इसी तरह पर नीचेकी शाखा में बहुत दूर तक मुश्तरका ख़ान्दानका फैलाव होता है। मुश्तरका ख़ानदान के मुक़ाबिलेमें 'हिन्दू कोपार्सनरी' (दफा ३६६-४०० ;का फैलाव बहुत छोटा है। जब हम हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानके बारेमें कहते हैं जिससे 'कोपार्सनरी' बनती है, तो हमारा मतलब उन सब कुटुम्बियोंसे नहीं है, जो किसी एकही दूरके पूर्वजकी सन्तान हैं, और जिनमें अभी तक बटवारा नहीं हुआ बल्कि हमारा मतलब सिर्फ उन कुटुम्बियोंसे है जो अपनी रिश्तेदारीकी वजहसे ख़ानदानकी मुश्तरका जायदादपर नीचे लिखे हक़ रखते हैं—

(१) मुश्तरका जायदादपर अपना क़ब्ज़ा रखकर उससे लाभ उठाने का हक़ रखते हैं और (२) उस जायदादपर अपने क़र्ज़ेका बोझा डाल सकते हैं और (३) जायदादको गिरवी करने या बेचने आदिसे एक दूसरेको रोक सकते हैं और (४) अपनी इच्छासे उस जायदादका बटवारा करा सकते हैं।

हिन्दू ख़ानदान मुश्तरकामें 'कोपार्सनरी' के सिवाय और जो आदमी शामिल हैं उनका हक़ कम होता है, जैसे सिर्फ रोटी, कपड़ा पाना। मुश्तरका ख़ानदानमें ऐसे भी आदमी होते हैं जो किसी ख़ास सूरतके पैदा होजाने पर 'कोपार्सनरी' की हकदारीके अन्दर आ जाते हैं इसलिये 'कोपार्सनरी' हक़दारी कैसी होती है इसके बतानेके पहिले यह बात ज़रूरी है कि कोपार्सनरीके समझानेमें जिन जिन बातोंकी ज़रूरत पड़ेगी, वे पहिलेही साफ तौर से बता दी जायें।

देवदासियों (वेश्याओं) की हिस्सेदारी नर्तकी कुमारियों (वेश्याओं) की भी ख़ान्दानी हिस्सेदारी जीवित रहनेके अधिकारसे हो सकती है। ऐसी

कोई भी नज़ीर नहीं है जो यहां तक पहुंचती हो कि किसी वेश्याकी पुत्री जन्मके कारण पैतृक सम्पत्तिपर अधिकार प्राप्त करती है। पाण्डेचेरी कोकिल अम्बल बनाम सुन्दर अम्मल 86 I. C. 633; 21 L. W. 259; A. I R. 1925 Mad. 902.

यह प्रश्न जटिल है कि वेश्याओंकी पैतृक सम्पत्ति कौन है? लड़की जो किसी वेश्यासे शेवातीके गर्भसे पैदा हुई है उसके बापका पता नहीं हो सकता और यह सही है कि वेश्याकी वह लड़की है। यदि बापका पता भी हो यानी वह वेश्या उतने दिन किसी खास आदमी के पास सिर्फ उसी के लिये रही हो तो भी वह लड़की बापकी जायदादमें कोई हक़ नहीं रखती।

दफा ३ अपनी पैदाइशसे कौन लोग जायदादमें हक़ रखते हैं

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह कौनसे आदमी हैं जो अपने पैदा होते ही, उसी समयसे, मुश्तरका खानदानकी जायदादमें हक़दार हो जाते हैं? इसका जवाब यह है कि वह आदमी जो कि जायदादके मालिकको पिन्डदान कर सकते हैं, वही अपनी पैदाइशसे मुश्तरका खानदानकी जायदादमें हकदार हो जाते हैं, अर्थात् पुरुष शाखामें तीन पीढ़ी तककी सन्तान, बेटे, पोते, परपोतेको यह हक़ प्राप्त हैं। -इसीलिये जिस आदमीके बेटा, पोता, परपोता जिन्दा हो तो यह सब और उसको मिलाकर एक हिस्सेदारी क़ायम करते हैं, और इनमें से हर एकको पिण्डदान करनेका अधिकार है। इसीलिये वह आदमी पैदाइशसे जायदादमें हिस्सा पाते हैं। जो सन्तान मालिक जायदादको पिन्डदान नहीं कर सकती, वह इस हिस्सेदारी (कोपार्सनरी दफा ३६६से४००) में शामिल नहीं हो सकती, जैसे परपोतेका लड़का मालिक जायदादको पिन्डदान नहीं कर सकता। इसलिये जब तक मालिक जीता है, तब तक वह इस हिस्सेदारीमें शामिल नहीं हो सकता। मगर जैसे जैसे ऊपरका पूर्वज मरता जायगा, उसी तरहपर नीचेके दरजेकी पुरुष सन्तान 'कोपार्सनरी' की हिस्सेदारीमें शामिल होती जायगी।

स्मृतियोंमें यह माना गया है, कि लड़के, पोते और परपोतेका दिया हुआ पिण्ड मृत पुरुषको पहुंचता है। लड़का अपने बापको, पोता अपने दादाको, परपोता अपने परदादाको पिण्ड देता है। इसके आगे पिन्डकी क्रिया नहीं चलती। इसलिये लड़का आदि तीन सन्तान, और जिसे पिन्ड दिया जाता है उसे मिलाकर, चार पीढ़ी होती हैं। इन्हीं चारोंके बीचमें जो शास्त्रानुसार सम्बन्ध है, वही क़ानूनमें 'कोपार्सनरी' नामसे कहा जाता है। सपिण्डीकरणके विधानमें स्मृतियोंमें माना गया है, कि मृतपुरुष और उसके तीन पूर्वज इन चारोंको मिलाकर एक 'पूर्ण पिण्डसपिण्ड' बनता है। मतलब यह

कि, पूर्ण पिण्डसपिण्ड चार डिगरीमें रहता है, इसी लिये 'कोपार्सनरी' की हिस्सेदारी चार डिगरीके अन्दरही मानी जाती है। कोपार्सनरीका विषय आगे विस्तारसे कहा गया है—देखो दफा ३६६ से ४०० यहांपर यह समझ लेना चाहिये कि मालिककी जायदादको जो जो लोग अपने हिन्दू शास्त्रीय सम्बन्धसे पिण्डदान करनेके अधिकारी हैं वही अपनी पैदाइशसे मौरूसी जायदादमें हक्क प्राप्तकर लेते हैं, यानी लड़का, पोता, और परपोता। लड़के पोते, परपोतेके सिवाय और दूसरे रिश्तेदार अपनी पैदाइशसे मौरूसी, जायदादमें हक्क नहीं प्राप्त करते, जैसे परपोतेका लड़का। परपोतेके लड़केको उसके नगड़दादा (वृद्ध प्रपितामह) के जीतेजी जायदादमें कुछ हक नहीं है। मगर नगड़दादाके मरतेही वह भी अपने परदादाके साथ परपोतेकी हैसियत से जायदादमें अपनी पैदाइशसे हक्क प्राप्त कर लेता है।

दफा ४ मुश्तरका खानदानमें कौन आदमी होते हैं ?

एक हिन्दू मुश्तरका खानदानमें सिर्फ बाप और उसके पुत्रही नहीं होते, बल्कि मूल पुरुष और उसके बिन ब्याहे लड़के, और लड़कियां, उसकी औरतें, उसके ब्याहे हुए लड़के, और उन लड़कोंकी औरतें व बच्चे, और विधवा-लड़की जिसे अपने पतिके खानदानमें भोजन वस्त्र नहीं मिलता हो, होते हैं। इस तरहका खानदान जो यद्यपि स्वयं बहुतसी सूरतोंमें पूरा है, तो भी एक विशाल खानदानका अंश होसकता है, यानी ऐसे छोटे छोटे खानदान मिल कर एक बहुत बड़ा खानदान बनाते हैं। इस बड़े खानदानमें मूल पुरुषके सब मर्द औलाद और उनकी औरतें, लड़के, बिनब्याही लड़कियां होती हैं। चाहे खानदान बड़ाहो या छोटा, उसके मेम्बर प्रायः इकट्ठे रहते हैं और मुश्तरका पूंजीसे उनका सब खर्चा होता है तथा अपने धर्मके सब कृत्य इकट्ठे अदा करते हैं। इस तरहसे रहनेवाले हिन्दू खानदानको अङ्गरेज़ी कानूनके जानने वाले 'ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली' (Joint Hindu family) कहते हैं, अर्थात् हिन्दू मुश्तरका खानदान, और इस खानदानकी आम सूरत यह है कि उसके मेम्बर भोजन, पूजन, और जायदादमें मुश्तरका होते हैं।

मामा और बहिनका लड़का—हिन्दूलॉ का कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसकेअनुसार पुत्रीका पुत्र और उसका नाना एकही हिन्दू मुश्तरका खानदान केमेम्बर माने जांय। दनजेर बनाम जहांगीर L. R 6 All 87 (Rev), 87 I. C. 698, A. I R. 1925 All. 775.

दो जुदा यानी बंटे हुये भाइयोंके केवल एक साथ रहने से यह नहीं साबित होता कि वे संयुक्त परिवारके सदस्य हैं। अलाहिदा भाइयोंका आराम सुविधा या शान्तिकी गरज़से एक घरमें रहना असाधारण बात नहीं है। सदाशिवम् पिल्ले बनाम सानमुगम पिल्ले A. I. R. 1927 Mad. 126.

नाबालिग़की जायदादपर वली—जब किसी खानदानका कोई सदस्य नाबालिग़ हो, और उसकी जायदादपर क़ानूनके अनुसार वली मुक़र्रर किया गया हो, उस सूरतमें यह कहना कि नाबालिग़ मुश्तरका खानदानका मेम्बर नहीं रहा, एक बिल्कुल नया सिद्धान्त है। हरीमोहन घोष बनाम सुरेन्द्रनाथ मित्र 41 C L J 535, 88 I. C. 1025, A. I. R. 1925 Cal. 1153.

दफा ५ मेम्बरोंके हक़

मुश्तरका खानदानकी जायदादमें मेम्बरोंके हक़ हर एक स्कूलके अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं--बंगाल स्कूल--अगर जायदाद बङ्गाल स्कूलके ताबे है,तो लड़कोंको बापकेजीते जी मौरूसी जायदादमें कुछभी हक़ नहीं है। वह जायदाद बापके पास पूरे अधिकारों सहित रहती है। बापको कुल जायदादके बेचनेका पूरा हक़ प्राप्त है--(दफा ४६२-४६४), बङ्गालमें अगर बाप, बिना किसी वसीयतके मर जाये, तो उसके लड़के जायदादमें हक़ उत्तराधिकारके अनुसार प्राप्त करते हैं। परन्तु अगर जायदाद मिताक्षरा स्कूलके ताबे हो तो दूसरी शकल होगी, देखो दफा १६-१७.

किसी मेम्बरकी, किसी ख़ास हिस्सेपर उसके अधिकारके घोषणाकी नालिश तब तक नहीं हो सकती, जब तक बटवारेका दावा न किया जाय। रामस्वरूप बनाम मु० कटौला 83 I C 227; A I R 1925 All 211.

हिस्सेदारकी स्त्रीका भरण पोषण बतौर क़र्जके माना जायगा—हिन्दूलॉके सच्चे अभिप्रायसे यह विदित होता है कि मुश्तरका खानदानके हिस्सेदारोंकी स्त्रियां भी मुश्तरका खानदानकी मेम्बर होती हैं चाहे उन्हें जायदादमें हिस्सा बटाने या बटवारा करानेका अधिकार न हो। यद्यपि हिन्दूलॉ, हिन्दू पतिपर, बिना किसी जायदादके हवालेके जो उसके अधिकारमें हो, जबकि मुश्तरका खानदानके क़ब्जेमें जायदाद हो, अपनी स्त्रीकी परवरिशका भार रखता है, ताहम स्त्री द्वारा पतिके ख़िलाफकी हुई नालिश केवल ऐसी नालिश न समझी जानी चाहिये, जो कि व्यक्तिगत पतिके ख़िलाफ हो किन्तु वह सही रीतिपर समस्त खानदानके खिलाफ नालिश है।

यह भी तय हुआ कि इस बातके माननेके लिये कोई कारण नहीं है कि परवरिशकी बाक़ी जो किसी स्त्रीको अपने पतिसे पाना हो, क्यों हिन्दूलॉके अनुसार, जो केवल ग़ैर अदा की हुई पाबन्दीका ध्यान रखता है और जिसके तथा क़र्ज या हानिके मध्य कोई अन्तर नहीं है क़र्ज न समझा जाय? श्री राजा बोम्मा देवरा राजलक्ष्मी बनाम नागन्ना नायडू 21 L W. 461, 87 I. C. 571, A. I. R 1925 Mad. 757.

दफा ६ मिताक्षरा स्कूलके अनुसार मुश्तरका ख़ानदान

मिताक्षरा स्कूलमें हिन्दू ख़ानदानका मतलब मूल पुरुष और उसकी नीचेकी प्रधान शाखाकी सन्तान से है और जब तककि वह आदमी मामूली हालतमें रहता है मुश्तरका माना जाता है। मुश्तरका ख़ानदानमें किसी आदमी या औरतके मर जानेसे कोई फरक नहीं पड़ता देखो—सुकनधा वानी मन्दर बनाम सुकनधा वानी मन्दर (1904) 28 Mad 344, 345

दफा ७ मुश्तरका खानदान बनानेसे नहीं बनता

मुतश्का ख़ान्दान किसी आदमी या औरतके बनानेसे नहीं बनता वह जिस तरहसे क़ानूनमें माना गया है उसी तरहपर बनता है। यानी जितनी हदमें क़ानूनने मुश्तरका ख़ानदानका फैलाव माना है उसी हदमें वह रहेगा कोई उसे ज्यादा कमती नहीं कर सकता, मगर इसमें सिर्फ एक बात ऐसी है जिसके करने से ग़ैर आदमी मुश्तरका ख़ानदानके भीतर आ जाता है वह बात लड़का गोद लेना है। दत्तक लेनेसे दूसरे खानदानका लड़का भी मुश्तरका ख़ानदानके भीतर आ जाता है।

दफा ८ मुश्तरका ख़ानदानकी शाखाएं

मुश्तरका ख़ानदान एक मूल पुरुषसे शुरू होता है और उस मूल पुरुष के परिवारमें अनेक पुरुषोंकी औलाद होनेसे उनको मूल पुरुष मानकर छोटे अनेक मुश्तरका ख़ानदान हो सकते हैं, देखो—सदर सनाम सिस्ट्री बनाम नरासि मह्लू सिस्ट्री 25 Mad 149, 154 जब तककि ख़ानदानका बटवारा नहीं होता तब तक उसके दो या दो से ज्यादा मेम्बर चाहे वह एकही शाखा के मेम्बर हों अथवा वह उसी ख़ानदानकी अनेक शाखाओंके मेम्बर हों, वे मुश्तरका ख़ानदानसे अलहदा, और स्वाधीन क़ानूनके अनुसार नहीं माने जायेंगे। लेकिन जहांपर वह एकही शाखाके सब मेम्बर हों तो वह उस बड़े जमावके अन्दर अपना एक ख़ास और अलहदा जमाव बना लेते हैं और इसके अनुसार उस शाखाके किसी मेम्बरकी खुद कमाई हुई जायदाद या किसी पूर्व पुरुषसे मिली हुई जायदाद, जो उस शाखाकी (सिर्फ उसी शाखा की) अलहदा जायदाद हो सकती है, बड़े जमावके अन्तर्गत दूसरी शाखाओं से अलहदा क़ब्ज़ा रखेंगे, देखो–25 Mad. 149-155,

दफा ९ मुश्तरका खानदान कब टूट जाता है

मुश्तरका खानदानके सब मेम्बरोंके हक़का बटवारा हो जाने पर मुश्तरका ख़ानदान टूट जाता है। जिन आदमियोंने मुश्तरका ख़ानदानसे बटवारा करा लेने के कारण मुश्तरका ख़ानदान तोड़ दिया है उसमें नये मुश्तरका

खानदानकी चाल लागू होगी देखो—वटो कृष्ण नाइक बनाम चिन्तामणि नाइक 12 Cal 262 जब कोई आदमी किसी मुश्तरका खानदानमें अकेला और आख़िरी मालिक हो तो उसके मरनेपर भी मुश्तरका खानदान टूट जाता है और उसकी जायदाद, अगर वह किसीको न दे गया हो तो उत्तराधिकारके अनुसार उसके वारिसको मिलती है देखो—इस पुस्तकका नवां प्रकरण।

दफा १० अलग रहनेसे मुश्तरका खानदान नहीं टूट जाता

हिन्दू समाजमें शामिल शरीक परिवार, आम तौरसे होता है वह खानपानमें, पुजनमें, और जायदादमें जुड़ा रहता है, देखो रघुनन्द बनाम ब्रजकिशोर 1 Mad 69, 81, 3 I A 154 अगर जायदाद, बटवारा होकर अलहदा हो जाय, तो फिर वह खानदान शामिल शरीक नहीं गिना जाता। और अगर मुश्तरका खानदानके आदमियोंका रहन सहन और पूजन तथा खान पान अलहदा भी हो, तो ऐसी सूरतमें वह खानदान अलहदा नहीं माना जायगा; देखो-गनेशदत्त बनाम जीवाच (1903) 31 Cal 262; 31 I. A. 10

जब कोई हिन्दू मिताक्षरा लॉ के आधीन हो और उसके पुत्र हों तथा वे अलाहिदा अलाहिदा रहते हों, तो यह नहीं माना जा सकता कि पिता भी अपने पुत्रोंसे अलाहिदा है, जैनारायण बनाम प्रयागनारायण 21 L W. 162, 20 W. N 157, 85 I C. 21, L. R 6 P C. 73, 27 Bom L. R 713, (1925) M W N 13; 29 C W. N. 775, 3 Pat. L R. 255, A. I. R. 1925 P C 11, 48 M L. J 236 (P. C.)

क़ब्ज़ा मुख़ालिफाना नहीं होता—यदि किसी संयुक्त परिवारका कोई सदस्य परिवारसे बहुत दिन तक बाहर रहा हो, तो क़ब्ज़ा मुख़ालिफानाका प्रश्न नहीं उठता, जब तककि उस सदस्यका परिवारसे ख़ारिज किया जाना या उसकी अनुपस्थितिके कारण परिवारका त्याग न साबित किया जाय। इस दशामें उसके हिस्सेका इन्तक़ाल, किसी अन्य सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता, या यदि उस संयुक्त खान्दानके किसी अन्य सदस्यने उसके हिस्से का इन्तक़ाल किया हो तो उसकी पाबन्दी उसपर नहीं हो सकती। गोविन्द स्वामी चेटियर बनाम कोयण्डा वानी चेटियर A I R. 1927 Mad. 111.

किसी अविभक्त यानी ग़ैर बटे हुये साझीदारके खिलाफ बिना उसकी जानकारी या उसके ज्ञानके क़ब्ज़ा मुख़ालिफाना नहीं हासिल किया जा सकता। गोविन्द स्वामी चेटियर बनाम कोयण्डा वानी चेटियर A. I. R. 1927 Mad 111.

दफा ११ कुल देवता

हिन्दुस्थानमें सब हिन्दुओंके हर एक खानदानमें किसी न किसी देवता का विशेष पूजन होता है इन्हें कुल देवता या इष्ट देवता कहते हैं हिन्दुओंके हर एक परिवारमें जुदे जुदे नामके कुल देवता होते हैं बटवारा करानेके समय कुल देवताकी मूर्ति और मन्दिर तक़सीम नहीं किया जा सकता। मगर यह हो सकता है कि अगर मुश्तरका ख़ानदानके लोग चाहें तो बारी बारीसे उस मूर्तिको अपने क़ब्जेमें रखें, या अदालत उस मूर्तिका क़ब्ज़ा ख़ानदानके किसी प्रधान पुरुषको दे दे और बाक़ीके सब हिस्सेदार उस मूर्तिके पूजनके अधिकारी होंगे देखो-दामोदरदास बनाम उत्तमराम (1892) 17 Bom 271. सित्कन्थ बनाम नैशरंजन (1874) 14 Beng L R. 166 और देखो दफा ५२७ में, 'देवस्थान' तथा दफा ८२३.

दफा १२ मुश्तरका ख़ानदानका सुबूत किसके ज़िम्मे होगा

अदालत हिन्दू खानदान मुश्तरकाका होना पहिले मान लेती है इसलिये जो आदमी यह कहता हो कि खानदान मुश्तरका नहीं है, सुबूतका भार उसी के जिम्मे होगा देखो-दफा ३६७।

कोपार्सनरी

(Coparcenary)

दफा १३ कोपार्सनरी

कोपार्सनरीका अर्थ-कोपार्सनरी शब्द अङ्गरेजी भषाका है इसका अर्थ है संसृष्टि, संसृष्टिता, समांशिता, शुरकाय, एक जद्दीकी जमात। इस कोपार्सनरीका हक़ जिन लोगोंके पास रहता है वह 'कोपार्सनर' कहलाते हैं। 'कोपार्सनर' का अर्थ है, समांशिन्, संसृष्टिन्, अंशहर, रिक्थाधिकारिन्, दायाद, शरीक मुंजमिल, शरीक खानदान। कोपार्सनरीका हक़ जिस जायदादमें रहता है वह 'कोपार्सन ी प्रापरटी' कहलाती है ऐसी जायदाद हमेशा मुश्तरका ख़ानदानमें हुआ करती है। मुश्तरका हिन्दू खानदानमें 'कोपार्सनरी' का समझ लेना परमावश्यक है क्योंकि अनेक मर्दोंके शामिल शरीक रहनेपर भी जिन लोगोंको कोपार्सनरीका हक़ प्राप्त रहता है, उन्हींका पूरा अधिकार मुश्तरका जायदादपर रहता है। बाक़ीके लोगोंका हक़ सिर्फ रोटी, कपड़ेके

पानेका होता है। इसलिये जब मुश्तरका खानदान अर्थात् शामिल शरीक परिवारमें जायदादका मिलना, या बटवाराकी नालिश करना हो तो सबसे पहले यह निश्चित करो कि, वह आदमी जो जायदाद पानेका अपनेको हक़दार बताता है या बटवारा करा पानेका हक़दार बनता है 'कोपार्सनरी' के फैलावके अन्दर है या नहीं। अगर वह उसके अन्दर नहीं होगा तो उसे उपरोक्त हक़ प्राप्त नहीं होगा इसलिये नीचे 'कोपार्सनरी' को विस्तारसे समझाते है।

दफा १४ बार सुबूत उसपर होगा जो बटा हुआ खानदान बयान करे

कोपार्सनरी, हमेशा मुश्तरका खानदानमें होती है और हिन्दू खानदान आमतौरसे धर्म शास्त्रोंमें मुश्तरका माना गया है तथा अदालतमें भी वह पहले मुश्तरका मान लिया जाता है। इसी सबबसे जो पक्षकार इसके विरुद्ध बयान करता हो, यानी मुश्तरका नहीं है, ऐसा बयानकरता हो तो इस बातके साबित करनेका भार उसी पक्षकारपर होगा, जो मुश्तरका नहीं बयान करता है। देखो—ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ पेज २१४, तथा एवीडेंस एक्ट नं० १ सन १८७२ ई० की दफा १०३

ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ में कहा गया है कि "हर एक हिन्दू खान्दान खानपान और पूजन और जायदादमें शामिल शरीक मान लिया जाता है, और उस खान्दानकी जायदाद मुश्तरका मानली जाती है, इसलिये बार सुबूत उस पक्षकारके ऊपर होगा जो खान्दानको अलहदा होना बयान करता हो" नजीरें देखो—रिवनप्रसाद बनाम राधाबीबी (1846) 4 M. I A. 137, 168, नरागुटी लछमीड्वाम्हा बनाम वेंगामा नैडू (1861) 9 M I A 66, 92, 1 W. R P C. 30, 32, नीलकिस्टो देव बरमोने बनाम बीरचन्द्रथाकुर (1869) 12 M I. A 523, 540, 3 B L R P C 13, 17, 12 W R P C. 21, 23, मुसम्मात चिथ्या बनाम मिहीलाल बाबू (1867) 11 M I A 369, प्रीतकुंवर बनाम महादेवप्रसादसिंह—(1894) 21 I A 134, 135, 22 Cal 85, 89, भगवती मिसराइन बनाम दुमन मिसराइन (1875) 24 W R. C. R 365, तारकचन्द्र पोदार बनाम जुदीशरचन्द्र कुण्डू (1873) 11 B L. R 193, 19 W R C R 178, शिवप्रसाद चक्रवर्ती बनाम गङ्गामनी देवी—(1871) 16 W R C R 291, कासिमभाई अहमदभाई बनाम अहमदभाई हुब्बीभाई (1887) 12 Bom 280, 309 विलाशकुंवर बनाम भवानीबकस नरायण W R (1864) C R 1 विश्वम्भर सरकार बनाम सुरधनी दासी 3 W R C R 21; त्रिलोचनराय बनाम राजकिशनराय (1866) 5 W R C R 214, वीरनारायन सरकार बनाम तीनकौड़ीनन्दी (1864) 1 W R C R 316, और देखो दफा ४२२

दफा १५ बटवाराके बाद मुश्तरका हो जाना

ऊपर मुश्तरका ख़ानदानकी अलामत बताई गई है। इसका कारण यह है कि अगर किसी हिन्दू ख़ानदानमें बटवारा भी हो जाय, उसके बाद जब बटे हुये आदमियोंकी औलाद होगी तो फिर वह मुश्तरका ख़ानदान उतने हिस्सेकी जायदादमें हो जायगा जितना हिस्सा कि बटवारा करानेमें मिला था। ऐसा मानो कि तीन भाई क, ख, ग, जो अभी तक शामिल शरीक रहते थे तीनोंने आपसमें बटवारा करा लिया और अपना अपना हिस्सा जायदादमें अलहदा करा लिया, अब देखिये उनकी ऐसी हालत सिर्फ थोड़ेही समय तक रहेगी क्योंकि जहां उनके लड़के पैदा हुये, तीनोंके, तीन मुश्तरका ख़ानदान हो जायंगे, क्योंकि मिताक्षरा लॉके अनुसार लड़के, पोते, परपोते मौरूसी जायदादमें अपनी पैदाइश के समयसे ही हक़दार हो जाते हैं।

जब किसी हिन्दू आदमीकी औलाद बिना बटवारा कराये हुये रहती है तो मुश्तरका ख़ानदान होता है, ऐसे मुश्तरका ख़ान्दानमें दो तरहके मेम्बर होते हैं, (१) जो 'कोपार्सनरी' में शामिल होते हैं और (२) वह जिनको सिर्फ रोटी कपड़ा मिलनेका हक़ रहता है।

'कोपार्सनरी' मुश्तरका ख़ान्दानके उन आदमियोंके गिरोहको कहते हैं जो मुश्तरका ख़ानदानमें चार क़िस्मके अधिकार रखते हैं देखो—दफा ३८४, ४०१.

दफा १६ कोपार्सनरी तीन पीढ़ीमें रहती है

जहांपर कि एक आदमीको मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें हिस्सा मिलता है तो उसकी तीन पीढ़ी तककी पुरुष सन्तान उस हिस्सेमें अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त कर लेती है, इस तरहपर 'कोपार्सनरी' की हिस्सेदारी चढ़ती जाती है। 'कोपार्सनरी' की हिस्सेदारी हमेशा इस शर्तकी पाबन्द है, कि जो आदमी अपने हिस्सा पानेका दावा करता हो उसे उस पूर्वजसे तीन पीढ़ीके अन्दर होना चाहिये जिसनेकि हिस्सा पाया है, यानी तीन पीढ़ीसे ज्यादा फासलेका न हो। जब कोई तीन पीढ़ीसे ज्यादा हो तो वह इस कोपार्सनरीके हकका हक़दार नहीं होगा क्योंकि 'कोपार्सनरी' हमेशा तीन पीढ़ीमें रहती है। कोपार्सनरीके चार मुख्य सिद्धांत यह है—

(१) कोपार्सनरी, मूल पुरुषसे शुरू होती है और मूल पुरुष भी उसमें शामिल रहता है। मूल उसे कहते हैं जिससे वह ख़ान्दान बना हो देखो दफा ३८४.

(२) कोपार्सनरी, मूल पुरुष और उसकी तीत पुश्तोंमें रहती है (लड़का, पोता परपोता) मूल पुरुषको मिला कर चार पुश्तों में देखो दफा ३८६

(३) कोपार्सनरी, जायदादके आखिरी मालिकसे तीन पुश्तोंमे और उसे मिलाकर चार पुश्तों में रहती है-देखो दफा ४००

(४) कोपार्सनरी, में वह लोग नहीं शामिल हैं जो मूल पुरुषसे, उसे मिलाकर, या जायदादके आखिरी मालिकसे, उसे मिलाकर, पांचवीं पुश्तमें होते हैं।

दफा १७ आखीर मालिकसे तीन पीढ़ीमें कोपार्सनरी रहती है

ऊपरकी बातोंको ध्यानमें रखकर यह बात समझ लेनेके योग्य है, कि कोपार्सनरीकी हिस्सेदारी मूल पुरुषकी तीन पीढ़ी तककी सन्तानमें ही खतम नहीं हो जाती बल्कि जायदादके आखिरी मालिककी तीन पीढ़ी तक होती है। अथात् आखिरी मालिकके लड़के, पोते, परपोते तथा आखिरी मालिक भी शामिल रहता है, चाहे वह मूल पुरुषसे कितना भी दूर हो, देखो—10 B H C R 462, 465 इसे आसानीसे समझनेके लिये एक फैसला देखो उपरोक्त नजीरमें जस्टिस नानाभाई हरीदासका फैसला और मोरो विश्वनाथ बनाम गनेश विट्ठल 10 B H C R 444, 448 जस्टिस वेस्ट साहेबका फैसला विचारणीय है। जस्टिस नानाभाई हरीदासने इस तरह पर निश्चय किया—

इस ऊपरके नक़शेमें 'अ' मूल पुरुष है और बाकी सब उसकी मर्द औलाद है।

(१) अ, पहले मर गया उसके पीछे क, और ख, मरे। ख, ने एक लड़का घ, को और पोता च, छ, को छोड़ा और मर गया। च, छ, अपने बाप घ, से जायदादका बटवारा करा सकते हैं क्योंकि उनका मौरूसी जायदादमें बापके साथ हिस्सा है।

(२) अब ऐसा मानो कि क, ख, पहले मर गये पीछे, अ, मरा और उसके एक परपोता घ उस समय जिन्दा था जब अ, मरा था। अ, के मरने

पर च, और छ, पैदा हुए, तो भी वह घ, से जायदादका बटवारा करा सकते हैं। क्योंकि कोपार्सनरीमें पैदाइशसे हक़ माना जाता है और जायदादके आख़िरी मालिकसे तीन पुश्त तककी पुरुष सन्तान कोपार्सनरीमें शामिल होती है जैसाकि इस किताबकी दफा २६६ के तीसरे सिद्धान्तमें बताया गया है।

(३) अब ऐसा मानो कि क, ख, पहले मर गये, उसके पीछे अ, मरा और अ, ने अपने मरनेके समय ग, और घ, को छोड़ा। तब यह दोनों भाई जायदादको सर वाइवर शिपके हकके साथ (देखो दफा ५५८) मुश्तरकन् लेंगे। घ, अपने दो लड़के च, छ, को छोड़ कर मर गया, तब च, छ, और च, का लड़का ज, भी 'ग' से जायदादका बटवारा करा सकता है। अगर ज. के कोई लड़का होता तो उसका भी यह अधिकार प्राप्त होता, क्योंकि कोपार्सनरी तीन पुश्तमें रहती है।

(४) अब ऐसा मानो कि—क, ख, और घ, पहिले मर गये उसके बाद अ मरा और उसने अपने मरते समय ग, और च, छ, को छोड़ा। ऐसी सूरतमें च, छ, का कोई हक़ जायदादमें नहीं है और वे ग, से बटवारा नहीं करा सकते, जो जायदाद ग, को अ, से मिली है। क्योंकि जायदाद ग, को अकेले मिली है। च छ, के बाप घ, को जब जायदाद नहीं मिली, तो उनका तथा उनके लड़कोंका कोई हक नहीं रहा। ग, अकेले सब जायदादका मालिक होगा और ग, के मरनेपर उसकी सन्तानको वह मिलेगी।

कोपार्सनरीके उदाहरण—

ऊपरके नक़शेमें कई तरहके अलग अलग उदाहरण समझो—

(१) ऐसा मानो कि, अ, मूल पुरुष है और जिन्दा है तो कोपार्सनरी अ, से तीन पीढ़ी तक यानी उसके लड़के, पोते, परपोतों तक रहेगी और अ,

भी उसमें शामिल रहेगा अर्थात् क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, प, और फ, कोपार्सनरीमें शामिल हैं। मगर ब, भ, और म, तथा उसकी सन्तान, हरगिज़ कोपार्सनरीमें शामिल नहीं है।

(२) ऐसा मानो कि—अ, मर गया और उसकी छोड़ी हुई जायदाद उसके लड़कोंको मिली तो सिर्फ उसी जायदादमें लड़के और लड़कोंके नीचे की तीन-पीढ़ियां, कोपार्सनरीमें शामिल हो जायेंगी, अर्थात् अ, के मरनेपर ब, भ, भी कोपार्सनरीमें शामिल हो जायेंगे, क्योंकि ब, भ, जायदादके आखिरी मालिकसे तीन पीढ़ीके अन्दर है। मगर म, और उसकी सन्तान हरगिज शामिल नहीं होगी क्योंकि वह आखिरी मालिक जायदादसे पाचवीं पीढ़ीमें है। मालिक भी एक पीढ़ी शुमार किया जाता है। यह स्मरण रहे कि—लड़के पोते, परपोते-सर वाइवर शिप (देखो दफा ५५८) के हकके साथ जायदाद लेते हैं। इसी तरहपर जब ऊपरकी शाखा वाले मर्द मरते जायेंगे तब नीचेकी शाखा वाले मर्द कोपार्सनरीमें शरीक होते जायेंगे।

(३) ऐसा मानो कि—अ, के मरनेसे पहिले क, ख, ग, मर चुके थे पीछे अ, मरा। तो उस समय अ, की जायदाद उसके पोतोंको मिली (घ, च, छ, ज, झ,), पोते आखिरी मालिक जायदादके होगये तो अब उनके लड़के, पोते, परपोते, कोपार्सनरीमें शामिल हो जायेंगे, अर्थात् म, भी कोपार्सनरी के भीतर आ जावेगा मगर य, र, नहीं आवेगा।

(४) ऐसा मानो कि—अ, के मरनेसे पहिले उसके सब लड़के पोते, दोनों मर चुके थे पीछे अ, मरा। तो अब अ, के मरनेपर जायदाद उसके परपोतोंके पास पहुंची। वह (परपोते) जायदादके आखिरी मालिक हुये ऐसी सूरतमें उनके (परपोतोंके) लड़के, पोते, परपोते, कोपार्सनरीमें शरीक हो जायेंगे। अर्थात् जब जायदाद अ, के मरने पर प, फ, को मिली तो प, फ, के लड़के, पोते परपोते, भी कोपार्सनरीमें शामिल होगये यानी ब, भ, म, य, र, इसी तरह कोपार्सनरी बढ़ती जाती है।

(५) अगर अ, के मरनेसे पहले उसके सब लड़के, पोते, परपोते मर चुके थे उसके पीछे अ, मरा और अ, के मरनेके समय ब, और भ, ज़िन्दा थे, तो जायदाद मुश्तरका खान्दान के तरीक़ेसे नहीं मिलेगी बल्कि उत्तराधिकार (Inheritance) के अनुसार अ, के नज़दीकी वारिसको मिलेगी (देखो प्रकरण ६) यह माना गया है कि ऐसी सूरतमें अ, के मरनेके समय कोपार्सनरी टूट गई थी।

(६) ऐसा मानो कि—१-अ, के मरनेसे पहिले क, ख, मर चुके थे पीछे अ, मरा। अ, का लड़का ग, और उसके पोते, तथा परपोते ज़िन्दा हैं। २—अथवा क, पहिले मर गया ख, ग, और पोते, परपोते, ज़िन्दा हैं। ३—

अथवा ग, (लड़का), ज, झ, (पोते), दोनों पहिले मर गये पीछे अ, मरा हो और क, ख, तथा बाकीके पोते, परपोते जिन्दा हैं, तो हर एक कुटम्बी जो इस कोपार्सनरीमें शामिल माने गये हैं उन्हें अधिकार है कि अपने बापके, या दादाके स्थानापन्न होकर चाचाओं या चचाज़ात दादाओंके साथ कोपार्सनरीके पूरे पूरे हक़ प्राप्त करें।

(७) ऊपरकी सब बातोंपर ध्यान रखते हुये इस दफाके नक़शेमें यह बात भी समझ लीजिये कि—कोपार्सनरीमें कई एक छोटे छोटे परिवार (Families) भी शामिल हो जाते हैं, परन्तु कोपार्सनरीके सिद्धान्त और फैलाव के बाहर नहीं जा सकते जैसे —अ, का परिवार तीन पीढ़ीमें फैला है। इसी तरहसे ग, का परिवार, दो पीढ़ीमें एवं क, ख, का परिवार एक, एक पीढ़ीमें फैला है। यह लोग बड़ी कोपार्सनरीके अन्दर छोटी छोटी कोपार्सनरी अपनी अपनी बनाते हैं। जिस तरहसे कि ग, यद्यपि अ, के साथ कोपार्सनरीमें शामिल है परन्तु ग, अपनी अलहदा कोपार्सनरी अ, की ज़िन्दगीसे सिर्फ अपने लड़कों और पोतोंकी बनाता है। एवं क, यद्यपि अ, के साथ कोपार्सनरीमें शामिल है परन्तु क, अपनी कोपार्सनरी सिर्फ अपने लड़कोंके साथ अ, की जिन्दगीमें बनाता है। इसका मतलब यह है कि मूल पुरुषसे तीन पीढ़ी नीचे तक कोपार्सनरी मानी जाती है इसमें चाहे जितने आदमी हों वह सब शामिल हैं, और इसीके अन्दर अपने अपने परिवारकी अलहदा अलहदा कोपार्सनरी मानी जा सकती है, परन्तु किसी तरहसे भी वह मूल पुरुष या जायदादके आख़िरी मालिकसे तीन पीढ़ीसे आगे नहीं मानी जायगी और इसमें मूल पुरुष तथा मालिक शामिल रहेंगे।

कोपार्सनर

(Coparcener)

दफा १८ कौनलोग कोपार्सनर हैं और कौननहीं तथा उनकेहक़

(१) कोपार्सनरके हक़—कोपार्सनरीमें जो लोग शामिल माने गये हैं वही 'कोपार्सनर' कहलाते हैं। अर्थात् जो लोग मुश्तरका जायदादमें अपना हिस्सा रखते हैं वह लोग 'कोपार्सनर' कहलाते हैं। कोपार्सनरका हक मुश्तरका जायदादमें यह होता है—

(१) जायदादपर क़ब्ज़ा रखना और उससे लाभ उठाना।

(२) जायदादके बारेमें एक दूसरेको काम करनेमें रुकावट डालना।
(३) अपने कर्जेका जायदादपर बोझा डालना।
(४) अपनी इच्छासे जायदादका बटवारा करा लेना।

इन चार हक़ोंके सिवाय यह भी याद रखना चाहिये कि-कोपार्सनर जायदादको या उसके किसी खास हिस्सेको सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८), के अनुसार लेते हैं। कोपार्सनरके अधिकारोंको विस्तारसे देखो दफा ४१०

(२) दत्तकपुत्र कोपार्सनर है—दत्तकपुत्र भी, जिससमयसे कि वह गोद लिया जाता है कोपार्सनर बनजाता है इसतरहपर कि मानो वह औरस पुत्र है, कोपार्सनरके हक़ उसे पूरे प्राप्त होजाते हैं।

(३) बेटे, पोते, परपोते कोपार्सनर हैं—हिन्दूधर्मशास्त्रके अनुसार बेटे, पोते, और परपोते पैतृक जायदादमें अपनी पैदाइशके समयसे हक़ प्राप्त करलेते हैं तो इससे साफ जाहिर है कि वही लोग जो अपनी पैदाइशसे पैतृक जायदादमें हक़ प्राप्त करलेते हैं कोपार्सनर हैं यानी मूलपुरुष, और उसके बेटे, पोते, परपोते

(४) परपोतेके बेटे कब कोपार्सनर होंगे—यहबात बिल्कुल साफ है कि मूलपुरुष (वह आदमी जिससे खानदान बना है या शुरू होता है) के जीते जी सिवाय उसके, और उसके बेटे, पोते, परपोतोंके, अन्य कोई भी कोपार्सनर नहीं होसकता, मगर जब मूलपुरुष मर जायगा तो उसके मरनेके पश्चात् जब जायदाद उस मूलपुरुषके बेटोंके पास जायगी तब बेटोंके परपोते भी कोपार्सनर सिर्फ उस जायदादमें होजायेंगे जो मौरूसी जायदाद मूलपुरुषके बेटोंके पास आई है, और उस जायदादमें बेटोंके परपोते भीअपना हक़ अपनी पैदाइशसे प्राप्त करेंगे। इस जगहपर स्मरण रखो कि बेटोंके परपोते मूलपुरुषके जीवनकालमें पैतृक जायदादमें कुछ हक नहीं रखते और न वह उससमय कोपार्सनर है।

(५) पोतेका अपने बापके स्थापन्न होना—अगर मूलपुरुषके मरनेसे पहिले उसके कई एक बेटोंमेंसे कोई बेटा मरगया हो तो मूलपुरुषके मरनेपर मरेहुए बेटेका लड़का (मूलपुरुषका पोता) अपने पिताके स्थानापन्न होकर मूलपुरुषके दूसरे बेटोंके साथ (चाचाओंके साथ) मौरूसी जायदादमें हिस्सा पावेगा। और ऊपर बताये हुए क़ायदेके अनुसार जब मृतपिताके स्थानापन्न होकर पोतेको मौरूसी जायदाद मिली हो तो अब उस पोतेके बेटे, पोते, और परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त करलेते हैं और वह सब कोपार्सनर होजायंगे।

(६) परपोतेका अपने दादाके स्थानापन्न होना—जब मूलपुरुषके मरनेसेपहिले उसके कई एक बेटोंमेंसे कोई बेटा मरगया हो और उस मरेहुए

बेटेका लड़का (मूलपुरुषका पोता) भी मरगया हो तो मूलपुरुषके मरनेके पश्चात् मूलपुरुषका परपोता अपने मृतदादाके स्थानापन्न होकर मूलपुरुषके जीवित दूसरे बेटोंके साथ मौरूसी जायदादमें हिस्सा पावेगा। और ऊपरके क़ायदेके अनुसार जब मौरूसी जायदाद मूल पुरुषके परपोतेको मिली हो तो उस जायदादमें मूल पुरुषके परपोतेके बेटे, पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त कर लेंगे तथा वह कोपार्सनर हो जायेंगे।

(७) परपोतेके बेटेको कब हक़ नहीं मिलेगा-जब मूल पुरुषके मरने से पहिले उसके कई एक बेटोंमें से कोई बेटा मर गया हो, और उस मरे हुए बेटेका लड़का तथा पोता (मूल पुरुषका पोता और परपोता) भी मर गया हो तो मूल पुरुषके मरनेके पश्चात् मूल पुरुषके मरे हुये बेटेका परपोता जायदादमें हिस्सा पानेका अधिकारी नहीं होगा और न वह कोपार्सनर बन सकता है और जब मूल पुरुषके मृत बेटेके परपोतेको जायदाद नहीं मिली तो फिर उस जायदादमें उसके बेटे, पोते, परपोते भी अपना कोई हक़ नहीं रखते। अर्थात् उन्हें मौरूसी जायदादमें कुछ हक़ नहीं है, क्योंकि तीन पुश्त तक ही स्थानापन्न होकर जायदाद पानेका क़ायदा है।

दफ़ा १९ मिताक्षरालॉ के अनुसार कोपार्सनर

मिताक्षरालॉके अनुसार हर एक हिन्दू अपनी पैदाइशसे या गोद लेने से सम्पूर्ण कोपार्सनरी जायदादमें अपना हक़ प्राप्त कर लेता है। कोपार्सनरी जायदाद चाहे पैतृक हो या न हो, और चाहे उसके जन्म होने या दत्तक लेने के समयसे पहिले या पीछे मिली हो तो भी हक़ प्राप्त कर लेता है।

यह बात स्मरण रखनेके योग्य है कि—बापको यदि किसी नालिश करनेका अधिकार क़ानूनन् प्राप्त है तो कोई भी 'कोपार्सनर' उस अधिकारको नहीं ले सकता। अर्थात् अगर कोई कोपार्सनर यह ख़्याल करे कि उस अधिकारमें वह शामिल हैं तो गलत है, देखो-उजागरसिंह बनाम पीतमसिंह 8 I. A. 190, 4 All. 120 मगर देवस्थानकी जायदादमें लड़केका हक़ माना गया है देखो-रामचन्द्र पांडे बनाम रामकृष्ण भट्ट 33 Cal 507

लड़कोंका भाग कोपार्सनरी जायदादमें बापके भागके बराबर रहता है देखो—सुन्दरलाल बनाम चितारमल 29 All 1 परन्तु लड़के कभी अपने बापसे अलहदा क़ब्ज़ा जायदाद पर नहीं रख सकते—देखो-बलदेवदास बनाम श्यामलाल 1 All 77 बाबूवीर किशोरसिंह बनाम हरवल्लभ नरायनसिंह 7 W R C. R 502

दफ़ा २० अनौरसपुत्र

(१) द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य,) जातिमें अनौरसपुत्र (जो पुत्र 'औरस' न हो औरस पुत्रके लिये देखो दफ़ा ८२) का हक़ कोपार्सनरी जाय-

दादमें कुछ नहीं माना गया क्योंकि वह कोपार्सनर नहीं है - देखो-रोशनसिंह बनाम बलवन्तसिंह (1899) 27 I. A 51, 56; 22 All 191, 197, 2 Bom L R 529 रणमर्दनसिंह बनाम साहेब प्रल्हादसिंह 7 M I A 18, 4 W R P C 132

(२) शूद्र क़ौममें अनौरसपुत्रका हक़ माना गया है और वह कोपार्सनर होता है। देखो—राही बनाम गोविन्द बल्दतेजा 1 Bom 97 साद्रू बनाम वैजा 4 Bom 37 सरस्वती बनाम मन्नू 2 All 134 हरगोविन्द कुंवर बनाम धरमसिंह 6 All 329 कृष्णा पैय्यन बनाम मुदूसामी 7 Mad 407 एन कृष्णाअम्मा बनाम एन पामा 4 Mad H C 234 और देखो— 7 Mad 407, 4 Mad H C 234, 12 Mad 72, 13 Mad I A 141, 159 और भी देखना हो तो मनुस्मृति अध्याय ६ श्लोक १७६ देखो—

दास्यांवादासदास्यांवायः शूद्रस्यसुतोभवेत्
सोनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्म्मोव्यवस्थितः।

तथा याज्ञवल्क्य व्यवहाराध्यय श्लोक १३४.

जातोऽपिदास्यां शूद्रेण कामतोंशहरोभवेत्
मृते पितरिकुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्द्धभागिकम्।

शास्त्रोंमें बताया गया है कि शूद्र क़ौममें अगर दासी या दासीकी दासी से पुत्र पैदा हो तो पिताकी इच्छासे भाग पाता है। क़ानूनमें यह मान लिया गया कि शूद्र कौममें अनौरस पुत्र कोपार्सनर हो सकता है अगर कोई विशेष बात इसके खिलाफ न हो।

यह बात हमेशा याद रखना चाहिये कि अगर अनौरसपुत्रकी पैदाइश किसी ऐसे सम्बन्धसे हुई है कि जो धार्मिक दृष्टिसे अनुचित है अथवा किसी ऐसी स्त्रीसे हुई है कि जिसका पति जिन्दा हो और किसी दूसरे पुरुषके अयोग्य सम्बन्धसे वह पैदा हुआ हो तो शूद्र क़ौममें भी लड़केका हक कोपार्सनरी जायदादमें नहीं माना जायगा और न वह कोपार्सनर होगा। देखो—वेङ्कटा चिल्लाचिट्टी बनाम परवाथाम 8 Mad H C 134 दलीप बनाम गनपति 8 All 387 दत्तीपरीसीनयादू बनाम दत्तीबंगरू 4 Mad H C 204

(३) शूद्रोंमें भी अनौरस पुत्रका हक़ पैदाइशसे नहीं माना गया— शूद्रोंमें जहांपर कि अनौरस पुत्रका हक़ माना गया है वहांपर उसकी पैदाइशसे नहीं माना गया इसीलिये अनौरस पुत्र बापसे कोपार्सनरी जायदादका बटवारा नहीं करा सकता और न बापके हक़ोंको रोक सकता है जो उसे

कोपार्सनरी जायदादमें है । देखो–रामसरननराइन बनाम टेकचन्द्रनरायण (1900) 28 Cal 194 अगर उसके बापने हक़ दिये हों तो होंगे ।

(४) जब किसी आदमीके औरसपुत्र और अनौरस पुत्र दोनों किस्म के होवें तो बापको अधिकार है कि वह औरस पुत्रोंके बराबर तक अनौरस पुत्रको जायदादमे हक दे सकता है ज्यादा नहीं । देखो –करूपाज्ञान चिदी बनाम वलोकमचट्टी 23 Mad 16.

(५) बापके मरनेके बाद अनोरस पुत्र सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८), के हकके साथ कोपार्सनरी जायदादमें दूसरे लड़कोंके साथ हिस्सेदार हो जाता है देखो– जोगेन्द्र भूपति हरीचन्द्र महापात्र बनाम नित्यानन्द मानसिंह (1890) 17 I A 128, 18 Cal 151, 11 Cal 702,

(६) अगर बाप अपनी ज़िन्दगीमें लड़कोंका हक़ नहीं दे गया और मर गया है तो बापके मरनेके पश्चात् अनौरस पुत्र औरस पुत्रोंके मुकाबिले अदालतमें मुकद्दमा दायर करके अपने हिस्सेका बटवारा करा सकता है । देखो–थङ्कम पिलाई बनाम सप्पा पिलाई 12 Mad 401 फकीर अप्पा बनाम फकीर अप्पा (1902) 4 Bom L R 809

(७) अगर बापने अपनी ज़िन्दगीमें लड़कोंका हिस्सा तकसीम नहीं किया तो बापके मरनेपर अनौरस पुत्रको औरस पुत्रसे आधा हिस्सा मिलेगा। देखो–पार्वती बनाम थिरूमलाई 10 Mad 334, 344, चिल्लामल बनाम रङ्गनाथम् पिलाई (1910) 34 Mad 277

उदाहरण––ऐसा मानो कि एक आदमी शूद्र कौमका मरा जिसने दो औरस पुत्र तथा एक अनौरस पुत्र और पांच हज़ारकी जायदाद छोड़ी बापके मरनेपर अब बटवारा इस तरह होगा कि दो, दो, हज़ारकी जायदाद तो हर एक औरस पुत्रको मिलेगी तथा एक हज़ारकी अनौरस पुत्रको । इसी तरहसे जब औरस पुत्र और अनौरस पुत्र दोनों अनेक हों तो जितना हिस्सा हर एक औरस पुत्रको मिलेगा उसका आधा हिस्सा हर एक अनौरस पुत्र पावेगा। अनौरस पुत्रका हक केवल शूद्र क़ौममें माना गया है द्विजोंमे नहीं ।

(८) अनौरस पुत्रको जायदाद कब मिलेगी ? शूद्र कौमके अनौरस पुत्रको उस वक्त कुल जायदादके पानेका हक़ पैदा होगा जबकि उसका बाप अपने भाइयोंसे बिलकुल अलहदा होकर मरा हो और उसके कोई औरस पुत्र न हो । देखो–25 Mad. 519

(९) ऐसा अनौरस पुत्र, जो उत्तराधिकार पाने या कोपार्सनर होने का अधिकारी नहीं है वह रोटी कपड़ेके पानेका हक उस जायदादमें रखता है जिसकाकि उसका बाप अपनी ज़िन्दगीमें कोपार्सनर था–और यह हक उस पुत्रका उस जायदादपर भी होगा जिसका कि बटवारा नहीं हो सकता देखो

रणमर्दनसिंह बनाम साहेब प्रल्हादसिंह 7 Mad I A 18; 4 W R. P. C 132; 12 Mad. I A. 203, 2 Beng L R (P C) 15

(१०) बापके भाई के साथ अनौरस पुत्रका कोई हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं है, यानी अगर कोई शूद्र कौमका आदमी अपना भाई और औरस पुत्र तथा अनौरस पुत्रको छोड़कर मर जावे तो उस सूरतमें अनौरस पुत्रका कोई हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं होगा क्योंकि अनौरस पुत्रका कोई हक़ बापके स्थानापन्न होकर नहीं प्राप्त होता। देखो-रानोजी बनाम कांडोजी 8 Mad 557, 10 Mad. 334, 27 Mad 32, और दफा ७२२-२.

अनौरस पुत्रको शूद्रोंमें भी जायदादका न मिलना—किसी व्यक्तिका किसी अन्य पुरुषकी स्त्रीके साथ सहवास, व्यभिचार है, चाहे पतिने उस सम्बन्धकी रजामन्दी भी देदी हो। इस प्रकारके सहवाससे पैदा हुआ पुत्र हिन्दूलॉ के अनुसार दासी पुत्र नहीं है अतएव शूद्रोंके मध्य उसे वरासतका अधिकार नहीं है। बीठाबाई बनाम पाडू 28 Bom L R 595, A I R. 1926 Bom. 301

दफा २१ मिताक्षरालॉ में औरत कोपार्सनर नहीं होती

मिताक्षरालॉ के अनुसार औरत कोपार्सनर कभी नहीं होसकती सिर्फ मर्द होता है। देखो-पुन्नाबीबी बनाम राधा किशुनदास (1903) 31 Cal 476 लेकिन यह क़ायदा क़ानून मियादके खिलाफ नहीं माना जायगा यानी अगर किसी सबबसे औरतके क़ब्जेमें कोई कोपार्सनरी जायदाद चली गई हो और उस जायदादपर उस औरतका क़ब्ज़ा इतने दिनोंतक बना रहाहो कि क़ानून मियादके अनुसार वह अब बेदख़ल नहीं की जासकती हो तो ऐसी सूरतमें वह औरत अपनी जिंदगीभर तक कोपार्सनरी जायदादमें क़ब्ज़ा रखेगी। देखो-श्याम कुंवर बनाम दाह कुंवर (1902) 29 I A 132, 29 Cal 664; 6 C. W N 657, 4 Bom L R 547

दफा २२ कोपार्सनर होनेके अयोग्य पुरुष

जिन आदमियोंका हक उत्तराधिकारमें (देखो प्रकरण ६) उनकी अयोग्यताके सबबसे नहीं माना गया वह आदमी कोपार्सनर नहीं माने गये उनका हक़ सिर्फ रोटी कपड़ेका होता है देखो-रामसहाय मुकट बनाम लाल जी सहाय लाला 8 Cal 149, 9 C L R 457, रामसुंदर राय बनाम रामसहाय भगत 8 Cal 919 यही बात व्यवहार मयूख तथा दायभाग मेंभी मानी गई है।

इस विषयमें बङ्गाल हाईकोर्टमें यह माना गया है कि जब किसी पुरुष को शारीरिक अयोग्यता जन्मसे नहो बल्कि बीचमें पैदा होगई हो तो भी उसे

कोपार्सनरी जायदादमें हक़ नहीं मिलेगा क्योंकि वह कोपार्सनर नहीं होसकता देखो-रामसहाय मुकट बनाम लालजी सहाय 8 Cal. 149, 9 C. L. R. 457; रामसुंदर राय बनाम रामसहाय भगत 8 Cal. 919.

बङ्गाल हाईकोर्टकी रायके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्टने यह माना है कि-जब किसी पुरुषको कोपार्सनरी जायदादमें जन्मसे हक़ एक दफा पैदा हो जाय और उसके बाद उसे शारीरिक अयोग्यता आगई तो अब उस अयोग्यताको बीचमें आजानेसे उसकाहक़ नहीं मारा जायगा। त्रिवेणी सहाय बनाम मोहम्मद उमर (1905) 28 All 247.

जब किसी आदमी को अपनी अयोग्यता के सबब से जायदाद में हक़ नहीं मिला हो तो, जब उसकी अयोग्यता चली जायगी तब वह अपने हक़के पाने का दावा कर सकता है। देखो—मिस्टर मेनसाहेबका हिन्दूलॉ पेज ६५५; और भट्टाचार्य्यका ज्वाइन्ट फेमिली लॉ ३१६, ३१७; ४११, ४१४; इस तरहसे हक़ मिलनेके बाद अगर अयोग्यता आगई हो तो फिर वह हक़ नहीं चला जायगा।

जब किसी आदमीको अयोग्यताके सबबसे उत्तराधिकार और कोपार्सनरी जायदादमें हक़ नहीं मिल सकता तो इस बातकी मनाही नहीं है कि उस अयोग्य आदमीके नाम किसी जायदादका बख़शीश पत्र आदि न किया जाय अर्थात् किया जासकता है। देखो गङ्गासहाय बनाम हीरासिंह 2 All 809; कोर्ट आफ् वार्ड्स बनाम कुवलसिंह 10 B L. R 364.

दफा २३ अयोग्यताके साबित करनेका भार किसपर होगा

जब किसी मुक़द्दमेमें किसी आदमीकी शारीरिक अयोग्यता बयान की गई हो तो उस अयोग्यताके साबित करनेका भार उस पक्षपर निर्भर है जिसने उसे बयान किया हो। देखो—हेलनदासी बनाम दुर्गादास 1 C. L. J 323, फटीकचन्द्र चटरजी बनाम जगतमोहिनी देबी 22 W R. C. R. 348; चन्द्रमनी देबी बनाम किशोरचन्द्र मजूमदार 18 W. R. C R 375; ईश्वर चन्द्रसेन बनाम रानीदासी 2 W. R. C R. 125, नलिनचन्द्रगुहो बनाम भगाला सुन्दरी दासी 21 W. R. C R. 249, 21 I. A. 94.

दफा २४ मराहुआ माना जायगा

जिस किसी आदमीका हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं है और वह कोपार्सनर नहीं होसकता, तो इसका मतलब यह लगाया गया है कि मानो वह आदमी मरगया। देखो—बापूजी लक्ष्मण बनाम पाण्डुरंग 6 Bom. 616; वीरमित्रोदय, ८-६.

दफा २५ लड़केको हक़ कब नहीं मिलेगा

जब किसी आदमीको शारीरिक अयोग्यताके सबबसे कोपार्सनरी जायदादमें हक़ नहीं मिलाहो और ऐसी दशामें जायदादका बटवारा हो जाय तो बटवारा होनेके बाद अगर उसके लड़का पैदा होगया तो उस लड़केको भी कोई हक़ नहीं मिलेगा यानी वह लड़का फिर जायदादमें अपना हक़ कुछ भी नहीं रखता देखो—बापूजी लक्ष्मण बनाम पांडुरंग (1882) 6 Bom. 616, और अगर बटवारा होनेके पहिले उस अयोग्य आदमीके लड़का पैदा हुआ हो और वह लड़का योग्य पैदा हुआ हो तो उसे कोपार्सनरी जायदादमें हक़ मिलेगा। देखो—कृष्णा बनाम सामी (1885) 9 Mad. 64; और देखो मेन हिन्दूलॉकी दफा ६००

कोपार्सनरी जायदादका कोई हिस्सा रोटी कपड़ेके बदलेमें नहीं दिया जासकता, उसे जिसे रोटी कपड़ेके मिलनेका हक़ कोपार्सनरी जायदादमें है।

दफा २६ अपना हिस्सा छोड़ देना

बम्बई औरमदरास प्रांतमें जहांपर किमिताक्षरा पाबंद कियागयाहै हरएक कोपार्सनर, कोपार्सनरी जायदादका अपना हिस्सा बिला मंजूरी दूसरे शरीक कोपार्सनरोंके किसी भी कोपार्सनरको देसकता है और बख्शीस कर सकता है। देखो—पेदैय्या बनाम रामलिंगन् 11 Mad 407, मगर कलकत्ता और संयुक्त प्रांतमें ऐसा नहीं होसकता अर्थात् वहांपर बिलामंजूरी दूसरे शरीक कोपार्सनरोंके अपना हिस्सा नहीं देसकता और न बख्शीस करसकता है। देखो—चन्द्रकिशोर बनाम दंपती किशोर 16 All. 369, एक पुरानी नज़ीर देखो—बालचन्द बनाम सुंदर 2 Agra 173

अगर किसी कोपार्सनरने अपना हिस्सा किसी दूसरे कोपार्सनरको देदिया हो तो वह सिर्फ अपनाही हिस्सा देसकता है मगर अपने बेटे पोते परपोतेका हिस्सा नहीं देसकता। देखो - शिवाजीराव माधोराव बनाम बसंत राव माधोराव 33 Bom. 267, 10 Bom L R 778

नोट—बम्बई और मदरास प्रांतमें मुश्तरका खानदानके मेम्बरको यह अधिकार माना गया है कि वह अपना हिस्सा दूसरेको दसकता है यहांपर दूसरेसे मतलब मुश्तरका खानदानके दूसरे मेम्बरसे है। यह बात बंगाल और इलाहाबाद हाईकोर्टने नहीं मानी।

दफा २७ कोपार्सनरके अधिकार

कोपार्सनरके अधिकार इस किताबकी दफा ४०१ में सामान्यरीतिसे बताये गये हैं यहांपर उन्हीको विस्तारसे देखिये—

(१) कोपार्सनरका पहला हक़—कोपार्सनरी जायदादके मेम्बरके हक़ को रक्षित रखते हुए मुश्तरका जायदादपर क़ब्ज़ा रखना और उससे लाभ

उठाना, देखो हलधरसेन बनाम गुरुदासराय 20 W. R C R 126; सुरेन्द्र नरायनसिंह बनाम हरीमोहन मिसर 33 Cal. 1201, स्टालकारट बनाम गोपालपाण्डे 12 B. L. R. 197, 20 W. R. C R 58, नन्दनलाल बनाम लोएड् 22 W. R C R. 74

बङ्गाल स्कूल—जब कोई कोपार्सनर सिर्फ अपने हकके पानेका दावा क़ानूनन् नहीं कर सकता, मगर वह शामिल शरीक रहनेके लिये दावा कर सकता है (ऊपरकी नज़ीरें देखो) यह बात केवल बङ्गाल स्कूलमें होती है यानी बङ्गाल स्कूलमें बापकी ज़िन्दगीमें लड़कोंका हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं है इसलिये लड़के बापसे अपना हिस्सा तो नहीं लेसकते मगर वह शामिल शरीक रहनेके लिये दावा कर सकते हैं मगर शर्त यह है कि यह दावा क़ानून सियादके बाहर न हो।

अगर कोई कोपार्सनर कोपार्सनरी जायदादमें कुछ ऐसा फेरबदल करता हो, या उसमें कोई ऐसी इमारत बनाता हो, या उसमें कोई ऐसा काम करता हो, कि जिससे कोपार्सनरी जायदादका नुक़सान होता हो, या हो सकता हो, तो किसी कोपार्सनरकी प्रार्थनापर कोर्ट उस फेर बदल, या इमारत, या काम को बन्द कर देने और असली हालतमें कर देनेका हुक्म दे सकती है। देखो शशिभूषण घोष बनाम गनेशचन्द्रघोष 20 Cal 500 जानकीसिंह बनाम बखोरीसिंह Ben S. D A 1856, P 761 शादी बनाम अनूपसिंह (1889) 12 All. 436 परसराम बनाम सरजित 9 All 661

जब अनेक आदमी कोपार्सनरी जायदादके हकदार हों तो वह सब आपसमें उस जायदादको अपनी सहूलियतकी गरज़से अपना अपना हिस्सा अलहदा करके लाभ उठा सकते हैं मगर ऐसा करनेसे उस जायदादका बटवारा नहीं माना जायगा। देखो – ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज २२५ और जहांपर कि सब कोपार्सनरोंकी इजाज़तसे और मरज़ीसे किसी कोपार्सनरको मुश्तरका जायदादका कोई हिस्सा मिला हो और उसने उसे उन्नत किया हो तो वे बेदखल नहीं कर सकते। देखो—कलक्टर आफ चौबीस परगना बनाम देवनाथराय चौधरी 21 W. R. C. R. 222 जोतीराय बनाम भिचक मिया 20 W. R. C. P. 288

यदि कोपार्सनरी जायदादके अनेक हिस्सेदारोंने जब सिर्फ अपनी सहूलियतके लिये अपना अपना हिस्सा अलहदा कर लिया हो तो हर एक हिस्सेदारकी जितनी आमदनी उस जायदादसे होगी वह सब मुश्तरका मानी जायगी अर्थात् कोई हिस्सेदार यह नहीं कह सकता कि, उसकी जायदादके हिस्सेकी वह आमदनी है इसलिये उसकी अलहदाकी होगयी, देखो—मुसम्मात बोनाकुंवर बनाम बोलेसिंह 8 W. R C. R. 182.

मिताक्षरालॉ के अनुसार कोई कोपार्सनर मुश्तरका जायदादसे सिर्फ अपने हिस्सेके पानेका अदालतमें दावा नहीं कर सकता, मगर वह जायदादके बटवारा करा पानेका दावाकर सकता है इससे यह मतलब है कि वह बटवारा करा पानेका दावा करे और पीछे अपना हिस्सा जायदाद मे से अलाहदा कर लेवे, देखो—त्र्यंबक दीक्षित बनाम नरायन दीक्षित 11 Bom H C 69 रतन मनीदत्त बनाम बृजमोहनदत्त 22 W R C R 333 गोविन्दचन्द्र घोष बनाम रामकुमार देव 24 W. R C R. 393

जब कोई दूसरा आदमी कोपार्सनर नहीं है मुश्तरका जायदादके किसी हिस्सेको अपने क़ब्ज़ेमें लेकर उसका उपभोग करने लगे या उससे लाभ उठाने लगे तो ऐसी सूरतमें कोई भी कोपार्सनर अदालतमें नालिश करके उसे निकाल सकता है यानी यह जरूरी नहीं है कि सब कोपार्सनरोंको मिलकर दावा करना चाहिये। देखो—राधाप्रसाद बस्ती बनाम ईसुफ 7 Cal 414, 9 Cal L R. 76, दर्शनसिंह बनाम दिग्विजयसिंह 9 C L J 623

मियाद दावा करनेकी—अगर कोई आदमी मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादसे बेदख़ल होगया हो या उसका हक़ चलाया गया हो तो वह आदमी बारह वर्षके अन्दर अपने हक़के पानेका और जायदादमें क़ब्जा पानेका दावा कर सकता है, देखो—क़ानून मियाद ऐक्ट नं० ९ सन १९०८ की दफा १२७ अगर किसी मुक़द्दमेंमें यह कहा जाता हो कि अमुक आदमी एक समयमें मुश्तरका खान्दानका मेम्बर था मगर अब नहीं है तो इस बातका सुबूत देना उसी पक्षकारपर निर्भर है जिसकी तरफसे यह बयान किया गया हो कि वह अब मुश्तरका ख़ान्दानका मेम्बर नहीं है। देखो—इस किताबकी दफा ३९७ तथा 22 Bom 259, 18 Bom 197, 11 Bom. 365.

क़ब्ज़ा मुख़ालिफाना (Adverse possession)—मुश्तरका ख़ानदान की जायदादका अगर कोई हिस्सा किसी हिस्सेदारके पास अलहदा क़ब्ज़ेमें बारह वर्षसे ज्यादा रहा हो, और दूसरे हिस्सेदार कहते हों कि वह हिस्सा जो उसके पास अलहदा था सहूलियत आदिकी गरजसे अलहदा कर दिया गया था और असलमें वह शामिल शरीक ख़ान्दानकी जायदाद है। ऐसी सूरतमें वह आदमी जिसके क़ब्ज़ेमें बारह वर्षसे ज्यादा वह जायदाद रही हो यह कह सकता है कि 'क़ब्ज़ा मुख़ालिफाना' होगया। और इस वजेहसे उस आदमीसे जायदाद पीछा नहीं लीजासकेगी। बेनीसिंह बनाम भरतसिंह 1 Agra 162 रंजीतसिंह बनाम मददअली (1868) 3 Agra 222 भाना-गोविन्द गुरावी बनाम विट्ठोजी लाड़ोजी गुरावी 3 Bom H C A C 170, मगर शर्त यह है कि किसी दूसरे हिस्सेदारने किसी वक्त यह ज़ाहिर किया हो कि वह जायदाद जो अलहदा एक हिस्सेदारके क़ब्ज़ेमें थी मुश्तरका है, और जिसके क़ब्जेमे थी उसने इस बातसे इनकार किया हो तो बारह वर्षकी

मियाद उस तारीखसे शुरू होगी कि जिस तारीखको इनकार किया गया हो कि जायदाद मुश्तरका नहीं है; देखो जोगेन्द्रनाथ बनाम बल्देवदास (1907) 35 Cal. 961. वैद्यनाथ पैय्यर बनाम पैय्यासामी पैय्यर (1908) 32 Mad. 191. शर्फुन्निशा बीबी चौधरानी बनाम कैलाशचन्द्र गंगोपाध्याय 25 W. R C R 53. रखलदासबन्दोपाध्याय बनाम इन्द्रमनी देवी (1877) 1 Cal L. R. 155.

(२) कोपार्सनरका दूसरा हक़ मुश्तरका जायदादमें यह है कि वह अपना और अपने बच्चोंका तथा उन आदमियों और औरतोंका खाना पीना जो उसके ऊपर निर्भर है, मुश्तरका खानदानकी जायदादमें सेले सकता है। देखो —पैय्यावू मुपानार बनाम नीलादच्ची अमल 1 Mad. H. C 45, 12 Bom H C. 96. एवं लड़कोंके शिक्षणका खर्च और लड़कियोंकी शादीका खर्च भी ले सकता है देखो—वैकुंटम् अम्मानगर बनाम—कालापिरान पैय्यनगर (1900) 23 Mad. 512. और उचित तथा आवश्यक धार्मिक कृत्योंके खर्चके लिये भी ले सकता है। देखो—भट्टाचार्यके ज्वाइन्ट फैमिली लॉ पेज 277 सब क़िस्मके खर्च खानदान और जायदादकी स्थिति तथा हैसियतके अनुसार योग्य समझे जायेंगे।

(३) कोपार्सनरका तीसरा हक़ मुश्तरका जायदादमें यह है कि— वह अपने मुश्तरका खानदानकी जायदादके मैनेजर (प्रबन्धक) से सब किस्म के हिसाबात और हालतें पूंछ सकता है, और जायदादके बेचने या रेहन करने आदि बड़ी बड़ी बातोंमें अपना मत दे सकता है।

(४) कोपार्सनरका चौथा हक़ मुश्तरका जायदादमें यह है कि–अगर किसी कोपार्सनरने ऐसा कोई काम किया हो जो उसके अधिकारसे बाहर है तो उस कामके बारेमें आपत्ति (रोंक टोंक) करनेके लिये, तथा उस कामका करना अयोग्य है इस बातके क़रार दिये जानेके लिये अदालतमें मुक़द्दमा दायर कर सकता है। देखो—सूर्य्यवंशी कुंवर बनाम शिवप्रसादसिंह 6 I. A. 88, 101; 5 Cal. 148, 165; 4 Cal. L. R 226 अनन्त रामराव बनाम गोपाल बलवन्त (1894) 19 Bom. 269. गनपति बनाम अन्नाजी (1898) 23 Bom. 144. रामचन्द्र काशी पाटंकर बनाम दामोदर त्र्यंबक पाटंकर—20 Bom. 467; 13 W. R. C. R. 322, 323.

(५) कोपार्सनरका पांचवां हक़ मुश्तरका जायदादमें यह है कि— हर एक कोपार्सनर अपनी इच्छाके अनुसार मुश्तरका खानदानकी जायदाद का बटवारा करा सकता है। मगर जहांपर मिताक्षरालॉ माना जाता है वहां पर बापके जीते जी पौत्र (पोता) पितामह (दादा) से बटवारा नहीं करा सकता, इसी तरहपर जब बाप अथवा पितामह दोनों या दोनोंमें से कोई एक भी ज़िन्दा हो तो प्रपौत्र अपने प्रपितामहसे बटवारा नहीं करा सकता—

अर्थात् इसे यों कहिये कि पोता अपने दादासे जबकि उसका बाप जिन्दा हो, या परपोता अपने परदादासे जबकि उसका बाप या दादा कोई जिन्दा हो तो कोई भी बालिग़ कोपार्सनर बटवारा नहीं करा सकता--अर्थात् बापके मरने पर पोता अपने दादासे और बाप और दादा दोनोंके मरनेपर परपोता अपने परदादासे बटवारा करा सकता है।

साझीदार द्वारा--यदि किसी संयुक्त हिन्दू परिवारके किसी सदस्यने कोई इन्तक़ाल किया हो, जिसकी पाबन्दी दरहक़ीक़त परिवारपर नहीं है, और वह सदस्य मर जाय, और दूसरे जीवित सदस्य भी मर जांय, तो भावी वारिसोंको अधिकार होगा कि इस प्रकारके इन्तक़ालका विरोध करें। सरजू प्रसाद बनाम मङ्गलसिंह 23 A L J 254, L R. 6 A 201, 47 All 490; 87 I. C 294, A I R 1925 All. 339

उदाहरण--ऐसा मानो कि अ, मुश्तरका खानदानका मूलपुरुष है। अ,का लड़का क,है और ख,पोता है तथा ग, परपोता है। सब ज़िंदा हैं, ऐसी सूरतमें ख, बटवारा करालेना चाहता है अ, से। तो वह नहीं करा सकता क्योंकि ख, का बाप क, जबतक जीता रहेगा बटवाराका हक़ कभी ख,को नहीं प्राप्त होगा। अब ऐसा मानो कि ग, बटवारा करालेना चाहता है अपने परदादा अ, से। वह नहीं करा सकता क्योंकि ग,का बाप और दादा ज़िंदा हैं जब दोनों मरजायें तब ग, को बटवारा करापानेका हक़ परदादासे होगा बीचमें नहीं होगा।

अ
|
क
|
ख
|
ग

दफा २८ कोपार्सनरका मरना

जब कोई कोपार्सनर मरजाय तो बाक़ी ज़िंदा कोपार्सनरही उस जायदादके मालिक होते हैं। क्योंकि सरवाइवर शिप (देखो दफा ५५८). के हक़ के साथ कोपार्सनर अपना हक़ रखते हैं। एक कोपार्सनरके मरनेपर उसकी चौथी पुश्त कोपार्सनर बनजाती है जैसाकि कोपार्सनरीमें बताया गया है. देखो--राजनरायनसिंह बनाम हीरालाल 5 Cal. 142, पार्वती कुमारी देबी--श्रीमतीरानी बनाम जगदीशचन्द्र धौवल (1902) 29 I. A. 82; 29 Cal. 433, 6 C W N 490, 4 Bom L R. 365, सातोकुंवर बनाम गोपाल साहू (1907) 34 Cal 929, 5 Mad 362.

अगर सब कोपार्सनर मरगये हों और अब कोई भी कोपार्सनर बाक़ी नरहे तो फिर मुश्तरका खानदानकी जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार उस आदमीके वारिसको पहुंचती है जो कोपार्सनरोंमें सबसे अख़ीरमें मराहो।

दफा २९ कोपार्सनरके मरनेसे मुश्तरका व्यापार नष्ट नहीं होता

जब मुश्तरका खानदानका कोई व्यापार चलरहा होतो किसी एक कोपार्सनरके मर जानेसे वह व्यापार बंद नहीं होसकता जिस तरहसे कि किसी

व्यापारकी साधारण भागीदारी, एक भागीदारके मरनेसे नष्ट हो जाती है देखो 14 Bom. 189, 5 Bom 38, मुश्तरका खानदानकी जायदादमें कोई कोपार्सनर अपना हिस्सा निश्चित नहीं कर सकता जबतक कि बटवारा नहो जावे। क्योंकि हरएक कोपार्सनरका हिस्सा कमती और ज्यादा होजाना सम्भव है कमती इस वजेहसे हो सकता है कि जब उसके लड़का पैदा हो जाय, और ज्यादा इस वजेहसे होसकता है कि जब उसके कोपार्सनरोंमेंसे कोई मर जाय। इसी तरहके सम्बन्धोंसे कमती और ज्यादा हिस्सा हो जाया करता है इसीलिये कोई कोपार्सनर मुश्तरका खानदानकी जायदादके मुनाफे या भाड़े आदिमें यह कभी नहीं कह सकता कि 'मेरा हिस्सा देदो' क्योंकि वह मुश्तरका खानदानकी जायदाद है, और उसका हिस्सा बटा हुआ नहीं है. देखो—अप्पूवियर बनाम रामा सुब्बा ऐय्यन 11 M 1. A. 75,

---

मुश्तरका जायदाद—कोपार्सनरी प्रापर्टी

(Coparcenary property)

दफा २० अप्रतिबन्ध और सप्रतिबन्ध वरासत

मिताक्षरा—तत्र दायशब्देन यद्धनं स्वामिसम्बन्धादेव- निमित्ता दन्यस्य स्वंभवति तदुच्यते-सच द्विविधः। अप्रतिबन्ध सप्रतिबन्धश्च। तत्र पुत्राणांपौत्राणां च पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनं पितामहधनं च स्वं भवतीत्य प्रतिबन्धो दायः। पितृव्य भ्रात्रादीनां तु पुत्राऽभावे स्वाम्याऽभावे च स्वं भवताति पुत्रस- द्भावः स्वामिसद्भावश्च प्रतिबन्धस्तदभावे पितृव्यत्वेन भ्रातृत्वेन च स्वं भवतीति स प्रतिबंधोदायः एवं तत्पुत्रादिष्वप्यूहनीयः। इति। दायविभागप्रकरणे।८।

भावार्थ—'दाय' शब्दसे वह धन कहलाता है जो स्वामीके सम्बन्धसे दूसरे आदमीका धन हो जाय। वह दाय दो प्रकारका है 'अप्रतिबन्ध' और 'सप्रतिबन्ध'। पुत्र और पौत्रोंका पुत्ररूप और पौत्र रूपसे पिता और पितामह के धनमें जो अधिकार है वह अप्रतिबन्धदाय कहलाता है। चाचा और भाई

आदिकों का पुत्र और स्वामी के अभाव में ही जिस जायदाद में अधिकार हो सकता है वह 'सप्रतिबन्ध दाय' है क्योंकि पितृव्यरूपसे और भ्राता रूपसे जिस जायदादमें स्वत्वहो वह सप्रतिबन्ध कहलाता है। इसी प्रकार उनके पुत्र आदिमेंभी समझना। मिताक्षरामे दो तरहकी जायदाद मानी गयी है एक 'अप्रतिबन्ध' और दूसरी 'सप्रतिबन्ध'। जिस जायदादमें आदमी अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त करता है वह जायदाद 'अप्रतिबन्ध' कहलाती है। क्योंकि जायदादका मालिक उस हक़में कोई बन्धन नहीं डाल सकता (बन्धनका अर्थ रुकावट समझना) इसलिये बाप, दादा और परदादासे पायी हुई जायदाद अपने बेटे, पोते और परपोतोंके लिये अप्रतिबन्ध वरासत होगी, क्योंकि बेटे, पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्तकर लेते हैं, तथा वह पैदा होते ही अपने बाप, दादा, परदादाके साथ कोपार्सनर हो जाते हैं।

वह जायदाद जिसमें पैदाइशसे हक़ नहीं प्राप्त होता लेकिन आख़िरी मालिकके मरनेपर प्राप्त होता है वह 'सप्रतिबन्ध' वरासत है। क्योंकि मालिक के जीतेजी वह हक़ नहीं प्राप्तकर सकते इसलिये जो जायदाद बाप, भाई, भतीजे और चाचाओं आदिको आख़िरी मालिकके मरनेके बाद मिलती है वह जायदाद सप्रतिबन्ध कहलाती है। यह रिश्तेदार अपनी पैदाइशसेही जायदादमें हक़ प्राप्त नहीं कर लेते किन्तु उनका हक़ मालिक आख़िरीके मरने के बाद पैदा होता है, और जबतक वह नहीं मरता तबतक उन्हे उत्तराधिकार का एक सिर्फ मौक़ा रहता है क्योंकि अगर वह उस समय, उस मालिकके मरनेके समय तक जिंदा रहेंगे तो मौक़ा मिलेगा।

मुश्तरका खान्दान—इन्तकाल—प्रतिप्रबन्धके कारण पावन्दी होसकती है। गजाधर बक्ससिंह बनाम बैजनाथ A. I. R 1925 Oudh. 9.

दफा ३१ अप्रतिबन्ध जायदादमें सरवाइवरशिप होता है

अप्रतिबन्ध जायदाद हमेशा सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८), के हक़के साथ जाती है। और सप्रतिबन्ध जायदाद उत्तराधिकारके साथ जाती है लेकिन चार तरहके वारिसोंको सप्रतिबन्ध जायदाद भी सरवाइवरशिपके हकके साथ जाती है। वह चार वारिस यह हैं—

(१) विधवायें।
(२) लड़किया (बम्बईको छोड़कर).
(३) लड़कीके लड़के जब वह मुश्तरका रहते हों
(४) लड़के, पोते, परपोते

अङ्गरेजी भाषामे 'अप्रतिबन्धदाय' को अन् आवस्ट्रक्टेड् हेरीटेज (Unobstructed heritage) कहते हैं और 'सप्रतिबन्धदाय' को आबस्ट्रक्टेड् हेरीटेज (Obstructed heritage) कहते हैं।

नोट—ध्यान रखोकि बेटे, पोते, परपोतेही मौरूसी जायदादमें अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त कर लेते हैं, जिस जायदादमें वे हक़ प्राप्त करते हैं वह मौरूसी जायदाद होती है अर्थात् वह जायदाद जो उनके बाप, दादा, परदादाने अपने बाप, दादा, परदादासे पायी हो। मगर लड़के, पोते, परपोते अपने बाप, दादा, परदादाकी खुद कमाई हुई जायदादमें कोई हक़ अपनी पैदाइशसे प्राप्त नहीं करते। यह भी ध्यान रखो कि बेटे, पोते परपोते, कोपार्सनरी जायदादमें अपना हक़ अपनी पैदाइशसे प्राप्त करलेते हैं न कि सिर्फ मौरूसी जायदादमेंही, क्योंकि मौरूसी जायदाद भी एक तरहकी कोपार्सनरी जायदाद है, कोपार्सनरी जायदादमें मौरूसी और गैरमौरूसीके अलावा दूसरे किस्मकी भी जायदादें शामिल होती हैं।

उदाहरण (१) ऐसा मानो कि अ, ने अपने बापसे जायदाद पाई, और अ, के एक लड़का क, है। ऐसी जायदाद क, के लिये अप्रतिबन्ध, है यानी क, अपने बाप अ, के साथ कोपार्सनर होजाता है और उसके मरनेपर वह, जायदादको कोपार्सनर होनेकी वजेहसे सरवाइवरशिपके हक़के साथ लेता है। अगर अ, ने अपने दादा या परदादासे भी जायदाद पाई होती तो भी यही शकल होती, मगर परदादाके बापसे यदि पाई होती तो यह शकल नहीं होती क्योंकि वह जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार आती।

अ
|
क
|
ख
|
ग

(२) ऐसा मानो कि अगर अ, की ज़िंदगीमें क, मरगया और ख, तथा ग, ज़िंदा हैं तो भी वह जायदाद 'अप्रतिबन्ध' रहेगी।

(३) ऐसा मानो कि—अगर अ, ने अपने भाईसे जायदाद पाई है और उसके एक लड़का क, है तो अ, के पास यह जायदाद 'सप्रतिबन्ध' रूपसे है क्योंकि क, का कोई हक उस जायदादमें अ, की ज़िंदगीमें नहीं है। अ, के मरनेके बाद, क, उस जायदादको उत्तराधिकारके अनुसार लेगा।

दफा ३२ बंगाल स्कूलमें 'अप्रतिबन्ध' जायदाद नहीं होती

बङ्गाल प्रांतमें जहांपर दायभाग माना जाता है वहांपर 'अप्रतिबन्ध' जायदाद नहीं मानी जाती, सिर्फ मिताक्षरा स्कूलकेही अन्दर इस किस्मकी जायदाद मानी गई है। दायभागमें सब जायदाद 'सप्रतिबन्ध' होती है क्यों कि इस स्कूलके सिद्धांतके अनुसार कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमीकी किसी जायदादमें अपनी पैदाइशसे हक नहीं प्राप्त करसकता यानी लड़का, पोता, परपोता आदि अपनी पैदाइशसे मौरूसी जायदादमें हक नहीं प्राप्त कर सकते। इसका कारण यह है कि दायभागमें सरवाइवरशिपका सिद्धांत नहीं माना गया, उसमें उत्तराधिकारका हक़ माना जाता है, और यह हक आखिरी मालिकके मरनेही पर प्राप्त होसकता है। ऐसा सिद्धांत होनेपर भी प्रिवीकौन्सिलने दायभागके अन्दर जब दो या दोसे ज्यादा विधवायें या लड़कियां हों और उन्हे कोई जायदाद मुश्तरकन् मिली हो तो वहांपर सरवाइवरशिपका हक़ लगाया है।

दफा ३२ (ए) मुश्तरका जायदाद दो तरहकी होती है

(१) हिन्दू-लॉके अनुसार जायदाद दो हिस्सोंमें तक़सीमकी जासकती है एक 'मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद' और दूसरी 'अलहदा कमाई हुई जायदाद' मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके भी दो हिस्से होसकते हैं एक मौरूसी जायदाद (पैतृकसम्पत्ति) दूसरी कोपार्सनरोंकी अलहदा जायदाद जो मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें शामिल होजाती है। इस तरहसे मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें दो क़िस्मकी जायदाद शामिल हैं मौरूसी और मुश्तरका ख़ानदानमें रहने वाले कोपार्सनरोंकी दूसरी जायदाद जिसका ज़िकर दफा ४१८ से ४२३ में किया गया है मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें नहीं शामिल होगी।

(२) वह सब जायदाद जिसमें मुश्तरका ख़ानदानके सब लोग मुश्तरकन लाभ रखते हों, और मुश्तरकन् क़ब्ज़ा रखते हों, मुश्तरका जायदाद है अङ्गरेज़ीमें इसे 'कोपार्सनरी प्रापरटी' कहते हैं। मुश्तरका जायदादमें बटवारा करा लेनेका अधिकार सब कोपार्सनरोंको प्राप्त रहता है। देखो—कटामानाच्चियर बनाम शिवगङ्ग 9 M I A 543, 615, 2 W R P C 1, वेंकायामा गारू राजा चिल्लीकानी बनाम वेंकटरामानयम्मा (1902) 29 I, A 156, 164; 25 Mad 678, 4 Bom L R 657, कृष्णदास धर्मसी बनाम गङ्गाबाई (1908) 32 Bom 479, 10 Bom L R 184, और देखो श्यामनरायन बनाम कोर्ट आफ् वार्ड्स (1873) 20 W. R.C R 197

दफा ३३ मुश्तरका जायदाद कौन कौन होती है

(१) कोपार्सनरी जायदाद मुश्तरका होती है-हिन्दूलॉमें सिवाय कोपार्सनरी जायदादके दूसरी क़िस्मकी मुश्तरका जायदाद नहीं होती। इङ्गलैण्डमें अनेक और भिन्न भिन्न ख़ानदानके लोग मिलकर मुश्तरका जायदाद बना लेते हैं, मगर हिन्दुस्थानमें वह मुश्तरका नहीं होती। जो मुश्तरका जायदाद हिन्दुस्थानमें होती है वह हमेशा कोपार्सनरीके हक़दारोंमें ही होती है, किसी मर्द या औरतके बनानेसे मुश्तरका जायदाद नहीं बनती। गोपी बनाम जलधर (1910) 33 All 41.

(२) बटवाराके बाद खरीदी जायदाद—अगर कोई जायदाद परिवारके अनेक आदमियोंके नामसे ख़रीदकी गई हो तो वह जायदाद मुश्तरका ख़ानदानकी होजायगी। इसका मतलब यह है कि कोई ख़ानदान पहिले शामिल शरीक रहा हो और पीछे बटवारा होकर सब लोग अलहदा होगये हों उसके पश्चात् अगर कोई जायदाद सबके नामसे या कुछ आदमियोंके नामसे (जो अलहदा होगये थे) खरीद करली गई हो तो वह जायदाद जितने आदमियों

के नामसे खरीदकी गई है उनके लिये मुश्तरका खानदानकी जायदाद होजाती है और उस जायदादमें हरएक आदमीकी औलाद अपनी पैदाइशसे उसमें हक़ प्राप्त करलेती है जैसा कि कोपार्सनरी जायदादमें बताया गया है देखो—राधाबाई बनाम नानाराव 3 Bom 151, ट्रान्सफ़र आफ प्रापरटी एक्ट नं० ४ सन् १८८२ की दफा ४५.

(३) मुश्तरका व्यापार या मेहनतकी जायदाद-जो जायदाद, शिरकत के व्यापार द्वारा कमायी गयी हो, या मुश्तरका खानदानके मेम्बरोंकी मुश्तरका मेहनतसे पैदा कीगयी हो, और ऊपरके दोनों तरीकोंमें मुश्तरका खानदानका रुपया न लगा हो तो भी वह जायदाद मुश्तरका खानदानकी समझी जायगी। देखो रामप्रसाद तिवारी बनाम शिवचरनदास 10 M. I A 490. श्यामनरायन बनाम कोर्ट आफ वार्ड्स 20 W. R C R 197. चतुर्भुज मेघ जी बनाम धरमसी नरायनजी 9 Bom 438, 445, 446, गोपालासामी चिट्टी बनाम अरुणचेलम चिट्टी (1903) 27 Mad 32 और देखो मनुस्मृति नवम् अध्याय श्लोक २२५—

भ्रातॄणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह
नपुत्र भागं विषमं पितादद्यात् कथंचन। मनुः

मुश्तरका परिवारमें बापके साथ भाइयोंने जो धन पैदा किया हो उसे बाप विषम भागसे पुत्रोंमें न बांटे अर्थात् बराबर बांटे। मिताक्षराका भी यही मत है, सि० कोलब्रुक् डाइजिस्ट Vol 3 P 386.

लेकिन जब यह किसीने साबित किया हो कि वह जायदाद सिर्फ साधारण भागीदारीके द्वारा पैदा कीगयी है जैसाकि कान्ट्रक्ट एक्टमें बताई गयी है तो उस जायदादमें सरवाइवरशिप आदि जो कोपार्सनरके हक़ हैं नहीं रहेंगे। देखो-10 M. I A. 490, 9 Bom. 438, 25 Mad. 149, 156, रामनराय नृसिंहदास बनाम रामचन्द्र जानकीलाल 18 Cal 86, 25 All 378,

अगर मुश्तरका खान्दानके आदमियोंने मिलकर व्यापार नहीं किया हो यानी उनमें से अगर कुछ आदमी छूट गये हों, और मुश्तरका जायदाद का रुपया उस व्यापारमें न लगाया गया हो तो अदालतको यह ख्याल रखने का मौक़ा हो सकता है कि वह जायदाद जो इस तरहसे पैदा कीगयी थी मुश्तरका खानदानकी नहीं है देखो-सुदर्शनम् मिस्ट्री बनाम नरसिम्हलू मिस्ट्री (1901) 25 Mad. 149. मिस्टर मेन साहेब कहते हैं कि-अगर मुश्तरका खान्दानका कुछ भी रुपया न लेकर कोई जायदाद पैदा कीगयी हो, चाहे वह मुश्तरका खान्दानके सब मेम्बरोंने मुश्तरकन् व्यापार करके या मेहनत करके पैदाकी होतो वह मुश्तरका खानदानकी जायदाद नहीं मानी जायगी और उस

जायदादमें उनके लड़कोंका हक़ कुछ नहीं होगा क्योंकि वह कोपार्सनरी जायदाद नहीं है। देखो-मेन हिन्दूलॉ की दफा 277 चतुर्भुज बनाम धरमसी 9 Bom 438, 445

(४) दान या वसीयत द्वारा दान जो मुश्तरका खान्दानको दियह जाय; देखो-दफा ७९७ ऐसा माना गया है कि-जो दान या वसीयत द्वारा दान (Devise) किसी मुश्तरका खानदानके सब आदमियोंको दिया गया हो वह मुश्तरका जायदाद नहीं माना जायगा। देखो-किशोरी दुबाइन बनाम मुद्रादुबाइन (1911) 33 All 665 दिवालीबाई बनाम बेचरदास पटैल (1902) 26 Bom 445 परन्तु बम्बई हाईकोर्टने राधाबाई बनाम नानाराव (1879) 3 Bom 151 में, और मदरास हाईकोर्टने येथी राजलू नायडू बनाम मुकुथू नायडू (1905) 28 Mad 363 कुन्हाचा उन्मा बनाम कुट्टी मम्मी हाजी (1892) 16 Mad 201 में माना है कि दान या वसीयत द्वारा दान जो मुश्तरका खान्दानके सब मेम्बरोंको दिया गया हो अगर देने वालेका कोई दूसरा इरादा साफ तरहसे जाहिर न कर दिया गया हो तो वह दान या वसीयत द्वारा दानका धन मुश्तरका जायदाद समझा जायगा।

ऐसा कहा गया है कि ऊपर वालीराय टगोरवाले मुक़द्दमें-(जितेन्द्रमोहन टगोर बनाम गणेन्द्रमोहन टैगोर सन 1872 I A Sup Vol 47, 9 B L R 377, 18 W R C R 359) के विरुद्ध पड़ती है। क्योंकि इसके अनुसार वे लोग भी जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ, जन्मके बाद मुश्तरका जायदादमें अर्थात् दान या वसीयत द्वारा दानकी जायदादमें हक़ प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु किसी किसी एक श्रेणी (Class) के लोगोंको दिये हुये दानके विषयमें जो फैसले हालमें हुए हैं उनसे इस बातका खण्डन होता है। टगोरकेसको तथा नरसिंहरावके केसको विस्तारसे देखो दफा८०७

(५) बाबुआनाके तौरपर दी हुई जायदाद। बाबुआनाके तौरपर जो जायदाद किसी मुश्तरका खानदानके कनिष्ट (Junior) कुटुम्बीको, और उसकी सीधी पुरुष सन्तानको दीजाय उसके विषयमें देखो—रामचन्द्र माड़वारी बनाम मुदेश्वरसिंह (1906) 33 Cal 1158, 10 C W N 979, दुर्गादत्तसिंह बनाम रामेश्वरसिंह (1909) 36 I A 176, 36 Cal 943, 13 C W N 1013, 11 Bom L R 901, ललितेश्वरसिंह बनाम भवेश्वरसिंह (1908) 35 Cal 823, 12 C W N 958

(६) समझौतेसे प्राप्तकी हुई जायदाद। जब मुश्तरका खानदानमें कोई ऐसी जायदाद शामिल होजाय जो किसी समझौते (Compromise) अथवा इन्तजाम (Arrangement)के द्वारा आई हुई हो, चाहे वह मौरूसी भी हो तो इस बातका निर्णय कि वह जायदाद कोपार्सनरी है या नहीं उस

समझौते और इन्तज़ामके ऊपर निर्भर है जो पहिले हो चुका है। देखो—महावीर कुंवर जुमासिंह 8 B L. R 38, 16 W R. C R 221

(७) नानासे उत्तराधिकारमें पाई हुई जायदाद। यह अभीतक पूरी तौरसे निश्चित नहीं हुआ है कि नानासे उत्तराधिकारमे पाई हुई जायदाद मौरूसी जयादाद होजाती है या नहीं। इस विपयमें एक केस देखिये— वेंकयामा बनाम वेंकटराम नैय्यामा (1902) 25 Mad 678, 29 I. A. 156. के केसमें दो भाई जो मुश्तरका खानदानके मेम्बरोंकी तरह रहते थे उन्होंने अपने ननासे कुछ जायदाद पाई उनमेंसे एक अपनी विधवाको छोड़-कर मर गया अब यहांपर सवाल यह पैदा हुआ कि उसके नानाकी जायदाद का हिस्सा उसकी विधवाको उत्तराधिकारके अनुसार मिलेगा अथवा सरवाइवरशिपके अनुसार उसके भाईको मिलेगा। प्रिवीकौंसिलके जजोंने यह निश्चित किया कि वह जायदाद दोनों भाइयोंके पास मुश्तरका जायदाद थी और उसमें मृतपुरुषका अविभाजित हिस्सा उसके भाईको सरवाइवरशिप के अनुसार मिलेगा, विधवाको उत्तराधिकारके अनुसार नहीं मिलेगा। इस फैसलेका यह नतीजा हुआ कि लड़कीके लड़के, नानाकी जायदादको सरवाइ-वरशिपके अनुसार मुश्तरकन् लेते हैं। अपने फैसलेमें जजोंने यह भी कहा कि वह जायदाद लड़कीके लड़कोंके हाथमें जब पहुंचेगी तो मौरूसी यानी मुश्तरका खानदानकी जायदाद होजायगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट और मदरास हाईकोर्टने नानासे पाई हुई जायदादको मुश्तरका खानदानकी जायदाद नहीं मानी एसलिये इस विषयमें मतभेद है मदरास हाईकोर्ट ऊपरके फैसलेसे यह अर्थ निकलता है कि नानासे पायी हुई जायदाद पारिभाषिक अर्थमें पैतृक सम्पत्ति होती है, देखो—करूपाई बनाम सङ्कर नरायन्ना (1903) 27 Mad 300, 312, 314 और इसलिये अगर ऐसा मानो कि 'अ' अपने नानासे कोई जायदाद पाये और उसके एक लड़का 'क' हो जो उसके साथ मुश्तरका रहता हो तो उस जायदादमें 'क' अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त कर लेगा और उस जायदाद 'अ' से बटवारा करा सकता है 27 Mad 382; और देखो 6 Mad 1, 16, 9 I. A 128-143.

इलाहाबाद हाईकोर्टने यह माना है कि प्रिवीकौन्सिलके जजोंने यह बताते वक्त कि दो या दोसे ज्यादा लड़कीके लड़के जो जायदाद अपने नाना से उत्तराधिकारमें पाते हैं उसको मुश्तरका सरवाइवरशिपके साथ लेते हैं और उस वक्त उन्होंने जो पैतृक सम्पत्ति शब्दका उपयोग किया है वह उसके पारिभाषिक अर्थमें नहीं है लेकिन उसका वही मतलब है जो मतलब कि इङ्गलिशलॉ में 'मुश्तरका जायदाद' से निकलता है यानी वह जायदाद कि जिसके साथ सरवाइवरशिपका हक़ लागू नहीं होता है। इसलिये इलाहाबाद हाईकोर्टने यह माना कि नवासेका लड़का नानासे पायी हुई जायदादमें अपनी

पैदाइशसे कोई हक्क नहीं रहेगा और न वह उस जायदादका बापसे बटवारा करा सकेगा और अगर बाप लड़केके जीतेजी उस जायदादको इन्तकाल कर दें तो लड़का उसे नहीं रोक सकता. देखो—जमुनाप्रसाद बनाम रामप्रताप (1907) 29 All 667 मदरास हाईकोर्ट पैतृक सम्पत्तिका अर्थ उस जायदादसे लगाती है जो किसी पूर्वजसे मिली हो चाहे वह पूर्वज पिताकी तरफसे हो या माताकी तरफसे हो। लेकिन मामा पूर्वज नहीं माना गया और इसी लिये मामासे पायी हुई जायदाद पैतृक सम्पत्ति नहीं मानी जाती मदरास हाईकोर्टका यह मत है, देखो—27 Mad 300

मिस्टर मेन साहेबने कहा है कि "जो जायदाद नानासे मिली हो नगड़दादासे मिली हो, या किसी पुजारीसे, या सहपाठीसे वरासतमें मिली हो, तो वह जायदाद मुश्तरका खान्दानकी नहीं होगी, देखो—मेन हिन्दूलॉ की दफा २७५" मिस्टर ट्रिवेलियनने कहा है कि जब अनेक लड़कियोंके अनेक लड़के भिन्न भिन्न खान्दानमें हो और उस समय नानाकी जायदाद उत्तराधिकारमें उन सब नवासोंको मिले तो उस सूरतमें सब नवासे अलहदा अलहदा लेंगे और कोपार्सनरी नहीं मानी जायगी, देखो—ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज २३३ मिस्टर घारपुरेने कहा है कि—जब कोई जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार नानासे मिलती है तो सब नवासे उसे सरवाइवर शिपके अनुसार नहीं लेंगे और उनमेंसे एकके मरनेपर वह जायदाद सरवाइवर शिपके अनुसार नहीं जायगी, देखो—मिस्टर घारपुरे हिन्दूलॉ पेज १२३ जसोदा कुंवर बनाम शिवप्रसाद 17 Cal 33

(८) अप्रतिबन्ध जायदाद किसके लिये कोपार्सनरी नहीं होगी? मिताक्षरा स्कूलके अनुसार वह सब जायदाद मनकूला या गैरमनकूला चाहे किसी तरहभी प्राप्तकी गयी हो मगर वह अप्रतिबन्ध दायकी हैसियतसे मिली हो अर्थात् जो सगे बाप, या दत्तक पितासे, या दादा या परदादासे मिली हो वह जायदाद उस आदमीकी सन्तानके लिये कोपार्सनरी जायदाद होगी मगर उस आदमीके लिये नहीं जिसने वह पायी है। देखो—गुरूमरथी रिड्डी बनाम गुरुम्मल (1908)32 Mad 86, 88; 11 All 194—198

(९) जो जायदाद विधवा कोरोटी कपड़ाके लिये दी गयी है। अगर कोई जायदाद मुश्तरका खान्दानकी किसी विधवा को रोटी कपड़ाके खर्चके लिये देदी गयी हो तो विधवाके मरनेपर वह जायदाद कोपार्सनरीमें शामिल हो जायगी। देखो—बेनीप्रसाद बनाम पूरनचन्द 23 Cal 262-273 मगर वह सूरत इससे भिन्न होगी जब किसी विधवाको अपने पतिसे उत्तराधिकार के अनुसार जायदाद मिली है।

(१०) मुश्तरका खान्दान वालोंकी मुश्तरका पूंजी—जबकि मुश्तरका खान्दानके सब आदमी जिनके पास मुश्तरका जायदाद है अपनी अलग अलग

कमाईका रुपया किसी एक कारबारमें लगावें तो उस कारबारकी आमदनी मुश्तरका खान्दानकी आमदनी मानी जायगी। देखो—लाल बहादुर बनाम कन्हैयालाल 34 I A 65, 29All:244, 11C W.N 417, 9Bom.L R 597.

(११) कोपार्सनरका फिर शामिल हो जाना—जब मुश्तरका खान्दान का कोई आदमी पहिले अलग हो गया हो और पीछे फिर शामिल हो गयाहो तो उसकी जायदाद् सब कोपार्सनरी जायदाद हो जायगी देखो—17 Cal: 63; 33 Mad. 165.

(१२) अलहदा जायदादके दावाकी मियाद—अगर कोई मुश्तरका खान्दानका मेम्बर किसी जायदाद को अपनी अलहदा बयान करता हो उसे क़ानूनी मियादके अन्दर दावा करना चाहिये अगर ऐसा न होगा तो फिर वह कोपार्सनरीमें सामिल हो सकती है क्योंकि तमादी हो जानेपर दावा नहीं चलेगा। देखो—वसुदेवपाधी वगैरा बनाम मगनी देवन बखशी (1901) 28 I A. 81; 24 Mad 387, 5 C. W N. 545; 3 Bom L R. 303

(१३) कोपार्सनरी जायदादकी वृद्धि और प्राप्ति—मुश्तरका खान्दानकी जायदाद चाहे वह मनकूला हो या ग़ैरमनकूला उसकी आमदनीसे या उसकी मददसे या उसके आधारसे जो जायदाद् या धन प्राप्त किया गया हो वह सब मुश्तरका खान्दानकी जायदाद है और फिर उस जायदादकी आमदनी और उसकी बिक्रीका रुपया और उस रुपयासे खरीदी हुई जायदाद भी सब मुश्तरका खान्दानकी जायदादहो जायगी। हरएक बातकी अलगअलग नज़ीरें देखो—

(१) मुश्तरका खान्दानकी जायदादकी आमदनीसे या उसकी मदद आदिसे जो जायदाद प्राप्तकी जाय—मुश्तका है—लालबहादुर बनाम कन्हैय्या लाल (1907) 34 I A 65, 29 All 214; 11C W N 417, 9 Bom L R 597, अमृतनाथ चौधरी बनाम गौरीनाथ चौधरी (1870) 13 M. I A 542; 15 W R. P C 10; ईश्वरीप्रसादसिंह बनाम नसीबकुंवर (1884) 10 Cal 1017 सुभैय्या बनाम सेरय्या (1887) 10 Mad 251, अजोध्याप्रसाद बनाम महादेवप्रसाद (1909) 14 C W. N. 221, 8 Mad. H C. 25; 4 Mad H. C 5, 19 W R C. R 223, 17 W.R. C R. 528; 8 W. R. C. R 182, 6 W. R C. R 256.

(२) अगर मुश्तरका जायदादके आधारपर कोई जायदाद प्राप्त की गयी हो वह सब मुश्तरका है—शिवप्रसादसिंह बनाम कलन्दरसिंह 1 Ben. Sel. R. 76 दूसरा एडीशन १०१

(३) मुश्तरका खान्दानकी जायदादकी आमदनीसे जो दूसरी जायदाद प्राप्त की जाय और उससे जो जायदाद प्राप्त की जाय आदि मुश्तरका है। देखो—(1888) 11 Mad 246.

(४) जो जायदाद मुश्तरका खानदानकी जायदादको वेचकर खरीदी गई हो मुश्तरका है–18 Mad 73; 3 Cal 508; 1 Cal. L R 343

(५) जो जायदाद मुश्तरका खानदानकी मनकूला जायदादसे खरीदी गई हो मुश्तरका है—3 Cal 508, 1 Cal L R 343 अगर किसी मुश्तरका खानदानके आदमीने मुश्तरका खानदानकी जायदादसे बिल्कुलही कम सहायतासे कोई जायदाद प्राप्तकी हो तो ऐसा माना गया है कि वह जायदाद उसकी अलहदाकी समझी जाना चाहिये 10 M. I. A 490—505; 13 Bom 534, और जिस जायदादके प्राप्त करनेमें, सीधी तौरसे मदद मुश्तरका खानदानकी जायदादसे न मिली हो और चाहे प्रकारान्तरसे मिली भी हों तो वह जायदाद अलहदाकी समझी जायगी यानी जिस आदमीने पैदा की हो उसकी निजकी समझी जायगी, 10 Bom 528; स्ट्रन्जके हिन्दूलॉ पेज २१४ में कहा गया है कि—अगर ऐसा कोई उजुर किया जाना हो कि जिसने अलहदा जायदाद कमाई है उस आदमीके सिर्फ खाने पीनेका खर्च मुश्तरका जायदादमें से होता रहा है इसलिये वह सब जायदाद मुश्तरका है, इसका कुछ असर नहीं होगा। और अगर कोई आदमी मुश्तरका खानदानका जायदादमें से अपने खर्चके लिये उसकी आमदनी लेता हो तो उस आदमीकी पैदा की हुई सब जायदाद मुश्तरका होगी, 4 Mad H. C 5.

(१४) जो जायदाद विद्वत्ताके पेशेसे कमाई गई हो। अगर किसी आदमीको खास तौरसे पढ़ानेका खर्च मुश्तरका जायदादसे किया गया हो और उसने अपनी विद्वत्तासे जो धन कमाया हो वह सब मुश्तरका खानदान में शामिल हो जायगा—और अगर मुश्तरका खानदानकी जायदादकी आमदनीसे खास तौरपर शिक्षा प्राप्त करके विद्वता न प्राप्त कीगयी हो तो कोई आदमी जो अपनी विद्वताके पेशेसे जायदाद पैदा करे वह उसकी अलहदाकी होगी। इस बारेमें अधिक देखो इस किताबकी दफा ४२०

(१५) देवोत्तर जायदाद। किसी धार्मिक कामके लिये जो जायदाद दीगयी हो उसके ट्रस्टियोंमें ट्रस्टकी कोपार्सनरी होती है। और ऐसी जायदादका बटवारा नहीं हो सकता, देखो—रामचन्द्र पण्डा बनाम रामकृष्ण महापात्र (1906) 33 Cal 507. देखो प्रकरण १७.

उदाहरण—अ, और व, एक मन्दिरकी जायदादके ट्रस्टी हैं मन्दिरकी जायदादकी बचतसे दूसरी जायदाद खरीदी गई तो अ, और व, उसके भी ट्रस्टी हैं क्योंकि जो दूसरी जायदाद खरीदी गयी वह कोपार्सनरी जायदादमें शामिल होगयी मगर दोनों ट्रस्टी उसे बांट नहीं सकते हैं।

(१६) भिन्न शाखावालोंसे और स्त्रियोंसे उत्तराधिकारमें पायी हुई जायदाद। नानाकी जायदादके झगड़ेको छोड़कर यह कहा जा सकता है कि सिर्फ बाप, दादा, परदादासे पायी हुई जायदाद पैतृक सम्पत्ति होती है यानी

मुश्तरका जायदाद होती है। दूसरे किसी रिश्तेदारसे पायी हुई जायदाद अपनी अलहदा जायदाद होती है उसमें मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे कोई हक़ नहीं प्राप्त कर सकती यानी वह जायदाद जो परदादाके बापसे या दूसरे दूरके पूर्वजोंसे या भिन्न शाखा वालोंसे जैसे चाचा, भतीजा आदि या किसी स्त्री से जैसे मा, दादी आदिसे पायी हुई जायदाद अलहदा होती है, देखो— नन्दकुमार बनाम रजीउद्दीन 10 Beng L R 183.

(१७) बटवारा करानेपर जो हिस्सा जायदादका मिलता है। मुश्तरका जायदादके बटवारेमें जो कोपार्सनर अपने हिस्सेकी जायदाद पाता है वह उसकी मर्द औलादके लिये यानी लड़के, पोते, परपोतोंके लिये मौरूसी जायदाद होती है। लड़के, पोते परपोते अपनी पैदाइशसे उसमें हक़ प्राप्त कर लेते हैं; 29 All 244, 34 I A 65, 9 Bom. 438 चाहे वह बटवारा करानेके वक्त ज़िंदा हों या पीछेसे पैदा हुये हों 3 Cal. 1 मगर ऐसा हिस्सा सिर्फ मर्द औलादके ही लिये मौरूसी है, दूसरे रिश्तेदारोंके लिये वह उसकी अलहदा जायदाद है। और अगर ऐसा कोपार्सनर जिसने बटवारा करा लिया हो मरते समय कोई लड़का, पोता, परपोता, न छोड़े तो वह जायदाद उसके वारिसोंको उत्तराधिकारके अनुसार मिलेगी, 17 All. 456, 22 I. A. 139.

उदाहरण—ऐसा मानो कि, क, और ख, दो भाई मुश्तरका खानदान के मेम्बर हैं। क, के एक लड़का ग, है और ख, के कोई लड़का नहीं है मगर एक औरत है। क, और ख, दोनों मुश्तरका जायदादका बटवारा करा लेते हैं। अब क, की बटवाराकी हुई जायदाद तो ख, के लिये अलहदा जायदाद है। मगर क, के लड़के ग, के लिये वह जायदाद मौरूसी है। इसी तरहपर ख, की बटवारा कराई हुई जायदाद क, के लिये अलहदा जायदाद है। और जब ख, बिना किसी मर्द औलादके मर जाय तो वह जायदाद उसकी औरत विधवाको उत्तराधिकारसे मिलेगी। बटवारा करानेसे बटवारा कराने वाले आदमियोंके बीचमें आपसका हक टूट जाता है लेकिन बाप और उसकी मर्द औलाद फिर भी मुश्तरका रहते हैं अगर बाप और उसकी मर्द औलाद बटवारा करालें तो उनका भी आपसका हक़ टूट जाता है। जब कोई कोपार्सनर बटवारा होनेपर अपने हिस्सेमें कोई रेहनकी हुई जायदाद पाता है और बाद में उसको अपनी अलहदा कमाई हुई द्रव्यसे छुटा लेता है तो इससे जायदाद की शकल नहीं बदल जाती यानी वह छुड़ाई हुई जायदाद पैतृक सम्पत्ति बनी रहती है और उसकी मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे उसमें हक़ प्राप्त कर लेती है, देखो 5 Mad. H C. 150. जब किसी कोपार्सनरको रेहन रखी हुई जायदाद हिस्सेमें मिली हो और वह जायदाद ज़ब्त होगयी हो अर्थात् जिसके पास रेहन रखी थी उसका रुपया न पहुंचने के सबबसे उसने उस जायदाद को ज़ब्त कर लिया हो और उसके पीछे कोपार्सनरने अपने खुद कमाये हुये

रुपयासे मोल ले लिया हो तो अब वह जायदाद यद्यपि पहिले पैतृक सम्पत्ति थी मगर अब वह पैतृक सम्पत्ति नहीं रहेगी वह जायदाद उस कोपार्सनरकी अलहदाकी जायदाद हो जायगी जिसने कि उसे मोल लिया है, देखो बलवन्त सिंह बनाम रानी किशोरी 20 All 267, 25 I A 54

(१८) जायदाद, जो किसीने अपने पूर्वजसे इनाम या वसीयतसे पाई हो। जब कोई आदमी अपनी खुद कमाई हुई या अलहदा जायदादको अपने लड़केको किसी पुरस्कार (इनाम) में देदे या मृत्युलेख पत्र (वसीयतनामा) द्वारा उसको देदे तो सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी जायदाद लड़केकी अलहदा जायदाद होगी अथवा लड़केकी मर्द औलादके लिये मौरूसी जायदाद होगी ? कलकत्ता और मदरासके फैसलोंके अनुसार ऐसी जायदाद जहांपर कि बापका दूसरा इरादा न हो वह मौरूसी मानी गई है, देखो-6 W. R 71 इनाम, 24 Mad 429. वसीयतका प्रकरण १६ देखो। इरादासे मतलब यह है कि-जैसाकि मृत्यु पत्रसे मालूम होता हो या इनाम देते समय जैसा इरादा रहा हो।

बम्बई और इलाहाबादके फैसलोंके अनुसार ऐसी जायदाद जहांपर मृत्युपत्रमें या दान देते समय कोई बरखिलाफ इरादा नहीं पाया जाता हो तो लड़केकी अलहदा जायदाद मानी जायगी—देखो जगमोहनदास बनाम मंगल दास (1886) 10 Bom 528, परसोत्तम बनाम जानकीबाई (1907) 29 All 354, दोनों मुक़द्दमें वसीयतके हैं। हर सूरतमें बाप अपने लड़केकी शादीके वक्त जो रुपया उसे पुरुस्कारमें देता है वह लड़केकी अलहदा जायदाद होती है मौरूसी जायदाद नहीं होती। और लड़केकी मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त नहीं करती। 12 Cal W N 103.

उदाहरण—(१) ऐसा मानो कि अ, और उसके पाच लड़के मुश्तरका खानदानके मेम्बर हैं अ, अपने पाचों लड़कोंको अपनी खुद कमाई हुई मनक़ूला और ग़ैरमनक़ूला जायदाद दानपत्र द्वारा देता है, मदरास और कलकत्ता हाई कोर्टके अनुसार यह जायदाद हरएक लड़केके हाथमें पैतृकसम्पत्ति होगी जब कि बापका कोई ख़िलाफ इरादा नसाबित हो और उन लड़कोंकी मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त कर लेगी।

(२) ऐसा मानो कि-अ, ने एक वसीयतनामा लिखा जिसके शब्द यह हैं "मेरे तीन लड़के जो कि इस वक्त जिन्दा हैं और जितने लड़के कि बादमें पैदा हों वह सब मेरी जायदादको बराबर हिस्सेमें बांटलें" वसीयतमें यह भी लिखा था कि जबतक उसकी तीन औरतें न मरजायें तबतक मौरूसी घरका बटवारा नहीं किया जाय। मदरास हाईकोर्टने यह निश्चय किया कि इस वसीयतमें कोई ऐसा इरादा नहीं मालूम होता कि लड़के उस जायदादको

और पैतृकसम्पत्तिके हकके लेवें, और इसीलिये हरएक हिस्सा जो हरएक लड़केको मिला है वह उनके पास उनकी मर्द औलादके लिये पैतृक संपत्ति होगी यानी मुश्तरका खानदानकी जायदाद होगी—और उसकी पुरुषसंतान अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्तकर लेगी। देखो नागालिंग बनाम रामचन्द्र (1901) 24 Mad. 429

(३) ऐसा मानो कि अ, वसीयत द्वारा अपने लड़केको जायदाद इन शब्दोंके साथ देता है "मेरे मरनेके बाद मंगलदास मेरी जायदादका मालिक होगा वह उसको बेंचनहीं सकेगा और न गिरवी रख सकेगा लेकिन उसके भाड़ेसे उस जायदादका और खानदानका खर्चा किया करेगा और बचतका रुपया किसी ठीक जगहपर ब्याजके लिये जमाकर देगा लेकिन यह सब मेरे लड़के मंगलदासका ही होगा और अगर उसे कभी जायदादके बेंचने या गिरवी रखनेकी ज़रूरत पड़े तो इस वसीयतमें लिखे हुये 'इक्ज़ीक्यूटरों' की राय लेकर करसकता है" बंबई हाईकोर्टने यह निश्चित किया कि इन शब्दोंसे बाप का इरादा पाया गया कि उसका लड़का मङ्गलदास उसकी जायदादको पूरे अधिकारके साथ ले और बाक़ीकी इबारत जो वसीयतमें लिखी थी उससे कोई विरुद्ध इरादा न पाये जानेकी वजेहसे लड़का उस जायदादको बतौर अलहदा जायदादके लेगा और उस लड़केकी मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त नहीं करेगी 10 Bom. 528.

नोट—'मुश्तरका खानदानकी जायदाद' कौन है यह बात ऊपर मोटे तरीक़ेसे बताई गई है। मुश्तरका जायदाद और मौरूसी जायदादमें क्या फरक है यह बात भी समझ लेना चाहिये। मौरूसी जायदाद वह कहलाती है जो बाप, दादा, या परदादासे मिली हो ऐसी जायदाद मिलने वालेकी पुरुष सन्तानके लिए मौरूसी जायदाद होती है और मुश्तरका जायदादमें मौरूसी जायदाद शामिल होनेपर भी वह भी जायदाद शामिल हो जाती है कि जो दूसरे तरीक़ोंसे प्राप्त की गयी हो। पैतृक सम्पत्ति और मौरूसी जायदादमें कुछ फ़रक अन्तमें नहीं है सिर्फ शब्दका फरक़ है।

वह सब जायदाद जो, मर्द हिन्दू अपने बाप, दादा, परदादासे पाता है पैतृक सम्पत्ति कहलाती है, मिताक्षराके अनुसार पैतृक सम्पत्तिमें खास बात यह होती है कि बेटे, पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त कर लेते हैं हक़ उनको उनकी पैदाइशके वक्तसे लागू होता है यानी अगर 'राम' कोई जायदाद मनकूला या गैर मनकूला अपने बाप दादा या परदादा से पाये तो वह जायदाद उसकी पुरुष सन्तानके लिये पैतृक सम्पत्ति होती है। और अगर रामके कोई बेटा, पोता, परपोता नहीं है जिस वक्त कि उसे जायदाद मिली है तो राम उस जायदादका पूरा मालिक है और उसे जो चाहे कर सकता है, लेकिन अगर जायदाद पाते समय उसके कोई बेटा, पोता, परपोताहो अथवा कोई लड़का,पोता,परपोता पीछेसे पैदाहो जायतो वह लोग ख़ानदानमें सिर्फ पैदा होनेकी वजेहसेही उस जायदादमें हक़ पानेके अधिकारी

होंगे। राम उस वक्त पूरे मालिककी तरह जायदादको नहीं रख सकता और न वह उस जायदादको अपनी इच्छाके अनुसार काममें ला सकता है।

यह बात गौर करना ज़रूरी है कि सिर्फ वही जायदाद जो कि एक हिन्दू अपने बाप, दादा, परदादासे पाता है वह सिर्फ उसके बेटों, पोतों, परपोतोंके लियेही पैतृक सम्पत्ति होती है दूसरा कोई कुटुम्बी अपनी पैदाइशसे हक़ नहीं प्राप्त कर सकता। और जब कोई जायदाद किसी हिन्दूको बाप, दादा या परदादासे तो मिली हो मगर सीधे तौरसे न मिली हो यानी किसी दूसरे आदमी या औरतके मरनेके बाद मिली हो जिसका हक उस जायदादपर सिर्फ हीन हयाती हो तो जब वह जायदाद उसके पास आवेगी तो वह उसके लड़के, पोते, परपोतोंके लिये पैतृक सम्पत्ति बन जायगी। यह भी ध्यान रखना कि जब किसी पुरुषको कोई जायदाद किसी पूर्वजसे मिले और उसके कोई पुरुष सन्तान न हो, उस वक्त वह जायदादको कहीं बेच दे पीछे उसके लड़का पैदा हो जाय तो फिर उस लड़केका हक़ उस जायदादमें कुछ नहीं रहेगा। और अगर कुछ जायदाद बापके पास बेंचनेसे बाकी रह गयी होगी उसमें बेटे, का हक़ प्राप्त हो जायगा। जैसे रामको एक जायदाद वरासतमें बापसे मिली, रामके कोई बेटा, पोता, परपोता नहीं है लेकिन उसके बापका भाई (चाचा) है। चाचा अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें कोई हक़ प्राप्त नहीं करता चाचाके लिये ऐसी जायदाद रामकी अलहदा जायदाद है क्योंकि राम का उस जायदादमें पूरा अधिकार है कि जैसा जी में आवे करे। अब हम मुश्तरका खानदान सम्बन्धी अन्य बातोंका आगे ज़िकर करते हैं।

प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी अपनी पैदावार संयुक्त परिवारके कोषमें सम्मिलित करना—समस्त संयुक्त परिवारकी जायदाद हो जाती है। पारवथी अम्मला बनाम एम० आर० शिवराम अय्यर A I R 1927 Madras 90

अविभाजनीय जायदाद—अविभाजनीय जायदादका इन्तक़ाल उसके अधिकारी द्वारा होसकता है, यदि कोई विपरीत रवाज न हो—रवाजके साबित करनेकी ज़िम्मेदारी अधिकारीके ऊपर है। ठाकुर रघुराजसिंह बनाम ठाकुर देवीसिंह A I R 1927 Nagpur 15

जब कोई हिन्दू पिता और उसके पुत्र संयुक्त श्रमसे जायदाद प्राप्त करते हैं और इसके अतिरिक्त भोजन और पूजनमें भी संयुक्त हों, उनके सम्बन्धमें यह ख्याल किया जाना चाहिये कि उनका परिवार संयुक्त परिवार है चाहे उनके पास कोई पूर्वजोंकी जायदाद जो पिताको अपने पिता, पितामह या प्रपितामहसे मिली हो, न हो। हरिदास बनाम देवकुंवर बाई 28 Bom L. R 637

सबूतकी जिम्मेदारी—संयुक्त खान्दानी जायदादके केन्द्रका अस्तित्व—त्रिलोक्य नाथ बनाम चिन्तामणि दत्त 30 C W. N 588

मुश्तरका खान्दान—कोई जायदाद मुश्तरका जायदाद समझी जायगी, जबकि दूसरी जायदाद मुश्तरका होगी और खान्दान भी मुश्तरका होगा। मुनेश्वर तिवारी बनाम राम नारायण I. L. R. 6 All 103 (Rev), 86 I. C. 852, A. I. R. 1925 All 820

मुश्तरका अवस्था—जब शहादतसे यह विदित होकि कोई जायदाद किसी वक्त किसी एक सदस्यके नाम खरीदी गई थी और कोई दूसरी जायदाद किसी दूसरे अवसर पर किसी दूसरे मेम्बरके नाम, किसी एक सदस्य द्वारा किसी दूसरेका क़र्ज़ चुकाया गया या कोई आम क़र्ज़ या हिसाब हो, तो यह स्पष्ट है कि खान्दानकी अवस्था मुश्तरका खान्दानकी है। केवल गांव के क़ागज़ोंमें अलाहिदा हिस्सोंका दिखाया जाना, ऊपरकी बातोंसे निकलने वाले मुश्तरका अवस्थाको रद्द नहीं कर सकता। भागवानी कुंवर बनाम मोहनसिंह 23 A. L. J. 589: (1915) M. W. N. 421, 41 C. L. J. 591; 22 L W. 211; 88 I C. 385, 29 C W. N. 1037; A. I. R. 1925 P. C. 132, 49 M. L J. 55 (P. C.).

हिबाकी जायदाद कब मुश्तरका मानी जायगी—जब किसी संयुक्त हिन्दू परिवारके मैनेजरने, जिसमेंकि वह स्वयं, उसके भाई और पुत्र शामिल हैं; हिबा द्वारा प्राप्त जायदादको बतौर संयुक्त जायदादके व्यवहृत किया और किसीका अलाहिदा हिसाब नहीं रक्खा, बल्कि दोनोंकी आमदनी और खर्च एकमेंही मिलाता रहा।

तय हुआ कि इस प्रकारकी कार्यवाहीसे हिबा द्वारा प्राप्त हुई जायदाद, पूर्वजोंकी जायदादके साथ मिला देनेसे स्वयं उपार्जित जायदाद न रहकर पूर्वजोंकी जायदाद होगई; बरवन्ना संगप्पा बनाम परबनिंग बासप्पा. A. I. R. 1927 Bom. 68.

स्वयं उपार्जित जायदाद, फरीकोंके बर्तावसे मुश्तरका जायदाद हो जाती है। श्याम भाई बनाम पुरुषोत्तम दास 21 L. W. 551; 90 I. C. 124, A. I. R. 1925 Mad. 645.

मालकी अदालतमें नाम दर्ज होना खास प्रमाण नहीं है—मालगुज़ारी के क़ागज़ोंमें पृथक नामोंका दाखिला स्वयं हिन्दू परिवारके संयुक्त होनेके प्रतिकूल प्रमाण नहीं है और न उससे यही प्रमाणित होता है कि उनका जायदादपर पृथक पृथक कब्ज़ा है जब कि जायदादका संयुक्त होना स्वीकार किया गया हो—पच्चू बनाम नाथू 7 L. R. 24 (Rev.).

जब यह स्वीकार कर लिया जाता है या साबित हो जाता है कि खान्दानमें कुछ केन्द्रीय जायदाद है तो उस दूसरे फ़रीककी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह साबित करे कि वह मुश्तरका खान्दानकी स्वयं उपा-

र्जित जायदाद न थी। मुश्तरका ख़ान्दान कुछ द्वारा जायदाद ख़रीदी गई और ख़रीदकी रक़म, उस ख़रीदी हुई जायदाद और पैतृक जायदादके २ बिस्वा के रेहननामे द्वारा अदाकी गई। मुरतहिनने रेहननामेके बिना पर नीलामकी डिकरी हासिल किया। मुरतहिनके नीलामके पहिलेही मुद्दयानने एक नालिश द्वारा यह हुक्म चाहा कि २ बिस्वा पैतृक जायदादके सम्बन्धके रेहननामे और नीलामकी पाबन्दी उनपर नहीं है और रेहननामेमें दर्ज दूसरी जायदादका दावा छोड़ दिया तथा हुक्म प्राप्तकर लिया। बाक़ी जायदाद जो ख़ान्दानके फायदेके लिये ख़रीदी गई थी बेंचदी गई एक पीछेकी नालिशमें जो रेहननामे और नीलामके जायज़ होनेके लिये मुश्तरका ख़ान्दानके विरोध में दायर कीगई थी तय हुआ कि--

(१) रेहननामेकी पाबन्दी ख़ान्दान पर है, और यह कि--

(२) नालिश जाबता दीवानीके आर्डर २ रूल २ के अनुसार नहीं हो सकती। अभयदत्त सिंह बनाम राघवेन्द्र प्रताप सहाय 3 O. W N 40

ईसाई और हिन्दूकी मुश्तरका जायदाद—जबकि एक ईसाई और उसके हिन्दू सम्बन्धी एकहीमें मुश्तरका ख़ान्दानकी तरहपर रहते हों और यह मालूम हो कि कितनी ही जायदादों के पृथक करनेकी नीयत उनकी नहीं है और तमाम जायदाद एक मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदाद समझी जाती हो।
तय हुआ कि उसके मध्यमें एक ऐसा समझौता विदित होता है जिसके अनुसार वे सब जायदादके समान अधिकारी हैं। जोगी रेड्डी बनाम चिन्नावी रेड्डी 22 L W 116, 90 I C 1016, A. I R 1925 Mad. 1195.

अलहदा या खुद हासिलकी हुई जायदाद

(Separate or self aquired property)

दफा ३४ अलहदा या खुद कमाई हुई जायदाद

नीचे लिखे हुए तरीक़ों में से किसी भी तरीक़ेसे जो जायदाद या धन हासिल किया गया हो वह जायदाद या धन उस आदमीका अलहदा माना जायगा जिसने कि उसे हासिल किया है और चाहे वह आदमी मुश्तरका ख़ानदानमें रहता हो और मुश्तरकन् रहते हुये हासिल किया हो। अर्थात् वह जायदाद और धन उस आदमीके निजका होगा मुश्तरका ख़ानदानका कोई भी आदमी अपना कोई हक़ उसमें नहीं रखता। नीचे देखो—

(१) जो जायदाद सप्रतिबंधदाय (देखो दफा ४१२) के तौरपर प्राप्त हुई हो अर्थात् जो बाप, दादा, परदादा के अलावा किसी दूसरे आदमीसे प्राप्त हुई हो—

(२) दान —अगर बाप प्रेमवश अपने किसी लड़केको मौरूसी मनकूला जायदादका कुछ थोड़ा सा हिस्सा बतौर दान या इनामके दे दे। बम्बई और इलाहाबाद हाईकोर्टने इसे नहीं माना देखो—नानाभाई गनपतराव धैर्य्यवान बनाम अचर जवाई 2 Bom. 122, 131, 132 इस मुक़द्दमेमें सब पुत्रोंको दान शराकतमें दिया गया था इसलिये जायदाद मुश्तरका मानी गयी, परसोतमराव तांतिया बनाम जानकीबाई 29 All 354 और इस किताबकी दफा ४१७—४

(३) सरकारसे इनाममें मिली हुई जायदाद—जो जायदाद सरकार की ओरसे किसी मुश्तरका खानदानके एक आदमीको मिली हो तो अगर इनामके पत्रमें यह इरादा न ज़ाहिर किया गया हो कि वह जायदाद सब खानदान वालोंके लिये है तो वह जायदाद इनाम पाने वालेकी अलहदा समझी जायगी—कटाना न चैय्यर बनाम राजा शिवगंग 9 M I. A 543, 610. महन्त गोविन्द बनाम सीताराम 21 All. 53; 25 I. A. 195.

(४) जो जायदाद मुश्तरका खानदानकी किसी आदमीने, मुश्तरका खानदानकी जायदादकी आमदनीकी सहायता विना विद्वता प्राप्त करके, सिर्फ अपने उद्योगसे हासिल की हो अलहदा जायदाद होगी, देखो दफा ४२०

(५) वह मुश्तरका खानदानकी जायदाद जो खान्दानसे निकल गयी हो और फिर जिसको मुश्तरका खानदानका कोई आदमी, मुश्तरका खानदान के धनकी सहायता विना प्राप्त करे।

(६) अलहदा जायदादकी आमदनी और उस आमदनीसे खरीदी हुई दूसरी जायदाद भी अलहदा जायदाद है, कृष्णाजी बनाम मोरोमहादेव 15 Bom 32

(७) जब कोई जायदाद मुश्तरका खान्दानकी किसी ऐसे आदमीके पास हो जिस जायदादके सब हिस्सेदार मर चुके हों और वह तनहा मालिक हो, तथा किसी हिस्सेदारकी विधवा जिसे गोद लेनेका अधिकार बाक़ी है ज़िन्दा न हो तो वह जायदाद अलहदा समझी जायगी। देखो--बच्चो बनाम मानकौरी बाई 31 Bom 373, 43 I. A. 107.

(८) जब किसी मुश्तरका खानदानके किसी आदमीको बटवारामें उसके हिस्सेकी जायदाद मिली हो और उसके लड़के, पोते, परपोते न हों तो वह अलहदा होगी।

एक सदस्य द्वारा खरीदी हुई जायदाद—जब किसी मेम्बरने कुछ जायदाद अदालतकी नीलाममें खरीदी, जबकि डिकरीदार, नीलाममें खरीदने वालेका मुश्तरका भाई है और जबकि यह बयान किया गया है कि खरीदार डिकरीदारका बेनामीदार है—तय हुआ कि यह मानते हुए भी कि वे मुश्तरका खानदानके भाई हैं यह हर हालतमें मानना आवश्यक नहीं है कि एक भाई दूसरे भाईके लिये अवश्य ही जायदाद खरीदे, यह मुद्दाअलेहकी जिम्मेदारी है कि वह इस बातको साबितकरे कि खरीदार डिकरीदारका बेनामीदार था। वेंकट राम चट्टी बनाम मारुत अप्पा पिल्ले 21 L W 226, 86 I C 886 (1) A. I R. 1925 Mad. 448.

वेश्याकी खुद कमाई हुई जायदाद—जबकि तीन वेश्यायें साथ साथ रहती हैं, किन्तु उनमेंसे केवल एक ही धनोपार्जन करती है, तो ऐसी अवस्था में कमाने वाली वेश्या द्वारा अपने नामसे मकान खरीदनेमें यह नहीं समझा जासकता, कि वह समस्त परिवारके लाभके लिये है, जबकि इस बातके साबित करनेके लिये कोई सुबूत न हो कि घर खरीदनेमें कुछ संयुक्त कोष खर्च किया गया है। तञ्जोर कन्नाम्मल बनाम तञ्जोर रामतिलक अमाल A I R 1927 Mad 38

यह बात इस सिद्धातपर निर्भर है कि जब कई एक वेश्याएं साथ साथ रहती हों और उनमेसे कुछ अपनी वृद्धावस्थाके सबबसे और कुछ अन्य शारीरिक अयोग्यताके सबबसे अपने पेशेसे कमाई न करती हों, लोगोंसे उन्हे धन न मिलता हो, लोग उन्हे पसंद न करते हों और उनमेंसे एक ही की आमदनीसे सबकी परवरिश होती हो ऐसी हालतमें उस कमाने वाली वेश्याके नामसे जो जायदाद खरीदी जायगी तो अदालतका यही अनुमान होगा कि वह जायदाद उसकी निजकी है। यह प्रश्न उस समय जटिल हो जायगा जबकि उनमेसे कई एक कमाती हों, रुपया शामिल रहता हो अन्य कारोबार भी शामिल हो पर किसी बुढ़िया वेश्याने अपनी कमाईका बड़ा भाग उस सुंदरी वेश्याके सौंदर्य आदि बनानेमें खर्च किया हो और उसकी आमदनी होती हो।

किसी हिन्दू सयुक्त परिवारके सम्बन्धमें, जिसके अधिकारमें कोई संयुक्त पारिवारिक जायदाद हो, प्रत्येक बातसे परिणाम निकाला जासकता है कि वह जायदाद मुश्तरका है तञ्जोर कन्नाअम्मल बनाम तंजोर राम तिलक अम्मल A. I R 1927 Mad 38.

एक सदस्य द्वारा अधिकृत जायदादकी सूरतमें संयुक्त परिवारकी कल्पना नहीं हो सकती, यदि पारिवारिक केन्द्र न साबित किया जाय। तजोर कन्नाअम्मल बनाम तंजोर रामतिलक अम्मल A I R 1927 Mad 38

फ़ारख़तीनामा और अधिकार—एक हिन्दू (अ) के (क), (ख) और (ग) तीन पुत्र थे। सबसे पहिले (क) ख़ानदानसे अपना हिस्सा लेकर अलाहिदा हुआ। और एक फ़ारख़तीनामा लिख दिया। उसी प्रकार (ख) और (ग), तीन वर्षके पश्चात् अलाहिदा हो गये। सबसे पहिले (ग) एक पुत्रको, जोकि मुद्दई है, छोड़कर मरा। (क) उसके बाद एक विधवा छोड़कर मरा। तत्पश्चात् (अ) और अन्तमें (ख) एक विधवा छोड़कर मरा। मुद्दईने नालिश जायदाद पर की, इस कारण पर दावा किया है कि वह अपने पिताकी मृत्युके पश्चात् (अ) के साथ रहता था या इसके अतिरिक्त उसने उस जायदाद को अपने चचा (ख) से, उसकी मृत्युके पश्चात् वरासतसे प्राप्त किया है।

तय हुआ कि (१) महज़ (ग) के बयानोंसे, कि १६०७ में (अ) और (क) मुश्तरका थे, न तो वे दुबारा मुश्तरका होते हैं और न उनका मुश्तरका होना साबित ही होता है चाहे इसका प्रतिपादन किसी प्रत्यक्ष शहादत द्वारा भी क्यों न हो (२) मुद्दईके मुताल्लिक, यद्यपि उसके पिताके फारखतीनामाके द्वारा उसके अधिकारका त्याग नहीं होता, क्योंकि उसके पिताने अपना हिस्सा पाया था, और उसे कुछ ख़ानदानी क़र्ज़ेसे भी छुटकारा (मुक्ति) मिली थी, किन्तु बटवारेकी पाबन्दी उसपर तबतक होगी, जबतक कि वह धोखेबाजी या और किसी मान्य कारणसे मंसूख़ न हो (३) यह कि इस प्रकारके मुश्तरका वारिस, बटवारेके पश्चात्, मुश्तरका क़ब्ज़ा प्राप्त करते हैं हक़ीयत मिन् जुमल नहीं, और चूंकि यह मुद्दई और (ख) ने (अ) की जायदाद आधी आधी प्राप्तकी है अतएव (क) और (ख) की विधवाओंका अपने पतियोंके भिन्न भिन्न हिस्सोंपर अधिकार प्राप्त है। जादव बाई बनाम मुल्तान चन्द् 27 Bom L R 426, 87 I C. 936, A. I. R. 1925 Bom. 350.

अलाहिदा जायदादका मुश्तरका जायदादमें तबदील किया जाना— मयान्दी सरवाई बनाम सनथानम् सरवाई A I R 1925 Mad 303.

नानासे मिली जायदाद—वह जायदाद जो किसी व्यक्तिको अपने नाना से प्राप्त होती है, उसकी हैसियत, उसके कब्ज़ेमें, बतौर पूर्वजोंकी जायदाद के नहीं होती। सुब्रह्मण्य अप्पा बनाम नल्ला कवन्दन—(1926) M W. N. 291 (1); A I R. 1926 Mad 634.

नोट—यह नहीं समझ लेना चाहिये कि कोपार्सनरकी हरएक जायदाद कोपार्सनरी है। मुश्तरका खान्दानके आदमीकी अपनी अलहदा जायदाद भी हो सकती है और वह जायदाद उसके अधिकारमें रहतीहै, इस तरहसे बहुत तरहकी जायदादें जो ऊपर बताई गयीहैं अलहदा जायदादहैं। अलहदा जायदाद को अपनी कमाई हुई जायदाद भी कह सकते हैं, तथा अपनी हासिलकी हुई जायदाद भी उसी अर्थ में है। यह वह जायदादहै कि जिसको कोई हिन्दू मुश्तरका जायदादको हानि पहुचाये बिना प्राप्त करे। ऊपर नम्बर १, २, ३ में जो अलहदा जायदाद बतायी गयीहै उसके बारेमें यह नहीं कहा जासकता कि मुश्तरका जायदादकी मदद से या ख़र्चेसे प्राप्त की गयीहै ऐसी जायदाद खुद कमाई हुई जायदाद कह-

लातीहै। और जो जायदाद नम्बर ४ में कही गयी है कि कोपार्सनरकी कमाईका धनहै इसके विषयमें हमेशा यह सवाल पैदा होसकताहै कि वह जायदाद उसकी अपना कमाई हुई अलहदा मानी जासक्ती है या नहीं? ऊपर नम्बर ५ में जो जायदाद कही है इसके विषयमें भी यही समझना चाहिये। अपनी कमाई हुई जायदाद उस जायदादको कहतेहैं जिसे किसी हिन्दूने अपने मुश्तरका खानदानकी जायदादकी सहायता बिना कमाई हो। ऊपर जायदाद शब्दका अर्थ मनकूला और गैरमनकूला दोनों जायदादोंसे समझना।

दफा ३५ अलहदा कमाई

अगर किसी मुश्तरका खानदान के किसी आदमीने ऐसी कोई अलहदा जायदाद प्राप्तकी हो जो उसने अकेले अपने उद्योगसे प्राप्त की हो और जिसे उसने मुश्तरका खानदानकी जायदादकी सहायता विना प्राप्तकी हो तो फिर उस जायदादकी आमदनी भी उस आदमीकी अलहदा कमाई मानी जायगी- देखो 27 Mad. 228, सोमा सुंदरावनाम गंगा 28 Mad 386, जगमोहनदास वनाम मंगलदास 10 Bom 528,

वरासत से मिली जायदाद— ऐसी जायदाद जो किसी मुश्तरका खानदान के व्यक्तिको नज़दीकी होनेके कारण प्राप्त हुई हो मुश्तरका खानदान की ऐसी जायदाद नहीं समझी जा सकती, जिसके सम्बन्धमें खानदान का मैनेजर नालिश कर सके या उसके खिलाफ नालिश की जा सके, जिसकी पावन्दी खानदानके दूसरे सदस्योंपर हो। हंसलावक्स वनाम राजवक्ससिंह A I R. 1925 Oudh 75

मुश्तरका खानदान—एक हिस्सेदार द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय मुश्तरका खानदान का व्यवसाय नहीं समझा जाता। मोथाराम दौलतराम वनाम पहलाद राय गोपाल दास। A I R 1925 Sindh 159

मुश्तरका खानदान-हिस्सेदार—हिन्दू खानदानके व्यवसायके सम्बन्ध में एक हिस्सेदार पंचायत के सामने मामलेको नहीं बयान कर सकता और दूसरे हिस्सेदारों को पावन्द नहीं वना सकता। पंचायत के सामने किसी विषय को पेश करना खानदानी व्यवसाय का साधारण काम नहीं है। गेंदा-मल वनाम फर्मा निहालचन्द छज्जूमल 84 I. C. 726, 6 Lal L. J. 502, A I R. 1925 Lah 261

जब किसी मुश्तरका खानदान का कोई व्यक्ति इसवातका दावा करता है कि अमुक जायदादको उसने स्वयं अपने श्रम और धनसे उपार्जित किया है तो उसका यह कर्तव्य होताहै कि वह यह साबित करे, कि उसने उस जायदाद के उपार्जित करने में पैतृक जायदादसे सहायता नहीं ली। जब कुछ हिन्दू भाइयों ने कोई जायदाद आपस में मिलकर कमाया हो और इसके खिलाफ कोई प्रमाण न हो तो उनके क़ब्जे में वह मुश्तरका जायदाद की तरह पर होगी और उनकी औलाद उसपर जन्मसे ही अधिकार रखेगी। यदि इस

बातकी शहादत होगी कि उनका इरादा उस जायदादको मुश्तरका जायदाद रखने का था और मुश्तरका खानदानी जायदाद बनानेका न था तो उस के अनुसार अमल होगा। किन्तु कल्पना इस बात के पक्ष में है कि वह जायदाद मुश्तरका खानदानी जायदाद समझी जाय। मोतीलाल बनाम हाजीमल 87 I. C. 809

मुश्तरका खानदान–पिता द्वारा जायदाद—जब कोई हिन्दू पिता किसी जायदाद को उसके कोई पुत्र उत्पन्न होने के पहिले ही पैदा करता है तो वह जायदाद उसकी स्वयं उपार्जित होती है और जब वह उसके पुत्रोंको मिलती है तब वह बतौर अलाहिदा जायदाद के मिलती है। मथुरादास बनाम रामजी मल 85 I. C. 1006; A I. R 1925 Oudh 617

दफा ३६ विद्वत्ताकी कमाई

किसी ऐसे पेशे या कारबारसे जिसके लिये खास विद्वत्ताकी ज़रूरत हो और उससे जो धन प्राप्त किया जाय, ऐसी आमदनी विद्वत्ताका फल मानी जाती है। अगर मुश्तरका खान्दानके खर्चसे वह खास विद्वता न प्राप्त की गई हो तो वह आमदनी अपनी कमाई हुई अलहदा जायदाद कहलायेगी। और अगर मुश्तरका खान्दानकी जायदादकी आमदनीसे वह खास विद्वत्ता प्राप्तकी गई हो तो उस विद्वतासे कमाई हुई जायदाद अलहदा जायदाद नहीं मानी जायगी लेकिन अगर खान्दानके खर्चसे केवल मामूली शिक्षा प्रारंभिक प्राप्त कीगई हो तो सिर्फ इस कारणसे वह आमदनी मुश्तरका नहीं समझी जायगी। देखो लक्ष्मण बनाम जमुनाबाई 6 Bom 225, 1 Mad. 252, 4 A I. 109, चलाकूंडा बनाम् चलाकूंडा 2 Mad H C 56, बाई मंछा बनाम् नरोत्तमदास 6 Bom. H C. A C 1, 10 W. R. 122, कृष्णाजी बनाम् मोरो महादेव 15 Bom. 32, लछिमिन कुंवर बनाम देवीप्रसाद 20All 435; दुर्गादत्त बनाम गनेशदत्त (1910) 32 All. 305

इसीलिये यह माना गया है कि यद्यपि एक वकीलने मुश्तरका जायदादके खर्चसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्तकी परन्तु क़ानूनी शिक्षा उसने मुश्तरका जायदादकी सहायता बिना प्राप्तकी इसलिये उसके पेशेकी आमदनी उस वकीलकी खुद कमाई हुई जायदाद होगी देखो—लक्ष्मण बनाम जमुना बाई 6 Bom 225.

हालमें इलाहाबादके एक मुक़द्दमेमें यह सवाल उठा कि क्या एक हिन्दू ज्योतषीकी आमदनी उसकी खुद कमाई हुई जायदाद है? मामला यह था कि वह ज्योतषी जब लड़का था तो उसके बापने जो स्वयं ज्योतषी था लड़के को कुछ प्रारंभिक शिक्षा दी थी परन्तु यह देखकर कि उसने ज्योतिष शास्त्र

की उच्च शिक्षा प्राप्तकी थी तो माना गया कि उस लड़केने स्वयं यह शिक्षा प्राप्तकी थी इसलिये यह भी माना गया कि—ऐसी सूरतमें उस ज्योतषीकी आमदनी उसकी खुद कमाई हुई अलहदा जायदाद है देखो—दुर्गादत्त बनाम गनेश दत्त (1910) 32 All 305

बम्बई हाईकोर्टके, लक्ष्मण बनाम जमुना बाई (6 Bom 225) वाले मुक़द्दमेमें जज मेल्‌विल्‌ साहेबने कहा है कि—"जो वचन हमारे सामने पेश किये गये हैं उनसे हमारी रायमें हिन्दूलॉके अनुसार यह सिद्ध होता है कि अगर मुश्तरका खान्दानके खर्चसे या उस समय जबकि खान्दानके खर्चसे किसी आदमीका भरणपोषण होता हो ऐसी दशामें विद्वत्ता प्राप्तकी गई हो तो विद्वत्ताका फल बांटा जासकता है लेकिन अगर वह विद्वत्ता किसी ऐसे आदमी के खर्चसे प्राप्तकी गई हो जो मुश्तरका खान्दानके बाहरका है तो उस विद्वत्ता का फल बांटा नहीं जासकता परन्तु फिर भी यह सवाल बाकी रहता है कि उन वचनोंमें जो मेरे सामने पेश हैं 'विद्वत्ता' शब्दसे क्या मतलब समझना चाहिये, अर्थात् इस समयमें इस शब्दसे साधारण प्रारंभिक शिक्षा समझी जाय या किसी खास पेशेकी खास शिक्षा, हमारी राय यह है कि अगर हम 'विद्वत्ता' शब्दका अर्थ साधारण शिक्षा न मानकर खास तौरकी विद्वत्ता माने तो यह हिन्दू शास्त्रों और आधुनिक हिन्दू समाजके विरुद्ध नहीं होगा" देखो दफा ४१८

नोट—यह बात अन्य फैसलोंमें मानी गई है कि साधारण शिक्षासे खास शिक्षा अलग है अगर खास शिक्षा (विद्वत्ता) दूसरे तरहसे हो तो उसकी आय अलहदा समझी जायगी

दफा ३७ बीमाका रुपया

(१) बीमा—जब कोई आदमी अपने बापके रुपयाके लिये अपनी अलहदा आमदनीसे बीमें (Insurance) को क़िस्त देता हो तो वह रुपया उसकी अलहदा जायदाद होगी, देखो—राजाम्मा बनाम रामकृष्ण नैय्या 29 Mad 121

(२) क़ब्जेसे निकल गयी हुई मौरूसी जायदादकी पुनः प्राप्ति—कितनेही मामलोंमें ऐसा होता है कि किसी मुश्तरका खान्दानके लोग अनुचित रीतिसे अपनी मुश्तरका जायदादसे बेदख़ल कर दिये जाते हैं या बहुत दिनों तक उनको उस मुश्तरका जायदादपर दख़ल नहीं मिलता और ऐसी जायदाद को पीछे किसी समय उस मुश्तरका खान्दानका कोई आदमी मुश्तरका सम्पत्तिकी सहायता बिना पुनः प्राप्त कर लेता है। ऐसे मामलोंमें अगर बाप ने वह जायदाद पुनः प्राप्त करली हो तो वह जायदाद चाहे वह मनकूला हो या गैर मनकूला उसको वह अपनी अलहदा या अपनी कमाई हुई जायदाद

मानता है परन्तु यदि खान्दानके किसी दूसरे आदमीने ऐसी जायदाद प्राप्त की हो तो अगर वह जायदाद मनकूला हो तो वह उसकी अलहदा या खुद कमाई हुई जायदाद मानी जायगी। लेकिन अगर जायदाद ग़ैर मनकूला हो तो वह आदमी उस जायदादका चौथाई भाग पुनः प्राप्त करनेके एवज़में इनामके तौरपर लेगा, और बाक़ी जायदाद पुनः प्राप्त करने वाले पुरुषके सहित सब कोपार्सनरोंमें बराबर बांट दी जायगी. देखो—बाजावा बनाम त्र्यंबक (1909) 34 Bom. 106, 10 Bom. 528 विशालाक्षी बनाम अन्नासामा 5 Mad H. C. 150 विश्वेश्वर बनाम सीतलचन्द्र 6 W R. 69, श्यामनरायन बनाम रघुबीरदयाल 3 Cal. 508 दुलारी बनाम कोर्ट आफ़ वार्ड्स 14 W. R 34, 4 Mad. 250, 259.

यह पूर्व्वोक्त क़ायदा सिर्फ ऐसी मुश्तरका जायदादमें लागू होता है जो पहिले मुश्तरका ख़ान्दानसे निकल गई हो लेकिन पीछे एक कोपार्सनरने मुश्तरका ख़ान्दानकी सहायता बिना एक ग़ैर आदमीसे जो मुश्तरका ख़ान्दानके विरुद्ध उस जायदादपर काबिज़ था पुनः प्राप्त की हो। यह क़ायदा और किसी तरहके मामलेसे लागू नहीं होगा।

एक मुक़द्दमेमें मुश्तरका ख़ानदानकी कुछ जायदाद उस ख़ानदानकी एक शाखाके एक आदमीको किसी समझौतेके अनुसार देदी गई थी, और पीछे ख़ानदानकी एक दूसरी शाखाके एक आदमीने अपने रुपयासे उस जायदाद को पुन प्राप्त कर लिया तो वह जायदाद उस प्राप्त करने वाले आदमी की खुद कमाई हुई जायदाद मानी गई और उसके भाईका उस जायदाद में कुछ भी हिस्सा नहीं माना गया। इस मुक़द्दमेमें भाई की तरफसे यह कहा गया था कि जायदादका एक चौथाई ¼ भाग पुनः प्राप्त करने वाले भाईको दे दिया जाय और बाकी जायदाद फिर दोनों भाइयोंमें बराबर बांट दी जाय परन्तु यह नहीं माना गया—34 Bom. 106,

दफा ३८ मुश्तरका जायदादके मामलोंमें अदालतका अनुमान

जब कोई हिन्दू यह कहकर, किसी जायदाद के क़ब्ज़ा पानेका दावा करे कि वह जायदाद मेरी कमाई हुई है और अलहदा है, और मुद्दालेह उस जायदादको मुश्तरका बतलाये। अथवा जब कोई हिन्दू यह कहकर कि जायदाद मुश्तरका है जायदाद के बटवारेका दावा करे और मुद्दअलेह उसे अपनी कमाई हुई जायदाद कहे तो ऐसी सूरतमें यह सवाल उठता है कि साबित करनेका बोझा किस पक्ष पर है। इस विषयके मुख्य २ नियम नीचे लिखे हैं तथा इस किताबकी दफा ३६७ भी देखो.

(१) जबतक इसके खिलाफ़ साबित नकिया जाय तबतक यही माना जायगा कि हर एक हिन्दू खानदान, खानपान, पूजापाठ, और जायदाद में

मुश्तरका है । इसके खिलाफ सुबूतका वोझा उस पक्षपर है जो उसे मुश्तरका न वताता हो—नीसकृष्टो वनाम वीरजम्द 12 M I 423; 540; नरागुन्टी बनाम वेंगामा 9 M. I A 66 4 M I A 137, 168.

मुश्तरका खानदानके लोगोंका अलाहदा अलहदा रहना और अलहदा अलहदा खानपान करना इस वातकी कोई दलील नहीं होगी कि वह लोग मुश्तरका नहीं हैं अर्थात् ऐसा होने पर भी वह मुश्तरका माने जायेंगे। देखो गनेशरक्त वनाम जीवाच (1903) 31 Cal 262, 31 I A 10 31 Mad 482.

महर्षि बृहस्पति ने कहा है—जो भाई एक साथ रहते और खातेपीते हों उनके घरमें पूर्वजों, देवताओं और ब्राह्मणों की एकही पूजा सबके लिये काफी होगी, परंतु जिस खानदान के लोग अलहदा अलहदा रहते हों तो उन सबके घरमें अलहदा अलहदा पूजा होनी चाहिये।

(२) जब किसी मुक़द्दमे में यह साबित किया गया हो कि कोई हिन्दू खानदान किसी समय मुश्तरका था तो जबतक कि यह साबित न कियाजाय कि बटवारा हो चुकाहै तबतक कानूनमें यही माना जायगा कि वह खानदान अब तक मुश्तरका है, चौथा वनाम सिंहीलाल 11 M I A 369, प्रीत-कुंवर वनाम महादेव 22 Cal 85 21 I A 134,

(३) अगर कोई कोपार्सनर अपने दूसरे कोपार्सनरोंसे अलग होजाय तो यह मान लेनेका कोई सबब नहीं है कि दूसरे कोपार्सनर मुश्तरकाही बने रहे अर्थात् यह माना जासकता है कि एक आदमी के अलग होते ही सब लोग अलग होगयेथे। वालावकस वनाम रुखमाबाई 30 Cal 725; 30 I A 130;

(४) किसी खानदान के मुश्तरका होनेसे ही यह अनुमान नहीं कर लिया जा सकता कि उस खानदान के क़ब्जेमें कोई मुश्तरका या कोई भी जायदाद है अर्थात् विना किसी जायदाद के रखने पर भी खानदान मुश्तरका हो सकता है। मूलजी वनाम गोकुलदास 8 Bom 154, तुलसीदास वनाम प्रेमजी 13 Bom L R 133, रामकिशुन वनाम ढुंड़ामल 33 All 677;

परन्तु जब किसी मुकद्दमेमें यह साबित किया गयाहो या मंजूर किया गया हो कि कोई हिन्दू खानदान एक साथ रहता है और एक साथ खाता पीता है और उसके कब्जेमें जायदाद भी मुश्तरका है। तो क़ानून यही अनुमान करेगा कि उस खानदानके क़ब्जे की सब जायदाद मुश्तरका हैं। ऐसे खानदानका कोई एक आदमी अगर खानदानकी जायदादका एक टुकड़ा अपनी अलग जायदाद बताये तो इस वातके साबित करनेका वोझ उसी पक्ष पर होगा चाहे वह जायदाद उसी के नामसे ही खरीदी गई हो या रसीदें

मौजूद हों तो भी अलहदा जायदाद नहीं मानली जायगी, देखो 12 Beng. L R (P C.) 317,

लेकिन अगर मुश्तरका खानदान के एक आदमी 'महेश' के नाम पर कोई जायदाद हो और यह भी मालूम होकि उस खानदानके दूसरे लोगों ने अपने रुपया से अपनी कोई अलग जायदाद कमाई हो, और वे खानदान के लोगों से बिना सलाह किये उसका प्रबन्ध करते हों और महेशके विषय में भी खानदानने दुनिया को यह दिखाया हो कि महेश उस जायदादका अलग अकेला मालिक है, तो उस शकलमें यह अनुमान करना कि जायदाद मुश्तरका है कमज़ोर हो जायगा। और फिर उस जायदाद को मुश्तरका साबित करनेका बोझ उन लोगोंपर है जो उसे मुश्तरका बयान करते हों देखो धरमदास बनाम श्याम सुन्दरी 3 M I A. 229, 240, गोपीकृष्ण बनाम गंगाप्रसाद 6 M. I A 53, 10 M. I A 403, 411, 412, 13 M I. A 542, 5 Cal L. R. 477; 6 I A. 233, 236' 18 All 176; अतरसिंह बनाम ठाकुरसिंह (1908) 35 I A. 296, 35 Cal 1039.

ऐसा मानों कि अ, उसके दो पुत्र 'क' और 'ख' मुश्तरका खानदान की हैसियत से रहते हैं यह साबितहै कि सन् १८६५ में बापके हाथमें मौरूसी जायदादका बहुत कुछ भाग था सन् १८६४ ई० में बापने एक गैरमनकूला जायदाद अपने नामसे खरीदी और वसीयतसे उसने यह कहकर कि यह खरीदी हुई जायदाद उसकी कमाईकी है उस बापने क, को देदी। इस मामले में अनुमान यही है कि बापने मौरूसी जायदादकी आमदनी से वह जायदाद खरीदी थी इस लिये वह खरीदी हुई जायदाद भी मुश्तरकाहै। वह मुश्तरका नहीं है इसबात के साबित करनेका बोझ 'क' पर है. देखो लालबहादुर बनाम कन्हैयालाल 1907) 29 All 244, 34 I A 65 वसीयतनामा में बापका यह लिखना कि वह जायदाद उसकी खुद कमाई की थी यह काफी नहीं है और न वह बतौर गवाही के है यानी ऐसा लिख देनेसे कोई असर नहीं होगा, देखो दफा ३६७.

(५) जब किसी मुकद्दमेमें यह साबित किया गया हो या स्वीकार किया गया हो कि बटवारा हो चुका है, तो यहबात कि जायदादका एक हिस्सा अब भी मुश्तरका है, इसबातके साबित करनेका बोझ उसी पक्षपरहै जो मुश्तरका बयान करताहो अर्थात् बटवाराहो जानेके बाद यह नहीं माना जायगा कि फिरभी कोई जायदाद मुश्तरका रह गई थी देखो-विनायक बनाम दत्तो 25 Bom 367.

(६) जब किसी मुक़द्दमेमें यह साबित किया गया हो या स्वीकार किया गया हो कि मुश्तरका जायदादका कुछ बटवारा हो चुकाहै तो अनुमान

यही किया जायगा कि जायदाद का पूरा बटवारा हो चुका है, देखो वैद्यनाथं बनाम एय्यासामी 32 Mad 191

एक हिन्दू अपने पुत्र और पौत्रों सहित मुश्तरका रहता है उसने दान के तौर पर अपनी जायदाद पौत्र को देदी दानपत्र में उसने यह जायदाद अपनी कमाई हुई बताई थी और दानपत्रमें उसके पुत्रके भी हस्ताक्षर थे यह साबित किया गया था कि पुत्रको दानपत्रका मतलब मालूमथा जब कि उसने हस्ताक्षर कियेथे इसपर अदालतने यही अनुमान किया कि वह जायदाद उस हिन्दूकी अपनी कमाई हुई थी, देखो कल्यान जी बनाम वेजनजी 32 Bom 512.

उस सूरतमें भी जब कोई व्यक्ति किसी हिन्दू मुश्तरका खान्दानका कर्ता नहीं होता परिस्थितिके लिहाज़से अदालत, इस बातको तय करती है कि वह व्यक्ति, जिसके खिलाफ दावा किया गया है उस खान्दानका प्रतिनिधि है और वह दावा उसके खिलाफ समस्त खान्दानके प्रतिनिधि स्वरूप किया गया है। अन्नपूर्णा कुंवर बनाम जागेश्वर मिश्र 87 I C 208, A I. R 1925Oudh 658 सयुक्त कमाई—कल्पना और सबूत—मोतीलाल बनाम हरजीमल A I R 1926 Nag 146

जब संयुक्त परिवारकी इन्तदार्यी जायदाद, ऐसी न हो, जिसका कोई आधार हो सके, तब यह कल्पना नहीं हो सकती, कि बादकी जायदाद उसकी सहायतासे उपार्जित कीगई। इस बातके प्रमाणित करने के लिये, कि स्वयं उपार्जन संयुक्त परिवारकी जायदादमें मिश्रित किया गया था, उस कार्य के स्पष्ट इरादेको भी प्रमाणित करना चाहिये। एक़बालसिंह बनाम जङ्गबहादुरसिंह 93 I C. 634

जायदादके स्वयं उपार्जित होनेके विरुद्ध कल्पना—जायदाद, उसी जायदाद और कुछ पूर्वजोंकी आयदादको रेहन करके खरीदी गई—आया रेहननामेकी पावन्दी है केवल पूर्वजोंकी आयदादकी बिनापर रेहननामेके जायज होनेके विरुद्ध नालिश—इस्तक़रार—आया बादको शेष जायदादकी बिनापर रेहननामेके नाजायज़ ठहरानेकी नालिशमें बाधा पड़ती है, अभयदत्तसिंह बनाम राघवेन्द्र प्रताप सहाय—13 O L J. 37; 91 I. C 976; A I R 1926 Oudh 77

यद्यपि यह कल्पना है कि हिन्दू परिवार संयुक्त समझा जाता है जब तक उसके विरुद्ध कोई प्रमाण न हो, किन्तु उस सूरतमें जब यह प्रमाणित किया जाता हो कि नालिशके पूर्व एक या दो सदस्य पृथक होगये थे, यह कल्पना नहीं होती। खेवटके दाखिले, जिनमें सदस्योंके हिस्से अलग अलग नियत किये गये हैं, व्यक्तिगत सदस्योंके नाम उनकी पृथक पृथक प्राप्ति

और जायदादका चिरकालसे पृथक पृथक उपयोग आदि इस सम्बन्धमें विचारणीय बातें हैं, किन्तु वे स्वयं अन्तिम परिणाम नहीं हैं, दरबारीलाल बनाम मु० पारबती बाई 91 I. C. 841; A. I. R. 1926 All. 256.

किसी एक सदस्यके खान्दानसे अलाहिदा हो जानेके बाद, खान्दानके दूसरे सदस्योंमें से किसी एकके नाम जायदाद खरीदी गई।

तय हुआ कि यह मान लेनेपर भी, कि वह एक अलाहिदा प्राप्त की हुई जायदाद थी, इस प्रकारकी जायदाद एक साथमें रहने वाले बाकी खानदानके लिये अलाहिदा प्राप्तकी हुई नहीं समझी जा सकती और यह वाक़िया कि दस्तावेज़ इन्तक़ाल किसी एकहीके नाम था इस बातका अन्तिम निर्णय नहीं हो सकता कि वह जायदाद उसके द्वारा अलाहिदा प्राप्त कीगई थी। नलिनाक्ष्य गोसल बनाम रघुनाथ घोसल 85 I. C. 662; A. I. R. 1925 Cal 754.

खान्दानी जायदाद होनेकी सूरतमें उसके मुश्तरका होनेकी कल्पना। हरदत्तलाल बनाम धन्धीसिंह 84 I C. 1011, 28 O C 113; A. I. R. 1925 Oudh 93

पुत्र द्वारा प्राप्त की हुई जायदाद—यदि पिताके जीवनकालमें ही पुत्र कोई जायदाद अपने नामसे खरीदे और उसके स्वतन्त्र ज़रिये आमदनीके इस प्रकारके हों, कि जिसके द्वारा वह वैसी जायदाद खरीद कर सकता हो, तो यह समझा जायगा कि पुत्रने इसे खास अपने लिये खरीदा है और वह खानदानकी जायदाद न मानी जायगी। चुन्नीलाल खेमनी बनाम नीलमाधव बारिक 41 C. L. J 374, 86 I C 734 A I. R. 1925 Cal. 1034

जब किसी खास तारीख़ तक, किसी परिवारका संयुक्त होना साबित होता हो, तो उसके बाद उसकी अलाहिदगीका सबूत उस फ़रीक़ द्वारा दिया जाना चाहिये, जिसका कि यह दावा है। देवनारायण पांडे बनाम अज्ञानराम पांडे A. I. R. 1927 Privy Council 52.

यदि कोई जायदाद किसीकी पत्नीके नाम हो तो यह कल्पना नहीं हो सकती कि उसमें उसके पतिका अधिकार है जब तक यह साबित न हो कि उसके खरीदनेके लिये रुपया पतिने ही दिया था। आफीशियल एडमिनिस्ट्रेटर मद्रास बनाम नटेसा ग्रामनी A I R. 1927 Mad. 194.

दफा ३९ अलहदा जायदादपर अधिकार

कोई आदमी चाहे मुश्तरका खान्दानमें रहता हो मगर वह अपनी अलहदा जायदाद भी रख सकता है और ऐसी जायदाद उस आदमीके निज की होगी दूसरे किसी हिस्सेदारको उसमें पैदाइशसे कोई हक़ नहीं होगा

और अगर ऐसी जायदाद जो अलहदा हो वह मुश्तरका खान्दानमें रहनेपर भी वह आदमी उसे वेंच सकता है (6 W R 71) और इनाममें दे सकता है या वसीयतके ज़रिये जिसको जी चाहे देसकता है 20 All 267, 25All 54, 24 Mad 229; 10 Mad 251, 28 Mad 336; 10 W. R 287, 20 W R 137, 1 All. 394, 12 M I A 1, 39, 9 M I A 96,8Bom H C O C. 196, और अगर वह विना किसी वसीयतके मर जाय, तो वह जायदाद उसके वारिसोंको उत्तराधिकारमें मिलती है 9 M. I A 543, 613

यह निश्चित तौरपर माना गया है कि जिस किसी बापके पास अलहदा जायदाद हो उस जायदादको बाप विना पूछे अपनी औलादके जैसा उसके जी में आये कर सकता है यानी उस जायदादको वेंच सकता है (6 W R 71) दान कर सकता है या जिसको जी चाहे दे सकता है, लड़के पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें कोई हक़ नहीं रखते। मगर बापके मरनेपर उसकी सब जायदाद जब लड़कोंके पास आवेगी तो उस वक्त वह जायदाद मौरूसी हो जायगी और मुश्तरका खानदानकी जायदादमें शामिल हो जायगी (1 All. 394)

दफा ४० मुश्तरका कारबार

(अ) कोपार्सनरोंके कारोबारका वर्णन

(१) हिन्दूलॉ में कारवार एक चीज़ है जो वरासतमें मिल सकता है। जब कोई हिन्दू मुश्तरका खान्दानका कोई कारवार छोड़कर मर जाता है तो वरासतमें आने वाली दूसरी जायदादोंकी तरहपर वह कारवार भी उसके वारिसोंको मिलता है। अगर वह आदमी कोई लड़का, पोता या परपोता छोड़कर मरा है तो वही सन्तान उस कारवारके पानेका हक़ रखती है उस सन्तानके हाथमें वह कारवार मुश्तरका खान्दानका कारवार वन जाता है। और जिस फर्म या दूकानमें वह सन्तान शरीक होते हैं, वह मुश्तरका खान्दान का फर्म या दूकान कहलाती है। मुश्तरका खान्दानके कारवारमें जो शराकत लड़कों, पोतों या परपोतोंकी होती है वह शराकत कंट्राक्टसे बनाई हुयी (कम्पिनी या दूकान आदि) साधारण हिस्सेदारी (Partnership) नहीं है बल्कि वह मुश्तरका खान्दानकी भागीदारी है जो क़ानूनके असरसे स्वयं पैदा होती है। मुश्तरका खान्दानके फर्ममें जितने कोपार्सनर शरीक हैं उन सबोंके हक़ और क़र्ज़े और जिम्मेदारियोंका विचार कंट्राक्ट एक्ट नम्बर ६ सन १८७२ ई० के अनुसारही नहीं हो सकता बल्कि इसके साथ साथ हिन्दूलॉ के सिद्धान्तोंका भी ख्याल किया जायगा, देखो-रामलाल बनाम लक्ष्मीचन्द 1

Bom. H C. 2 मुश्तरका ख़ान्दानके कारबारकी हिस्सेदारी और मामूली हिस्सेदारी (Partnership) जो अकसर कम्पनियों और दूकानोंमें हुआ करती हैं इन दोनोंमें क्या फरक़ है यह फरक़ नीचे बताते हैं देखो—

१—मुश्तरका ख़ानदानकी हिस्सेदारी किसी एक कोपार्सनरके मर जाने से टूट नहीं जाती और साधारण हिस्सेदारी टूट जाती है। देखो—सांवलबाई बनाम सोमेश्वर 5 Bom. 38, 14 Bom. 194.

२—जब कोई आदमी मुश्तरका ख़ान्दानमें रहता हो और उस ख़ान्दान का कोई मुश्तरका कारबार चलता हो ऐसी हालतमें अगर वह अलहदा हो जाय और मुश्तरका ख़ान्दानसे सम्बन्ध तोड़ दे तो वह आदमी पिछले मुनाफा और नुक़सानका हिसाब कुछ भी नहीं मांग सकता मगर साधारण हिस्सेदारी में जैसा कि कम्पनियों या साझेदारोंमें हुआ करती है बराबर पिछला हिसाब मांग सकता है।

३—मुश्तरका ख़ान्दानके मेनेजर (प्रबन्धक) को यह माना हुआ अधिकार प्राप्त है कि वह मुश्तरका ख़ान्दानके कारबारके लाभके लिये क़र्ज़ ले सकता है, और उस ख़ान्दानकी जायदादको रेहन कर सकता है (5 Cal 792, 26 Bom. 206, 6 C W. N. 429) और ऐसे क़र्ज़ अगर उस ख़ानदानके कारबारके लिये, लिये गये हों तो उस क़र्ज़की देनदार मुश्तरका जायदाद है जिसमें नाबालिग कोपार्सनरोंका भी हिस्सा शामिल रहेगा। परन्तु ऐसा अधिकार सिर्फ मेनेजर को ही होगा दूसरे कोपार्सनरको नहीं होगा (23 Mad 597) परन्तु साधारण हिस्सेदारीमें साझेके कारबारके लिये कोई भी हिस्सेदार या साझीदार क़र्ज़ा नहीं ले सकता है और उसके देनदार अन्य सब हिस्सेदार नहीं होते हैं, देखो—कन्ट्राक्ट ऐक्टकी दफा २५१ एक्ट नम्बर ९ सन १८७२ ई०.

४—साधारण हिस्सेदारीमें साझेके कारबारका क़रज़ा चुकानेके लिये साझीदारका सिर्फ हिस्साही नहीं लिया जायगा बल्कि उसकी दूसरी अलहदा जायदाद भी ली जायगी (अगर वह साझेदारी रजिस्टरी न हो) लेकिन जो क़र्ज़ मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर उस ख़ान्दानके कारोबारके वास्ते लेता है तो उसके अदा करनेके लिये मुश्तरका ख़ान्दानकी कुल जायदाद और उस मेनेजरकी दूसरी अलहदा जायदाद भी जिम्मेदार है और अगर ऐसी सूरत हो कि जाहिरा क़र्ज़ा लेने वाला चाहे मेनेजरही हो पर असलमें दूसरे कोपार्सनर भी शामिल हों या उनके व्यवहार या चलनसे यह समझा जा सके कि वे शामिल थे या जिस क़र्ज़ को उन्होंने पीछे स्वीकार कर लिया हो तो उन सब कोपार्सनरोंकी अलहदा जायदाद भी उस क़र्जके अदा करनेकी जिम्मेदार समझी जायगी, देखो—चाला मैय्या बनाम बरादय्या 22 Mad. 166 समलभाई बनाम सामेश्वर 5 Bom. 38. सकराभाई बनाम मगनलाल 26 Bom. 206; 29 Cal. 583, 9 Bom. L. R. 1289.

५—साधारण साझीदारीमें जब कोई साझीदार नाबालिग हो तो साझे-दारीके क़र्ज़ेके लिये तो उस नाबालिगका हिस्साही जिम्मेदार है उसकी अल-हदा जायदाद जिम्मेदार नहीं हैं। मगर यदि उसने बालिग़ होनेपर साझीदारी स्वीकार करली हो तो फिर उसकी दूसरी अलहदा जायदाद भी उस क़र्ज़ेके अदा करने के लिये जो उसकी नाबालिग़ीमें लिया गया है जिम्मेदार होगी। देखो—कन्ट्राक्ट ऐक्टकी दफा २४७, २४८ एक्ट नं० ६ सन १८७२ ई०

यही ऊपरका नियम नाबालिग़ कोपार्सनरोंके लिये भी है अर्थात् मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर मुश्तरका कारबारके लिये नाबालिग कोपार्सनरके हिस्से सहित मुश्तरका जायदादको रेहन रख सकता है (34 Bom 72, 35 Bom 692) ऐसी सूरतमें मुश्तरका खान्दानकी जायदादमें जो नाबालिग़ कोपार्सनरका हिस्सा है उतना ही ज़िम्मेदार होगा लेकिन अगर उस नाबालिग़ कोपार्सनरने बालिग़ होनेपर उस मुश्तरका खानदानके कारबारमें अपना साझा स्वीकार कर लिया हो तो फिर उसकी दूसरी अलहदा जायदाद भी उस क़र्ज़के अदा करनेके लिये जिम्मेदार होगी देखो—विश्वम्भर बनाम शिवनरायन 29 All 166 विश्वम्भर बनाम फतेहलाल 22 All 176; 3 Cal 738, 26 Cal 349, 26 Mad 214

(२) मुश्तरका खान्दानके कारोबारका मेनेजर मुश्तरका ख़ान्दानकी ओरसे किसी ग़ैर आदमीको अपना साझीदार बना सकता है, देखो—रामलाल बनाम लक्ष्मीचन्द 1 Bom H C app 1। जब मेनेजर ऐसी कोई साझीदारी ग़ैर आदमीके साथ करे तो उसका फैसला यानी जो कुछ झगड़े उस साझी-दारोंमें हों कान्ट्राक्ट एक्ट नं० ६ सन १८७२ ई० के अनुसार होंगे क्योंकि वह कारोबार एक ग़ैर आदमीके शरीक होतेही साधारण साझीदारी या कम्पनी का कारबार बन जाता है। ऐसे कारबारमें मेनेजरके, या मुश्तरका ख़ान्दानके किसी दूसरे आदमीके, या उस ग़ैर आदमीके मरतेही कानूनन् शराकत टूट जाती है, देखो—सुखानन्द बनाम सुखानन्द 28 Mad 344

(३) मुश्तरका खान्दानका कोई आदमी अगर कोई कारोबार करताहो तो इससे यह अनुमान नहीं किया जा सकता है कि उसका कारबार अवश्य ही मुश्तरका ख़ान्दानका कारोबार है; देखो—वादीलाल बनाम शाह खुशाल 27 Bom. 157; 14 Bom 189, 40 Cal. 523

जब कोई हिन्दू पिता और उसके दो पुत्र एक मुश्तरका व्यवसाय करते हों, तो यह समझा जायगा, कि वे एकही मुश्तरका खान्दानके सदस्य हैं यद्यपि इस कल्पनाका खण्डन हो सकता है; चेतनदास मोहनदास बनाम मेनर्स राली ब्रादर्स 83 I C 138, A I R 1925 Sind 153

नोट—(१) ऊपर कहा गया है कि मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर मुश्तरका ख़ान्दानके लिए जो कर्ज लेता है उसके अदा करनेके लिए नाबालिग़ कोपार्सनरका हिस्साभी पाबन्द है। यह बात योग्य

है और ऐसाही होना चाहिये था क्योंकि अगर ऐसा न होता तो हो सकता है कि बालिग होनेपर उन क़र्ज़ोंके देनेसे इनकार कर देता तो फिर ऐसी सूरतमें मेनेजरको कोई आदमी क़र्ज़ा नहीं देता और इसलिए मुश्तरका खान्दानका कारोबार बरबाद हो जाता। (२) ऊपर यहभी कहा जा चुका है कि मेनेजरके लिए हुए जिस क़र्ज़ेमें अन्य कोपार्सनर शरीक न हो या उन्होंने उसे स्वीकार न किया हो तो उस क़र्ज़ेके अदा करनेके लिए मुश्तरका खान्दानकी जायदादका उनका हिस्साही पाबन्द होताहै उनकी अलहदा जायदाद नहीं पाबन्द होती। इसका कारण यहहै कि मेनेजरका अधिकार मुश्तरका जायदादके अन्दरही रखा गयाहै। क़ानून, कोपार्सनरकी अलहदा जायदादके विषयमें, कोपार्सनरको मेनेजरसे अलग मानता है।

(४) जब कोई विधवा अपने पतिके कारोबारके लाभके लिये कोई क़र्ज़ा ले तो वह क़र्ज़ा उस विधवाके मरनेके बाद भी उस कारोबारसे वसूल हो सकता है चाहे विधवाने क़र्ज़ेके एवज़में कारोबारको रेहन नहीं रखा हो। देखो—सकराभाई बनाम मगनलाल 26 Bom 206.

(क) कोपार्सनरोंके अधिकारका वर्णन

(१) सब कोपार्सनरोंके लाभों और क़ब्ज़ेकी एकता—मुश्तरका खानदानकी जायदादमें किसी भी एक कोपार्सनरका कोई खास हक़ या कोई खास अलहदा लाभ नहीं हो सकता और न उस जायदादके किसी एक टुकड़ेपर उसका अलहदा क़ब्ज़ा हो सकता है देखो—26 Bom 141, 144 प्रिवी कौन्सिलके जजोंने कहा है कि "कोपार्सनरी जायदादमें खानदानके सब लोगोंका लाभ और क़ब्ज़ा एकसा होता है" देखो—9 M I A 543, 615.

(२) आमदनीका हिस्सा—मिताक्षरालॉ के अनुसार मुश्तरका खानदानकी जायदादमें उसका कितना हिस्सा है। उसका हिस्सा सिर्फ बटवारा होनेसे ही मालूमहो सकता है, देखो—एप्रोवियर बनाम रामा सुबा-रयन 11 M. I A. 75, 89 जबकि मुश्तरका रहनेकी सूरतमें कोई आदमी मुश्तरका जायदादके किसी हिस्सेका अलहदा हक़दार नहीं है तो इसी तरह वह मुश्तरका जायदादकी आमदनीके भी किसी हिस्सेका अलहदा हक़दार नहीं है, देखो—23 Bom 144 मुश्तरका खानदानकी जायदादकी सब आमदनी सबके साझेके कोषमें लाई जायगी और वहींसे मुश्तरका खान्दानके सब लोगोंकी ज़रूरतके अनुसार उसका खर्च होगा, देखो—11 M. I.A. 75,89.

(३) मुश्तरका क़ब्ज़ा रखना, और मुश्तरका लाभ उठाना—हर एक कोपार्सनर मुश्तरका खान्दानकी जायदादके मुश्तरका क़ब्ज़े और मुश्तरका लाभ उठानेका हक़दार है। अगर कोई कोपार्सनर ज़बरदस्ती मुश्तरका क़ब्ज़े और मुश्तरका लाभ उठानेसे वंचित रखा जाय तो वह कोपार्सनर अदालतमें इस बातका दावा दायर कर सकता है कि वह मुश्तरका रहने पावे और कुछ

उसके लाभ उठाने पावे। वह बटवारा करा लेने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता और न है। इस बातकी कोई वजेह नहीं है कि क्यों एक हिन्दू कोपार्सनर जो कि मुश्तरका हक्कोंसे वंचित रखा गया हो, दूसरे कोपार्सनरों के कहनेसे तथा अपनी मरजीके खिलाफ बटवारा करानेका दावा करने मुश्तरका खान्दानको तोड़ देनेके लिये बाध्य किया जाय, देखो—नरानभाई बनाम रनछोड़ 26 Bom 141. रामचन्द्र बनाम रघुनाथ 20 Bom 467. जब कोई कोपार्सनर मुश्तरका क़ब्जेसे वंचित रखा गया हो तो ऐसे मामलेमें ऐसी डिकरी होना उचित है कि उसके मुश्तरका क़ब्जेका हक़ क़रार दिया जाय लेकिन इसके सिवाय उस डिकरीमें यह भी होना चाहिये कि उसको वह क़ब्जा दिला दिया जाय। सिर्फ मुश्तरका क़ब्जेका हक़ क़रार देनाही काफी नहीं होगा क्योंकि यह उस कोपार्सनरको अपनी मरज़ीके खिलाफ बटवारा का दावा करनेसे बचा नहीं सकता इसलिये क़ब्ज़ा भी दिला देनेकी डिकरी अवश्य होना चाहिये; देखो—26 Bom. 141, 145 जब किसी कोपार्सनरको उसके दूसरे कोपार्सनर मुश्तरका जायदाद या उसके किसी हिस्सेके काममें लाने या लाभ उठानेसे वंचित रखें, तो अदालत उन कोपार्सनरोंको ऐसा करने से रोक सकती है।

उदाहरण—(१) ऐसा मानो कि 'महेश' और 'गणेश' एक मुश्तरका खानदानके मेम्बर हैं। महेश घरके किसी ऐसे दरवाजे या सीढ़ीको काममें लानेसे 'गणेश' को रोकता है जो गणेशके कमरेमें जानेका एक मात्र रास्ता है। महेशका यह काम मानो गणेशको बेदखल करना है। अदालत उसको ऐसा करनेसे रोक सकती है कि जिससे गणेश उस दरवाज़े या सीढ़ीको अपने काममें लासके, 19 Mad 269, 29 Cal 500.

(२) ऐसा मानोंकि—'महेश' और 'गणेश' एक मुश्तरका खानदानके मेम्बर हैं उनकी एक दूकान कलकत्तेमें है, गणेश दूकानमें घुसकर वही खाता देखना चाहता है और दूकानके कारबारमें भाग लेना चाहता है परन्तु महेश उसको रोकता है। अदालत महेशको ऐसा करनेसे रोक सकती है; देखो—गनपति बनाम अन्नाजी 23 Bom 144

(३) अनधिकारके काम—दूसरे कोपार्सनरोंकी मंजूरी बिना, किसी कोपार्सनरको यह अधिकार नहीं है कि वह मुश्तरका खानदानकी किसी जमीनपर या उसके किसी हिस्सेपर कोई मकान बनावे या ऐसा काम करे जिससे उस जायदादकी हालत बदल जाय। और न उसको कोई ऐसा काम करनेका अधिकार है कि जिससे मुश्तरका लाभ उठानेमें बाधा पड़े। अगर वह ऐसा करे तो अदालतके हुक्मसे रोका जा सकता है, देखो—शिव प्रसाद बनाम लीलासिंह 12 Beng L R 188 गुरुदास बनाम विजय I.

Beng L R A C. 108, 6 Bom H C. A. C. 54; 12 All. 436, 18 All 115

अगर कोपार्सनरके किसी कामसे जायदादकी हालत बहुत तबदील न हो मसलन् उसने सिर्फ एक दीवाल बनाई कि जिससे जायदादका मुश्तरका लाभ उठानेमें कोई बाधा नहीं पड़ती तो अदालत उसे रद्द नहीं करदेगी, विश्वम्भर बनाम राजाराम 3 Beng L R 67

(४) ज़बरदस्ती बटवारा कराना—मुश्तरका खानदानके हरएक बालिग कोपार्सनरको अधिकार है कि वह मुश्तरका जायदादका बटवारा अपनी मरज़ीसे करा ले। परन्तु कोई बालिग लड़का अपने बापसे उस समय बटवारा नहीं करा सकता जबकि बटवारा चाहनेवाले लड़केका बाप अपने बाप (लड़केका दादा) या भाइयों (लड़केका चाचा) के साथ कोपार्सनर हो और वे ज़िंदा हों अर्थात् लड़के का दादा या चाचा ज़िंदा हों तथा कोपार्सनर हों।

(५) हिसाब किताब देखनेका अधिकार—बङ्गाल हाईकोर्टने यह माना है कि मुश्तरका रहनेकी सूरतमें भी हरएक कोपार्सनर मुश्तरका जायदाद सम्बन्धी हिसाब किताब देख सकता है तथा मांग सकता है जिससे कि वह जानसके कि मुश्तरका जायदादकी वास्तविक दशा क्या है, देखो—अभय चन्द्र बनाम प्यारी मोहन 5 Beng L. R. 347.

(६) मुश्तरका लाभका अलहदा कर देना—कोई कोपार्सनर अपने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके लाभको नतो वसीयतसे और न दानके तौर से अलहदा कर सकता है। बम्बई और मदरास प्रांतके सिवाय अन्य प्रांतोंमें वह उसे बेच भी नहीं सकता। अर्थात् उक्त दोनों प्रांतोंके सिवाय किसी प्रांत में मुश्तरका खानदानकी जायदाद या उसका मुनाफा आदिका इन्तक़ाल नहीं किया जासकता।

(७) सरवाइवरशिपका हक़—जब कोई कोपार्सनर मुश्तरका जायदाद का बटवारा होनेसे पहिले मरजाय तो जायदादका उसका मुश्तरका हिस्सा उसके वारिसोंको उत्तराधिकारके तौरपर नहीं मिलेगा बल्कि सरवाइवरशिप (दफा ५५८), के द्वारा पीछे जीते रहने वाले दूसरे कोपार्सनरोंको मिलेगा; 9 M. I A 543, 615.

(८) मेनेजर—जो कोपार्सनर मेनेजरके तौरपर काम करता है उसे मुश्तरका जायदादकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें कुछ खास अधिकार होते हैं जो दूसरे कोपार्सनरको नहीं होते देखो—दफा ४२५.

(९) बापके अधिकार ख़ास हैं—मुश्तरका जायदादकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें बापके कुछ खास अधिकार होते हैं जो दूसरे कोपार्सनरको नहीं होते।

प्रपौत्रको अधिकार है कि पितामह द्वारा किये हुए इन्तक़ालका विरोध करे फिर चाहे वह इन्तक़ाल क़ानूनी आवश्यकता पर ही क्यों न किया गया हो और वह इन्तक़ालके समय पर पैदा भी न हुआ हो। A I R 1927 All 127

बापके अनुचित व्यवहारसे नाबालिग़का बटवारा—जब किसी नाबालिग़का पिता, नाबालिग़के प्रति विरोधात्मक कार्य सिलसिलेवार करता हो, तो नाबालिग़के वलीको अधिकार है कि वह नाबालिग़की ओरसे बटवारेकी कार्यवाही करे, और नाबालिग़की ओरसे यह माग पेश करे कि उसका हिस्सा बाट करके, उसके लिये सुरक्षित रख दिया जावे। जब इस प्रकारके बटवारे की नालिशकी जाती है और पिता तथा नाबालिग़ पुत्रके हिस्से अलग अलग कर दिये जाते हैं, तो पिताके सम्बन्धमें यह ख़्याल किया जाता है कि उसके अधिकार अलाहिदा हैं, जगदीशप्रसाद बनाम श्रीधर A I R. 1927 All 60

विभक्त हिस्सेदारोंमेंसे किसी मुन्तक़िल अलेहपर इस बातकी पाबन्दी नहीं है कि वह अपने खरीदारके हिस्सेके बटवारेके लिये कहे। केवल उन हिस्सेदारोंमेंसे ही कोई एक मुन्तक़िलअलेह उसके करनेके लिये बाध्य है। वेंकय्या बनाम गुरय्या 23 L W 604

किसी समय किसी नये कामका करना—अन्य सदस्य हानिके ज़िम्मेदार नहीं हैं—किन्तु कोई नया कार्य, यदि वह पारिवारिक कार्यके अनुसार हो तो, नया कार्य नहीं कहलाता,—नारायन शाह बनाम शङ्कर शाह A. I R. 1927 Mad 53

नोट—जब मुश्तरका हिन्दू ख़ानदानके लोगोंमें, मुश्तरका जायदादके विषयमें कोई झगड़ा हो तो अदालतको चाहिए कि वह मुश्तरका जायदादके फिजूल खर्च या गैर क़ानूनी उपयोगके रोकनेके लिये या ऐसे कामके रोकनेके लिये कि जिससे कोई कोपार्सनर मुश्तरका लाभ लेनेसे वञ्चित हो रहा हो हुक्म इम्तनाई जारी करे जैसाकि 19 Bom 269 के केसमें है।

अकसर देखा गयाहै कि मुश्तरका ख़ानदानके लोग बिना बटवारा हुये भी अपनी सहूलियतके लिए मुश्तरका जायदादको अपने अलग अलग क़ब्ज़ेमें रखते हैं और उससे लाभ उठातेहैं मगर यह प्राइवेट तौरका इन्तज़ामहै इसलिये अगर वह चाहे तो दूसरी तरह भी बदल सकते हैं। मगर वह मुकम्मिल या किसी तरहका बटवारा नहीं समझा जायगा, देखो—12 Beng. L. R. 188,195

दफा ४१ मेनेजरके अधिकार

(१) मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका इन्तज़ाम आम तौरसे बाप या घरका कोई दूसरा बड़ा करता है। मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरको 'कर्ता' कहते हैं, हर सूरतोंमें बाप मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका कुदरती मेनेजर होता है और नाबालिग़ लड़कोंके होनेकी सूरतमें बाप अवश्यही उस जायदाद

का मेनेजर होता है, देखो—सूर्य्य वंशी कुंवर बनाम शिव प्रसाद 5 Cal 148, 165; 6 I. A. 88.

हिन्दू समाजमें मुश्तरका और विना बटा हुआ खानदानका होना एक साधारण बात है। विना बटा हुआ खानदान सिर्फ जायदाद हीमें नहीं बल्कि खान पान और पूजनमें भी मुश्तरका होता है, इसलिये न सिर्फ मुश्तरका जायदादका ही इन्तज़ाम बल्कि उनके इकट्ठे खान पान और पूजन आदिका प्रबन्ध भी खानदानके मेम्बरोंमें होता है या उनकी ओरसे अधिकार प्राप्त मेनेजर करता है, देखो—श्रीवरदा प्रताप बनाम वरजोक्रिस्टो. 1 Mad. 69, 81; 3 I. A. 154, 191.

जबतक कि एक खानदानके लोग मुश्तरका रहें तबतक घरका बड़ा पुरुष ही मुश्तरका जायदादके प्रबन्ध करनेका अधिकारी है। और इस जायदादमें दान पुण्यकी जायदाद भी शामिल है, देखो—थंडावरोपा बनाम शुनमुगन (1908) 32 Mad. 167, 169 लेकिन घरका बड़ा पुरुष अपने प्रबंधका अधिकार अगर वह चाहे तो छोड़ सकता है और उसकी जगह घरका कोई छोटा पुरुष मेनेजर (प्रबंधक) नियुक्त होसकता है, 29 Cal 797

यद्यपि जन्मसेही पुत्र मौरूसी जायदादका हक़दार अपने पिताके समान ही होजाता है तो भी पिताको यह अधिकार है कि अपने पैतृक संबंधके कारण और घरके मुखिया तथा मेनेजरकी हैसियतसे खानदानकी जायदादका प्रबंध खानदानके लाभके लिये जैसा मुनासिब समझे करे। इसलिये पुत्रको यह अधिकार नहीं है कि खानदानकी जायदादके किसी ख़ास हिस्सेपर अपने पिताकी मरज़ीके खिलाफ क़ब्ज़ा करे, यदि ऐसा करे तो पिता उस पुत्रके क़ब्ज़ा निकाल दिये जानेका दावा करसकता है, देखो—बलदेवदास बनाम श्यामलाल 1 All 77. अगर पुत्र मुश्तरका जायदादमें बापका प्रबंध पसंद न करता हो तो वह बटवारा करा सकता है प्रबंधमें बापके खिलाफ कुछ नहीं करसकता है। मुश्तरका खानदानकी जायदादके मेनेजरको, मेनेजर होनेके कारण उस खानदानके अन्य लोगोंकी अपेक्षा कोई विशेष मालिकाना अधिकार या जायदादमें दूसरोंसे अधिक लाभ उठानेका अधिकार प्राप्त नहीं होता। अगर मेनेजरका कुछ भी अधिक अधिकार है तो यह है कि-वह खानदानके नाबालिगोंके हिस्से सहित खानदानकी सब जायदादका हिन्दूलॉ के अनुसार प्रबंध और इन्तक़ाल कर सकता है, देखो—नुन्ना बनाम चिदारा चोईना 26 Mad. 214, 221.

(२) आमदनीपर मेनेजरका अधिकार—खानदानके मुखियाकी हैसियतके मेनेजरको आमदनी और खर्चपर पूरा अधिकार है और जो कुछ खर्च करके बचत रहे उसका भी वही अपने पास रखनेवाला होता है। जबतक कि वह खानदानके कामोंके लिये जायदादकी आमदनी खर्च करता है तबतक वह

एक तनख़्वाहदार एजेन्ट या ट्रस्टीकी तरह कम ख़र्च करनेके लिये या रुपया बचानेके लिये मजबूर नहीं है। एजेन्ट और ट्रस्टी मजबूर हैं कि वह कम ख़र्च करें तथा रुपया बचावें। ख़ानदानके मेम्बर जितना ख़र्च होना मुनासिब समझते हैं अगर मेनेजर उससे अधिक ख़र्च करता है तो इसका इलाज और कुछ नहीं है सिवाय बटवारा करा लेनेके, देखो—भवानी बनाम जगरनाथ (1909) 13 Cal. W. N 309, ताराचन्द बनाम रविराम 3 Mad H C 177

अगर मेनेजरने ख़ानदानके दूसरे लोगोंके हिस्सेके रुपये खुद ख़र्चकर डाले हों या ऐसे काममें ख़र्च किये हों जिससे मुश्तरका ख़ानदानका कुछ सम्बन्ध न हो तो मेनेजर रुपयेका देनदार होगा। यह रुपया उसकी अलहदा जायदादसे वसूल होगा देखो—अभय चन्द्र बनाम प्यारी मोहन (1870) 5 Beng L R 347, 349

मुआहिदा जो व्यक्तिगत हो—किसी मुश्तरका ख़ान्दानके मैनेजर द्वारा किया हुआ व्यक्तिगत मुआहिदा ख़ान्दानके अन्य सदस्योंपर लागू नहीं होता, किन्तु इस कारणसे मैनेजरके, उस मुआहिदेको, अपने हिस्सेपर कार्यान्वित करनेमें बाधा नहीं पड़ती, देखो—तानूमल बनाम गङ्गाराम A. I R 1925 Sindh 103.

मन्दिरमें लगा सकता है—मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर, मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादका कुछ भाग, किसी मन्दिरके निमित्त किसी ख़ान्दानी सदस्यकी मृत्युपर अर्पित कर सकता है, औदिप्पा नायडू बनाम मुधू लक्ष्मी अची (1925) M W N 653, A I. R 1925 Mad. 128, A. I. R 1926 Mad 128

साझीदार मेनेजर—जब किसी मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर किसी अन्य व्यक्तिके साथ साझी होता है तो ख़ान्दानके अन्य व्यक्ति, उसके द्वारा साझी नहीं समझे जाते, हमनदास बनाम फर्म मायादास लक्ष्मीचन्द 87 I. C 905, A I R 1925 Sind 310.

साझीदारी जब किसी मुश्तरका ख़ान्दानका मैनेजर किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझीदार होता है तो ख़ान्दानके अन्य सदस्य, उसकी साझीदारीके कारण, साझीदार नहीं होते। यदि वे साझीदारीका दावा करें, तो उन्हें दूसरी बातोंकी तरह इसे भी साबित करना होता है। इस प्रकारका सुबूत न होने पर, वे केवल अपने मेनेजरको ही उसका जिम्मेदार समझ सकते हैं और वे उससे अलाहिदगी या हिसाब आदिके लिये नालिश नहीं कर सकते। साझीदार मैनेजरकी मृत्युपर साझीदारी समाप्त हो जाती है, हेमराज कानजी बनाम टोपेन विशिन जी 86 I. C. 950, A I R. 1925 Sind 300.

वली जायदादका नहीं वन सकता--किसी मुश्तरका खान्दानके मेनेजर के लिये यह अधिकार नहीं है कि वह गार्जियन एण्ड वार्डस ऐक्टके अनुसार उसी मुश्तरका खान्दानके नाबालिगकी जायदादके वली बननेके लिये अर्ज़ी दे प्रेसीडेन्सी टाउनमें यह हो सकता है, कि मेनेजरको यह अधिकार हो कि वह चार्टर्ड हाईकोर्टमें उसके असाधारण न्यायाधिकारके अनुसार इच्छित इन्तक़ालके लिये इजाज़त चाहे और इस प्रकारकी इजाज़तके अधिकारपर किसी जायदादका इन्तक़ाल करे, किन्तु उसके लिये यह असम्भव नहीं है कि वह मुश्तरका खान्दानकी किसी जायदादको जो मुफस्सिसमें हो तब तक मुन्तक़िल करे, जब तक कि वह नाबालिग साझीदारकी जायदादको बांट न दे और इच्छित इन्तक़ालकी जायदाद उसके हिस्सेमें न आ जावे, 16 Bom. 634; 19 Bom 96; 25 Bom. 353, 25 All. 407 & 43 Bom 519. foll. यद्यपि अदालतके द्वारा मुकर्रर किये हुये वलीका अधिकार कुदरती और वसीयतके वलीके ऊपर होता है किन्तु उस सूरतमें जब अदालत द्वारा कोई वली न मुकर्रर किया गया हो, तब कुदरती वलीपर वे प्रतिबन्ध नहीं लागू होते हैं, जो कि अदालतने अपने द्वारा नियत किये हुये वलीपर गार्जियन एण्ड वार्ड्स ऐक्ट द्वारा नियत किये हैं। उसके कामोंका जायज़ होना उस आम सिद्धान्तके अनुसार निश्चित किया जायगा, जो उस नाबालिग और जायदाद के मैनेजरके मध्यके सम्बन्धके आधीन होगा या गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्टके शब्दोंमे वह उन तमाम कामोंको कर सकेगा, जो कि जायदादके प्राप्त करने, रक्षा करने, और फायदेके लिये उचित और मान्य होंगे। लक्ष्मीचन्द बनाम खुशाल 18 S. L R. 230, 88 I. C 116, A. I. R. 1925 Sind 330.

संयुक्त हिन्दू परिवारके मेनेजरका यह अधिकार समझा जाता है कि वह परिवार सम्बन्धी हितोंके लिये जो कुछ यथेष्ट समझे करे। उसके कर्तव्य की यह जांच है कि आया एक बुद्धिमान व्यक्तिने परिवारके लाभके लिये, उस अवस्थामें वैसाही किया होता या नहीं. देखो—रोशनलाल बनाम सेठ रुस्तम जी 92 I. C 669; A I R. 1926 Lab. 249.

जायदाद पर पाबन्दी करनेका अधिकार—लाभ—रामचन्द्रसिंह बनाम जङ्गबहादुरसिंह 7 Pat. L J. 52, 5 Pat. 198; 1926 P. H. C. C. 70; A I R. 1926 Pat 17.

जब किसी संयुक्त परिवारके सदस्य द्वारा कोई ऋण दिया जाय और वह उसकी वसूलयाबीके पहिलेही मर जाय तो यदि ऋण दी हुई रकम, ऋण देने वालेकी खानगी जायदाद हो, तो वह उस व्यक्तिको दी जानी चाहिये, जिसके पास ऋणदाताकी जायदादके वरासतकी सनद हो। यदि वह जायदाद संयुक्त परिवारकी जायदाद हो, तो उस व्यक्तिको दी जानी चाहिये जो वहां

सियत मैनेजर संयुक्त परिवारके ऋण दाताका प्रतिनिधि हो, शाकर खां बनाम लक्ष्मीमल 94 I C 664, A I R 1926 Sind 56

अन्य व्यक्तिके साथ साझाकर सकता है यदि शेष मेम्बर खान्दान साझीदार हैं, शिवनारायन बनाम बाबूलाल 85 I C 775, A I R 1925 Nag 268 अधिकार मैनेजरको है, नारूमल चन्द बनाम भिचूमल फालूमल 18 S L. R 1; A I R 1924 Sind 124.

ऊपर जो खान्दानके कामोंका ज़िकर किया गया है वह यह काम हैं, जैसे कोपार्सनरों और उनके बाल बच्चोंका भरण पोषण करना, उनको पढ़ाना लिखाना तथा उनके विवाह या यज्ञोपवीत करना, और श्राद्धोंमें खर्च करना, तथा दूसरे धार्मिक कृत्योंमें भी खर्च करना। अगर किसी कोपार्सनरका परिवार ज्यादा बड़ा है और दूसरोंका छोटा है तो यह बात कभी नहीं सुनी जायगी कि अमुक कोपार्सनरके परिवारमें ज्यादा खर्चा हुआ और अमुकमें कम। और न यह बात बटवाराके समय सुनी जायगी। कारण यह है कि मुश्तरका खान्दानमें सब बराबर समझे जाते हैं, 5 Beng. L. R 347, 349

नोट—मुश्तरका खानदानके मेनेजरकी हैसियत इन्डियन् काट्राक्ट एक्ट सन १८७२ ई० के चेप्टर १० के अनुसार नहीं मानी गयी, देखो-मोहमद बनाम राधेराम (1900) 22 All 307, 317.

दफा ४२ मेनेजरको बटवाराके समय हिसाब देनेकी ज़िम्मेदारी

जबकोई मुक़द्दमा मुश्तरका जायदादके बटवारेका अदालतमें दायरकिया जाय और मुश्तरका खान्दानके मेनेजरसे पिछला हिसाब मागा जाय तो मेनेजर पिछला हिसाब समझानेका जिम्मेदार नहीं माना गया है। मेनेजर सिर्फ यह बतानेका पावन्द है कि अभीतक कितना रुपया खर्च होगया तथा इससमय कितना रुपया बाक़ी है। मेनेजरसे ऐसा हिसाब नहीं मागा जायगा कि उसे किफायत का खूब ख्याल रखकर बड़ी परवाहीके साथ रुपया खर्च करना चाहिये था। परन्तु मेनेजर उस रुपयाके देनेका जिम्मेदार है जो उसने अपने कामोंमें या दूसरे ऐसे कामोंमे जिनसे मुश्तरका खान्दानका कुछ सम्बन्ध नहीं है खर्च किया हो अर्थात् अगर जालसाजी या अनुचित रीतिसे निजके कामोंमें खर्च नहीं किया तो कोई भी कोपार्सनर मेनेजरसे तफसीलवार हिसाब पिछला नहीं मांग सकता है। मेनेजरसे कोपार्सनर सिर्फ उस वक्तका हिसाब मांग सकता है कि जिस वक्त बटवारा चाहा गया हो यानी बटवारा चाहे जानेके समय जो हिसाब मौजूद है सिर्फ उसे मांग सकता है पिछला नहीं, देखो—बालकृष्ण बनाम मुथूसामी 32 Mad 271 नरायन बनाम नाथाजी (1903) 28 Bom 201, 208 दामोदरदास बनाम उत्तमराम 17 Bom. 271

अगर कोपार्सनरोंके और मेनेजरके दरमियान कोई खास शर्तनामा हो चुका हो तो उस समय मेनेजर बतौर एजेण्टके हिसाब देनेका जिम्मेदार

होगा यानी पिछला हिसाब भी देनेका पाबन्द होगा, 22 Mad. 470, 26 I. A. 167.

बङ्गाल स्कूल—उन स्थानोंमें जहां पर बङ्गाल स्कूल माना जाता है वहां पर बिना बटवारा कराये भी कोपार्सनर मेनेजरसे हिसाब मांग सकता है इस बातके देखनेके लिये कि उसने अभी तक क्या किया है मगर जहांपर मिताक्षरा माना जाता है वहांपर नहीं, 5 Beng. L. R 347.

दफ़ा ४३ मेनेजरका अधिकार मुश्तरका ख़ान्दानके लिए क़रज़ा लेनेका

(१) मुश्तरका ख़ान्दानके कारोबारके मेनेजरको खुद बखुद यह अधिकार प्राप्त है कि वह ख़ान्दानके कारोबारके साधारण कामोंके लिये क़रज़ा ले सकता है, 5 Cal. 792.

जब ऐसे क़रजे लिये गये हों तो सब कोपार्सनर चाहे वह बालिग़ हों (22 Mad. 166, 5 Bom 38) चाहे नाबालिग़ हों (29 All. 176, 26 Mad 214, 3 Cal, 738) अपने हिस्सेकी हद्द तक उन क़रजोंके देनदार हैं। लेकिन अगर वह कोपार्सनर उन क़रजोंके लेनेमें खुद भी शरीक रहे हों, अथवा उनके बर्तावसे यह समझा जा सकता हो कि वह शरीक रहे होंगे, या थे, या उन्होंने उन क़रजोंको उस वक्त या पीछे मंजूर कर लिया हो, तो वह कोपार्सनर ज़ाती तौरसे भी जिम्मेदार हैं और उनकी दूसरी जायदाद भी जिम्मेदार है। अगर नाबालिग़ कोपार्सनरोंने बालिग़ होनेपर उन करजोंको स्वीकार कर लिया हो तो वह भी ज़ाती तौरपर उन क़रजोंके अदा करनेके जिम्मेदार हैं।

(२) चाहे किसी हिन्दू मुश्तरका ख़ान्दानका कारोबार कुछ भी न हो तो भी मेनेजर ख़ान्दानके साधारण कामोंके लिये क़रज़ा ले सकता है और उसके लिये सब कोपार्सनर वैसा ही जिम्मेदार हैं जैसा कि ऊपर नं० १ में बताया गया है। देखो—गरीबउल्ला बनाम खलकसिंह 25 All 407, 414, 415, 30 I. A 165; द्वारिकानाथ बनाम बेशी 9 Cal. W. N. 879; 22 Mad. 166.

(३) जब मेनेजर ख़ान्दानकी ज़रूरतें बताकर किसीसे क़रजा ले और क़रज़ा देनेवाला मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादमें उस ख़ान्दानके सब मेम्बरोंके हिस्सेको अपने क़रजेका देनदार तथा जिम्मेदार बनाये तो जब तककि वह अर्थात् क़रज़ा देने वाला यह साबित न कर दे कि उस क़रजेकी वास्तविकमें ज़रूरत थी, या यहकि उसने उचित जांच करके वैसी ज़रूरत मालूम कर ली थी, या यहकि—उससे ऐसा कहा गया था कि जिससे वैसी ज़रूरत

मालूम पड़ सकती हो तो उसे मुश्तरका खान्दानकी कुल जायदादपर डिकरी नहीं दी जायगी, देखो – सोहरू पद्मनाथ बनाम नारायणराव 18 Bom 520, 21 Bom 808, 5 Cal 321

कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्टने माना है कि यही क़ायदा जो ऊपर कहा गया है मुश्तरका खान्दानके कारोबारके वास्ते जो क़रजा लिया जायगा उसमें भी लागू होगा, देखो–नगेन्द्र बनाम अमरचन्द्र 7 Cal W N 725 गनपतराय बनाम मुन्नीलाल (1912) 34 All 135 किन्तु बम्बई हाई-कोर्टने इसके बिल्कुल बरखिलाफ माना है अर्थात् बम्बई हाईकोर्टने मानाकि क़रजा देने वालेको इस बातके पूछनेकी कोई ज़रूरत नहीं है कि क़र्ज़ किसी वास्तविक जरूरतके लिये लिया जाता है या नहीं इत्यादि, हर तरहपर उसके क़र्जकी जिम्मेदार मुश्तरका जायदाद होगी, देखो—रघुनाथजी बनाम दि बैंक आफ बम्बई (1909) 34 Bom 72. शङ्का बनाम दि बैंक आफ बरमा (1912) 35 Mad 692, 694,696

वह क़र्ज जो किसी ऐसी नालिशके सम्बन्धमें दिया गया हो, जिसमें कामयाबी न हासिल हुई हो; और वह नालिश उस वासलात मुनाफाके बिना पर हो जो किसी शख़्सके जायदादपर नाजायज क़ब्जा रखनेके कारण प्राप्त हो, नाजायज़ नहीं है, शम्भू भानसिंह बनाम चन्द्रशेखर बक्स सिंह A I R 1925 Oudh 130

वासलात मुनाफाकी डिकरी, जो जायदादपर नाजायज़ क़ब्जाके मुनाफा के बिनापर हो, पिताकी मृत्युके पश्चात्, उस पैतृक जायदादपर, जो पुत्रके अधिकारमें हो, उसकी तामीलहो सकती है,शम्भू भानसिंह बनाम चन्द्रशेखर बक्ससिंह A I R 1925 Oudh 230

तीन हिन्दू भाइयोंमें से, जो कि साझेदार वारिस थे, एक भाईने, एक ऐसे दावेपर, जो कि तमाम वारिस साझीदारोंकी ओरसे, एक तीसरे व्यक्ति पर था, कुछ जायदाद प्राप्त की। इस प्रकार जायदाद प्राप्त करनेमें, प्राप्त करने वाले भाई ने, उस साझेके कर्जदारसे यह वादा कर लिया कि यदि किसी दूसरे भाईके दावेके कारण, उसे कोई नुक़सान होगा, तो वह उसका जिम्मे-दार होगा।

तय हुआ कि नुक़सानका मावज़ा पूरा करनेके लिये, जो क़र्ज़ लेना पड़ा, वह न तो ग़ैर क़ानूनी था और न ग़ैर तहज़ीबी। मातादीन बनाम महा-राजदीन 12 O L J 33, 85 I C 959, A I R 1925 Oudh 325

पितृव्य (चचा) द्वारा क़र्ज लिया हुआ जायज़ हो सकता है, चितनवीस बनाम नाथू साऊ A I R 1925 Nag 2

जहांपर यह चाहा जाता हो कि खान्दानी जायदादपर, उस क़र्ज़ेकी पाबन्दी लगाई जाय, जो मेनेजर द्वारा लिया गया हो, वहां महाजनकी जिम्मेदारी होगी कि वह क़र्ज़ेकी आवश्यकता साबित करे, गजाधर महातों बनाम अम्बिकाप्रसाद 47 A. 459, 27 Bom. L R 853, 87 I C. 292, L.R. 6 P C. 126, (1925) M W N. 532, 22 L W. 306, 41 C. L J. 450, A. I. R. 1925 P. C. 169, 89 M. L. J. 238(P.C.)

उदाहरण--मुश्तरका खानदानके प्रबंध करने वाले तीन भाइयोंने मुश्तरका खानदानके कामके लिये महाजनसे करज़ लिया, दो भाई मर गये, महाजनने तीसरे भाई और उन दोनों भाइयोंकी संतानपर उस क़रज़ेके पानेका दावा किया। ख़ानदानकी कुल जायदाद उस करज़ेकी देनदार है उस तीसरे भाईकी ज़ात और दूसरी जायदाद भी ज़िम्मेदार है परंतु उन दोनों भाइयोंकी संतान ज़िम्मेदार नहीं है क्योंकि वह करज़ा लेनेमें खुद शरीक न थे, देखो-22 Mad. 169 अगर किसी मेनेजरने अपनी ज़ाती जिम्मेदारीपर क़रज़ा लिया हो और उस रुपयाको खानदानके कामोंमें खर्च किया हो तो उस सूरतमें ख़ानदानकी कुल जायदाद ज़िम्मेदार है; देखो--अघोरनाथ बनाम ग्रीशचन्द्र 20 Cal 18.

दफ़ा ४४ मुश्तरका ख़ानदानके कारोबारके मेनेजरके अधिकार

खानदानके कारोबारके वास्ते क़र्ज़ लेनेके अधिकारके अलावा मेनेजरको यहभी अधिकार है कि वह कंट्राक्ट करे, रसीदें दे, और कारबारके संबंधमें सब तरहके मामलोंका फैसला करे। ऐसे सर्वव्यापी अधिकारके बिना कारबारका चलना असंभव है, देखो--किशुनप्रसाद बनाम हरनरायनसिंह (1911) 33 All 272, 38 I A. 45. मुश्तरका खानदानके कारोबारके प्रबंधके मेनेजर या मेनेजरोंने अपने नामसे कारबार संबंधी कंट्राक्ट किये हों, तो सवाल यह पैदा होता है कि उन कंट्राक्टोंके विषयमें अदालतमें दावा करनेके समय अर्ज़ी दावा (Plaint) में मुद्दईकी जगहपर सिर्फ प्रबंधक मेनेजर या मेनेजरोंका नाम लिखा जाय या ख़ानदानके अन्य मेम्बरोंके भी नाम लिखे जायें। इस बारेमें प्रिवीकौन्सिलकी यह राय हुई है कि दूसरे मेम्बरोंके नाम भी लिखे जाना ज़रूरी होगा, देखो--किसुनप्रसाद बनाम हरनारायन सिंह 33 All 272, 38 I. A. 45

इन्तक़ाल पिता द्वारा—व्यवसायके लिये हिन्दूलॉ के अनुसार, किसी खान्दानके मैनेजर द्वारा, क़ानूनी आवश्यकता या खान्दानके फायदेके लिये इन्तक़ाल किया जा सकता है। एक हिन्दू पिताने एक संयुक्त जायदादको, जिसके द्वारा थोड़ी सी आमदनी थी और जो कि खान्दानकी आवश्यकताके लिये काफ़ी न थी, बेचा और बिक्रीकी रक़ममें से उतनी रकम जो खान्दानी

फ़ायदेके लिये ज़रूरी थी व्यापारमें लगाया। व्यवसाय ऐसा न था, जिसमें भाग्यपरही भरोसा करना हो, किन्तु अन्तमें वह असफल रहा।

तय हुआ कि पीछे की नाकामयावी इस बातका जरिया नहीं है जिसके द्वारा यह निश्चय किया जा सके कि आया वह व्यवसाय चतुरता पूर्ण व्यवसाय न था जिसेकि खान्दानके मेनेजर या पिताने,जिसेकि खास तौरपर खानदानके फायदेके लिये व्यवसाय करनेका अधिकार है किया था। जगमोहन बनाम प्रयाग अहीर 23 A L J 209, 87 I C 27, 47 All 452 A I R 1925 All 618.

जब कोई नाबालिग किसी हिन्दू मुश्तरका खान्दानका सदस्य हो और उस अवस्थामें किसी पूर्वजोंके व्यवसायका हिस्सेदार हो, तो खान्दानका मेनेजर, नाबालिगकी तरफसे उसे व्यवसायको तब तक शुरू रख सकता है, जब तक कि वह खान्दानके लिये फायदेमन्द हो। नाबालिगोंपर, मैनेजरके उन कामोंकी पाबन्दी होगी जो कि उस व्यवसायके करनेमें आवश्यकतानुसार आयेंगे। पूर्वजोंका व्यवसाय भी, दूसरी हिन्दू जायदादकी तरह, मुश्तरका खान्दानके सदस्योंको उत्तराधिकारसे प्राप्त होता है और इस प्रकारका खानदान मेनेजर द्वारा, किसी अन्य व्यक्तिके साथ साझीदार हो सकता है। खानदानी व्यवसायके चलानेका अधिकार जो कि मेनेजरको होता है इस अधिकार को भी रखता है कि वह व्यवसायके साधारण बातोंमें खान्दानी जिम्मेदारी और साखसे काम ले। यद्यपि नाबालिगके सम्बन्धमें, हिन्दूलॉ के अनुसार इस प्रकारका अधिकार बहुतही परिमित और व्याख्या सहित है और मेनेजर उसे केवल वैसीही अवस्थामें, जो कि खान्दानके लिये फायदेमन्द हो काममें ला सकता है। जबकि कोई व्यवसाय, जैसेकि क़र्ज देना, जो कि मुश्तरका खानदानके फायदेके लिये किया जाता है उस सूरतमें प्रबन्धक सदस्यको लामहाला मुआहिदा करने, रसीद देने, और वसूलयाबीके सम्बन्धमें समझौता करने या वसूल करने आदिके साधारण और इत्तिफाकिया अधिकार देने पड़ते हैं। बिना इस प्रकारके आम अधिकारोंके व्यवसायका चलाना असम्भव है। जब कि किसी खान्दानका व्यवसाय ग़ैर मनकूला जायदादोंके सम्बन्धमें क्रय-विक्रय करना होता है तो ऐसे व्यवसायके सम्बन्धमें निस्सन्देह किसी जायदादके बेचनेका जो कि बेचनेके लिये ही खरीदी गई है उस व्यवसायको चलानेके लिये अधिकार देना पड़ता है। उस सूरतमें भी जबकि खान्दानका आम व्यवसाय जायदाद सम्बन्धी क्रय-विक्रय न हो बल्कि रेहननामोंपर क़र्ज देना हो, तब भी खान्दानको हानिसे बचानेके लिये अपने रुपयेकी अदाईमें जायदाद खरीदनी पड़ती है इस अवस्थामें भी यह एक संयोगिक कार्य हो जाता है कि मैनेजर उचित समयपर उस जायदादको बेंचे और उससे अपनी रक़म वसूल करे। मेनेजर द्वारा किसी खान्दानकी जायदादका इन्तकाल, उसी सूरतमें

न्यायपूर्ण है जब उससे ख़ान्दानका स्पष्ट फ़ायदा हो, किन्तु किसी फ़ायदेमन्द व्यवसायका आरम्भ करना मैनेजर द्वारा इन्तक़ालके लिये न्यायपूर्ण कारण न होगा, चाहे वह व्यवसायिक ख़ान्दान हो या न हो। 1 B. H. C. App.51; 34 Com. 72; 33 All. 272 (P. C.); 6 M. I. A. 393 (P.C), 20 C. W. O. 645, 20 W. R. 38, 3 N. W. P. H. C. 4, 32 Bom. 577; 28 C. L J. 250; (1912) M. W. N. 167; (1918) M W. N 892, 12 A. L. J. 641, 42 All. 559, 39 C. L J. 256 (P. C.) and 39 All. 437 (P. C.) Disc (Rupchand Bilaram A J C) लक्ष्मीचन्द बनाम खुशालदास 18 S. L. R. 230; 88 I. C. 116; A.I. R. 1925 Sind 330.

दफा ४५ मैनेजरके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल किया जाना

हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानके मैनेजरको अधिकार है कि मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादको वह रेहन रख सकता है, और बेंच सकता है इस इन्तक़ालसे बालिग़ और नाबालिग़ दोनों कोपार्सनरोंका लाभ और उनकी जायदाद पाबंद होगी मगर शर्त यह है कि—

(१) अगर कोपार्सनर बालिग़ हैं तो रेहन या विक्रीके समय उनकी मंजूरी होना ज़रूरी है चाहे वह मंजूरी प्रत्यक्ष लीगई हो या प्रकारांतरसे ली गई हो, देखो मिलर बनाम रङ्गनाथ 12 Cal. 389, गरीबउल्ला बनाम खलक़ सिंह 25 All 407, 415; 30 I. A 165, 169.

(२) अगर कोपार्सनर नाबालिग़ हैं तो रेहन या विक्री उस समय ठीक मानी जायगी जब वह रुपया ख़ान्दानके व्यापार या ख़ानदानकी क़ानूनी ज़रूरतों (दफा ४३०)के लिये लिया गया हो ऐसी सूरतमें नाबालिग़ कोपार्सनर की मुश्तरका जायदाद पाबंद होगी, देखो-हनूमान प्रसाद बनाम मुसम्मात बबुई 6 M. I. A 393, 21 W. R. 196; 21 All 71, 80, 25 I. A 183.

ख़ानदानकी ज़रूरतोंके लिये जब मैनेजर मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल करे और उसने बालिग़ कोपार्सनरोंकी रज़ामन्दी न ली हो तो भी उनकी रज़ामन्दी उस समय समझी जायगी जब कि ख़ानदानी ज़रूरत बहुत सख़्त हो और मैनेजरको जायदादके इन्तक़ालके समय उन कोपार्सनरोंकी मंजूरी हासिल करनेका सुभीता और समय न हो, देखो—छोटीराम बनाम नरायनदास 11 Bom. 605, 12 Cal 389, 399, 29 Cal. 797.

जबकि मुश्तरका ख़ानदानके व्यापारके क़रज़े अदा करनेके लिये जायदादका इन्तकाल किया गया हो तो उसमें भी कोपार्सनरोंकी रज़ामन्दी समझी जायगी जैसाकि ऊपर कहा गया है, देखो—श्यामसुंदर बनाम अचन कुंवर 21

All 71, 83, 25 I. A. 183, विमोला बनाम मोहन 5 Cal. 792, छोटेराम बनाम नरायनदास 11 Bom 605.

साझेदार द्वारा जब इन्तकाल किया जाय, तो यह आवश्यक है कि बालिग साझेदारकी स्वीकृति ली जाय और वह मामलेमें उपस्थिति हो। भगवानदास बनाम अल्लन खां A I R 1925 All 28

इन्तक़ाल वली द्वारा—जब किसी नाबालिगकी माता और वलीने किसी जायदादका इन्तक़ाल किसी ऐसे तात्पर्यके लिये किया हो जो नतो क़ानूनी आवश्यकता हो, और न किसी ख़ानदानी फायदेके लिये हो, और नाबालिग की जायदादका भावी वारिस उस जायदादको प्राप्त करनेके लिये नालिश करे, तो वह विना किसी प्रकारका मावज़ा चुकाये हुये उस जायदादको प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके और उस व्यक्तिके बीच, जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है कोई हक़ वा दावाही नहीं पैदा होता। बपेना सीतय्या बनाम पी० रामस्वामी 22 L W 476, (1925) M W N 587, A. I R 1925 Mad. 1288

संयुक्त हिन्दू परिवारके मैनेजर द्वारा बयनामा न सिर्फ उन हालतोंमें जायज़ होगा, जिनमें कि बयनामेका तात्पर्य जायदादको किसी भारसे मुक्त करना हो या किसी खतरेसे बचाना हो बल्कि उन हालतोंमें भी जायज़ होगा, जिनमें कि खान्दानी फायदा पहुंचाना हो। इस बातका निश्चय करना कि ख़ान्दानी फायदा क्या है प्रत्येक अवस्थाकी परिस्थितिपर निर्भर है, 40 M 709 & 6 M I A 393 (P C) Rel on

वह बयनामा जो कि जायदादके किसी भविष्य या सिलसिलेवार नुक़सानके दूर करनेके लिये किया जाय, जायज है। सूरजनारायण बनाम गुरुचरनप्रसाद 2 O W N 904, A I R 1925 Oudh. 743

जबकि किसी संयुक्त ख़ान्दानके कर्ता द्वारा, एक लिमिटेड कम्पनीके, जिसकाकि कर्ता सदस्य था, ओवरड्राफ्ट (Over draft) हासिल करनेके लिये, ख़ान्दानकी जायदाद रेहन कीगई, और साथही साथ ख़ान्दानके बालिग सदस्य रेहननामेके सम्बन्धमें परिचित थे और रक़म ख़ान्दानी व्यवसायमें लगाई गई।

तय हुआ, कि रेहननामेकी नालिशमें एक रिसीवर नियत किया जा सकता है। रामकुमार बनाम चार्टर्ड बैंक आफ इन्डिया 41 C L. J 203, 87 I. C 375, A I R 1925 Cal 664

संयुक्त ख़ान्दान या मुश्तरका ख़ान्दान—मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर कर्ज़ाजात—बारू बनाम बल्ला A I R 1925 Lah. 141.

मेनेजर द्वारा किये हुये किसी मुश्तरका खान्दानके इन्तक़ालमें दूसरे सदस्योंकी रज़ामन्दी केवल एक किसी आवश्यकताकी शहादत है इस सूरत में उनके खिलाफ़ इस्टोपलका प्रयोग किया जा सकता है, मु० कालका देवी बनाम गङ्गाबक्ससिंह 12 O L. J. 306, 88 I. C. 127, A I R 1925 Oudh 435.

'इस्टापुल' के लिये देखो दसवां प्रकरण। इसका मूल अर्थ है कि 'हक़ बन्द होगया'।

मेनेजर—किसी खान्दानका ऐसा मेनेजर भी, जो खिलाफ मुश्तहक़ बाक़ई क़ाबिज़ है क़ानूनी आवश्यकताके लिये खान्दानी जायदादका इन्तक़ाल कर सकता है। बालिग़ सदस्योंकी रज़ामन्दीकी आवश्यकता नहीं है बल्कि वह क़ानूनी आवश्यकताके कारण मानली जाती है।

ऐसे तमाम वाक़यातोंमें उसको जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है, क़ानूनी आवश्यकता साबित करनी होती है। वह इसे या तो बतौर वाकये के साबित कर सकता है या यह कह सकता है कि उसने इस बातके इतमीनान करनेके लिये कि क़ानूनी आवश्यकता वर्तमान थी ईमानदारके साथ सब मान्य तरीक़ोंसे अमल किया है. नारायणदास बनाम कामतामल 88 I.C 916.

पैतृक जायदादके बेचनेके लिये, यह मान्य कारण नहीं है कि वह जायदाद बहुत दूर पर थी या ऐसी आबो हवा में वाक़ै थी जहां मलेरियाका प्रकोप रहता है। जबकि जायदादके बेचनेकी कोई मजबूरी न थी और जायदादके निकल जानेका कोई खतरा न था, किन्तु उस जायदादकी बिक्रीकी रकम खान्दानकी लागतमें लगाई गई, तो वह इन्तक़ाल बहाल रखा गया, भागवत बनाम आनन्दराव 86 I C 515, A I. R. 1925 Nag 302.

मुश्तरका खान्दान—इन्तक़ाल—चचा बतौर मेनेजर—अधिकारकी सीमा, मु० रमेशर बनाम कल्पोराम 84 I C. 84, A.I R 1929 All 538.

न ज्यादा न कम जायदादका इन्तकाल करना—किसी खान्दानके मेनेजरके लिये यह सम्भव नहीं है कि वह ठीक उतनीही रक़मका इन्तकाल करे, जितनीकि क़ानूनी आवश्यकता हो, किन्तु फिर भी यह उचित नहीं है कि वह आवश्यकतासे बहुत अधिकका इन्तकाल करे। एक ४००) रु० के इन्तक़ालमें ८०) क़ानूनी आवश्यकताके बाहर समझे गये। यह रकम इतनी कम न समझी गई कि उसके बाबत कुछ ख्याल न किया जाय। क्रमशः दस्तावेज़ मंसूख कर दिया गया और मुद्दईको ३२०) दिलाये गये। मातादीन तिवारी बनाम सूरजबलीसिंह 83 I C 32, A. I. R. 1923 All 522

क़ाबिज़ मेनेजर—उसके द्वारा संयुक्त परिवारकी जायदादका बयनामा यदि दूसरे सदस्योंके अधिकार भी, उस बयनामेके अनुसार समाप्त हो जाते

हैं—ऐसे मामलोंमें उचित कल्पना—मुलगू चेंगप्पा बनाम देव सनम्वा गारू 23 L W 390, (1926) M W N 289, 92 I. C 720, A I R 1926 Mad 406, 50 M L J 145

मेनेजर द्वारा रेहननामा—हिन्दू मुश्तरका खान्दानके मेनेजरको उस सूरतमें जबकि क़ानूनी आवश्यकताकी शहादत न हो, किसी ऐसे इक़रारनामे के करनेमें न्यायानुकूल न होगा, जिसके द्वारा किसी रेहननामेका इनफिक़ाक़ ४० वर्षके लिये हट जाता हो। कानिन फिज़ा वीबी बनाम दातादीन 2 O W. N 650, 90 I C 184; A I R 1925 Oudh 678.

संयुक्त परिवार—मेनेजर—उसके द्वारा पारिवारिक जायदादका रेहन किया जाना—उस जायदादका ब्योरा, जिसका मालिक बिलकुल वही है-प्रभाव उन्ना मालप्पा अम्मल बनाम अभय चेट्टी 23 L W 168, 92 I C 524, 50 M L J 172

क़र्जमें सूदकी दर—किसी हिन्दू खान्दानके मैनेजरको, चाहे वह पिता हो या न हो, यह क़ानूनन् अधिकार नहीं है कि वह क़र्ज़ सूदकी ऊची दर पर ले, जब तककि इस बातकी आवश्यकता न हो कि उस प्रकारकी दरपर क़र्ज लिया जाय, और यदि सूदकी दर अधिक हो तो यह महाजनकी जिम्मेदारी होगी कि वह इस बातको साबित करे कि उस ऊंची दरपर क़र्ज लेने की ज़रूरत थी। किसी अदालतको बिना शहादत इस बातके मान लेनेका अधिकार नहीं है कि अमुक सूदकी दर सख़्त या ऊंची है और वेजो मामलेका विरोध करते हों प्रमाणित करें कि वादुलनजरीमें सूदकी दर परिस्थितिके अनुसार ऊंची थी। किसी किसी सूरतमें यह हो सकता है कि असली सूद की दर वादुलनजरीमें इस क़दर अधिक हो कि उसका सबूत अनावश्यक समझा जावे और महाजन यह समझ ले कि उसका यह कर्तव्य है कि वह उसकी आवश्यकता प्रमाणित करे। अन्य सूरतमें यह भी हो सकता है कि सूद की दर ऊंची तो हो, किन्तु इस क़दर ऊंची न हो कि महाजन स्वयं इस बात को सिद्ध समझ ले कि उसे उसकी आवश्यकता प्रमाणित करनी होगी, चाहे अदालतने उसे ऐसा करनेका हुक्म भी न दिया हो। इस प्रकारकी नालिशमें वह सही तरीक़ेपर दण्डित नहीं किया जा सकता यदि उसने उसे स्पष्ट न किया हो। जब अदालत तनक़ीह महाजनको उसकी व्याख्याके लिये बुलाना आवश्यक न समझे और किसी फैसलेकी वजेहसे भी यह पता न लगे कि उसके लिये उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है तो अदालत अपील, बिना उसको उसके स्पष्ट करनेका अवसर दिये हस्तक्षेप न करेगी, यदि सूदकी दर इतनी ऊंची न होगी कि किसी भी परिस्थितिमें वह नाजायज़ समझी जा सके।

एक रेहननामेकी तामीलके सम्बन्धमें नालिशथी। रेहननामा ६मई सन १६०१ई० को मुद्दाअलेह नं० १ द्वारा जो मुद्दाअलेह न०२सेद तक संयुक्त पिता

और संयुक्त खान्दानका मेनेजर था लिखा गया था। दस्तावेज़ ११००) का था और सूद की शर्त १२½ फी सदी चक्रविधि की थी। रेहननामेकी रक़म में कुछ भी अदा न किया गया और नालिशकी तारीख़पर इसकी रक़म एक लाख सात हज़ार और कुछ हुई। यह या तो स्वीकारकर लिया गया या विदित हुआ कि पिता क़ानूनी जरूरतोंके लिये रकमकी बहुतही ज्यादा ज़रूरतमें था और उसको इससे कम सूदपर क़र्ज़ न मिल सका था। नाजायज़ दबावकी कोई बात साबित न हुई थी। इस प्रकारकी भी कोई बात न थी कि मुर्तहिनने जान बूझकर राहिनपर रक़म लद जानेके लिये रक़म पड़ी रहने दिया था बल्कि इसके विरुद्ध इस बातका प्रमाण था कि मुर्तहिनने तेजीके साथ बढ़ती हुई रकम की इत्तला राहिनको कई बार दी थी और उसे उसके चुकानेकी चेतावनी दी थी। ताहम नीचेकी अदालतने सूदकी दर इतनी कम करदी कि मुद्दालेहके ऊपर कुल रक़म मय सूद४५०००)रु०हुआ जिसके कारण पुत्रोंकी गाढ़ी कमाई अपने पिता की अदूरदर्शिताके कारण, जिसने सूद न चुकाया था और जिसकी वजहसे उनको सूदपर सूद देना पड़ रहा था सबकी सब चली जाती थी।

तय हुआ कि नीचेकी अदालतने रेहननामेके सूदकी दर कम करनेमें, उस हालतमें भी जब वह पुत्रोंके खिलाफ थी, गलती की है। क़र्ज़ और सूद की दर स्वीकार किये जानेपर या आवश्यक मालूम होनेपर, पिता क़ानूनके मुताबिक उस रक़मके ऊपर क़र्ज़ लेनेमें न्यायानुकूल था और बादको मामलेके सम्बन्धमें यह विचार कि आया वह न्यायानुकूल था या नहीं असम्बन्ध है। क्रथिवेन्ती पेराजू बनाम सीता रामचन्द्र राजू 22 L W. 568, 90 I. C. 458; A I. R. 1925 Mad 897: 48 M. L J. 584.

जब यह स्पष्ट प्रमाणित हो गया हो कि जायदाद संयुक्त पारिवारिक जायदाद है और रेहननामा उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके सम्बन्धमें यह साबित हो चुका है कि वह खान्दानका मैनेजर है, तो दस्तावेज़में इस प्रकारकी तहरीर कि उसने उस दस्तावेज़को अपने व्यक्तिगत अधिकारकी हद तक लिखा है, दस्तावेज़की असिलियतमें कोई अन्तर नहीं डालती; और उससे जो स्वाभाविक परिणाम निकाला जाता है, वह यही होता है कि मुद्दाअलेहके खिलाफ वहैसियत मेनेजरके नालिश कीगई है। यह आवश्यक नहीं है कि मुद्दई यह साफ़ साफ़ बताये कि वह मेनेजरके खिलाफ़ नालिश कर रहा है या यहकि मुद्दाअलेहके खिलाफ वहैसियत मेनेजरके नालिशकी जारही है। पृथ्वीपालसिंह बनाम रामेश्वर A. I R. 1927 Oudh 27.

वली द्वारा इन्तक़ाल—किसी नाबालिग़के वली द्वारा किये हुये इन्तक़ालकी पाबन्दी उसकी रियासतपर तभी होगी, जबकि यह साबित होगा, कि वह रियासतके फ़ायदेके लिये है। कृषि सम्बन्धी खान्दानके विषयमें वली द्वारा सीरका लेना नाबालिग़की रियासतके फ़ायदेके लिये समझा जायगा।

जब कि वलीने १२ फी सदी चक्रविधि ब्याज देना स्वीकार किया था, उस अवस्थामें अदालतने उसे घटाकर ६ फीसदी रक्खा था, चन्द्रिकाप्रसाद बनाम रामसागर 12 O L J 565, 2 O W N 425, 89 I C 567, A I R 1925 Oudh 459

मेनेजर द्वारा इन्तक़ाल कब लाजिमी है—सुवासिनीदासी बनाम हाबू घोष A. I R 1926 Cal 247

इन्तक़ाल—आवश्यकता—सुबूत—जोगेशचन्द्र घोष बनाम चपला सुन्दरी बसु A I R 1926 Cal 383

महाजनोंके सम्बन्धमें यह आवश्यक नहीं है कि वे कोई अन्यही व्यक्ति हों—मैनेजर द्वारा अपने हिस्सेका अपने व्यक्तिगत ऋणके लिये रेहननामाकी पावन्दी कहा तक है—मेनेजरका इन्तकालका अधिकार—जैनारायण बनाम महावीरप्रसाद 3 O W N Sup 23

मुश्तरका खान्दानके जायज रेहननामोंकी अदाईमें किये हुये बयनामों की पावन्दी हिस्सेदारोंपर है, लालबहादुर बनाम अम्बिकाप्रसाद 23 L W 220, 91 I C 471, 28 O C 371, 12 O L J 649, 30 C W N 701; A I R 1925 P C 264(P C)

इन्तक़ाल वली द्वारा—आवश्यकता या लाभ नहीं साबित हुआ—भावी वारिसोंको जायदादकी वापसीमें मुन्तक़िलअलेहको मावज़ेके अदा करनेकी आवश्यकता नहीं है—वेपन्ना सीतय्या बनाम रामस्वामी 91 I C. 758 A I R 1925 Mad 1288

एक डिकरीदारको, जिसे केवल एक अविभक्त पुत्रके विरुद्ध डिक्री प्राप्त है, अपनी डिकरीकी तामीलमें, पुत्रके पिताकी उस जायदादको, जो पिताके क़ब्ज़े में हो, तभी कुर्क करनेका अधिकार है जब पुत्रको पिताके योवन कालमें ही उसके बटवारेका अधिकार प्राप्त हो पञ्जाबमें हिन्दूलॉ का यह आम क़ायदा है कि पुत्र ऐसा बटवारा नहीं करा सकता, गहरूराम बनाम ताराचन्द A I R 1926 Lah 85

उदाहरण—उपरोक्त छोटेराम वाले मुक़द्दमेके वाक़ियात यह थे—'महेश' और रमेश दोनों सगे भाई मुश्तरका ख़ान्दानमें रहते हैं, महेश परदेश चला गया, रमेशके सिपुर्द ख़ान्दानका व्यापार और प्रबन्ध था, महेशकी ग़ैरहाज़िरी में और उसकी रजामन्दीके बिना ख़ान्दानके कारोबारके लिये और अपनी बहिनके बिवाहके ख़र्चके लिये रमेशने मुश्तरका जायदादका एक मकान बेंच डाला क्योंकि यह बेंचना क़ानूनन् जायज़ था इसलिये महेशके ऊपर यह विक्री लागू पड़ेगी अर्थात् महेश उस बयनामाका पावन्द होगा। यह समझा जायगा कि महेश भी यही चाहता था कि रमेश मेनेजरकी हैसियतसे ख़ान्दानकी

ज़रूरतोंके लिये जो मुनासिब समझे करे, रामलाल बनाम लखमीचन्द 1 Bom H C Appl के मुक़द्दमेमें बम्बई हाईकोर्टने कहा कि मेनेजरके मुश्तरका खान्दानी व्यापार चलानेके अधिकारमें, व्यापारके साधारण कामों के लिये मुश्तरका खान्दानकी जायदादको रेहन करनेका अधिकार भी अवश्य बिना दिये हुये भी माना जायगा, श्यामसुन्दर बनाम अछनकुंवर 21 All. 71 वाले मुक़द्दमेमें प्रिवी कौन्सिलने कहा कि—मुश्तरका खान्दानके व्यापार के मेनेजरने, घरके दूसरे मेम्बरोंकी रज़ामन्दी न लेकर खासकर जब उस खान्दानमें नाबालिग़ मेम्बर भी हैं कोई जायदाद रेहन रखी हो तो उसका यह रेहन रखना जायज़ था या नहीं इस बातके जांचनेके लिये केवल यह जानना चाहिये कि वह मुश्तरका जायदादके क़रज़ चुकानेके लिये रेहन रखी गयी थी या नहीं ? जायदादके इन्तकालके समय जो बालिग़ कोपार्सनर मौजूद हों उनकी रजामन्दी लेना परमावश्यक है मगर उन बालिग़ कोपार्सनरोंकी रजामन्दी लेना इतना आवश्यक नहीं है जो परदेश चले गये हों।

जबकि खान्दानकी ज़रूरतोंके लिये इन्तक़ाल न किया गया हो तो कोई कोपार्सनर उस इन्तक़ालका पावन्द नहीं होगा, देखो—35 Mad. 177.

अगर रेहननामा या बैनामा या किसी इन्तक़ालके काग़ज़पर बालिग कोपार्सनरोंने दस्तखत कर दिये हों तो वह उनकी मंजूरी समझी जायगी; देखो—गङ्गाबाई बनाम बामनाजी 2 Bom. H. C. 30, 35 Mad 177. जब कि खान्दानकी ज़रूरत काफी न हो और न बालिग कोपार्सनरोंकी रजामन्दी हो तो मेनेजर मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकता।

दफा ४६ मुश्तरका खान्दानकी क़ानूनी ज़रूरतें

(मुश्तरका खानदानकी क़ानूनी ज़रूरतें यह होती हैं)

(क) (१) सरकारी मालगुज़ारी देना, और मुश्तरका खान्दानकी जायदादके ऊपर जो क़रज़े देने हों उनको अदा करना, देखो—25 All 407, 414-415; 30 I. A. 165; नाथू बनाम कुन्दन 33 All 242, 29 Cal 797

जबकि मालगुजारीका तक़ाज़ा छाती पर चढ़ा हुआ था यहां तककि जिस दिन रेहननामा किया गया, उस दिन स्थावर सम्पत्ति पर कुर्की जारी करदी गई थी।

तय हुआ कि रेहननामा क़ानूनी आवश्यकताके लिये था। सागरसिंह बनाम मथुराप्रसाद 87 I C 1035; A. I R. 1925 Oudh 750.

(२) कोपार्सनरों और उनके बाल बच्चोंका भरण पोषण करना, देखो मकुन्दी बनाम सरवसुख 6 All. 417, 421.

(३) मर्द कोपार्सेनरोंके विवाहके खर्च और उनके लड़कोंके भी, देखो सुन्दराबाई बनाम शिवनरायन 32 Bom 81, भागीरथी बनाम जोखू 32 All.575; गोपाल कृष्णनम् वनाम वेंकटरासा (1914) 37 Mad 273; 27 Mad 206; 34 Mad 422

(४) कोपार्सेनरोंकी लड़कियोंके विवाहके खर्च, देखो—11 Bom 605, 23 Mad 512, 26 Mad 497; 35 Mad. 728, 36 All 158.

बहिनकी शादीके लिये—किसी नाबालिगके वली द्वारा उसकी बहिन की शादीके खर्चके लिये किये हुये इन्तक़ालकी पाबन्दी ख़ान्दानपर होती है और नाबालिग भी बालिग होनेपर, उसका विरोध नहीं कर सकता, देदारसिंह बनाम बंसी 85 I. C 741; A I. R. 1925 Lah 520

(५) अंतेष्टी क्रियाके खर्चे और ख़ानदानके अन्य मजहबी खर्च; देखो नाथूराम बनाम सोमाछगन 14 Bom 562 लालागनपति बनाम टूरन 16 W R 52.

(६) जायदादको फिर प्राप्त करने या उसके बचानेके लिये ज़रूरी मुक़द्दमोंका खर्च देखो—मिलर बनाम रंगनाथ 12 Cal 389

(७) मुश्तरका ख़ानदानके मुखियाको किसी संगीन फौजदारी मुक़द्दमेंसे बचानेका खर्च, देखो—बेनीराम बनाम रामसिंह 1912 34 All 4-8.

रिवाज—(पञ्जाब)—पूर्वजोंके क़र्जेका अदा करना जायज़ आवश्यकता है। चेतसिंह बनाम तारलोचन 1927 A I R Lahor 53

आवश्यकता—हिन्दूलॉ के कर्ता इस बातको स्वतन्त्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, कि हिन्दू स्त्रीको आवश्यकताकी दशामें ख़ान्दानकी ओरसे क़र्ज़ लेनेका अधिकार है। देखो नारद विष्णु मनु और याज्ञवल्क्य जैमिन (Mayne) पृ० ४५२ में उद्धृत है।

उस अवस्थामें जबकि पुरुष क़र्ज़ लेता है और उसमे जबकि स्त्री क़र्ज़ लेती है जो अन्तर है वह खास तौरपर उस सबूतके देनेमें है जो दोनों अवस्थाओंमें इस प्रमाणमें देना होता है कि क़र्ज़ लेने वालेको क़र्ज लेनेका अधिकार है और शायद उन चन्द कल्पनाओंमें है जो कि चन्द सूरतोंमें की जा सकती हैं। वीरप्पा बनाम नूरखा सेठ 3 Mys L J. 54.

अनिश्चित लाभके लिये इन्तक़ाल—किसी हिन्दू ख़ान्दानका मेम्बर किसी भाग्याधीन (Speculator) व्यवसायके लिये इन्तक़ाल नहीं कर सकता। उस व्यक्तिको, जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है, हर हालतमें क़ानूनी ज़रूरत या ख़ान्दानी फायदा साबित करना चाहिये। फायदेके प्रश्नके फैसले

के लिए यह देखा जायगा, कि वह व्यवसाय कैसा था, उसका फैसला उसके परिणामपर न होगा, रणचन्द्रसिंह बनाम जङ्गबहादुरसिंह 90 I. C. 553

पिता द्वारा किये हुए, संयुक्त हिन्दू ख़ान्दानकी जायदादके रेहननामेमें केवल दस्तावेज़के द्वारा क़ानूनी आवश्यकताका प्रदर्शन काफ़ी नहीं है। दस्तावेज़ शहादतमें पेश किया जा सकता है, किन्तु महज़ उसका सुबूत क़ानूनी आवश्यकताके साबित करनेके लिये काफ़ी सुबूत नहीं है। राजवन्त बनाम रामेश्वर 12 O. L. J. 235, 2 O W. N. 225, 87 I. C. 180, A. I R. 1925 Oudh 440.

आवश्यकता—सिलसिलेवार हानिको रोकना—आवश्यकता है-सूरजनारायन बनाम गुरुचरनप्रसाद 91 I C. 495, A I R. 1928 Oudh 743.

किसी मिले हुये हिस्सेकी ख़रीदारी और उसके लिये रेहननामा ख़ानदानपर लाज़िमी है, बेनीमाधोसिंह बनाम चन्द्रप्रसादसिंह 6 P. L J 233, 83 I. C. 603; A. I R. 1925 Patna 189.

ख़ान्दानी जायदादका बयनामा, जो भावी और सिलसिलेवार नुकसान के दूर करनेकी ग़रज़से किया गया हो, एक ऐसा बयनामा है जो ख़ान्दानी जायदादके फ़ायदेके लिये किया गया है और उसकी पाबन्दी है।

'आवश्यकता' और 'ख़ान्दानी फायदा' एक दूसरेके विरुद्ध नहीं है। किस चीज़से 'ख़ान्दानी फ़ायदा' है, यह हर सूरतमें परिस्थितिके लिहाज़से अलाहिदा अलाहिदा होता है, सूरजनारायन बनाम गुरचरन प्रसाद 20 W. N 904, A I R. 1925 Oudh 743.

पिता द्वारा हक़सफ़ाके लिए ग़ैर ज़मानती कर्ज़का लिया जाना क़ानूनी आवश्यकता होती है—विश्वनाथराय बनाम जोधीराय A I. R 1925 Nag. 160 (2).

'आवश्यकता'—किसी हिन्दू संयुक्त परिवारके मैनेजर द्वारा इन्तक़ाल के जायज़ होनेके सुबूतमें यह आवश्यक है कि पारिवारिक आवश्यकता या लाभ प्रमाणित किया जाय। वाक्य 'आवश्यकता' के अर्थमें सख़्ती न की जानी चाहिये। जबकि मैनेजरने किसी घरको, कम क़ीमतपर इस ग़रज़से ख़रीदा, कि वह उसे ऊंची क़ीमतपर बेंचकर, उन क़र्ज़ोंको, जो ऊंचे सूदपर हैं, अदा करेगा, और जबकि उन क़र्ज़ोंके अदा करनेके लिये कोई अन्य सूरत न थी, इस अवस्थामें यह ख़रीद पारिवारिक लाभके लिये समझी जायगी और उसकी बिनापर हुए क़र्ज़की पाबन्दी परिवारपर होगी। रवीलाल बनाम रघुनाथ मूलजी 92 I. C. 378

क़ानूनी आवश्यकता—वह कार्य, जिसके लिये, 'क़ानूनी आवश्यकता या 'ख़ान्दानी फायदा' समझा जा सकता है, अवश्य ऐसा होना चाहिये, जो

उस जायदादकी रक्षाके लिये हो, अर्थात् कोई ऐसा काम, जो उस जायदादकी रक्षाके लिए करना हो, जो पहिलेहीसे क़ब्जेमें हो, किन्तु वह ऐसा काम न हो जिसके द्वारा कोई नवीन जायदाद क़ब्जेमें लाई जानी हो और जोकि उन मौक़ों लिहाजसे, जो अदालती कार्य्यवाहीमें आवश्यक होते हैं कामयाव हो या न हो। शङ्करसाही वनाम रैचू राम 23 A L J 204, L R 6 All. 214, 47 A 381; 86 I. C 769, A I R 1925 All 333

किसी सदस्य द्वारा रेहननामा—सूदकी दरके लिये भी क़ानूनी आवश्यकताका सुबूत दिया जाना चाहिये, वखतावरसिंह बनाम वखतावरसिंह A. I R. 1925 Oudh. 235

आया वह मां जिसने अपने पुत्रकी जायदाद, वरासतसे प्राप्त किया हो, अपने पतिके सम्बन्धी की शादी करनेके लिये जायदाद रेहन करनेकी अधिकारिणी है—क़ानूनी आवश्यकता देखो हिन्दूलॉ स्त्री वारिसोंकी वरासत 1925 P. H C C 271.

दस्तावेजमें वर्णन किया जाना सबूत नहीं है—मु० राजवन्ती बनाम रामेश्वर 28 O C 393, A I. R 1925 Oudh 440

एक मुश्तरका खान्दानके पिताने ५६६५) का एक बयनामा किया। यह ज्ञात हुआ कि उस रक़ममें से २५६॥≡) आवश्यक कार्यके लिये न थे और उसकी पावन्दी पुत्रपर नहीं है। पुत्रने दस्तावेज़ बयनामेके मंसूख़ करानेके लिये नालिश की।

तय हुआ कि डिक्रीकी मुनासिब शकल यह होगी, कि बयनामेकी स्वीकृति दी जाय, क्योंकि वह रक़म जो अनावश्यक बतायी गयी है, बहुतही कम है और खरीदारको, अब २५६॥≡) भी अदा करनेके लिये शेष नहीं है क्योंकि उसने वह रक़म पिताको अदा करदी है। लालबहादुरलाल बनाम कमलेश्वरनाथ 48 A 183, 24 A L. J. 52, A I R. 1925 All.624.

बेनीराम बनाम रामसिंह के मुक़द्दमेमें बाप ताज़ीरात हिन्द की दफा ४६७ और ४७१ के अनुसार सेशन सिपुर्द हुआ था इस मुक़द्दमेके खर्चके लिये बापने मुश्तरका खान्दान की जायदाद रेहन की थी। पीछे उसके एक लड़के ने इसपर आपत्ति की, अदालत ने माना कि लड़के, और पोतों की जायदाद भी उस खर्च की ज़िम्मेदार है, मुक़द्दमा खारिज कर दिया।

(ख) हिन्दू खान्दानकी मुश्तरका जायदाद के रेहन रखनेके विषयमें मेनेजरके अधिकार पर प्रिवीकौंसिलने, हनूमानप्रसाद बनाम मुसम्मात बबुई 6. M. I. A. 393; के मुक़द्दमे में विचार किया था। उस मुक़द्दमेमें सवाल यह था कि नाबालिग़ वारिस की माताका अधिकार बहैसियत मेनेजर या पत्नीके क्या है,

लेकिन उस मुक़द्दमेमें जो सिद्धान्त निश्चित हुये वह नीचे लिखे लोगोंसे भी लागू होते हैं।

(१) मुश्तरका खान्दानके उस मेनेजरसे जो नाबालिग़ कोपार्सनर की ओरसे काम कर रहा हो, देखो, सुरेन्द्रो बनाम नन्दन 21 W. R. 196.

(२) उन विधवाओं से और उन महदूद हक रखने वाले वारिसोंसे जिन्हें उत्तराधिकार में जायदाद मिली हो,

(३) धर्म खातेकी जायदादके मेनेजर से,

(४) पागलोंकी जायदाद के मेनेजर से—देखो, गौरीनाथ बनाम कलक्टर आफ मौनगिर 7 W R. 5, कांतीचन्द बनाम विश्वेश्वर 25 Cal 585

उक्त हनूमान प्रसाद वाले मुक़द्दमे में प्रिवीकौंसिल के जजोंने कहाकि नाबालिग़ की जायदादमें क़र्ज़ेका बोझ डालनेके लिये मेनेजरका अधिकार हिन्दू लॉ के अनुसार सीमाबद्धहै, सिर्फ ज़रूरत के वक्त या जायदादको लाभ पहुंचाने के लिये ही उस अधिकार का काममें लाया जाना उचित है अन्यथा नहीं। वह क़र्ज़ा ऐसी सूरतमें लिया गया हो कि अगर उसकी जगह पर दूसरा कोई भी विचारवान आदमी होता तो वह भी उस ज़रूरत के लिये क़र्ज़ा ज़रूर लेता। क़र्ज़ा सिर्फ जरूरतके लिये लिया गया हो, और अगर मेनेजरका इन्तज़ाम ख़राब है और क़रज़ा देने वालेने नेकनीयती से वह क़र्ज़ा दिया है तो वह क़र्ज़ा जायज़ होगा। क़र्ज़ेके बारेमें यह बातें ज्यादा ख़्याल की जायेंगी यानी क्या जायदाद किसी खास दबावमें आगई थी? क्या जायदादपरसे कोई बड़ा ख़तरा हटाया गया था? क्या ज़ायदादको कोई लाभ पहुंचाया गया था? अगर यह सब बातें उस करजे में पाई जाती हों या कोई भी पाई जाती हों तो क़र्ज़ा जायज़ माना जायेगा उक्त हनूमान प्रसाद का केस रेहनके बारेमें था मगर यही सब बातें बेंचने से भी लागू होती हैं, देखो मदन ठाकुर बनाम कन्टोलाल 14 Beng L R. 187, 199, 1 I. A. 321; 334, और यही बातें आम तौरसे कुल क़र्ज़ेसे लागू होंगी।

नोट—उत्तराधिकार के प्रकरण ९, १०में जो औरतोंकी क़ानूनी जरूरतें बताई गई हैं वह भी देखो दफा ६०२, ६७७.

दफा ४७ मुश्तरका खानदानकी ज़रूरतोंका बारसुबूत और ख़रीदारकी ज़िम्मेदारी

(१) जब किसी मुश्तरका हिन्दू ख़ान्दानका हिन्दू मेनेजर कोई जायदाद बेंचे या रेहन रखे तो ख़रीदने वाले या रेहन रखने वालेका यह कर्त्तव्य

है कि वह खानदानी ज़रूरतकी अच्छी तरह जांच करे जिस के लिये जायदाद वेंची या रेहन रखी जाती है। खरीदार या जिसके पास रेहन रखा गया हो उसे यह साबित करना होगा कि वास्तव में खानदानी जरूरत थी और जायज़ थी, या यहकि उसने अच्छी तरहसे सब उपायों द्वारा उचित जाचकर ली थी कि जरूरत है और जायज़ ज़रूरत है।

(२) अगर खरीदार या जिसके पास रेहन रखा गया हो वह यह साबित कर दे कि खान्दानी ज़रूरत थी, और जायज़ ज़रूरत थी, तो चाहे मेनेजर के खराब इन्तजाम ही से वह ज़रूरत पैदा हुई हो तो भी जायदाद का इन्तक़ाल (रेहन या बिक्री) जायज माना जायगा। लेकिन अगर उस बद इन्तज़ामी में खरीदार या जिसके पास रेहन रखा गया हो वह भी शरीक रहा हो तो इन्तकाल नाजायज़ माना जायगा।

(३) अगर खरीदार या जिसके पास रेहन रखा गया हो जायज़ ज़रूरत साबित न कर सके मगर यह साबित करदे कि उसने पूरी तौर पर और सब तरह से उस जरूरत की जांच करलीथी औरजो बातें उसके सामने आयीं थी अगर वह सच होतीं तो दर असल उसका यह समझना कि ज़रूरत जायज थी ज़रूर ठीक होता। उस सूरतमें जायदादका इन्तकाल जायज़ माना जायगा और अगर ऐसा साबित न हो सके तो इन्तकाल नाजायज़ माना जायगा देखो, सुरेन्द्र बनाम नन्दन 21 W R 196

(४) कोई भी खरीदार या जिसके पास रेहन रखा गया हो इस बात की जांच करने के लिये पाबन्द नहीं होगा कि जो रुपया उससे जायज ज़रूरत के लिये लिया गया है दरअसल उसीकाममें खर्च किया गया है या नहीं अगर खरीदार या जिसके पास रेहन रखा गया है खुद भी उस खानदानके इन्तज़ाम में शरीक हो तो उसे यह भी अदालत में साबित करना पड़ेगा कि दरअसल वह रुपया उसी काम में खर्च किया गया है जिस काम के लिये वह लिया गया था; देखो—हनूमान प्रसाद बनाम मुसम्मात बबुई 6 M I A 393, सुरेन्द्रो बनाम नन्दन 21 W R 196, बन्शीधर बनाम बिंदेश्वरी 10 M I. A 454, 471, दालीबाई बनाम गोपी बाई 26 Bom 433, कन्हैय्यालाल बनाम मुन्नाबीबी 20 All 135, मदन ठाकुर बनाम कन्तूलाल 14 Beng. L R 187, 199, 1 I A 321

(५) मुश्तरका खानदान के व्यापार या कारोबार के मेनेजर ने जो क़र्ज़ खानदान के फर्मके नाम से लिया हो उससे भी पूर्वोक्त क़ायदे लागू होंगे या नहीं होंगे इस विषय में मत भेद है। देखो—बैनामा में अगर खानदानी फर्मकी ज़रूरत लिखी हो तो ऐसा लिखा जाना इस बातका कतई सुबूत नहीं होगा कि दर असल जरूरत थी, जब तक कि वह ज़रूरत दूसरे

गवाहों या दूसरी तरह से साबित न की जाय। राजलक्ष्मी देवी बनाम गोकुलचन्द 3 Beng. L R.(P C.)57; 13 M. I A 209, लाला ब्रजलाल बनाम इन्दुकुंवर 16 Bom L. R. 352, (P. C.) इसी तरह से अगर बैनामामें ज़रूरत नहीं लिखी हो तो इस बातका सुबूत भी नहीं होगा कि दर असल ज़रूरत नहीं थी। यह बात दूसरी तरहसे और दूसरे गवाहोंसे साबित की जा सकती है, उमेशचन्द्र बनाम दिगंबर 3 W. R. 154.

क़ानूनी आवश्यकता—इस बातके निश्चय करनेके लिये, कि क्या ख़ान्दानी फ़ायदा है और क्या ख़ान्दानी फायदा नहीं है कोई परिमित और निश्चित नियम नहीं है। किसी एक सूरतमें जो बात ख़ान्दानी फ़ायदा समझी जा सकती है वह दूसरी सूरतमें वैसीही नहीं रहती। इस प्रश्न का उत्तर कि अमुक क़र्ज जायदादके फ़ायदेकी मद्दमें आता है या नहीं, किसी विशेष सूरतकी तमाम परिस्थितियोंपर निर्भर है। 40 Mad. 709 full. उस सूरतमें जबकि माताने बहैसियत वलीके अपने नाबालिग पुत्रके, ख़ान्दानी जायदादको सीरकी ज़मीनपर काश्तकारी करनेके लिये जो कुछ दिनोंसे मौक़ूफ़ होगई थी, रेहन किया और क़र्ज लिया।

तय हुआ कि परिस्थितिके लिहाज़से कर्ज जायज़ और लाजिमी था। चन्द्रिकाप्रसाद बनाम रामसागर 12 O. L J. 565; 2 O. W. N. 425; 89 I. C. 567, A. I. R. 1925 Oudh 459.

जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है उसका कर्तव्य और जांच, देखो गिरधारीलाल बनाम किशनचन्द्र 85 I. C 463, A. I. R.1925 Lah.240.

जब जायदाद ख़ान्दानके किसी सबसे बड़े मेम्बरके नाम हो—ऐसी दशामें जबकि किसी ख़ान्दानके सब सदस्य एकमें ही रहते हों, यह तय हो चुका है कि यदि जायदाद सबसे बड़े सदस्यके नाम हो, तो उससे उसको ख़ान्दानके बाक़ी सदस्योंको छोड़कर कोई ख़ास अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता और उस व्यक्तिका, जो इस प्रकारकी जायदादपर कोई मामला करता हो, यह कर्तव्य है कि इस बातकी जांच करले कि वह व्यक्ति जो जायदादका इन्तक़ाल करता है उसपर पूर्णाधिकार रखता है या नहीं, पाण्डचेरी कोकिल अम्बल बनाम सुन्दर अम्बल 86 I. C 633; 21 L. W. 259, A. I. R. 1925 Mad 902

केवल इस बिनापर कि कोई इन्तक़ाल किसी मुश्तरका ख़ान्दानके मैनेजर द्वारा किया गया है; वह ख़ान्दानके दूसरे मेम्बरोंपर लागू न होगा। उस फ़रीक़को, जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है, चाहिये कि वह इस बातको साबित करे कि इन्तक़ाल ख़ान्दानके फायदे या स्वार्थके लिये किया गया है। सुबासिनी दासी बनाम हब्बू घोश 89 I. C. 100.

जब किसी हिन्दू मुश्तरका खान्दानके पिता द्वारा किये हुये इन्तक़ाल पर, उसके पुत्र द्वारा एतराज़ किया जाय, तो यह महाजनका कर्तव्य है कि प्रथम अदालतमें क़ानूनी आवश्यकता प्रमाणित करे या कमसे कम ऐसा सुबूत पेश करे, जिसके द्वारा, एक चतुर मनुष्यकी समझमें कानूनी आवश्यकता प्रतीत हो सके। इस बिनापर कि हक़शिफा होगया है और हक़शिफा करने वालेके खिलाफ नालिश कीगई है, इस जिम्मेदारीपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चन्द्रिकासिंह बनाम भागवतसिंह 83 I C. 54, A. I. R 1924 All 170.

जांच करना—यह एक बात है कि महाजन उस सम्बन्धमें कानूनी आवश्यकताकी जांच करले, जिस सम्बन्धमें वह रुपया देता है, ऐसी सूरतमें जहांपर कि हर एक बात महाजनकी जानकारीमे हो, दूसरे प्रकारसे ध्यान दिया जाता है। ऐसी हालतोंमें, किसी सख्त जाचकी आवश्यकता नहीं होती। सन्तानके पालनका खर्च क़ानूनी आवश्यकतामें आता है. किन्तु सन्तानकी शिक्षा के लिये इमारत बनवाने के लिये क़र्ज़ लेना क़ानूनी आवश्यकता नहीं है, जोगेशचन्द्र घोश बनाम चपला सुन्दरी बसु 90 I. C 594

हिन्दूलॉ—इन्तक़ाल—यदि किसी महाजनने किसी मामलेके करनेके पहिलेही यह मान्य और क़ानूनी रीतिपर जाच करली है कि क़ानूनी आवश्यकता है, तो मामला करनेके बाद यदि क़ानूनी आवश्यकताका होना ग़लत भी पाया जाय, तो भी इन्तक़ाल नाजायज़ नहीं होता। शङ्करराव बनाम पाण्डु रंग A I R 1927 Nag. 65

जब कुछ रक़म न साबित हो कि वह आयज जरूरतकी थी—जबकि किसी पूर्वजोंकी जायदादके बयनामेपर, किसी साझीदारने २० वर्षके बाद एतराज किया, और उस व्यक्तिने, जिसके हक़में बयनामा किया गया था यह प्रमाणित कर दिया कि बयनामेकी रक़मका तीन चौथाई आवश्यकताके लिये थी किन्तु बय करने वालेके कुप्रबन्ध या उसके आचरणके सम्बन्धमें कुछ भी न कहा गया।

तय हुआ कि बयनामा बहाल रहे। जयसिंह बनाम दरबारीसिंह 6 Lah. 137, 7 Lah L J 354, 89 I C. 302; 26 Punj L R 329, A I R. 1925 Lah 396.

जबकि मैनेजरको कम सूदपर क़रज़ा मिल सकता हो और उसने ज्यादा सूदपर क़रज़ा लिया हो तो-अदालत उसी शरहसे सूद दिलायेगी जिस क़दर कि कम सूदपर मिल सकता था; देखो—हरिनाथ बनाम रणधीरसिंह 18 Cal. 311, 18 I. A 1

जबकि अदालतने गार्जियन् एन्ड वार्ड्स ऐक्ट सन् १८९० ई० की दफा २८ और २९ के अनुसार किसी नाबालिगकी अलहदा जायदादके वलीको उस

जायदादके रेहन रखने या बेंचनेका अधिकार दिया हो तो खरीदार या रेहन रखने वालेको किसी जायज़ ज़रूरतकी जांच करनेकी कोई ज़रूरत नहीं है वह इन्तक़ाल जायज़ होगा; देखो—गङ्गाप्रसाद बनाम महारानी बीबी 11 Cal. 379 383, 384, 12 I.A. 47, 50. गार्जियन् एन्ड वार्ड्स ऐक्टके अनुसार नाबालिग अलहदा जायदादका मेनेजर मुश्तरका खानदानकी जायदादमें जिसमें उस नाबालिगका भी हिस्सा हो वली नहीं नियत हो सकता, क्योंकि मिताक्षरालॉ के अनुसार वह मुश्तरका जायदाद किसी एक आदमीकी नहीं है; देखो—25 All. 407, 30 I A. 165

दफा ४८ पंचायत करनेके बारेमें मेनेजरका अधिकार

मुश्तरका खान्दानकी जायदाद सम्बन्धी झगड़ोंमें मेनेजरको पंचायत करनेका अधिकार है, देखो—जगन्नाथ बनाम मन्नूलाल 16 All. 231. इलाहाबादके एक मुकद्दमेंमें यह माना गया है कि बापने अपने कोपार्सनरोंसे जायदादके बटवाराके सम्बन्धमें समझौता (Compromise) किया वह समझौता उस बापके लड़कोंको मानना पड़ेगा; देखो—पीतमसिंह बनाम उजागर सिंह 1 All 651.

दफा ४९ मेनेजर द्वारा क़र्ज़ेका स्वीकार किया जाना

हिन्दू मुश्तरका खान्दानके ऊपर अगर कोई क़र्ज़ा हो और उस क़र्ज़े में तमादी न हुई हो तो मेनेजरको अधिकार है कि वह उस कर्ज़ेको मंजूर करे या उसका सूद अदा करे ताकि उसकी क़ानूनी मियाद और बढ़ जाय मगर मेनेजरको यह अधिकार कभी नहीं है कि जो क़र्ज़ा तमादी होगया हो उसे पीछे मंजूर करले या उसका सूद देदे ताकि उसकी नालिश हो सके; देखो—भास्कर बनाम बीजालाल 17 Bom 512 दिनकर बनाम अप्पाजी 20 Bom. 155 चिन्नाया बनाम गुरूनाथम् 5 Mad. 169 दलीपसिंह बनाम कुंदनलाल (1913) 35 All 207.

कर्ता—कर्ताको क़र्ज़ स्वीकार करनेका वही अधिकार है जो उसे क़र्ज़ लेनेका है और इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि यह प्रकाशित किया जाय कि क़र्ज़ बहैसियत कर्ताके स्वीकार किया गया है, हरीमोहन बनाम सुरेन्द्रनाथ 41 C L. J 535; 88 I. C. 1025; A. I. R 1925 Cal. 1153.

मुश्तरका खानदान—किसी प्रामिज़री नोट पर केवल कर्ताके दस्तख़त होनेके कारण खान्दानके दूसरे सदस्योंपर, जिनके दस्तख़त उस नोटपर नहीं हैं, पाबन्दी नहीं होती—प्रामिज़री नोट मैनेजर द्वारा तामीली—हरीमोहन बनाम सुरेन्द्रनाथ 41 C. L. J 535, 88 I C. 1025; A I. R. 1925 Cal. 1153.

तमादी रक़ममें जायदादका इन्तक़ाल नाजायज है—हिन्दू संयुक्त परिवारका मैनेजर, किसी ऐसे क़र्जकी अदाईके लिये, जो तमादी होगया हो, पारिवारिक जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकता। हिन्दू पिताका मामला इससे भिन्न है। झब्बूराम बनाम ठाकुर बहोरनसिंह 91 I. C 1023, A. I. R 1926 All 243.

असली मामलेका फिरसे नया करना, प्रिवी कौन्सिलके अनुसार बताया हुआ, पूर्वजोंके क़र्जका इन्तक़ाल नहीं होता। बाबूराम बनाम महादेव A. I. R 1927 All. 127.

मेनेजर द्वारा क़र्ज देनेसे महाजनको सूदकी दर और मूलधनकी आवश्यकता ख़ान्दानके दूसरे सदस्योंके ख़िलाफ साबित करनी होगी, परमेश्वर पांडे बनाम राजकिशोरप्रसाद A I R 1925 Patna 59.

दफा ५० अनेक कोपार्सनरोंमें किसी एकका अलहदा दावाकरना

हिन्दू मुश्तरका जायदादमें सभी कोपार्सनरोंका लाभ बराबर माना गया है इसलिये मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदाद और मुश्तरका ख़ान्दानके कारोबारके सम्बन्धमें अदालतमें कोई दावा दायर करनेमें सभी कोपार्सनरोंका मुद्दई होना जरूरी है। सिर्फ एक कोपार्सनर ख़ान्दानकी तरफसे अकेला दावा नहीं कर सकता और दूसरे कोपार्सनर अगर उस दावामें शरीक होनेसे इनकार करें तो उनको उस मुक़द्दमेंमें मुद्दाअलेह बनाना चाहिये जैसे कोई एक कोपार्सनर अकेले किसीके बेदख़ल करनेका दावा नहीं करसकता है, देखो—बालकृष्ण बनाम मोरूकृष्ण 21 Bom 154 अथवा मुश्तरका ख़ान्दानकी किसी जायदादपर क़ब्जा पानेका दावा नहीं कर सकता है, देखो बालकृष्ण बनाम म्युनिसिपेलटी आफ महद 10 Bom 32 या मुश्तरका ख़ान्दानका क़र्ज़ा वसूल करनेका दावा नहीं कर सकता है, देखो—कालिदास बनाम नाथू, 7 Bom 217 या मुश्तरका ख़ान्दानके किसी कंट्राक्टके तोड़ दिये जानेका और उसके हर्जेका दावा नहीं कर सकता है, देखो—अलागप्पा बनाम वेलियन 8 Mad 33

लेकिन जब किसी कोपार्सनरने अपने नामसे मुश्तरका ख़ान्दानकी तरफसे कोई कंट्राक्ट किया हो तो कलकत्ता, बम्बई, और इलाहाबादके हाईकोर्टोंके फैसलोंके अनुसार वह दूसरे कोपार्सनरोंको शरीक किये बिना अकेले दावा कर सकता है मगर शर्त यह है कि कंट्राक्ट करते समय उसने यह न प्रकट किया हो कि मैं मुश्तरका ख़ान्दानकी तरफसे काम करता हूं। अगर प्रकट कर दिया हो तो वह अलहदा दावा नहीं कर सकता, देखो—बेशी बनाम सोदिस्तलाल 7 Cal 739 जागाभाई बनाम रुस्तमजी 9 Bom 311

अनन्तराम बनाम चुन्नूलाल 25 All. 378 गोपालदास बनाम बद्रीनाथ 27 All 361 दुर्गा[illegible] बनाम दामोदरदास (1909) 32 All. 183

जब कोई कोपार्सनर ख़ानदानकी तरफसे अलहदा दावा करे तो कंट्राक्ट ऐक्ट सन् १८७२ ई०की दफा २३० के अनुसार ऐसा माना जायगा कि वह सबकी तरफसे एजेन्ट था। परन्तु मदरास हाईकोर्टकी राय है कि सब कोपार्सनर मुक़द्दमेमें शरीक किये जायँगे इसका कारण यह है कि सभी कोपार्सनर उस कंट्राक्टसे लाभ उठाते हैं, देखो—सीशन बनाम वीरा 32 Mad. 284. किशुनप्रसाद बनाम हरनरायनसिंह 33 All. 272, 38 I A 46.

नाबालिग़ कोपार्सनर—मुश्तरका ख़ान्दानके कारोबार सम्बन्धी अगर कोई मुक़द्दमा हो तो अदालतमें उसे दायर करनेमें नाबालिग़ कोपार्सनरोंका शरीक होना ज़रूरी नहीं माना गया; देखो-लछिमन बनाम शिवा 26 Cal. 349. अनन्तराम बनाम चन्नूलाल 25 All. 378. लालजी बनाम केशवजी (1913) 37 Bom. 340.

मियाद और साझीदार द्वारा इन्तक़ाल—जब किसीमुश्तरका ख़ान्दानके इन्तक़ालके विरुद्ध कोई नालिश की जाती है तब मियाद, उस वक्त से जबकि कार्यवाही आरम्भ हुई है ली जाती है। किसी ख़ान्दानी साझीदारके बाद के जन्मके कारण, मियादके शुमारके लिये फिरसे कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती। क़ानूनकी यह स्पष्ट आज्ञा है कि बहुमतकी स्वीकृतिके पश्चात यानी कार्यवाहीके आरम्भसे तीन वर्षकी मियाद नालिश करने वालेको मिल सकती है। उस मनुष्यकी गिनती, जो उस समय अस्तित्वमें न था, उस कार्यवाहीमें नहीं आती अतएव तीन वर्षकी वृद्धिका अधिकारी नहीं होता, रनदीपसिंह बनाम परमेश्वरप्रसाद 47 All 165, 52 I. A. 69, 23 A. L. J. 176, 26 Punj. L. R. 113; 27 Bom. L. R. 175; 21 L. W. 236, L. R. 6 P. C. 47; (1925) M. W. N. 262; 12 O. L. J. 74, 2 O. W. N. 1, 27 O C. 343, 86 I. C 249; 29 C. W. N. 666, A. I. R. 1925 P. C 33, 48 M. L. J 29 (P C.)

दफा ५१ मेनेजरका अदालतमें दावा करना

(१) हिन्दू मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर मुश्तरका ख़ान्दानकी तरफ से बिना दूसरे कोपार्सनरोंके शरीक किये अदालतमें दावा दायर कर सकता है या नहीं इस बातपर बड़ा मतभेद है दोनों तरहकी नजीरें देखिये—(नीचे के केसोंमें माना गया है कि मेनेजरको अधिकार नहीं है—काट्टुशेली बनाम वेलोटिल 3 Mad. 234 हरीगोपाल बनाम गोकुलदास 12 Bom. 158; 23 Mad 190, 21 Bom 154) नीचेके केसोंमें माना गया कि उसे अधिकार था—अरुणच्छला बनाम विथियालिंग 6 Mad. 37; 17 Bom 122

(२) यह माना गया है कि मुश्तरका ख़ान्दानकी ग़ैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें जो अदालतमें दावा किये जायेंगे उनको सिर्फ मेनेजर नहीं कर सकता यानी वह अपने नाम से अकेला नहीं कर सकता बल्कि दूसरे कोपार्सनरोंको भी मुद्दई बनाना ज़रूरी होगा, देखो-किशुनप्रसाद बनाम हरनारायनसिंह 33 All 272, 277, 38 I A 45, 52

(३) इलाहाबाद और मदरास हाईकोर्टकी राय यह है कि हिन्दू मुश्तरका ख़ान्दानके मेनेजरके पास अगर कोई चीज़ रेहन कीगयी हो तो उसके सम्बन्धमें मेनेजर अलहदा दावा कर सकता है दूसरे कोपार्सनरोंको दावामें शरीक करनेकी ज़रूरत नहीं है, देखो-हरीलाल बनाम मुनमुन कुंवर (1912) 34 All 549, मदनलाल बनाम किशुनसिंह (1912) 34 All 572; 35 Mad. 685. शिवशङ्कर बनाम जाधोकुंवर (1914) 41 I. A 216, 220.

(४) कलकत्ता हाईकोर्टकी राय—इलाहाबाद और मदरासके विरुद्ध है यानी यह माना है कि अकेले मेनेजर नालिश नहीं कर सकता बल्कि सब कोपार्सनरोंको शरीक होना जरूरी होगा, देखो—देवीप्रसाद बनाम धरमजीत (1914) 41 Cal 727 बम्बई हाईकोर्टकी राय भी यही है देखो—काशीनाथ बनाम चिमनाजी 30 Bom 477, 34 Bom 354, 12 Bom L R 811.

(५) प्रिवी कौन्सिलकी रायमें जबकि मुश्तरका ख़ान्दानकी तरफसे मेनेजरको कारोबारके कंट्राक्ट अपने नामसे करनेका अधिकार प्राप्त है तो ऐसे कारबारमें, जैसे रुपयाका लेन देन मेनेजर स्वयं अपने नामसे दावा कर सकता है दूसरे कोपार्सनरोंको शरीक करनेकी जरूरत नहीं है, देखो—किशुनप्रसाद बनाम हरनारायणसिंह (1911) 33 All 272, 38 I A 45; 29 All. 311.

मेनेजर प्रतिनिधि है—मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदाद, जब तक बटवारा न हो, एक जायदाद है—नालिशमें मैनेजर ख़ान्दानका प्रतिनिधि होता है—किसन बनाम सीताराम A I R 1925 Nag 160 (2)

नोट—ज़ाबता दीवानी सन १९०८ आर्डर ३४ रूल नम्बर १ के अनुसार यह बात मानी गयी है कि "जिनका रेहनसे सम्बन्ध हो वह सब फरीक बनाये जावें" इस बारेमें इलाहाबाद और मदरास हाईकोर्टकी यह राय है कि चूंकि मेनेजर सब कोपार्सनरोंकी तरफसे होता है इसलिये दूसरे कोपार्सनरोंका मुक़द्दमेमें शरीक करनेकी ज़रूरत नहीं है परन्तु कलकत्ता और बम्बईकी हाईकोर्ट उक्त ज़ाबता दीवानीके शब्दोंको दृढ़तासे मानती हैं यानी जहां तक सम्बन्ध हो सबको फरीक़ बनना चाहिये।

सलगप्पा बनाम वेल्लियन 18 Mad 33-36 वाले मुक़द्दमेमें मदरास हाईकोर्टने कहा कि—जो लोग मेनेजरके साथ लाभमें शरीक हैं उनको (दूसरे कोपार्सनर) बिना शामिल किये मेनेजर दावा नहीं कर सकता और किशुन प्रसाद बनाम हरनारायणसिंह 33 All. 272, 38, I. A. 45, वाले हालके

मुक़द्दमेमें प्रिवी कौन्सिलने मदरास हाईकोर्टकी राय नहीं मानी कहा कि मद्रास हाईकोर्ट जितनी दूर जाती है वहां तक जाना ठीक नहीं है।

(६) अगर दो या दो से ज्यादा मेनेजर हों, और उन सबके नाम से फंट्राक्ट लिया गया हो तो वह सब मुद्दई बनाये जावेंगे, देखो-6 Cal. 815, 33 All. 272, 278.

दफ़ा ५२ दौरान मुक़द्दमेमें कोपार्सनरोंका फरीक़ बनाया जाना और मियाद

अगर कोई मुक़द्दमा अदालतमें एक या कुछ कोपार्सनरोंने दाखिल किया हो और अदालतकी रायमें सब कोपार्सनरोंको मुद्दई बनाया जाना ज़रूरी समझ पड़े तो अदालत अपने अधिकारसे अथवा किसी मुद्दई या मुद्दाअलेह के अर्ज़ करनेपर बाक़ीके सब कोपार्सनरोंको फरीक़ बनाये जानेका हुक्म दे सकती है। लेकिन अगर दूसरे कोपार्सनरोंके मुद्दई बनाये जाने तक उनके सम्बन्धमें वह मुक़द्दमा यदि तमादी होगया हो तो वह कुल मुक़द्दमा डिस्‌मिस् यानी ख़ारिज किया जायगा. देखो-कालिदास बनाम नाथू 7 Bom 217; 32 Mad. 284, और देखो क़ानून मियाद सन १६०८ ई० की दफा २२.

ऊपर कही हुई क़ानून मियाद सन १६०८ ई० की दफा २२ का मतलब यह है कि "अदालतमें नालिश दायर कर देनेके पश्चात् उसी नालिशमें कोई मुद्दई या मुद्दाअलेह क़ायम किया जाय या ज्यादा किया जाय तो उसकी निस्बत नालिशका दायर होना उस वक्त से माना जायगा जिस वक्तसे कि नया मुद्दई या मुद्दाअलेह बनाया गया है, मगर शर्त यह है कि जब कोई मुद्दई या मुद्दाअलेह मर जाय और नालिश उसके क़ायम मुक़ाम वारिसकी तरफसे दायर है तो उस नालिशका दायर होना उसी वक्तसे शुमार किया जावेगा जब कि पहिले दफा दायर हुई थी" जो मुक़द्दमा सब कोपार्सनरोंको मिलकर दायर करना चाहिये था उसे अगर सिर्फ मेनेजरने दायर किया हो तो ऐसे मामलेसे ऊपरका क़ायदा सबका सब लागू नहीं होता। बम्बई हाईकोर्ट की रायके अनुसार ऐसे मामले में तीन सवालों पर विचार करना निहायत ज़रूरी है—

(१) क्या जो कोपार्सनर मुद्दई नहीं बनाये गये वह सब बालिग़ हैं?

(२) क्या उन्होंने (बालिग़ कोपार्सनर) इस दावा के दायर किये जानेमें रज़ामन्दी दी थी?

(३) क्या मुद्दाअलेहने मुक़द्दमेके आरम्भमें ऐसा उज्र किया था कि अमुक कोपार्सनर मुद्दई बनाये जावें?

अगर वे कोपार्सनर जो मुद्दई नहीं बनाये गये बालिग़ हों और उन्होंने दावा दायर किया जाना मञ्जूर किया हो और अगर मुद्दाअलेहने मुक़द्दमेके आरम्भमें यह उज्र पेश किया हो कि वे मुद्दई बनाये जावें ऐसी सूरतमें मुद्दाअलेहकी उज्रदारीपर वे सब कोपार्सनर मुद्दई बनाये जायेंगे। क्योंकि इस बातसे मुद्दाअलेहका यह खटका मिट जायगा कि कहीं मेनेजरने उनकी मर्ज़ी के विना तो दावा दायर नहीं किया। लेकिन अगर मुद्दाअलेहने मुक़द्दमेके आरम्भमें कोई एतराज़ न किया हो तो समझा जायगा कि उसने उन कोपार्सनरोंका मुद्दई न बनाया जाना स्वीकार कर लिया था। और चाहे तमादी भी हो गयी हो तो भी अदालत दूसरे कोपार्सनरोंको मुद्दई बना सकती है। अर्थात् अदालतको ऐसा अधिकार प्राप्त है, देखो—गुरुवाया बनाम दत्तात्रेय 28 Bom 11, हरी गोपाल बनाम गोकुलदास 12Bom. 158, इमदाद अहमद बनाम तपेश्वरी नारायण (1910) 37 All 60, इलाहाबाद हाईकोर्टने भी यही बात मानी है, देखो—तपेश्वरी बनाम रुद्रनारायण 26 All 528

बम्बई हाईकोर्टकी उक्त नजीर (28 Bom 11) सिर्फ उसी मामलेसे लागू होती है जिसमें दूसरे कोपार्सनर बालिग़ हों नाबालिग़ कोपार्सनरोंके मामलेमें लागू नहीं होती क्योंकि नाबालिग़ रजामन्दी नहीं दे सकता—लेकिन फिरभी कलकत्ता हाईकोर्टने हालके एक मुक़द्दमेमें तमादी हो जानेपर भी एक नाबालिग़ कोपार्सनरको मुद्दई बनाया, देखो—ठाकुर मनी बनाम दाईरानी 33Cal 1079 यह मुक़द्दमा खान्दानी जायदादके रेहननामाकी मंसूख़ीका था।

उदाहरण—'महेश' और 'शिव' एक मुश्तरका खान्दानके मेम्बर हैं उस खान्दानका एक मकान बम्बईमें है गणेश उस मकानमें रहता है। महेश यह कहकर कि गणेशको उस मकानमें रहनेका अधिकार नहीं है, गणेशसे क़ब्जा पानेका दावा करता है यह दावा महेशने अकेले किया अर्थात् शिव को शामिल नहीं किया। दावा अदालतमें पहिली जनवरी सन १६११ ई० को दायर किया गया इस दावा दायर करनेकी क़ानूनी मियाद आख़िरी पहिली अगस्त सन १६११ ई० थी, यानी क़ानून मियादके अनुसार पहिली अगस्त १६११ तक दावा दायर हो जाना जरूरी था पीछे तमादी हो जाती थी। अब जो दावा ता० पहिली जनवरी सन् १६११ ई० को दायर किया गया था उसकी पहिली पेशी अदालतमें तारीख़ पहिली सितम्बर सन् १६११ ई० को हुई। उस दिन गणेश मुद्दाअलेहने अदालतमें अर्ज़ किया कि इस केसमें शिवको भी मुद्दई बनाना चाहिये। ऐसे मामले में स्पष्ट है कि शिव को भी मुद्दई बनाना चाहिये। ऐसा मानो कि अदालतने शिवको मुद्दई बनाया तो गोया पहिली सितम्बर सन् १६११ ई० को ही शिवके सम्बन्धमें मुक़द्दमा शुरू हुआ (लिमीटेशन एक्ट सन १६०८ ई० की दफा २२). अर्थात् शिव क़ानूनी मियाद के ख़तम होनेके बाद मुद्दई बनाया गया ऐसी सूरतमें कुल मुक़द्दमा

अवश्य खारिज किया जायगा यानी महेशने जो मुक़द्दमा मियादके अन्दर दायर किया था वह भी खारिज हो जायगा। नतीजा यह हुआ कि ऐसी सूरतमें शिव को मुद्दई बनानेसे कोई लाभ नहीं होगा इसीलिये कोर्ट शिवको बिना मुद्दई बनाये मुक़द्दमा खारिज कर सकती है।

अब ऐसा मानो कि ऊपर कहे हुये उदाहरणमें महेश खान्दानका मैनेजर हो और शिव बालिग़ हो ऐसी सूरतमें गणेशके एतराज़ करनेपर अदालत शिवको फ़रीक बनायेगी मगर तमादी होनेपर भी मुकद्दमा ख़ारिज नहीं कर देगी यानी मुकद्दमा अदालतमें सुना जायगा।

मुश्तरका ख़ान्दानके सम्बन्धमें अदालत एक सदस्यको दूसरे सदस्यको वली नहीं नियत कर सकती—गार्जियन एन्ड वार्ड्स ऐक्टकी दफा ७ बलवीर बनाम छेदीलाल 85 I C. 276, A. I. R 1925 Oudh 642.

संयुक्त हिन्दू परिवारके सम्बन्धमें यह निश्चित क़ानून है कि बहुत सी अवस्थाओंमें केवल प्रबन्धक सदस्यको ही फ़रीक बनाना पर्याप्त होता है। ओरीराम दुबे बनाम केदारनाथ 7 L R 63 (Rev).

प्रतिनिधित्व बापका—जब किसी मुश्तरका खान्दानका पिता नालिश करता है या उसके खिलाफ नालिश की जाती है तो यह समझा जाता कि उसके द्वारा या उसके खिलाफ की हुई नालिश बहैसियत खान्दानके प्रतिनिधिके कीगयी है, नारायन बनाम मु० धूदा बाई, 21 Nag. L R. 38; A. I. R 1925 Nag. 299.

दफा ५२ सब कोपार्सनरोंको मुद्दई बनाया जाना

ऊपर कही बातोंसे (दफा ४२६); स्पष्ट है कि दूसरे कोपार्सनरोंका फरीक मुकद्दमा बनाये जानेका सवाल कानून मियादकी क़ैदके कारण इतना अवश्यक होगया है। अगर क़ानून मियादकी दफा २२ वीं न होतो इस प्रश्नके विचारकी इतनी आवश्यकता न थी क्योंकि दौरान मुकद्दमेमें किसी समय वह फ़रीक बनाये जा सकते थे। कानून मियादकी दफा २२ की इतनी कड़ी शर्तोंसे और इसके सम्बन्धकी नजीरोंके मतभेदके कारण उचित यही है कि जब किसी हिन्दू मुश्तरका खान्दानकी तरफसे कोई दावा दायर किया जाय तो सब कोपार्सनरोंका चाहे वह बालिग़ हों और चाहे नाबालिग़ हों मुद्दई बनाये जायें। अगर उनमेंसे कोई मुद्दई बननेसे इन्कार करे तो वह मुद्दाअलेह बनाया जाय। अब तक इस विषयमें जो कुछ निश्चित हो चुका है वह यह है कि मुश्तरका खान्दानके कारबारमें (जैसे रुपयाका लेन देन) जिसको कि खान्दानका कोई एक या ज्यादा आदमी मेनेजर या मेनेजरोंकी हैसियतसे करते हों और उनको अपने नामसे कंट्राक्ट करनेका अधिकार हो

तो ऐसी सूरतमें मेनेजर कंटाक्टोंके विषयमें अकेले अपने नामसे अदालतमें दावा दायर कर सकता है। परन्तु इसमें भी दो या दो से ज्यादा मेनेजर अगर हों और कंट्राक्ट सबने मिलकर किया हो तो वह सब मुद्दई बनाये जायेंगे नहीं तो क़ानून मियादकी २२ वीं दफा लागू पड़ेगी, देखो--रामसेवक बनाम रामलाल 6 Cil 815

मुर्तहनको मुद्दई बनानेपर—जब किसी मुर्तहिनकी नालिशमें, जो उसने राहिनके खिलाफ दायरकी थी, मुर्तहिनोंमें से किसी एकका नाबालिग़ पुत्र मुद्दाअलेह न बनाया गया, जिसपर यह विरोध उठाया गया कि नालिश ब वजह ग़ैर शामिली फरीक़ के नाजायज़ है। तय हुआ कि मुद्दईको असली दस्तावेज़ लिखने वालोंके खिलाफ डिकरी पानेका अधिकार है। राहिनके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता कि वे नाबालिग़के अधिकारके प्रतिनिधि थे।

यह भी तय हुआ कि नाबालिगके लिये अवसर है कि वह इन्तक़ालसे बचे, उन अधिकारोंके द्वारा जो हिन्दूलॉ के अनुसार नाबालिग़ोंको प्राप्त है। नाथू बनाम रामस्वरूप 23 A L J. 246, 47 All. 427; 87 I. C. 700, A. I. R 1925 All 335

नोट—क़ानून मियादके डरसे ध्यान रखना कि जब कोई नालिश मुश्तरका खानदानकी तरफ से दायर करना हो तो सब फरीक खानदान वालोंको मुद्दई बना लेना और जो इनकार करे उसे मुद्दाअलेह बनाना—

दफा ५४ सब कोपार्सनरोंका मुद्दालेह बनाया जाना

जब किसी आदमीको मुश्तरका खान्दानके किसी आदमी (कोपार्सनर) पर दीवानी अदालतमें क़र्जे या दूसरी क़िस्मका दावा करना हो, जिस मामलेका बोझ मुश्तरका खान्दानपर हो तो मुद्दईको चाहिये कि उस खान्दानके सब आदमियोंको मुद्दाअलेह बनाये अगर किसी एकको बनायेगा तो अकेले उसी एकपर डिकरी होगी, और उस डिकरीको मुद्दई सारी मुश्तरका जायदाद पर जारी नहीं करा सकेगा, जिस एक आदमीके ऊपर डिकरी होगी उसीके हिस्से पर जारी करा सकता है। अगर मुश्तरका खान्दानमें कोई नाबालिग़ हों तो उन्हें भी मुद्दाअलेह बनाना चाहिये क्योंकि मिताक्षरा लॉके अनुसार कोपार्सनर अपनी पैदाइशसे पैतृक जायदादमें हिस्सेदार हो जाते हैं। जब नाबालिग़ मुद्दाअलेह बनाया जाय या बनाये जायँ तो उनका वली क़रार दिया जायगा, देखो इस किताबका प्रकरण ५

अनिश्चित हिस्सेके खरीदारको क्या करना चाहिये—किसी मुश्तरका खान्दानकी जायदादके किसी अनिश्चित भागके खरीदने वालेको, एक इस प्रकारकी नालिश दायर करनी चाहिये, जिसमें पूरी मुश्तरका जायदाद शामिल

हो, आवश्यक व्यक्ति फ़रीक़ हों। इस प्रकारकी नालिशमें अदालतको चाहिये कि इन्तक़ालपर अमल करनेके लिये उस जायदादके हिस्सेदारोंके अनुसार हिस्से नियत कर दे और उस व्यक्तिको, जिसके हक़में इन्तकाल किया गया है, जितना हिस्सा इस प्रकार आये दे दे, नारायन बनाम धुवा बाई 21 Nag. L. R. 38, A I R 1925 Nag 299

फरीकोंका मिलाया जाना—एक रेहननामेपर एक हिन्दू पिताके विरुद्ध नालिश—मियादकी बात उनका फ़रीक बनाया जाना—मु० राजचन्ता बनाम रामेश्वर 28 O. C. 393, A. I. R. 1925 Oudh. 440.

दफा ५५ मेनेजरपर डिकरी

(१) सारे मुश्तरका खान्दानकी तरफसे काम करने वाले मेनेजर पर अगर किसी क़र्ज़की डिकरी हुई हो और वह क़र्ज़ उस मेनेजरने खान्दान या खान्दानके कारोबारके लिये लिया हो तो सारी मुश्तरका जायदाद पर डिकरी जारीकी जासकेगी। चाहे मुश्तरका खान्दानके अन्य आदमी उस मुक़द्दमेमें मुद्दाअलेह न भी बनाये गये हों, देखो—दौलतराम बनाम मेहरचन्द 15 Cal. 70, 14 I. A. 187, शिवप्रसाद बनाम राजकुमार 20 Cal 453, बल्देव बनाम मुबारक 29 Cal 583, कुञ्जन बनाम सिधा 22 Mad 461, हरी बनाम जै राम 14 Bom. 597, भाना बनाम चिंडू 21 Bom. 616, काशीनाथ नाम चिमनाजी 30 Bom 477; सखाराम बनाम देवजी 23 Bom 372, शिवशङ्कर बनाम जाडोकुंवर 41 I. A. 216, 36 All 383; 33 All. 71.

(२) परन्तु अगर अकेले मेनेजरकी जातिपर डिकरी हुई हो और वह क़र्ज़ चाहे मेनेजरने खान्दानके लिये या खान्दानके कारबारके लिये लिया हो तो भी वह डिकरी सारी मुश्तरका जायदादपर जारी नहीं हो सकेगी सिर्फ मेनेजरके हिस्से जायदादपर जारी होगी, देखो—गुरुवप्पा बनाम थिम्मा 10 Mad. 316.

उदाहरण—महेश, शिव और गणेश एक हिन्दू मुश्करका खान्दानके मेम्बर है। इनमें महेश और शिव दोनों मेनेजर हैं, इन दोनोंने खान्दान की ज़रूरतों के लिये वरुणसे ५०००) रु० कर्ज़े लिया। वरुणने महेश और शिव दोनों मेनेजरों पर दावा किया और अदालतसे उनके ऊपर मेनेजरकी हैसियतसे डिकरी प्राप्तकी तो यद्यपि गणेश उस मुकद्दमेमें मुद्दाअलेह नहीं बनाया गया था तथा वह नाबालिग़ भी था तोभी वह डिकरी सारी मुश्तरका खान्दानकी जायदादपर जारीकी जासकेगी। इसी तरहका एक केस देखो—बल्देव बनाम मुबारक 29 Cal. 583, दौलतराम बनाम मेहरचन्द 15 Cal. 70, 14 I. A. 187.

अब ऐसा मानों कि कन्ट्राक्टके मामलेमें फरीक़ होनेके कारण वरुण को, महेश और शिवकी ज़ातपर भी डिकरी मिल सकती है, ऐसी डिकरी वह महेश और शिवकी अलहदा जायदादपर भी, जारी करा सकता है परन्तु गणशकी जातपर डिकरी कभी नहीं पासकता चाहे गणेश बालिग़ भी होता क्योंकि गणेश उस कन्ट्राक्टमें शरीक़ न था।

(३) हालमें एक मुक़द्दमा इस क़िस्मका हुआ है कि जिसमें मुश्तरका ख़ान्दानके मेनेजरपर एक ग़ैर मनक़ूला जायदादके बैबातकी डिकरी हुई, उस मुक़द्दमेमें दूसरे कोपार्सनरोंने अदालतमें यह उज्र पेश किया कि चूंकि वे उस मुक़द्दमेमें मुद्दाअलेह नहीं बनाये गये थे इसलिये मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादका उनका हिस्सा उस डिकरीका पाबन्द नहीं होना चाहिये। प्रिवीकौंसिल के जजोंने यह राय दी कि वह पाबन्द हैं यद्यपि फरीक़ नहीं बनाये गये थे। जजोंने फरमाया कि "हिन्दुस्थानी नजीरोंको देखते हुये और जिनसे हमारा मतभेद नहीं है इस बातमें कोई सन्देह नहीं मालूम होता कि बैबातके मुक़द्दमे सहित कितनेही मामलोंमें मुश्तरका ख़ान्दानके मेनेजर ख़ान्दानकी तरफसे ऐसी पूरी तरहसे काम करते हैं कि उससे सारे ख़ान्दानका पाबन्द होना समझा जाता है वर्तमान मुक़द्दमेमें भी यही सिद्धान्त लागू होना चाहिये इस मामलेमें ऐसा समझनेका कोई कारण नहीं है कि मेनेजरोंने ख़ान्दानके लिये काम नहीं किया" टान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट सन १८८२ ई० की दफा ८५ और ज़ाबता दीवानीके आर्डर ३४ रूल १ का कोई प्रश्न इस मामलेमें नहीं उठता क्योंकि रेहन रखने वालेको रेहन रखते समय इस बातकी सूचना कोई नहीं मिली थी कि मुंद्दईका भी हक़ उसमें शामिल है, देखो—शिवशङ्कर बनाम जाधोकुंवर 41 I A 216, 36 All 383. 33 All 71.

दफा ५६ बापके ज़ाती क़र्ज़की डिकरी

मुश्तरका ख़ान्दानके मेनेजरके ज़ाती क़र्ज़की डिकरी, ख़ान्दानके दूसरे लोगोंको पाबन्द नहीं करती। लेकिन अगर मेनेजर बाप हो तो उसके ज़ाती क़र्ज़की डिकरीके पाबन्द उसके लड़के पोते, परपोते, भी होते हैं मगर वह सिर्फ मुश्तरका जायदादके अपने हिस्से तक पाबन्द माने गये है। यह बात इसलिये क़ानूनमें मानी गयी है कि हिन्दू धर्म शास्त्रानुसार पुत्र और पौत्र अपने पिता और पितामहके क़र्ज़ देनेके पाबन्द माने गये हैं मगर शर्त यही है कि वह क़र्ज़ जायज़ जरूरतके लिये लिया गया हो। यह क़ायदा प्रपौत्र और प्रपितामह या अन्य किसी कुटुम्बीके दरमियानमें लागू नहीं होता।

पिता द्वारा क़र्ज़ ग़ैर तहज़ीब—जब किसी ऐसी डिकरीकी तामीलमें, जो केवल पिताके खिलाफ हो, संयुक्त परिवारकी जायदाद नीलाम की जा रही हो, तो पुत्र उस डिकरीसे तब तक छुटकारा नहीं पा सकते, जब तक

वह यह न साबित करें, कि पिता द्वारा लिया हुआ क़र्ज़ ऐसा क़र्ज़ है जिसे हिन्दूलॉ गैर तहज़ीब क़रार देती है—रञ्जीतसिंह बनाम रम्मनसिंह 87 I. C. 654, A. I R. 1925 All 781.

नाबालिगके मेनेजर व वली—हिन्दू नाबालिगोंके पिता द्वारा किया हुआ इन्तकाल, जो वह न केवल संयुक्त हिन्दू परिवारके प्रबन्धकर्ताकी हैसियतसे बल्कि नाबालिगोंके वलीकी हैसियतसे करता है बादुलनज़री उनपर लाजिमी है। चाहे पिताके अधिकार वलीसे कम हों या अधिक; किन्तु जब तक यह न साबित किया जाय कि इन्तकाल अनावश्यक या गैर क़ानूनी तरीक़ेपर किया गया है तब तक इन्तकाल बादुलनज़री जायज़ होगा—अलागर आयंगार बनाम श्रीनिवास आयंगार 22 L W. 515. (1925) M. W. N. 777; A I R 1925 Mad 128

पिता द्वारा रेहननामा—व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी—मुश्तरका ख़ान्दानी जायदाद—पुत्रोंके अधिकार—यदि नीलामके योग्य हैं, मु० महराजी बनाम राघोमन A I. R. 1926 Oudh 61.

हिन्दू पिता द्वारा दुरुपयोग—पुत्रोंकी जिम्मेदारी नहीं है—रामेश्वर सिंह बहादुर बनाम दुर्गा मन्दिर 7 Pat L J 42, A.I. R 1926Pat.14.

एक हिन्दू पिताने किसी अन्य व्यक्तिके हाथ मुश्तरका ख़ान्दानी जायदाद बेची। कुछ हिस्सेदारोंकी तहरीकपर बयनामा मंसूख़ कर दिया गया, जिसपर ख़रीदारने पिताके ख़िलाफ कीमत ख़रीद वगैरः के वापस करनेका दावा किया। मुक़द्दमेंके दौरानमें ही पिता मर गया और उसका पुत्र बतौर कानूनी प्रतिनिधिके फरीक बनाया गया। तय हुआ कि पुत्रके विरुद्ध जो अपने पिताका क़ानूनी प्रतिनिधि है डिकरी दी जाय और उसकी तामील उसकी अधिकृत जायदाद पर, जिसपर हिन्दूलॉ के अनुसार पिताके ऋणोंकी जिम्मेदारी है की जाय—कल्लूमल बनाम परतापसिंह 92 I. C 787; A. I. R 1926 Oudh 301.

कैसे हकशिफ़ाका क़र्ज़, जायदादपर बाप नहीं डाल सकता—साधारण तरीक़ेपर हिन्दू पिता पैतृक जायदादपर, किसी दूसरी जायदादके हकशिफ़ेके लिये क़र्ज़का भार नहीं डाल सकता, शङ्करशाही बनाम बैजूराम 23 A. L. J 204; 47 A. 381, L. R. 6 All 214; 86 I. C. 769, A I. R. 1925 All 333.

दफा ५७ बापका किसी नाबालिगके दावामें समझौता करलेना

हिन्दू नाबालिगका बाप मुश्तरका हिन्दू ख़ान्दानका मेम्बर और मेनेजर है, किसी नालिश करनेकी गरज़से वह उस नाबालिगका वली बनाया गया

तो ऐसी सूरतमें ज़ावता दीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर ३२ रूल ७ लागू पड़ेगा अर्थात् वह अदालतकी मंजूरीके विना उस मुक़द्दमेंमें कोई तसफीया (समझौता) नहीं कर सकता। अगर उसने विना अदालतकी मंजूरी प्राप्त किये समझौता (Concent decree)कर लिया हो-या कोई एकतरफा अपने ऊपर डिकरी करवाली हो तो उसका नावालिग पावन्द नहीं माना जायगा, ऐसा समझौता रद्द कर दिया जायगा, देखो-गनेशा बनाम तुलआराम 36 Mad 295, 40 I A 132.

उक्त ज़ावता दीवानीके रूल ७ का मतलब यह है कि "कोई रिश्तेदार या वली दौरान मुक़द्दमा, इस वातका अधिकारी नहीं होगा कि विला मंजूरी अदालतके नावालिग़की तरफसे कोई इक़रार करे या सुलहनामा, या समझौता उस मुक़द्दमेंमें करे जिसमें कि वह वहैसियत वली या हितैषीके नियुक्त हो"

नावालिग़ साझीदारपर भी, तामील तलब मुआहिदोंके सम्बन्धमें वही पावन्दी होती है,जो तामील शुदा मुआहिदोंके सम्बन्धमें है। इसलिये नावालिग़ उस मुआहिदेको कार्यमें परिणित कर सकता है जिसके लिये वह वाध्य हो, लक्ष्मीचन्द बनाम खुशालदास 18 S L R 230, A I R 1925 Sind 330.

घरू समझौता—(१) यह आवश्यक नहीं है कि किसी पारिवारिक प्रबन्धके जायज़ और लाज़िमी होनेके लिये, परिवारके सभी सदस्य उसके फरीक़ हों। यदि परिवारके कुछ सदस्य आपसमें मिल जांय और अपने झगड़े का कोई समझौता करलें, तो कोई कारण नहीं है कि वह समझौता पारिवारिक प्रबन्ध न समझा जाय, तेजबहादुर खां बनाम नक्कू खां A. I R 1927 Oudh 97

(२) जब किसी अन्तिम पुरुष अधिकारीके परिवारके सभी सदस्य, विधवाकी मृत्युके पश्चात् दाखिल ख़ारिज करानेके लिये मिल गये और अदालत मालमें यह दरख़्वास्त की, कि उन सभीके नाम विना किसी रिश्ते या दर्जेके लिहाजके मोहकमा मालके काग़ज़ातोंमें चढ़ा दिये जांय, तो उनके सम्बन्धमें यह कल्पनाकी जायगी, कि वे पारिवारिक प्रबन्धके अन्तर्गत हैं और अपने समस्त भावी झगड़ोंको, जिनकी तहरीर या रजिस्ट्रीकी आवश्यकता नहीं है निश्चित कर चुके हैं, तेजबहादुर खां बनाम नक्कू खां 35 All 502, 37 All 105, 17 O C 108, 19 O C 75 & 22 O C 300 full A I R. 1927 Oudh 97

(३) इस अभिप्रायके लिये कि किसी परिवारका प्रबन्ध अच्छा प्रबन्ध समझा जाय, यह आवश्यक नहीं है कि कोई अदालती कार्यवाही होती हो या किसी प्रकारकी अदालती कार्यवाही, जिसका परिणाम परिवारके पक्ष में विदित होता हो चल रही हो। पारिवारिक प्रबन्धके सिद्धान्तका विस्तार

उसी सीमा तक नहीं है, जहां तक कि उसके सदस्योंके शान्ति पूर्वक रहनेका प्रबन्धमें बल्कि उसका असली सम्बन्ध प्रबन्धके उन मामलातोंसे है जो कि पारिवारिक सदस्योंके मध्य उनकी जायदादके सम्बन्धमें हों, सदाशिव पिल्ले बनाम शानमुगम पिल्ले A. I. R. 1927 Mad. 126.

(४) पुत्रपर पिताके ऋणकी जिम्मेदारी, जो ग़ैरतहज़ीवी न हो, उसी प्रकार है, चाहे उसका अमल अदालत द्वारा हो या किसी ख़ानगी समझौते द्वारा। केवल वह जायदाद जिसे महाजन पिताके जीवनमें नीलाम करा सकता था, ऐसी जायदाद है, जिसे वह उसकी मृत्युके पश्चात् भी नीलाम करा सकता है, बिन्द्राप्रसाद बनाम राजबल्लभ सहाय 91 I. C 785, 48 A. 245; 24 A L. J. 273; A. I R. 1926 All. 220.

यह एक हिन्दू पिताके लिये योग्य है कि वह तमाम मुश्तरका ख़ान्दान का, जिसमें कि वह स्वयं और उसके नाबालिग़ पुत्र हों, उसके खिलाफ किसी रेहननामेकी नालिशमें, प्रतिनिधि हो। फलतः जबकि राहिनके पुत्र रेहननामे की रक़मकी अदाईकी मियाद से १२ वर्षके बाद मुद्दाअलेह बनाये जांय, तो उनके खिलाफ नालिशमें तमादी नहीं होती, मु० राजवन्त बनाम रामेश्वर 12 O L. J. 235, 87 I. C. 180, A. I. R. 1926 Oudh 440.

मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल

दफा ५८ मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल कौन कर सकता है

नीचे लिखे हुये आदमी मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादका इन्तक़ाल कर सकते हैं और इन्हींका किया हुआ इन्तक़ाल जायज़ माना जायगाः—

(१) जिस ख़ान्दानमें सब बालिग़ कोपार्सनर हों और सब बालिग़ कोपार्सनर मिल कर जब जायदादका इन्तक़ाल करें, देखो–महावीरप्रसाद बनाम रामयाद 12 Beng. L R. 90, 94

(२) मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर सिर्फ उन सूरतोंमें जिनका ज़िकर इस किताबकी दफा ४२६ में किया गया है।

(३) बाप, सिर्फ वहां तक जिस क़दर कि दफा ४४४ में बताया गया है।

(४) वह एक कोपार्सनर जो अन्य कोपार्सनरोंके मर जानेके बाद जीता रहा हो उन सूरतोंमें जिसका ज़िकर दफा ४४५ में किया गया है।

जिस किसी हिन्दू मुश्तरका ख़ान्दानमें दो या दो से ज्यादा कोपार्सनर हों तो कोई भी कोपार्सनर अन्य कोपार्सनरोंसे अधिकार पाये बिना

मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकता अगर करे तो दूसरे कोपार्सनर उसके पाबन्द नहीं होंगे और वह इन्तक़ाल भी नाजायज माना जायगा देखो—गुरूवय्या बनाम थिम्मा 10 Mad 316 शिवप्रसाद बनाम साहेबलाल 20 Cal 453-461; कृष्णा बनाम कृष्णसामी 23 Mad 597, 600

दफा ५९ नाबालिग़ होनेपर मुश्तरका जायदाद कैसे ख़रीदी जाय

ऊपर यह कहा जा चुका है कि जहांपर दूसरे नाबालिग़ कोपार्सनर हों, मेनेजर मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादको न तो बेंच सकता है और न रेहन कर सकता है और न किसी तरहका इन्तक़ाल कर सकता है सिवाय उन सूरतोंके जब कि ख़ान्दानी जायज़ ज़रूरतें हों देखो दफा ४३०, ४३१ अगर मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादकी विक्री विना ख़ान्दानी जरूरतके की गयी है तो उस विक्रीको नाबालिग़ कोपार्सनर जब वह बालिग होंगे मंसूख़ करा देंगे इस तरहकी विक्रीमें ख़रीदारके लिये जोखिम है। अकसर ऐसा होता है कि जहांपर मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादमें नाबालिगोंका भी हिस्सा होता है तो ख़रीदार इस डरसे जायदादका पूरा दाम बाज़ारी भावसे देना नहीं चाहता जब तक कि मेनेजर अदालतसे नाबालिगोंकी तरफसे जायदाद बेंचनेकी मंजूरी न लेवे। ऐसे मामलेमें जहां नाबालिग़ कोपार्सनर हों मेनेजर को अदालतसे मंजूरी प्राप्त कर लेना ज़रूर चाहिये।

अगर वेंची जानेवाली जायदाद हाईकोर्टके 'ओरीजिनल जुरिस्डिक्शन्' के अन्दर हो तो मेनेजरको चाहिये कि अदालतसे प्रार्थना करे कि वह उसे वली नाबालिगोंका बनादे और उस जायदादके वेंचे जानेकी मंजूरी दे जिसमें नाबालिगोंका हिस्सा है, देखो—25 Bom 353, 19Bom 96, 16Bom 634

अदालतकी मंजूरी लेनेसे जायदादके ख़रीदारकी पूरी रक्षा होती है। अगर अदालतकी मंजूरी लेली गयी हो तो चाहे पीछेसे यह भी मालूम हो जाय कि कोई जायज़ ज़रूरत विक्रीकी न थी तो भी वह विक्री रद्द नहीं की जायगी मगर शर्त यह है कि ख़रीदारने कोई जालसाजी, या बेईमानी आदि न की हो, देखो—गङ्गाप्रसाद बनाम महारानी बीबी 11 Cal 379, 383-384, 12 I A 47, 50.

गार्जियन एन्ड वार्ड्स एक्ट सन १८९० ई० इस मामलेमे लागू नहीं होता क्योंकि इस क़ानूनके अनुसार नाबालिग़की खुद अलहदा जायदादके लिये ही वली मुकर्रर हो सकता है लेकिन मुश्तरका जायदादमें नाबालिग़को कोपार्सनरका हिस्सा उसकी अलहदा जायदाद नहीं है, 25 All 407, 416, 30 I A 165, 170, 33 Mad 139

जबकि बेंची जाने वाली जायदाद हाईकोर्टके 'ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनमें' न हो तो खरीदारको चाहिये कि मेनेजरसे कहे कि दूसरी अदालत से जो मजाज़ मंजूरी देनेका रखती हो बेंचनेकी मंजूरी प्राप्त करे और अगर किसी सबबसे खरीदार अदालतकी मंजूरी मुनासिब न समझता हो तो उसे चाहिये कि बिक्रीकी ज़रूरतोंको अच्छी तरहसे और सब उपायोंसे ठीक जांच करले जो एक समझदारको योग्य रीतिसे करना चाहिये।

दफा ६० बापके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल

मुश्तरका खान्दानकी जायदादके इन्तक़ाल करनेमें बापकी हैसियतसे बापको ऐसे खास अधिकार प्राप्त हैं जो किसी दूसरे कोपार्सनरको प्राप्त नहीं है वह अधिकार यह हैं—

(१) बाप, इस किताबकी दफा ७६६, ५१८-२; में लिखी हुई हद तक पैतृक मनकूला जायदादको दान कर सकता है।

(२) बाप, पैतृक मनकूला और ग़ैर मनकूला जायदादको अपने पुत्रों और पौत्रोंके हिस्से सहित अपने ज़ाती क़र्जेके अदा करनेके लिये बेंच सकता है और रेहन कर सकता है बशर्तेकि वह क़र्जा जायज़ हो, देखो दफा ५४८

(३) बाप, खान्दानके देवताके लिये पैतृक ग़ैर मनकूला जायदादका बहुत थोड़ा सा भाग देवताके पूजन आदिके खर्चके लिये अलहदा कर सकता है देखो -रघुनाथ बनाम गोविंद 8 All 76 यह निजका धर्मादा कहलाता है देखो दफा ८२३

ऊपर कही हुई सूरतोंके सिवाय मुश्तरका खान्दानकी जायदादमें बाप के भी वही अधिकार हैं जो मेनेजरके होते हैं अर्थात् जब उसके पुत्र बालिग हों तो उनकी मरजी बिना या अगर नाबालिग हों तो जायज़ ज़रूरत बिना वह मुश्तरका खान्दानकी जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकता, देखो-चिन्नैय्या बनाम पीरूमल 13 Mad 51, 16 Mad. 84 बाला बनाम बालाजी 22 Bom 825; 26 Bom 163, 27 Mad 162.

उस क़र्जके लिये जो किसी पहिलेके रेहननामेकी वजहसे हो,हिन्दू पिता संयुक्त खान्दानकी जायदादका इन्तक़ाल कर सकता है - चन्दूलाल बनाम मुकुन्दी 26 Punj. L. R 120, 87 I C. 40; A. I. R. 1925 Lah. 503.

पिताका क़र्ज—खान्दानी जायदादकी जिम्मेदारी—किस क़दर है हरिहर प्रसाद बनाम महावीर पांडे 27 O C. 306, 1925 Oudh 91.

इसमें पाबन्दी नहीं मानी गयी—प्रभाव—आया पिताके हिस्सेपर जिम्मेदारी है ?—झुक्खू पण्डी बनाम माताप्रसाद 83 I. C. 1044; A.I. R. 1925 Oudh. 94.

एक रेहननामेकी नालिशमें अदालतने केवल पिताके खिलाफ रक़मकी डिकरी इसलिये दी कि क़र्ज़ गैर तहज़ीवी सावित हुआ। डिकरीदारने तामील डिकरीमें कुल पैतृक जायदाद मय उस जायदादके जो रेहननामेमें थी कुर्क कराई। खान्दानके दूसरे सदस्योंने एतराज़ किया और दलील पेश की कि क़र्ज़ गैर तहज़ीवी होनेके कारण, उसकी पावन्दी पैतृक जायदाद पर नहीं है। तय हुआ कि खान्दानके दूसरे मेम्बरोंका यह हक़ है कि वे बची हुई पैतृक जायदादपर अपने अधिकारको प्राप्त करें, किन्तु उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे उस जायदादपर पिताकी जायदादको कुर्क होनेसे रोकें,जिसके खिलाफ डिकरी है—शिवनाथप्रसाद वनाम तुलसी 23 A L J 865, 89 I C 480, L R. 6 A 523, A I R. 1925 All 801.

मुश्तरका खान्दान--पिता द्वारा इन्तक़ाल—रतन बनाम शिवलाल A I R 1925 Oudh 35

मुश्तरका खान्दान--पिता द्वारा इन्तक़ाल--जब किसी मुश्तरका हिन्दू खान्दानके पिता द्वारा इन्तक़ाल किया गया हो, और रक़म मावज़ाका अधिक भाग पुराना क़र्ज़ चुकाने या क़ानूनी आवश्यकताकी विनापर हो, तो वह इन्तक़ाल जायज़ और पुत्रोंपर लाजिम होता है। यदि मावजेका वह भाग जो क़ानूनी आवश्यकतामें नहीं आता, अधिक होता है; तो अदालत उसपर अलाहिदा गौर करती है और उनके जायज़ होने या न होनेके सम्बन्धमें फैसला करती है—गौरीशङ्कर वनाम बद्रीनाथ 88 I C 474, A I R 1925 Oudh 685

जब किसी पिता द्वारा किये हुये इन्तक़ालका विरोध पुत्र द्वारा किया जाय, जिसमें कि मावजेके किसी हिस्सेकी पावन्दी न हो, तो अदालतको उस रकमपर ध्यान देना चाहिये, जिसके सम्बन्धमें क़ानूनी आवश्यकता न हो। यदि वह रक़म इतनी कम है कि वह हिसाबमें छोड़ दी जा सकती है तो नीलाम बहाल रहना चाहिये नहीं तो मंसूख किया जाना चाहिये। दूसरी जांच इस प्रकार है कि यह देखा जाय कि आया वह रक़म जो आवश्यक थी सिवाय उस इन्तक़ालके जिसका विरोध किया गया है और किसी प्रकार प्राप्तकी जा सकती थी—चन्द्रिकासिंह वनाम भागवतसिंह 83 I C 54; A I R 1924 All 170 पिता द्वारा लिया हुआ पहिलेका क़र्ज़, यदि वह गैरक़ानूनी या ग़ैर तहज़ीवी न हो, पुत्रपर लाज़िमी है और उसकी विनापर किया हुआ इन्तक़ाल जायज है। उस सूरतमें भी, जबकि बयनामेमें वर्णित किसी खास क़र्जके अदा करनेकी रक़म, किसी दूसरे पहिलेके क़र्जके अदा करनेमें सर्फ कीगई हो, तो भी उसकी पावन्दी पुत्रपर होगी। यह सूरत उस सूरतसे भिन्न है जबकि दस्तावेजमें वेईमानी और धोखेवाजीसे, उस व्यक्तिको जो विरोध करनेका

अधिकारी है, विरोध करनेसे महरूम रखनेकी ग़रज़से ऐसी रकम दर्ज कराली जाती है—प्यारेलाल बनाम श्री ठाकुरजी L R 6 A 537, 88 I. C. 964; 23 A L. J. 909, A I. R 1926 All 79.

पिता द्वारा मुश्तरका खान्दान की जायदाद का बयनामा—पुत्र दस्तावेज़का एक फ़रीक़ हो—रेहननामेके सुबूतके लिये ज़बानी शहादत—आया ली जा सकती है—रामचन्द्र हनुमन्त बनाम काशीनाथ लक्ष्मण 27 Bom. L R. 241: 87 I. C. 804, A I. R. 1925 Bom. 288.

अब प्रिवीकौंसिलकी क्या राय है—राजा बहादुर राजा बृजनारायण बनाम मङ्गल प्रसादराय 21 All. L. J. 934 (P. C.) का मुक़द्दमा प्रिवी कौंसिलसे तय हुआ है और इसी नज़ीरसे उस समय तकका सारा झगड़ा मिट गया। वाक़ियात यह थे—सीताराम अपने दो नाबालिग़ लड़कों सहित मुश्तरका खान्दानका मुखिया था। उसने १२ दिसम्बर सन १६०५ ई० और १६ जून सन १६०७ई० को मुश्तरका खान्दानकी जायदाद रेहनकी। इस रेहनसे छुटानेके लिये उसने फिर ता० २४ मार्च सन १६०८ ई० को दूसरा रेहननामा रामनरायण और जगदीश प्रसादके हक़में लिखा। इन दूसरे मुरतहनोंने रेहन की एकतरफा डिकरी सीताराम पर सन १६१२ ई०में प्राप्त की। सन १६१३ई० में सीतारामके दोनों नाबालिग़ बेटोंकी तरफसे उनकी मां ने एकतरफा डिकरी रद् कराने और लड़कोंका हक़ रेहनके मामलेसे साफ करनेका दावा किया। इस दावेमें बाप और दोनों मुर्तहिन मुद्दाअलेह बनाये गये। प्रारम्भिक अदालत ने दावा डिकरी किया यानी बेटोंका हक़ बरी किया और लड़कोंका सम्बन्ध जहां तक डिकरीसे था वहां तक उस डिकरीको खारिजकर दिया। हाईकोर्टने फैसला बहाल रखा अर्थात् बापके रेहनका जिम्मेदार लड़कोंको नहीं माना पीछे यह अपील हाईकोर्टके फैसलेके विरुद्ध प्रिवी कौन्सिलमें किया गया। प्रिवी कौन्सिलके सामने सबसे ज़रूरी प्रश्न यह था कि मुश्तरका खान्दान का पैतृक ऋण अर्थात् मौरूसी क़र्ज़ा कौन है? बापके किये हुये रेहनकी अदायगीके जिम्मेदार मुश्तरका खान्दानकी कुल जायदाद है? साहू रामचन्द्र बनाम भूपसिंह 42 I. A. 127. वाली नजीरपर पूरी तरहसे विवेचन किया गया और अन्तमें तय हुआ कि बापने पहले पहल जो रेहननामे लिखे वह मौरूसी क़र्ज़ा था और उन दोनों रेहननामोंके अदा करनेके लिये दूसरा रेहन-नामा, इसलिये दूसरे रेहनका रुपया अदा करनेकी जिम्मेदारी मुश्तरका जायदादपर है जिसमें लड़कोंका हक़ शामिल है।

पहलेकी नजीरोंमें प्रिवी कौन्सिलकी यह राय थी कि बापने अगर पहले पहल रेहन कर दिया हो तो वह मौरूसी क़र्ज़ा नहीं माना जायगा और इसी रायपर हज़ारों मुक़द्दमें फैसल होगये हैं अब नयी इस नजीरने पहले का सादा क़ानून बदल दिया। इस ग्रन्थके छपनेके समय उपरोक्त बात मानी जाती है इस नजीरको ध्यानमें रखना चाहिये।

दफा ६१ बचे हुए (आखिरी) कोपार्सनरके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल

अगर किसी मुश्तरका खान्दानमें आखिरी आदमी जीवित रह गया हो और उसके कोई लड़के, पोते, परपोते न हों तो वह अकेला मुश्तरका खानदानकी जायदादका बतौर अपनी अलहृदा जायदादके मालिक होता है। उसे उस जायदादके बेंच देने या रेहन कर देनेका बिना किसी कानूनी ज़रूरतके भी पूरा अधिकार है वह उस जायदादको दानके द्वारा अथवा वसीयतके द्वारा दे सकता है, देखो—6 M I A 309, 3 Bom H C A C 6.

अगर उस बचे हुये आदमीके, जिसने अपनी जायदादको बेंच दिया हो पीछे कोई लड़का पैदा हो जाय तो वह लड़का अपने बापके किये हुये उस इन्तक़ालको मंसूख नहीं करा सकता जो उसके पैदा होनेसे पहिले किया गया था, अगर उस आदमीने मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल बजरिये वसीयतनामाके किया हो तो यह साफ नहीं है। पहिले यह सिद्धान्त समझ लो कि वसीयतका असर और हक़ उस वक्तसे पैदा होता है जबकि वसीयत करनेवाला मरे। इसलिये दूसरा कोई कोपार्सनर अगर वसीयत करनेके पीछे, तथा वसीयत करनेवालेके मरनेसे पहिले पैदा होगया—या गोद लिया गया हो तब वह वसीयत जहा तक कि उसमें मुश्तरका खान्दानकी जायदादका सम्बन्ध रखा गया, रद्द हो जायगा। और वह मुश्तरका जायदाद सरवाइवरशिप (दफा ५५८); के हक़के द्वारा पीछे पैदा हुये या गोद लिये गये कोपार्सनरके पास चली जायगी। इसका नतीजा यह होता है कि जहापर आखिरी मुश्तरका खान्दानके आदमीने, मुश्तरका खान्दानकी जायदादको बज़रिये वसीयतके इन्तक़ाल किया हो तो वह वसीयतनामा, वसीयत करनेवाले आदमीके वसीयतकी तारीखके पश्चात् लड़का पैदा होनेसे या गोद लेनेसे, या दूसरे मरे हुए कोपार्सनरकी किसी विधवाके गोद लेनेसे जो गोद वसीयत करने वालेके पहिले लिया गया हो, या उसके मरनेके बाद लड़का पैदा होनेसे, या मरे हुये कोपार्सनरके लड़का पैदा होनेसे, रद्द हो जायगा और बे असर हो जायगा, देखो—बचो बनाम मनकोरीबाई 31 Bom. 373, 341. A 107, 12 Bom 105, 8 Mad 89

संयुक्त खान्दान—जहांकि बटवारेकी नालिश दायर होनेके पश्चात्, उस सदस्यने जो खान्दानका मुन्तजिम था, खान्दानकी तरफसे, कुछ प्रामिज़री नोटका क़र्ज़, जो कि उसने खान्दानके फायदेके लिये लिया था, चुकाया, और असली क़र्ज़को बाक़ी रखनेके लिये कुछ प्रामिज़री नोटोंको फिर लिख दिया।

तय हुआ कि यद्यपि ख़ान्दानके अलाहिदा हो जानेके बाद मुन्तज़िम द्वारा ऐसे प्रामिज़री नोटोंके नये किये जानेकी, जो तमादी होगये थे, जिम्मेदारी ख़ान्दानके दूसरे सदस्योंपर नहीं है, यद्यपि ख़ान्दानके दूसरे आदमी न्यायानुसार उनके अदा करनेके लिये बाध्य हैं—विश्वशङ्कर नारायन अय्यर बनाम कासी अय्यर 21 L. W. 25, 86 I. C. 225, A. I. R. 1925 Mad 453.

उदाहरण—ऐसा मानो कि महेश, शिव, और रामनाथ तीन हिन्दू भाई मुश्तरका हिन्दू ख़ान्दानके मेम्बर हैं और मिताक्षरालॉ के पाबन्द हैं। शिव और रामनाथ महेशकी ज़िन्दगीमें मर गये अब महेश अकेला मुश्तरका ख़ान्दानका आख़िरी कोपार्सनर हुआ। महेश एक वसीयतके जरियेसे रामदत्त को मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदाद देकर मर गया उसने एक विधवा और एक लड़की छोड़ी, महेशकी विधवा जबकि महेश मरा था गर्भवती थी पीछे उसके एक लड़का पैदा हुआ तो वही लड़का सरवाइवरशिप के द्वारा उस सब जायदादका मालिक होगा जो रामदत्तको वसीयतके ज़रियेसे दीगई थी। रामदत्तको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर वसीयतके बाद और बापके मरने से पहिले लड़का पैदा हो जाता तो भी यही सूरत रहती। इसी क़िस्मका मुक़द्दमा, देखो—हनुमन्त बनाम भीमाचार्य्य 12 Bom. 105, 109, 110

मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके लाभ अर्थात मुनाफ़ेका इन्तक़ाल

दफ़ा ६२ मुश्तरका जायदादका दान करना या वसीयत द्वारा दान करना

जिन प्रान्तोंमें कि मिताक्षरालॉ माना जाता है वहांपर कोई भी कोपार्सनर मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादके मुश्तरका लाभको न तो दानके द्वारा और न वसीयतके द्वारा किसीको दे सकता है; देखो—बाबा बनाम टिम्मा 7 Mad. 357. पुन्नूसामी बनाम थाथा 9 Mad. 273. रामअन्ना बनाम वेंकट 11 Mad. 246. रोहाला बनाम पुलीकर 27 Mad 162, 166. ऊदाराम बनाम रानू 11 Bom. H C. 76. विन्द्रावनदास बनाम जमनाबाई 12 Bom. H C 229. काल्लू बनाम बारसू 19 Bom. 803 विटलाबुट्टन बनाम यामेन अन्ना 8 Mad. H. C. 6. लक्ष्मण बनाम रामचन्द्र 5 Bom. 48, 7 I. A. 181, 29 Bom. 351.

हालका एक मुक़द्दमा देखो—मोतीलालके क़ब्ज़ेमें मौरूसी जायदाद थी उसने बालकृष्णको गोद लिया उसी समय उसने एक वसीयत लिखा जिसमें यह भी लिखा कि "श्रीउत्तर नारायणजीके मन्दिरमें दीपक जलानेके लिये २०) रु० वार्षिक दिया जाया करे" कुछ दिन बाद वह मर गया दत्तक पुत्रने रु० देना बन्द कर दिया तब मन्दिरके मेनेजरने तीन वर्षके बक़ाया की नालिशकी अदालतने वसीयतके आधारपर दावा डिकरी किया अपीलमें फैसला बहाल रहा, दत्तक पुत्रने बम्बई हाईकोर्टमें अपीलकी। अपीलांटकी तरफसे बम्बई हाईकोर्टके सुप्रसिद्ध वकील पं० पद्मनाभ भास्कर सिंगणेने बहसमें कहा कि मुश्तरका हिन्दू परिवारका कोई कोपार्सनर वसीयत नहीं कर सकता इस मामलेमें जब मोतीलालने बालकृष्णको गोद ले लिया तो वह दत्तक पुत्र कोपार्सनर होगया ऐसी दशामें वसीयत करनेका हक़ ही नहीं रहा हाईकोर्टने यह बात मानी और अपील डिकरी किया मन्दिरके मेनेजर का दावा खारिज हुआ. देखो—बालकृष्ण मोतीराम गूजर बनाम श्रीउत्तर नारायणदेव 21 Bom L R. 225.

अगर किसी कोपार्सनरके पास उनकी कोई दूसरी अलहदा जायदाद है तो वह उसे अपनी मरज़ीके अनुसार जिसको जी चाहे दे सकता है, देखो दफा ४१८, ४११

पुत्र द्वारा मंसूख़ीकी नालिश—जायदाद पिताके हिस्सेमें दीगई और बाक़ी सम्पत्ति पुत्रके हिस्सेमें—आया उचित है—तय हुआ कि अनुचित है—वरदाराजलू चेट्टी बनाम वेलायुद्ध उदायन 22 L. W. 230; 90 I. C 743; A I R 1925 Mad 1160.

दफा ६३ मुश्तरका जायदादका बेंचना या रेहन करना

(१) बम्बई और मदरास प्रान्तमें जैसाकि मिताक्षरालॉका अर्थ माना गया है उसके अनुसार उक्त दोनों प्रान्तोंमें हर एक कोपार्सनर मुश्तरका खान्दानकी जायदादका मुश्तरका लाभ, दूसरे कोपार्सनरोंके बिना पूछे क़ीमत के बदलेमें बेंच सकता है, रेहन कर सकता है और किसी दूसरे तरीक़ेपर भी इन्तक़ाल कर सकता है, देखो—तुकाराम बनाम रामचन्द्र 6 Bom. H C. A C 247 वासुदेव बनाम वेंकटेश 10 Bom H C. 139 फक़ीरापा बनाम चानप 10 Bom H C 162 पय्यागरी बनाम पय्यागरी 25 Mad. 690, 703 लक्ष्मण बनाम रामचन्द्र 5 Bom 48 61; 7 I A 181, 195. सूर्य्यवंशीकुंवर बनाम शिवप्रसाद 5 Cal 148, 166, 6 I. A 88, 101,102. बालगोविन्ददास बनाम नारायनलाल 15 All 339, 351, 20 I A.116,125.

(२) बङ्गाल और संयुक्त प्रान्तमें जैसाकि मिताक्षरालॉका अर्थ माना गया है उसके अनुसार उक्त दोनों प्रान्तोंमें कोई भी कोपार्सनर मुश्तरका

ख़ान्दानकी जायदादके मुश्तरका लाभको बिना दूसरे कोपार्सनरोंकी मंजूरीके क़ीमतके बदलेमें किसी तरहका इन्तक़ाल नहीं कर सकता, देखो-माधोप्रसाद बनाम मेहरबानसिंह 18 Cal. 157, 17 I A. 194 सदावर्तप्रसाद बनाम फूलवास 3 Beng L R F. B R. 31. कालीशङ्कर बनाम नवाबसिंह 31 All. 507. बालगोविन्ददास बनाम नरायनलाल 15 All. 339-351, 20 I. A. 116-125. और देखो मुहम्मद बनाम मिथ्थूलाल 31 All. 783. चन्द्रा बनाम दम्पति 16 All. 369

मगर बाप या दादा मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादका इन्तक़ाल कर सकता है देखो दफा ४४८ मिताक्षरालॉ का दृढ़ सिद्धान्त है, कि हर एक कोपार्सनर मुश्तरका ख़ान्दानकी सम्पूर्ण जायदादमें मालिकाना अपना हक़ रखता है इसलिये कोई एक कोपार्सनर बिना दूसरे कोपार्सनरोंकी मंजूरीके मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादकी किसी आमदनीको इन्तकाल नहीं कर सकता। मिताक्षरालॉ का यह सिद्धान्त दृढ़ताके साथ बङ्गाल और संयुक्तप्रांत में माना जाता है, लेकिन बम्बई और मदरास प्रांतमें मिताक्षरालॉ का उक्त दृढ़ सिद्धान्त मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादके इन्तक़ालके सम्बन्धमें मुलायसियतके साथ बर्ताव में लाया जाता है।

भावी वारिसोंकी मंजूरीसे विधवाका इन्तक़ाल--विधवा द्वारा किसी पूर्व इन्तक़ाल जायदादमें किन्हीं कल्पित भावी वारिसोंकी स्वीकृत लिये जाने के कारण, वरासतका समय आनेपर जीवित भावी वारिसोंके, चाहे वे भावी वारिसोंके पुत्रही हों, किसी मौजूदा इन्तक़ालमें क़ानूनी आवश्यकतापर एतराज करनेमें बाधा नहीं पड़ती -तुकाराम बनाम गनपत 26 Cr. L. J. 327 (2); 84 I. C 551 (2), A. I. R. 1923 Nag 156

दफा ६४ जब बापने अपना क़र्ज़ा चुकानेके लिये जायदाद का इन्तक़ाल किया हो

उन सब प्रान्तोंमें जिनमें कि मिताक्षरालॉ माना जाता है, अगर किसी हिन्दू मुश्तरका ख़ान्दानका फैलाव सिर्फ़ बाप और उसके लड़कोंही तक हो तो बाप अपने निजके क़र्ज़े या पहिलेके क़र्ज़ोंके लिये मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादका अपना हिस्सा और अपने लड़कोंका भी हिस्सा दोनों बेंच सकता है और रेहन कर सकता है। अगर वह कर्ज़े किसी अनुचित या क़ानूनन् नाजायज़ कामके लिये, लिये गये हों तो नहीं कर सकता। यही क़ायदा उस मुश्तरका ख़ान्दानसे भी लागू होगा जो दादा और पोताके दर्मियान बना हो, कारण यह है कि हिन्दू धर्म शास्त्रोंमें कहा गया है कि लड़का अपने बाप और दादाके क़र्ज़ोंके अदा करनेका पाबन्द और जिम्मेदार है तथा उन क़र्ज़ोंकी

ज़िम्मेदार मुश्तरका जायदाद रहती है। मतलब यह है कि जब किसी परिवार में सिर्फ बाप और उसके लड़के हों, या दादा और उसके पोते हों, या बाप और उसके लड़के, पोते हों तो ऐसी सूरतमें बाप और दादा अपने लड़कों और पोतोंका हिस्सा तथा अपना हिस्सा बेंच सकता है, रेहन कर सकता है। लड़कों और पोतोंकी मंजूरीकी ज़रूरत नहीं होगी।

हिसाब भी इन्तक़ालका प्रमाण हो सकता है—पिता और उस व्यक्तिके बीचका हिसाब, जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है इन्तक़ाल करनेका प्रमाण है किन्तु यदि मुद्दाअलेह किसी दूसरे दस्तावेज़को पेश करना चाहे, तो उसपर विचार किया जा सकता है और यदि उस दस्तावेजके दर्ज रक़म से क़र्जके सम्बन्धमें कोई सन्देह हो, तो इन्तक़ाल अस्वीकार किया जा सकता है—रामरेख बनाम रामसुन्दर L R 6 A 128, 86 I C 834; A I R. 1925 All 295 (2)

पिता द्वारा किये हुये इन्तक़ालका विरोध विना क़र्जको ग़ैर क़ानूनी या असभ्य सावित किये हुए ही किया जा सकता है, यदि बयनामा किसी तामील में या किसी पहिलेके क़र्जके सम्बन्धमें न हो—बलदेव बनाम भगवान मिश्र A I R 1925 All 241 (1)

जब किसी पिताके खिलाफ, जो किसी संयुक्त हिन्दू खान्दानका मेनेजर हो, कोई डिकरी दी जाय, तो इसके पहिले, कि उसकी तामील परिवारकी संयुक्त जायदादपर हो, यह आवश्यक है कि उस डिकरीसे यह प्रकट हो कि वह पिताके खिलाफ, बहैसियत मेनेजर व प्रतिनिधि खान्दान पास कीगई है। यह आवश्यक नहीं है कि डिकरीमें इस प्रकारकी बात विल्कुल खुलासा हो—नारूमल मूलचन्द बनाम जगतमल थारूमल A. I R. 1925 Sind 288

यदि पिताने स्वतन्त्र रीतिपर, ख़ान्दानका क़र्जा चुकानेके लिये रेहन किया हो तो वह रेहनकी रक़म संयुक्त ख़ान्दानकी जायदादसे वसूलकी जा सकती है—सीतलबक्स शुक्ल बनाम जगतपालसिंह 12 O L J. 114; 86 I C. 693, A I R 1925 Oudh 394

घरकी मरम्मत—घरकी मरम्मतमें जो खर्च हो, वह क़ानूनी आवश्यकताके अन्दर है। किन्तु इस प्रकारकी दुरुस्तीका पूरा हिसाब रखना बहुत कठिन है। ऐसी अवस्थामें केवल इस बातकी जांच कर लेना कि घरकी दुरुस्तीकी आवश्यकता है और उसकी मरम्मत कराई जा रही है तथा उसमें रुपया लगाया जा रहा है काफी है—सालिकराम बनाम मोहनलाल 7 Lah. L J 470, 90 I. C 143, 26 Punj. L R 708, A I.R.1925 Lah 407.

उदाहरण—(१) ऐसा मानो कि जय और विजय दो हिन्दू भाई हैं मुश्तरका ख़ान्दानके मेम्बर हैं और संयुक्त प्रान्तमें रहते हैं जहांपर मिता-

क्षरा लॉ दृढ़ताके साथ माना जाता है यानी वहांपर कोई कोपार्सनर बिना दूसरे कोपार्सनरोंकी मञ्जूरीके मुश्तरका जायदादका कोई अपना हिस्सा या मुनाफा नहीं बेंच सकता और न रेहन कर सकता है जैसा कि दफा ४८७ में बताया है। फ़र्ज़ करो कि मुश्तरका ख़ान्दानमें बाप और उसके दो लड़के हैं, अर्थात् राम बाप है और उसके लव, तथा कुश दो लड़के हैं, ऐसी सूरतमें रामने ख़ास क़र्ज़ेके अदा करनेके लिये अथवा पहिलेके क़र्ज़ेके चुकानेके लिये क़ीमतके बदलेमें मुश्तरका जायदादका अपना और अपने दोनों लड़कोंका हिस्सा बिना मञ्जूरी लड़कोंके वरुण नामक आदमीके हाथ बेंच दिया तो अब लव और कुश उस बिक्रीके पाबन्द हैं बशर्तेकि बेंचा जाना क़ानूनन नाजायज़ न हो। लड़के वरुणसे यह कहकर जायदाद पीछे नहीं पा सकते कि बापको हमारे हिस्से के बेंचनेका अधिकार न था और अगर ऐसी सूरत होती कि दादाने अपना हिस्सा तथा अपने पोतेका हिस्सा बिना पूंछे पोतेके बेंच देता तो भी जायज़ होता।

(२) बम्बई और मदरास प्रांतमें जहांपर मिताक्षरा लॉ के उक्त वाक्य का अर्थ सख़्तीसे नहीं माना जाता वहांपर हरएक कोपार्सनर मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादका अपना हिस्सा बिना मञ्जूरी दूसरे कोपार्सनरों के क़ीमतके बदले बेंच सकता है और बाप अपने कर्ज़े तथा क़र्ज़ोंके लिये जो नाजायज़ न हों अपने लड़कोंके हिस्से सहित अपना हिस्सा मुश्तरका जायदादका बेंच सकता है। अगर क़ानूनन् नाजायज़ कामोंके लिये बेंचा गया हो तो वह बिक्री नाजायज़ मानी जायगी।

नोट—इलाहाबाद और बगाल हाईकोर्टके तथा बम्बई और मदरास हाईकोर्ट के दरमियान सिर्फ़ फरक़ यह है कि उपरोक्त पूर्वके दोनों हाईकोर्टोंमें मुश्तरका जायदादको एक मेम्बर नहीं बेंच सकता और न रेहन कर सकता है जब तक कि सब मेम्बर जिनका हिस्सा मुश्तरका जायदादमें है मञ्जूर न करलें अथवा सबके सब मेम्बर उस बैनामा या रेहननामामें शामिल न हों। एव उपरोक्त आख़िरी दोनों हाईकोर्टोंमें मुश्तरका ख़ान्दानका हरएक मेम्बर अपना हिस्सा बिना दूसरे मेम्बरोंकी मञ्जूरीके भी इन्तकाल कर सकता है बाक़ी बातें सब हाईकोर्टोंकी एकसा हैं। आख़िरी दोनों हाईकोर्टोंने ख़रीदारके लाभपर ज्यादा ध्यान दिया है तथा पहिले वालोंने जायदादकी रक्षापर। "क़ीमतके बदले" ऐसा कहनेसे मतलब यहहै कि रुपया लेकर जायदाद दी गयी हो वसीयत या दान आदिके तरीके से नहीं।

दफा ६५ अदालतकी डिकरीसे मुश्तरका जायदादका कुर्क़ और नीलाम होना

शामिल शरीक हिन्दू परिवारमें रहने वाले किसी आदमीके ऊपर अगर कोई डिकरी अदालतसे हो जाय, तो यह बात साफ़ है कि सब प्रांतोंमें जहां पर कि मिताक्षरा लॉ माना गया है, जिसके ऊपर डिकरी हो उसकी ज़िन्दगी में मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदाद अदालतसे कुर्क़ कराई जा सकती है और

नीलाम हो सकती है, देखो—दीनदयाल बनाम जगदीप नरायन 3 Cal 198; 4 I A 247 ऊदाराम बनाम रानू 11 Bom H C 76

अगर कोई डिकरी क़र्जदारकी जिन्दगीमें अदालतसे हो जाय और उस डिकरीमें क़र्जदारकी जिन्दगीमें मुश्तरका खान्दानकी जायदादका उसका हिस्सा कुर्क न कराया गया हो बल्कि क़र्जदारके मरनेके बाद कुर्क कराया गया हो तो फिर उस डिकरीमें मुश्तरका खान्दानकी जायदाद कुर्क नहीं हो सकती और न नीलाम हो सकती है। देखो—सूर्य्य वंशीकुंवर बनाम शिवप्रसाद 5 Cal 148, 174, 6 I A. 88, 109 विट्ठलदास बनाम नन्दकिशोर 23 All 109, अगर बापपर डिकरी हो और बापकी जिन्दगीमें मुश्तरका जायदाद कुर्क नहीं कराई गयी हो तो बापके मरनेपर बापकी छोड़ी हुई जायदाद जब उसके लड़कोंके पास आवेगी तो उस डिकरीमें वह मुश्तरका जायदाद बापके मरने के बाद भी अदालतसे कुर्क और नीलाम हो सकेगी। कारण यह है कि बाप के क़र्जके देनेके पाबन्द और जिम्मेदार लड़के माने गये हैं इतनाही नहीं बल्कि बापके क़र्जके लिये लड़कोंकी जायदाद भी कुर्क और नीलाम हो सकती है डिकरी चाहे सिर्फ बापके नामपर हो। अगर बापके ऊपर किसी ऐसे क़र्जेकी डिकरी हो गयी है जो क़ानूनन नाजायज़ थी तो उस सूरतमें बापके मरनेके बाद न तो बापकी मुश्तरका जायदादही पाबन्द है और न लड़कोंकी जायदाद अर्थात् ऐसी डिकरीमें मुश्तरका जायदादका कोई हिस्सा कुर्क नहीं हो सकता और न नीलाम हो सकता है। यही क़ायदा दादा और पोतेके बीचमें होगा।

उदाहरण—जय, और विजय दोनों मुश्तरका खान्दानके मेम्बर हैं दोनों भाई हैं। तथा मिताक्षरालॉ को मानते है। लक्ष्मणको एक डिकरी अदालतसे जयके ऊपर मिली, लक्ष्मणने उस डिकरीमें जयका हिस्सा जो मुश्तरका जायदादमें था कुर्क कराया, कुर्क होनेके बाद और नीलाम होनेसे पहिले जय मर गया तो ऐसी सूरतमें वह कुर्क किया हुआ हिस्सा नीलाम हो सकता है। और अगर जायदादकी कुर्कीके पहिले मर जाता तो पीछे जयका हिस्सा जो मुश्तरका खान्दानकी जायदादमें था डिकरीमें कुर्क नहीं हो सकता और न नीलाम हो सकता। कारण यह है कि जयके मरतेही उसका हिस्सा सरवाइवरशिपके हक़के अनुसार उसके भाई विजयको मिल जाता और उस वक्त वह जायदाद विजयकी हो जाती।

पुत्रने तामीली नीलामका विरोध इस विनापर, किया कि क़र्ज जिसकी विनापर नालिश कीगई थी अनावश्यक था—गजाधर पाडे बनाम जदुपीर पाडे 47 All 122, 85 I C 31, A I. R 1925 All 180

डिकरीका तामील न होना—किसी हिन्दू हिस्सेदारके विरुद्ध प्राप्त हुई डिकरीकी उसकी मृत्युके पश्चात्, संयुक्त परिवारकी जायदादपर, तामील

नहीं हो सकती—ऊदराजसिंह बनाम श्यामलाल 93 I. C 385 (1), A. I. R 1926 All 338.

संयुक्त—जहांपर, कोई क़र्ज़, जो परिवारके लाभके व्यवसायके लिये, लिया गया बताया गया हो, यह साबित हो कि वह उस तात्पर्यके लिये नहीं लिया गया, तो हिस्सेदार उसके जिम्मेदार न होंगे—रामगोपाल बनाम फर्म भानराम मङ्गलचन्द 94 I. C. 163

दफा ६६ मुश्तरका जायदादके खरीदारके हक़

(१) जब किसी आदमीने मुश्तरका खान्दानके किसी आदमीका मुश्तरका जायदादका हिस्सा अदालतकी किसी डिकरीके नीलाममें ख़रीद किया हो, इससे ख़रीदारको यह हक़ प्राप्त नहीं है कि मुश्तरका जायदादके किसी खास हिस्सेको अपने क़ब्जेमें रखे, देखो—ऊदाराम बनाम रानू 11 Bom. H. C 76. पांडुरंग बनाम भास्कर 11 Bom H C. 72 पालानी बनाम मासाकोरम् 20 Mad 243 एक मुकद्दमें में खरीदार ने जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लिया था और बादमें उसे इन्तक़ाल भी कर दिया था, देखो—पटैल बनाम हुक्मचन्द्र 10 Bom. 363.

जब किसी आदमीने मुश्तरका जायदादका हिस्सा अदालतके नीलाममें ख़रीद किया हो तो वह जायदादपर क़ब्ज़ा नहीं कर सकता बल्कि वह अदालतमें मुश्तरका जायदादके बटवारा करा पानेका दावा कर सकता है, बटवारा होनेके बाद ख़रीदार अपने ख़रीदे हुये हिस्सेपर कब्ज़ा व दखल करेगा, बटवारा करानेमें अगर कोई कोपार्सनर राजी न हो तो ख़रीदार उसे या उन सबको मजबूर कर सकता है और बटवारा करा सकता है. देखो—दीनदयाल बनाम जगदीपनरायन 3 Cal. 198, 4 I A 247; 10 Cal 626,11 I A 26

हिस्सेपर डिकरी—किसी संयुक्त ख़ान्दानके किसी हिस्सेदारका महाजन डिकरीकी तामीलमें मुश्तरका जायदादके उस सदस्यके हिस्सेको नीलाम करा सकता है और उसे ख़रीद सकता है किन्तु महाजनको उसपर क़ाबिज़ होनेका अधिकार नहीं है। उसे यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह उस सदस्यके हिस्सेका बटवारा करावे, किन्तु उसे यह अधिकार नहीं होता कि उस खान्दानके दूसरे सदस्योंके साथ उस जायदादपर दखल करे, मंडीप्रसाद सिंह बनाम नन्दकेश्वरप्रसादसिंह 85 I. C 1014; 6 Pat L. J. 742: A. I. R. 1923 Patna 451.

परिवारकी जायदादकी विशेष मदोंका इन्तक़ाल—इन्तक़ालकी जायदादमें अपने भागकी प्राप्तिके लिए अन्य सदस्य द्वारा नालिश और उसमें उसके पक्षकी डिकरी—बादको मुन्तक़िलअलेह द्वारा आम बटवारे और अपने

लिये इन्तकालकी हुई जायदादके पृथक किये जाने तथा उसके स्थानमें अन्य जायदादके दिये जानेकी नालिश—कहां तक चलने योग्य है—सोरी मूथी बनाम पी० पचिया पिल्ले 91 I C 868, A I R 1926 Mad 241

हिस्सेदार केवल बटवारेमे ही पृथक और निश्चित भाग प्राप्त कर सकते हैं नीलाममें हिस्सेदारका अधिकार ख़रीद करने वाला कुछ परिस्थितियोंमें ही ख़रीदका यथार्थ अधिकार प्राप्त करता है—सत्यनारायन बनाम बिहारीलाल 52 I A. 22 (1925) M W N 1, 23 A L J 85, 6 L R P C 1, 21 L. W. 375; 27 Bom L R 135; 84 I C 883, 29 C. W N 797, A I. R 1925 P C 1847

मुश्तरका जायदादके ख़रीदारके लिये सिर्फ एकही तरीक़ा है कि वह मुश्तरका जायदादका हिस्सा ख़रीद करनेके बाद अदालतमे बटवारा करापाने का दावा सब कोपार्सनरोंके मुक़ाबिलेमें दायर करे और बटवारा होनेपर अपने ख़रीदे हुये हिस्सेके अनुसार जायदादपर दख़ल करें, देखो—पाण्डुरंग बनाम भास्कर 11 Bom H C 72; 8 Mad H C 6

(२) बम्बई हाईकोर्टके अनुसार माना गया है कि जब किसी आदमी ने मुख़तलिफ मुश्तरका जायदादमें से किसी जायदादका कोई हिस्सा ख़रीद किया हो तो ख़रीदारको सिर्फ उसी जायदादके बटवारा करापानेका दावा नहीं करना होगा जिसमें उसका ख़रीदा हुआ हिस्सा शामिल है बल्कि कुल जितनी जायदाद मुश्तरका खान्दानकी है सबका बटवारा करापानेकी नालिश करना होगा और अगर सब कोपार्सनर इस बातपर राजी हों तो ख़रीदार सिर्फ उननीही जायदादका बटवारा करायेगा, देखो - ऊदाराम बनाम रानू 11 Bom H C 76 मुरारराव बनाम सीताराम 23 Bom 184 शिवमुरटापा बनाम वीरप्पा 24 Bom. 128

इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार यह माना गया है कि जब किसी आदमी ने मुख़तलिफ मुश्तरका जायदादमें से किसी अलहदा जायदादका कोई हिस्सा ख़रीद किया हो तो ख़रीदार बिना कोपार्सनरोंकी मंजूरीके सिर्फ उसी ख़रीदी हुई जायदादके बटवारा करा पानेका दावा कर सकता है, देखो - राममोहन बनाम मूलचन्द 28 All 39

मदरास और कलकत्ता हाईकोर्टमें यह माना गया है कि इस क़िस्मके ख़रीदारको सब मुश्तरका जायदादका बटवारा करना योग्य होगा, देखो— वेंकटराम बनाम मीरा 13 Mad 275 पलानी बनाम मासा 20 Mad 243 कुंवर हसमत बनाम सुन्दरदास 11 Cal 396–399, यह बात सब हाईकोर्टों में मानी गयी है कि अगर कोई कोपार्सनर यह चाहे कि ख़रीदारके ख़रीदे हुये हिस्सेका बटवारा कराकर उसे अलग करदें तो हर एक कोपार्सनरका

अधिकार है कि वह सिर्फ उसी जायदादके बटवारा करा देनेका दावा कर सकता है जिसमें खरीदारका खरीदा हुआ हिस्सा शामिल है न कि सब मुश्तरका जायदादका. देखो—सुब्रह्मण्य बनाम पद्मनाभ 19 Mad. 267. रामचरन बनाम अजोध्या 28 All 50.

(३) यह बात सब जगह मानी गयी है कि खरीदार बटवारा करापाने का दावा उस आदमीकी जिन्दगीमें और उसके मरनेके बाद भी कर सकता है जिसका हिस्सा उसने खरीद किया था, एय्यागिरि बनाम एय्यागिरि 25 Mad. 690 इसी तरहपर जब खरीदार मर जाय तो उसके वारिस भी बटवारा करा पानेका दावा कर सकते हैं।

(४) अगर किसी आदमीने मुश्तरका खान्दानकी जायदादका कोई हिस्सा किसी कोपार्सनरसे खरीद कर लिया हो, और खरीदनेकी तारीख़के पश्चात् और खरीदारके बटवाराका मुक़द्दमा अदालतमें दाख़िल करनेसे पहिले कोई दूसरा कोपार्सनर उस खान्दानमें पैदा हो जावे, या मर जावे तो उस खरीदारको कितनी जायदाद मिलेगी? यह बात बड़े झगड़ेकी है क्योंकि हिन्दुस्थानके हाईकोर्टोंका इस प्रश्नपर मतभेद है। मतभेद नीचे देखो—

बम्बई हाईकोर्ट—बम्बई हाईकोर्टके मतके अनुसार यह तय हुआ है कि खरीदनेकी तारीख़के बाद जब कोई दूसरा कोपार्सनर मुश्तरका खान्दानमें पैदा हो जावे तो खरीदार को खरीदे हुये हिस्से से कमती हिस्सा मिलेगा यानी बटवाराका मुक़द्दमा दायर करनेके समय उस आदमीका जितना हिस्सा होगा उतना खरीदारको मिलेगा—जितना हिस्सा खरीदा था उतना नहीं मिलेगा। और अगर खरीद करनेकी तारीख़के बाद कोई कोपार्सनर मर जावे तो खरीदारको ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि उसे उतनाही हिस्सा मिलेगा जितना कि उसने खरीद किया था, देखो—गुरलिंगप्पा बनाम ननदाप्पा 21 Bom 797 ऐसा मानो कि—मुश्तरका जायदादके बेंचनेके समय बाप और उसके दो लड़के थे, और बटवाराकी नालिश करनेके समय ४ लड़के और पैदा होगये थे अब बम्बई हाईकोर्टके अनुसार खरीदारको ⅓ हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि ⅐ हिस्सा मिलेगा और अगर उपरोक्त तीनोंमें से कोई मर जाता तो खरीदारको ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता बल्कि ⅓ हिस्सा ही मिलता।

मदरास हाईकोर्ट—मदरास हाईकोर्टके फुल बेंचके फैसलेके अनुसार खरीदारको हमेशा उतनाही हिस्सा मिलेगा जितना उसने खरीद किया था यानी जिस कोपार्सनरसे उसने जितना हिस्सा खरीद किया था उतनाही हमेशा मिलेगा चाहे खरीदनेके पश्चात् कोई दूसरा कोपार्सनर पैदा हो जावे अथवा मर जावे, देखो—चिन्नूपिलाई बनाम कालीमुदहू 35 Mad 47

उदाहरण—अ, क, ख ग, घ, यह पांच हिन्दू भाई हैं और मुश्तरका खान्दानमें रहते हैं। अ, ने अपना हक रामके हाथ बेंच दिया उसके बाद अ,

के एक लड़का पैदा होगया, लड़का पैदा होनेके बाद रामने बटवारा करापाने का दावा किया अब देखो मदरास हाईकोर्टके फैसलेके अनुसार रामको १/४ हिस्सा मिलेगा और बम्बई हाईकोर्टके फैसलेके अनुसार १/१० मिलेगा। अ,क, ख, यह तीनों मुश्तरका खान्दानके मेम्बर हैं अ, ने अपना हक़ रामके हाथ बेंच दिया उसके बाद क, मर गया, पीछे रामने अ, और ख, पर बटवारा करा पानेका दावा किया तो अब रामको आधा हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि १/३ मिलेगा। क्योंकि किसी हिस्सेदारका हक़ ख़रीद लेनेसे राम कोपार्सनर नहीं हो जायगा। क, का हिस्सा उसके मरनेपर अ, और ख, को जायगा जो उसके कोपार्सनर हैं सबब यह है कि सरवाइवरशिप इनमें लागू था अपना हक़ बेंच देनेसे कोपार्सनरपनेका हक़ नहीं चला जाता इसी तरह अगर क, और ख, दोनों मर जाते तो उन दोनोंका हक़ सरवाइवरशिपके अनुसार अकेले अ, को मिल जाता—रामको नहीं।

नोट—मदरास हाईकोर्टमें भी कोपार्सनरके मरनेसे इसी तरहका फैसला होगा जैसा ऊपर उदाहरण के आख़ीरमें बताया गया है। जो नियम जायदादके बयनामासे लागू किये गये हैं वही नियम रेहननामासे भी लागू होंगे।

अगर किसी ख़रीदारने मुश्तरका खान्दानके किसी मेम्बरसे उसका हिस्सा ख़रीद किया हो और किसी तरहसे ख़रीदारने उस मुश्तरका जायदादपर अपना क़ब्ज़ा व दख़ल कर लिया हो चाहे उस क़ब्ज़ा व दख़लमें दूसरे कोपार्सनरोंका हिस्सा भी शामिल हो जिसे उसने नहीं ख़रीदा था, तो ऐसी सूरतमें कोई भी कोपार्सनर अदालत फौजदारीके द्वारा उस ख़रीदारको जायदादसे बेदख़ल नहीं कर सकेगा और न अदालत दीवानीमें उसके बेदख़ल किये जानेका दावा कर सकेगा। अब बड़ी मुश्किल यह समझमें आती है कि ऐसी सूरतमें दूसरे हिस्सेदारोंको क्या करना चाहिये? इसका उपाय सिर्फ एकही है कि दूसरे कोपार्सनरोंको अपनी तरफसे बटवारा करा पानेका दावा अदालतमें करना चाहिये यह दावा सब कोपार्सनर मिलकर अथवा एक भी कर सकता है। और कोपार्सनर इस क़िस्मका दावा भी कर सकते हैं कि "क़रार दिया जाय कि ख़रीदारके साथ जायदादके उपभोग करनेका हक़ दूसरे कोपार्सनरोंको है" देखो--महाबलाय बनाम टिमाया 12 Bom. H. C 138 बाबाजी बनाम बासुदेव 1 Bom 95, 2 Bom 676, 5 Bom 493

जो जायदाद ख़रीद की गयी हो अगर उसपर किसी क़र्ज़का बोझा ख़रीद करनेसे पहिलेका है तो वह बोझा ख़रीद करनेपर भी बना रहेगा यानी उस क़र्ज़का जिम्मेदार ख़रीदार होगा, देखो—11 Bom. H C 76 नरायन बनाम नाथाजी (1904) 28 Bom 201

साझेदारीसे ख़रीद—मुनाफा मय सूदकी जिम्मेदारी - गङ्गा विशन जीवन राव बनाम बल्लभदास 87 I C 703, A I R 1924 Bom 433

दफा ६७ मुश्तरका जायदादका हिस्सा जिस आदमीका बिक गया हो उसकी स्थिति

जब किसी कोपार्सनरका विना बटा हुआ हिस्सा मुश्तरका जायदादका बेंच दिया गया हो लेकिन खरीदार या दूसरे कोपार्सनरोंके द्वारा बटवारा न हुआ हो तो उस बिक्रीसे कोपार्सनरकी हैसियतमें कोई फरक नहीं पड़ता, तथा दूसरे कोपार्सनरके मरनेपर सरवाइवरशिपके अनुसार उसका हक़ बना रहता है, देखो--21 Bom. 797, 803

इन्तकाल मंसूख करानेमें बिके हुए हिस्सेको उसे देना जिसने इन्तकाल किया है—जब किसी मुश्तरका खान्दानका कोई नाबालिग सदस्य बटवारे और खान्दानी जायदादके अपने हिस्सेको अलाहिदा करने तथा खान्दानके दूसरे साझीदारों द्वारा किये हुए इन्तक़ालको मंसूख करनेकी नालिश करता है, तब अदालत, यदि इन्तकालकी पाबन्दी उसपर नहीं होती, तो यथा सम्भव मुन्तकिलकी हुई जायदाद, इन्तक़ाल करने वालोंके हिस्सेमें लगा देती है और उसे उनके अधिकारमें दे देती है जिनके हकमें वह इन्तकाल किया गया हो। वीरा स्वमी नायडू बनाम शिव गुरुनाथ पिल्ले 21 L W. 111; 86 I C 234, A. I R 1925 Mad. 793.

सकूनती मकान—किसी हिन्दू हिस्सेदारकी स्त्री को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी मकानकी नीलामपर, इस बिनापर कि उसे उसमें सकूनतका अधिकार है. एतराज करे, जब तककि वह यह न साबित करे कि वह कर्ज जिसके कारण वह नीलाम हो रहा है ग़ैर तहजीबी है या इस गरज़ से लिया गया है कि उसको उस मकानकी सकूनतसे महरूम किया जाय। हिस्सेदारकी विधवाकी अवस्था, उस सूरतमें जबकि नीलाम जीवित हिस्से-दारों द्वारा सार्थक की जाती हो, भिन्न है। मु० ननकी बनाम फर्म शामदास सालिगराम 89 I. C 874

दफा ६८ अगर कोपार्सनर अपना हिस्सा छोड़ दे

मदरास हाईकोर्टकी राय यह है कि कोपार्सनर मुश्तरका जायदादमें अपना हिस्सा किसी एक या ज्यादा कोपार्सनरोंके हकमें या सब कोपार्सनरों के लिये छोड़ सकता है,—पेडैय्या बनाम रामलिङ्गम् 11 Mad 406· 25 Mad. 149, 156; अप्पा बनाम रांगा 6 Mad 71

इलाहाबाद हाईकोर्टकी राय यह है कि कोपार्सनर सब कोपार्सनरों के हकमें अपना हिस्सा छोड़ सकता है, लेकिन अगर वह एक या ज्यादा कोपार्सनरोंके हकमें छोड़े तो जब कोपार्सनर उसमें लाभ उठायेंगे अर्थात्

जिसको वह हिस्सा दिया गया है सिर्फ वही उससे लाभ नहीं उठायेगा बल्कि सब कोपार्सनर लाभ उठायेंगे, देखो चन्द्र बनाम दम्पति 16 All 369

(१) एक बापके जय और विजय दो पुत्र हैं। जयका पुत्र वसु, और विजयका पुत्र अत्रि है। जयने मुश्तरका जायदादमें अपना हिस्सा अपने बाप के हक़में छोड़ दिया यानी दे दिया तो जयके पुत्र वसु सहित सब कोपार्सनर उससे लाभ उठावेंगे यह राय बम्बई हाईकोर्टकी है (6 Bom L R 925, 947; 9 Bom L R 595, 33 Bom 267, 1 Mad 312, 5 A 61).

(२) अ, क, ख, ग चार भाई मुश्तरका खान्दान में हैं अ, क मुश्तरका खान्दानकी जायदादमें अपना हिस्सा अकेले ख, के हक़में दे दिया पीछे ख, बटवाराका दावा ग, के ऊपर करता है ऐसे मामलेमें मदरास हाईकोर्टका मत है कि ख, तीन चौथाई ¾ हिस्सा पानेका हक़दार होगा । तथा ग, ¼ एक चौथाई पावेगा। परन्तु इलाहाबाद हाईकोर्टने ऐसा माना है कि भलेही अ, और क ने अपने हिस्से ख को दे दिये हों किन्तु ख और ग उस जायदादका बराबर लाभ उठायेंगे यानी आधी जायदाद ख को तथा आधी जायदाद ग को मिलेगी।

मदरास हाईकोर्टकी उक्तरायका आधार महर्षि मनुका वचन मालूम होता है क्योंकि मनुस्मृतिमें कहा गया कि—

भ्रातृणां यस्तु ने हेत धनं शक्तः स्वकर्मणा
सनिर्भाज्यःस्वकादेशात्किञ्चिद्दत्त्वोपजीवनम्। मनु ९-२०७

मतलब यह है कि अगर किसी भाईकी अलग कमाई अपने पेशेसे हो और वह जायदादमें अपना हिस्सा न चाहता हो तो जायदादका उसका हिस्सा ले लिया जायगा और उसे उसके बदलेहै कुछ दे दिया जायगा जिससे उसके पुत्र कालांतरमें कोई विवाद न कर सकें। इसी आशयपर मदरासके हाईकोर्ट की राय हुई है कि यदि सब कोपार्सनरोंके हक़में अपना हिस्सा छोड़ा जा सकता है तो कोई वजह नहीं है कि वह अकेले किसी ऐसे कोपार्सनरके हक़ में न छोड़ सके जिसको कि सचमुच वैसी मदद की ज़रूरत है।

दफा ६९ दिवालिया कोपार्सनर

जिस मुश्तरका खान्दानमें मिताक्षरालॉ माना जाता है यदि उसका कोई कोपार्सनर अदालतसे दिवालिया ठहराया जाय तो मुश्तरका खान्दानका उसका हिस्सा आफिशल एसाइनीके क़ब्जेमे चला जायगा, देखो—कृष्ण बनाम चिड़ाराभोइना 26 Mad. 214, 223 अगर दिवालेकी कार्रवाईके दरमियान

में वह कोपार्सनर मर जाय तो दूसरे कोपार्सनर सरवाइवर शिपके द्वारा उसके हिस्सेके हक़दार नहीं होंगे, फकीरचन्द बनाम मोतीचन्द 7 Bom 438.

ऐसा मानो कि जय और उसका पुत्र विजय मुश्तरका खान्दानमें हैं, जय दिवालिया हो गया और उसके मरनेके बाद आफीशल एसाइनीने जयका हिस्सा बेंच दिया जो मुश्तरका खान्दानमें था। विजयने इस बातपर उज़ुर किया कि जयके मरनेके बाद मुश्तरका खान्दानकी जायदादका उसके हिस्सा परसे आफीशल एसाइनीका हक जाता रहा और सरवाइवर शिप द्वारा विजयका हक़ उसपर क़ायम होगा। परन्तु बम्बई हाईकोर्टने विजयकी यह बात नहीं मानी देखो ऊपरकी नज़ीर 7 Bom. 438.

दफा ७० मुश्तरका ख़ान्दान के फर्मका दिवाला

जब मुश्तरका खान्दानके फर्मका दिवाला हो जाय तो नाबालिग़ कोपार्सनरोंके हिस्से सहित सब कोपार्सनरोंके हिस्सोंपर आफिशल एसाइनीका हक़ क़ायम हो जायेगा 26 Mad 214, 14 Bom. 189

जब किसी मुश्तरका खान्दानके मैनेजरने, ख़ान्दानके फ़ायदेके व्यवसायमें, किसी पब्लिक ट्रस्टकी रक़मका दुरुपयोग किया हो, तो मुश्तरका खान्दानके मेम्बर मैनेजरके साथ मुश्तरका तरीक़ेपर और अलाहिदा अलाहिदा भी, वह रकम मय सूद जो वह पब्लिक ट्रस्ट सही तरीक़ेपर तलब करे, चुकानेके लिये बाध्य है—जैनारायण बनाम प्रयागनारायन (1925) M. W. N. 13, 21 L. W 162, 2 O W N 157; 85 I C. 2, L R. 6 P. C. 73, 27 Bom. L. R 713, 29 C W N. 775, 3 Pat L. R. 255; A. I R. 1925 P C 11, 48 M. L J 236 (P. C.)

पिता दिवालिया क़रार दिया गया—जब किसी हिन्दू मुश्तरका खानदानका मैनेजर दिवालिया करार दिया गया हो, तो उसकी ख़ान्दानी जायदादके मुनासिब कारणोंपर मुन्तकिल करनेका अधिकार, जो उसे दिवालिया होनेके पहिले प्राप्त था, रिसीवर या किसी आफिसके नुमाइन्दाको प्राप्त हुआ नहीं माना जा सकता—श्रीपदगोपाल कृष्ण बनाम बासप्पा रुद्रप्पा 27 Bom. L R. 934, 89 I C. 996, 49 Bom 785, A I R. 1925 Bom 416

व्यवसायिक क़र्ज़—दिवालिया—पुत्रका हिस्सा—जिम्मेदारी—खेमचन्द बनाम नारायणदास सेठी 89 I. C. 1022. 26 Punj L. R 848, 6 Lah. 493

जिमीदारीपर नाम चढ़ा होना—यह एक आम रिवाज़ है, यद्यपि ऐसा नहीं, जो परिवर्तन न किया जा सके, कि मुश्तरका खान्दानकी ज़मीदारीके सम्बन्धमें मालगुज़ारीके क़ागजोंमें केवल मैनेजरका नाम दर्ज रहता है। ऐसी

दशामें, मैनेजर प्रतिनिधि स्वरूप रहता है और दरअसल मुश्तरका ख़ान्दान उस लिखित हिस्सेका अधिकारी होता है। अतएव यू० पी० लैण्ड रेवन्यू एक्टकी दफा १११ (१) (वी) के अनुसार हुक्मकी पावन्दी उन छोटे मेम्बरों पर भी होती है जिनके नाम मालगुजारीके क़ागजोंमें नहीं दर्ज होते जहांपर कि केवल मैनेजरका नाम होता है—36 All 313, 24 O C 143 Full 20 O C 241 शिवबक्ससिंह बनाम इन्द्रबहादुरसिंह 12 O L J 239, 2 O W N. 209, 28 O C 194, 87 I C 185, L R 6 O 65, A. I. R 1925 Oudh 392

व्यवसायिक झूठा—दिवालिया होना—पुत्रका हिस्सा—जिम्मेदारी—खेमचन्द बनाम नारायणदास सेठी A I R 1926 Lah 141

किसी हिन्दू मुश्तरका ख़ान्दानके मेनेजरके दिवालिया हो जानेपर, सरकारी रिसीवर ख़ान्दानी जायदादके नुमायशी इन्तक़ालपर, जो कि फैसले के कुछही पहिले ख़ान्दानके बड़े सदस्यों द्वारा किया गया हो, जबकि मैनेजर ख़ान्दानका छोटा सदस्य हो, एतराज किया जा सकता है—नारायनदास बनाम बङ्किमचन्द्र देव 85 I C 396, 46 All 912, A I R 1925 All 194 (1)

मेनेजरको रन्डी रखना—जब किसी मुश्तरका ख़ान्दानका मेनेजर रण्डी रख ले और ख़ान्दानी जायदादका रुपया रण्डीकी जायदादको तरक्की में लगावे, तो ख़ान्दानके दूसरे मेम्बरोंको यह अधिकार नहीं है कि रण्डीको तरक्की शुदा जायदादसे उस रक़मके वसूल करनेका दावा करें, या उसे मुश्तरका ख़ान्दानकी रक़म होनेका दावा करें—देवीराम बनाम प्रहलाददास 21 L W 183, 86 I C 201, L R 6 P C 92, A. I R 1925 P C 38 (P C)

पिताका दिवालिया होना—जब किसी मुश्तरका ख़ान्दानका कोई सदस्य दिवालिया क़रार दिया जाता है, तो उसके पुत्रोंके विना बटे हुये हिस्से, किन्तु ख़ान्दानके दूसरे सदस्योंके नहीं, रिसीवरको प्राप्त होते हैं, यद्यपि पुत्रों के हिस्सेपर किसी ऐसे क़र्जकी जिम्मेदारी न पड़ेगी, जिसे वे ग़ैर तहजीवी या गैर क़ानूनी सावित कर सकें—शिवगोपाल बनाम सुखरू 87 I C 957, A. I R 1925 Nag 418

पिता दिवालिया क़रार दिया गया—ग़ैर बटे हुये पुत्रोंके हिस्से आफीसियल रिसीवरको प्राप्त होते हैं किन्तु वे इस विनापर कि क़र्ज ग़ैर तहज़ीवी या ग़ैर क़ानूनी है बटवारेके लिये नालिश दायर कर सकते हैं। प्रान्तीय इनसालवेन्सी (दिवालिया) ऐक्ट दफा २—जी० नरसमलू बनाम पी० वासव शङ्करन् 85 I C 439, A I R 1920 Mad 249, 47 M L J 749

मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल मंसूख कराना

दफा ७१ दानका मंसूख कराना

मिताक्षरा के अनुसार कोई कोपार्सनर न तो मुश्तरका जायदादके अपने हिस्सेको या अपने लाभ को दान कर सकता है और न किसी को दे सकता है यदि कोई ऐसी लिखा पढ़ी की गयी हो तो दूसरे कोपार्सनरों के एतराज़ करनेपर अदालतसे बिल्कुल मन्सूख़ कर दी जायगी। परन्तु बाप, पैतृक मनकूला जायदादका दान कहां तक कर सकता है या किसी देवताके लिये कहा तक दानकर सकता है यह बात इस किताबकी दफा ४१८-३, ७९६ में बतायी गयी है।

मुश्तरका जायदादसे दिया हुआ दान--उस सूरतमें भी जब वह दाता के हिस्सेके अन्दर हो नाजायज़ है--पिताको अधिकार है कि वह पुत्रीके हक में उचित दान करे, किन्तु वह भी विधवा या माताके हकमें दान नहीं कर सकता--एम० सुब्बाराव बनाम अदेम्मा 83 I C 72, A.I R 1925 Mad. 60, 47 M L J. 465.

दफा ७२ बिक्री और रेहनका मंसूख करना

बम्बई और मद्रास प्रांतमें जिस तरह से कि मिताक्षरा लॉ का अर्थ मानागया है उसके अनुसार यदि मुश्तरका ख़ान्दानका कोई कोपार्सनर अपने हिस्सेसे ज्यादा मुश्तरका जायदादका कोई भाग बेंच दे या रेहन कर दे या किसी दूसरी तरहसे इन्तक़ाल कर दे तो दूसरे कोपार्सनरोंके उज़ुर करनेपर वह बिक्री या रेहन या इन्तक़ाल केवल उसी एक बेंचने वाले कोपार्सनरके हिस्से तक लागू समझा जायगा। अर्थात् जिस क़दर कि बेंचने वाले कोपार्सनरका हिस्सा होगा उसका इन्तक़ाल जायज़ माना जायगा और जिस क़दर कि उसने दूसरे कोपार्सनरोंका ज्यादा हिस्सा बेंच, या रेहन या इन्तक़ाल कर दिया है वह नाजायज़ माना जायगा। इसका कारण यह है कि हरएक कोपार्सनर अपने हिस्सेको बेंच या रेहन या इन्तक़ालकर सकता है, देखो—श्रीपति चित्रा बनाम श्रीपति सूर्य्य 5 Mad. 196 माराप्पा बनाम रंगसामी 23 Mad. 89.

(२) बङ्गाल और संयुक्त प्रांतमे मिताक्षरालॉ मानने वाले मुश्तरका ख़ान्दानका कोई कोपार्सनर मुश्तरका जायदादको या उसका कोई हिस्सा अपने हिस्से से ज्यादा बेंचदे या रेहन करदे या किसी दूसरी तरहसे इन्तक़ाल कर दे, अथवा केवल अपनाही हिस्सा दूसरे कोपार्सनरोंकी रज़ामन्दीके बिना बेंचदे या रेहन करदे या किसी दूसरी तरहसे इन्तक़ाल कर दे

तो ऐसी सूरतमें वह सब विक्री, या रेहन, और इन्तक़ाल अदालतसे मंसूख़ हो जायगा। लेकिन अगर वह बेचने वाला कोपार्सनर पिता या पितामह हो और उसने जायदाद इन्तक़ाल उस क़र्ज़के चुकानेके लिये किया हो जिसका ज़िक्र इस किताबकी दफा ४४८ में किया गया है तो वैसा इन्तक़ाल जायज़ माना जायगा कारण यह है कि बङ्गाल और संयुक्त प्रातमें कोपार्सनर मुश्तरका ख़ान्दानके अपने हिस्सेका भी इन्तक़ाल दूसरे कोपार्सनरोंकी विना मंजूरी नहीं कर सकता इसी लिये ऊपर कही हुई विक्री या रेहन या इन्तक़ाल सब मन्सूख़ हो जाता है।

जब मुश्तरका ख़ान्दानका कोई आदमी इन्तक़ालके मंसूख़ करा दिये जानेकी अदालतमें प्रार्थना करे तो अदालतको यह जरूरी नहीं है कि वह वैसाही करे जैसाकि उसने चाहा है बल्कि अदालतको अधिकार है कि जैसा उसकी रायमें उचित समझ पड़े किसी शर्तके साथ उसको मंसूख़ करे, देखो-मोधू बनाम गुलबर 9 W R 511 हनुमान बनाम बाबूकृष्ण 8 Beng L. R. 358 तेजपाल बनाम गङ्गा 25 All 59 मसलन् अदालत यह कह सकती है कि--इन्तकाल करने वाला अपने हिस्सेमे से वह रक़म उस आदमीको अदा करता रहे जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया है और जिसके बदलेमें रक़म ली गयी है, देखो--महात्रीप्रसाद बनाम रामयाद 12 Beng L R 90 जमुना बनाम गङ्गा 19 Cal 401 इससे स्पष्ट है कि बम्बई और मदरास तथा बंगाल और संयुक्त प्रान्तमें इस आख़िरी अन्शमें क़ानूनके अर्थमें मतभेद नहीं है प्रायः सब जगहपर यही है। हर हालतमें वह आदमी जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया इन्तक़ाल करनेवालेके हिस्सेका हकदार होता है, देखो-दीनदयाल बनाम जगदीश नरायन 3 Cal. 198-208, 4 I A 247-255

पिता द्वारा इन्तक़ालमें नीलाम मंसूख़ नहीं हुआ—यह ठीक नहीं है कि यदि मुआवजेका कोई भी भाग, चाहे वह कितनाही कम क्यों न हो नाजा-यज़ हो, और उसकी पाबन्दी मुद्दईपर, इस वज़हसे न हो कि वह क़ानूनी आवश्यकतामें शुमार न हो, तो मुद्दईको यह अधिकार होगा, कि वह नीलाम को मसूख़ करा देवे। इसके विरुद्ध कितनेही प्रमाण हैं कि यदि मावजेका कोई भी अंश, जो क़ानूनी आवश्यकतामें शामिल न हों बहुतही मामूली हो, तो नीलाम जायज रहेगी। एक नजीर है जिसमें मावजेके ६०००)रु० में से २५०) कानूनी आवश्यकताके बाहर पाये गये, किन्तु यह प्रमाणित हुआ कि यह रुपये मुद्दईके पिताको दिये गये थे। तय हुआ कि नीलाम जायज़ रहे और २५०) रुपये, डिक्रीकी रक़ममें वजा न किये जांय—बहादुरलाल बनाम कमलेश्वरनाथ L R 6 A 591, 90 I C 988, A I R 1925 All 624 (F B.).

नाबालिग़ खान्दानी साझीदार द्वारा मंसूखीकी नालिश—ग़ैर तहज़ीवी या ग़ैर क़ानूनी साबित करनेकी पुत्रकी जिम्मेदारी—गिरधारीलाल बनाम किशनचन्द 85 I. C 463, A I R 1925 Cal. 240

मुश्तरका खान्दान—बिना आवश्यकताका इन्तक़ाल पूर्णतया मंसूख़ किया जा सकता है, न कि केवल उस हद तकही, जो कि विरोध करने वाले हिस्सेदारका अधिकार है—चिरोंजीलाल बनाम करतारसिंह A. I. R 1925 Lah 130.

रेहननामेकी डिकरी और नीलाम और जब नीलाम नाबालिग़ द्वारा मंसूख़ न कराई जा सके—गजाधर पांडे बनाम यदुवीर पांडे 47 A 122, 85 I. C. 31; A. I. R. 1925 All. 183.

उदाहरण—(१) जय और विजय दो हिन्दू भाई मुश्तरका खान्दानमें हैं और कलकत्तेमें रहते हैं उनके खान्दानमें मिताक्षरालॉ माना जाता है जय खान्दानका मेनेजर है उसने जायज़ ज़रूरतके लिये २०००) रु० महेशसे लेकर खान्दानकी जायदाद उसके पास रेहन करदी। रेहनमें विजयकी मंजूरी नहीं लीगयी थी। पीछे विजयने अदालतमें रेहन मंसूख़ किये जानेका दावा जय और महेशपर किया अदालतको मालूम हुआ कि जयने जायज़ ज़रूरत बता कर महेशसे क़र्ज़ा लिया था और महेशने उसकी बातपर विश्वास करके वह क़र्ज़ा दिया था ऐसी सूरतमें रेहन मंसूख़ करते हुये अदालतने यह हुक्म दिया कि जायदादमें आधा हिस्सा जयका रहे और आधा विजयका, परन्तु जय अपने आधे हिस्सोंमें से महेशका कुल क़र्ज़ा सूद सहित बराबर अदा करता रहे। इस तरहका फ़ैसला बङ्गाल और सयुक्त प्रान्तमें मिताक्षरालॉ के अनुसार होगा। अगर रेहन करनेके बाद जय मर जावे तो महेशका रुपया मारा जायगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि सरवाइवरशिपके द्वारा जय की जायदाद विजयके पास चली जायगी और विजय उसका पूरा मालिक हो जायगा परन्तु महेशके क़र्ज़ेका जिम्मेदार नहीं रहेगा, देखो—माधोप्रसाद बनाम मेहरबानसिंह 18 Cal 157, 17 I. A 194

(२) ऊपरके उदाहरणको ध्यानमें रखकर पुनः विचार करो जय और विजय दोनों मिताक्षरा मानने वाले हैं, जय मुश्तरका खान्दानकी जायदाद विजयकी बिना मंजूरी महेशको बेच दी, विजय उस बिक्रीकी मंसूखीके लिये जय और महेशपर दावा करता है, यह साबित है कि जयने बिक्रीका रुपया जायदादके किसी जायज़ क़र्ज़ेके चुकानेमें अदा किया था ऐसे मामलेमें बङ्गाल और संयुक्त प्रांतके अन्तर्गत अदालत बिक्री मंसूख कर देगी मगर साथही यह भी हुक्मदे सकती है कि महेश बतौर सादे क़र्ज़ेके अपना रुपया वसूल करे। लेकिन अगर जयने वह बिक्रीका रुपया खास अपने क़र्ज़ेके चुकानेमें अदा किया हो या मुश्तरका खान्दानके किसी काममें जो जायज़ और ज़रूरी हों

न लगाया हो तो महेशको सादे क़र्जेकी तरहपर भी वसूल करनेका अधिकार नहीं रहेगा यानी सब रुपया मारा जायगा।

नोट—खरीदारको चाहिये कि अच्छी तरहसे और सब तरहसे मुश्तरका खान्दानी जरूरत जायजको मालूम करके रुपया दे और खबर रखे कि वह रुपया खान्दानी जायज़ काममें खर्चा होगा वरना बड़े झगड़ेमें फसना पड़ेगा—ऊपरके उदाहरण देखो—अगर इन्तक़ाल करने वाला बाप हो तो उसके बेटों को पाबन्द होना पड़ेगा। बम्बई और मदरासकी बात बिल्कुल साफ ऊपर कही जा चुकी है।

दफा ७३ मुश्तरका जायदादके इन्तक़ाल हो जानेपर कौन उज्र कर सकता है

जबकि कोई कोपार्सनर अपने अधिकारसे ज्यादा या हिस्सेसे ज्यादा मुश्तरका जायदादका इन्तकालकरे तो कोई भी दूसरा कोपार्सनर जो इन्तक़ालके समय मौजूद हो अदालतमें प्रार्थना करके उस इन्तक़ालको मंसूख़ करा सकता है, उसके सिवाय कोई भी कोपार्सनर जो इन्तक़ालके समय गर्भमें हो वह भी पैदा होनेके बाद उस इन्तक़ालको मंसूख़ करा सकता है इसका कारण यह है कि हिन्दूलॉ के अनुसार गर्भ वाले पुत्रके अधिकार भी बहुत सी सूरतोंमें वही हैं जो जन्मे हुये पुत्रके होते हैं, देखो—सथापा थी बनाम सोमासुन्दरम् 16 Mad 76 रामअन्ना बनाम वेङ्कटा 11 Mad 246 (दानका केस है) गिरधारीलाल बनाम कन्तूलाल 14 Beng L R 187, 11 I A 321

(१) उक्त 11 Mad 246 में तय हुआ है कि जय, जो मिताक्षरालॉ का माननेवाला है कोई पैतृक जायदाद विजयको दान करदी दानके समय जयका कोई पुत्र नहीं था लेकिन दानकी तारीख़से दो मासके बाद एक पुत्र पैदा हुआ उस पुत्रके उज्र करनेपर अदालतने इस दानको मंसूख़ कर दिया क्योंकि दानके समय वह लड़का गर्भमें था। चूंकि यह दानका मामला था इसलिये सबका सब मंसूख़ कर दिया गया न कि पुत्रके हिस्से तक।

(२) मदरास प्रान्तमें जैसाकि मिताक्षरालॉ का अर्थ माना जाता है जय उसका मानने वाला है बिना किसी जायज जरूरतके उसने कोई पैतृक जायदाद विजयको बेच दी इस विक्रीके समय जो पुत्र जयका गर्भमें था उसके पैदा होनेके बाद उसके उजुर करनेपर यह बिक्री सिर्फ पुत्रके हिस्से तक मंसूख करदी जायगी सबकी सब नहीं यानी बापके हिस्सेकी बिक्री मंसूख नहीं होगी इस किस्मका फैसला 16 Mad 76. में किया गया है।

(३) जय और उसका पुत्र विजय मिताक्षरालॉ मानने वाले हैं मुश्तरका खान्दानमें रहते हैं, जयने कोई पैतृक जायदाद विजयके हिस्से सहित और बिना मंजूरी उसके एक जायज़ क़र्जा अदा करनेके लिये महेशके हाथ बेच दी यह बिक्री सर्वथा जायज़ मानी जायगी विजय उस बिक्रीपर कोई

उज्र नहीं कर सकता क्योंकि बापका क़र्ज़ा अदा करनेके लिये यह बिक्री की गई थी—इस क़िस्मका फैसला देखो—4 Beng L R 117,11 I A 321.

(४) बिकी हुयी जायदादसे हिस्सा लौटाना—प्रथम मुद्दाअलेह के पिता (स) की मृत्यु, उस जायदादको, जिसका वर्णन नालिशकी सूची नं० १ में है प्रथम मुद्दईके पिताके हाथ वेचनेके बाद तथा दूसरी सूचीमें वर्णित जायदादको चौथे मुद्दाअलेहके हाथ वेचनेके बाद, और तीसरी सूचीमें वर्णित जायदादको मुद्दाअलेह नं० ३ के पूर्वजोंके हाथ वेचनेके बाद, हो गई। चौथी सूचीमें वर्णित जायदादका इन्तकाल उसके द्वारा न हुआ था। प्रथम मुद्दाअलेह ने यह जावा किया कि उसके पिता द्वारा किये हुए इन्तक़ाल की पावन्दी उस पर न थी और अपने हिस्सेके बटवारेके लिये नालिश दायर कर दी तथा डिकरी प्राप्त किया। उपरोक्त मुक़द्दमेकी समाप्ति पर, मुद्दईने जिसके हक़में सूची नं०१ की जायदाद इन्तक़ालकी गई थी, नालिश दायरकी जिसपर कि (स) की जायदादके आम बटवारेके लिये अपील दायर हुई। उन्होंने यह दलील पेशकी कि जो जायदाद इन्तक़ाल करनेसे वच गयी थी, वह उस हिस्सेके नियत करनेके लिये काफी है जिसका प्रथम मुद्दाअलेह अधिकारी है। प्रथम अदालत में उन्होंने यह प्रार्थनाकी कि वह पूरी जायदाद, जो उन्हें वेची गई है (स) के हिस्सेमें लगा दी जानी चाहिये और (स) के मध्यसे उन्हें प्राप्त होनी चाहिये या दूसरी सूरतमें यदि अदालत यह फैसला करे कि वह जायदाद जोकि उन्हें वेची गई है उनके हिस्सेमें नहीं लगाई जा सकती तो उसके वजाय दूसरी जायदाद लगाई जानी चाहिये।

तय हुआ कि मुद्दयानको प्रथम प्रार्थनाका अधिकार नहीं है किन्तु वे दूसरी प्रार्थनाके अधिकारी हैं। जहां तक कि खास खास जायदादकी विक्रीका सम्बन्ध है प्रथम नालिश ही अन्तिम है और अमर तजवीज़ शुदः है। पहिली नालिशकी डिकरीका यह फैसला होता है कि मुद्दई उस नालिशमें अपना हिस्सा बतौर अलाहिदा जायदादके प्राप्त करता है और उसे मुश्तरका खान्दान की जायदादकी तरहपर नहीं प्राप्त करता। दूसरी प्रार्थनाके सम्बन्धमें, यह मुद्दईके अधिकारके भीतर न था कि वह पहिली नालिशमें आम बटवारेकी प्रार्थना करता। सोदरी मुथू बनाम पचदे पचिया पिल्ले (1925) M. W. N. 844, 49 M L J. 679.

हिस्सेदारीकी जायदादकी एक मद्का इन्तक़ाल—पुत्र द्वारा इन्तकाल के मंसूख करनेकी नालिश—मुन्तकिल अलेहका आम बटवारे और पिता द्वारा इन्तक़ाल किये हुए भागके नियत करानेका अधिकार—कन्दा स्वामी ओडायन बनाम वेलामुदा ओडायन 92 I. C. 332 (1), A. I. R. 1925 All 96.

दो व्यक्तियोंके मध्य समान भाग लेनेका सुलहनामा जायज़ माना गया गौरचन्द्रदास बनाम सुबासिनी दासी A I R 1926 Cal 240

उसके अधिकार रेहननामेकी डिकरीपर एतराज करनेका अधिकार—नारायन बनाम धूंधाबाई 92 I. C 663, A I R 1925 Nag 299

पितामहके खिलाफ डिकरीमें नीलाम—यदि प्रपौत्र विरोध करे, तो उसे क़र्ज़ को ग़ैर तहज़ीबी साबित करना होगा, बद्रीनाथ बनाम राधा वल्लभ राज जी A. I R 1925 Oudh 199

पिताके खिलाफ डिकरीकी नीलाम, पुत्रके अधिकारपर भी पहुंचती है जब तक कि महाजनको यह न विदित हो, कि क़र्ज़ ग़ैर तहज़ीबी मतलबसे लिया गया था, सत्यनारायन बनाम विहारीलाल 6 Lah 1; 52 I A 22; (1925) M W N 1, 23 A. L J 85, L R 6 P C 1, 21 L. W 375, 27 Bom L. R 135, 84 I. C. 883, 29 C W. N 797, A. I. R. 1925 P. C 18, 47 M. L J. 857; (P C.)

दफ़ा ७४ जायज़ इन्तक़ालके समय यदि गर्भमें भी पुत्र न हो तो हक़ नहीं है

जायज़ इन्तक़ालके समय यानी जिस समय मुश्तरका खान्दानकी किसी जायदादका इन्तक़ाल किया गया हो वह पुत्र उस समय न तो गर्भमें हो और न जन्मा हो तो वह पीछे पैदा होकर उस इन्तक़ालके मंसूख करापाने का दावा नहीं कर सकता, देखो—राजाराम बनाम लक्ष्मण 8 W R. 16,21 भोलानाथ बनाम कारतिक 34 Cal 372, 33 All 283

लेकिन जो इन्तक़ाल नाजायज हो अर्थात् विना जायज ज़रूरतके या जो उस वक्त पुत्र मौजूद हों उनकी रजामन्दीके विना किया गया हो वह इन्तक़ाल, पीछे उन पुत्रोंके उज्र करनेपर और उस पुत्रके भी उज्र करनेपर जो पीछेसे पैदा हुआ है मंसूख किया जायगा लेकिन अगर इन्तक़ालके वक्त जो पुत्र मौजूद हों उन्होंने उस इन्तक़ालको मंजूर कर लिया हो या पीछेसे मंजूर कर लिया हो तो मंसूख नहीं किया जायगा, देखो—33 All. 654.

(१) जय, मिताक्षरालॉ का मानने वाला है उसने एक पैतृक जायदाद महेशको बेंच दी, बिक्रीके समय जयका कोई पुत्र न तो मौजूद था और न गर्भमें था तथा बिक्री विना जायज़ ज़रूरतके की गयी थी परन्तु फिर भी वह बिक्री जायज़ है मंसूख नहीं की जा सकेगी क्योंकि जरूरत जायज या नाजा-यज़का सवाल उसी वक्त पैदा होता है जब दूसरे कोपार्सनर भी मौजूद हों अगर बिक्रीके दो वर्ष के बाद कोई पुत्र जयके पैदा हो तो वह उस बिक्री को नाजायज़ नहीं ठहरा सकता।

खान्दानी साझीदारोंके खिलाफ़, जो कि बयनामेके समय मौजूद थे, बीती हुई मियाद किसी नाबालिग़ साझीदारके पैदा होने या गर्भ में आने से पुनर्जीवित नहो सकेगी, सिकन्दरसिंह बनाम बच्चूपांडे A I R 1925 All 54

मावज़ा—मावज़ेका अधिक भाग ऐसा पाया गया जिसकी जिम्मेदारी थी—डिकरीकी क़िस्म—सनमुख पांडे बनाम जगन्नाथ पांडे 83 I. C 838, A. I. R 1924 All. 708.

पीछेसे पैदा हुआ सदस्य इन्तक़ाल मंसूख़ करा सकता है—अधिकार—सीतारामसिंह बनाम छेदीसिंह 46 All. 882; 83 I. C. 1052, A I R. 1924 All 798.

नोट—ऊपरके उदाहरणमें बिक्रीका मतलब यह है कि जायदादका इन्तक़ाल पूरी तरहसे न हुआ हो मसलन् बिक्रीका सिर्फ इक़रार हुआ हो और इक़रारके बाद कोई पुत्र पैदा हो तो मिताक्षराऑके अनुसार बंगाल और संयुक्त प्रांतमें वह बिक्री सबकी सब मंसूख हो जायगी मगर बम्बई और मदरास प्रांतमें पुत्रके हिस्से तक मंसूख होगी यानी पुत्रका हिस्साही सिर्फ बरी कर दिया जायगा, देखो—पुनाम वाला बनाम सुन्दरण्णा एय्यर 20 Mad 354 और देखो ट्रान्सफ़र आफ प्रापर्टी ऐक्ट १८८२की धारा ५४

(२) जयका एक लड़का विजय है, जयने पैतृक जायदाद विजयकीरज़ामन्दी बिना किसी जायज़ ज़रूरतके लिये महेशके हाथ बेंच दी, बेंचनेकी तारीख से दो वर्ष बाद जयके एक और पुत्र पैदा हुआ बिक्री नाजायज़ थी इसलिये पीछेसे पैदा हुये लड़केके उज्र करने पर बङ्गाल और संयुक्त प्रान्तमें सबकी सब बिक्री, और बम्बई तथा मदरासमें सिर्फ पैदा हुये लड़केके हिस्से तक मंसूख करदी जायगी। लेकिन अगर वह बिक्री विजयकी रज़ामन्दीसे हुई थी तब वह लड़का कोई उज्र नहीं कर सकता क्योंकि माना जायगा कि वह बिक्री जायज़ थी और अगर उस लड़केको गर्भमें आनेके पश्चात् या पैदा होने के पश्चात् विजयने रज़ामन्दी दी हो तो उस लड़केका हक़ नष्ट नहीं होता—इसी क़िस्मका केस देखो—33 All. 654, 11 W. R. 480.

(३) जय और उसका पुत्र विजय, तथा जयके चाचाका पुत्र राम मुश्तरका खान्दानमें हैं, विजयकी नाबालिगीमें जय और रामने मुश्तरका जायदाद आपसमें बांटली अर्थात् जयने कुछ जायदाद रामको देदी इसके पश्चात् जयके दो पुत्र शिव और सेवक पैदा हुये तीनों भाइयों (विजय, शिव, सेवक) ने उस जायदादके वापिस पानेका दावा जय और राम पर किया जो जयने रामको दी थी। तीनों भाइयोंने कहा कि यद्यपि जयने रामको अपने चाचाका दत्तक पुत्र मानकर वह जायदाद दी थी परन्तु वह दत्तक जायज़ नहीं था इसलिये रामको खान्दानकी किसी जायदादपर कोई हक़ नहीं है (यह साफ़ है कि अगर दत्तक दर असल नाजायज़ है तो उसको इस तरहपर जायदाद का देना भी नाजायज़ है) इसलिये विजय, शिव, और सेवक तीनों अदालत

में प्रार्थना करके जायदाद वापिस ले सकते हैं, देखो—रामकिशोर बनाम जैनरायन 40 Cal 966, 40 I A 213

दावाकी मियाद—मिताक्षरालॉ मानने वाले बापने जिस पैतृक जायदादका इन्तक़ाल किया हो उसपर उसका पुत्र बारह वर्षके अन्दर उज्र कर सकता है और यह मियाद उस समयसे शुरू होगी जबकि उस आदमीने जिसके नाम इन्तकाल किया गया है जायदाद पर क़ब्जा किया हो। देखो लिमीटेशन ऐक्ट नं० ६ सन १६०८ ई०

दफा ७५ जायदादके इन्तक़ालके बाद यदि दत्तक लिया गया हो

मुश्तरका जायदादके इन्तक़ालके पश्चात् जो दत्तक पुत्र लिया गया हो वह उस इन्तक़ालको जो जायज़ हो रद्द नहीं करा सकता मगर नाजायजको करा सकता है, देखो—सूदानन्द बनाम सूर्य्यमणि 11 W R 436 रामभट्ट बनाम लक्ष्मिण 5 Bom 630

दत्तक—दत्तक लेन वाले पिता द्वारा नाना (Maternal grand father) की जायदाद प्राप्त किया जाना—दत्तक पुत्र इसमें खान्दानी साझी है—वी० शेषय्या बनाम ए० अप्पाराव A I R. 1925 Mad 125

दफा ७६ माके गर्भमें रहते हुए पुत्रके अधिकार

हिन्दूलॉ के अनुसार गर्भमें जो पुत्र हो उसको भी बहुत कुछ वही अधिकार प्राप्त हैं जो जन्मे हुये पुत्रको हैं। गर्भमें चाहे लड़का हो या लड़की उनके जीवित पैदा होनेपर वे वरासतके अधिकारी हैं। गर्भमें जो पुत्र हो वह बटवाराके समय जायदादमें हिस्सा पानेका भी अधिकारी माना गया है। गर्भमें उस पुत्रके रहते समय यदि उसका बाप वसीयत द्वारा किसीको जायदाद दे दी हो या दे गया हो तो वह पुत्र पैदा होनेपर सरवाइवरशिप द्वारा उस जायदादको वापिस ले सकता है जिस तरहसे जीवित पुत्र पिताकी मृत्युके बाद सरवाइवरशिपसे उसकी जायदाद पाता है। उसी तरह वह पुत्र भी जो गर्भमें हो जायदाद पायेगा। पुत्रके सरवाइवरशिपका अधिकार रद्द करनेके लिये बाप किसी तीसरे आदमीको मुश्तरका जायदाद नहीं दे सकता चाहे वह पुत्र मौजूद हो या गर्भमें हो। जायदादके जिस इन्तक़ालपर जीवित पुत्र अदालतमें उज्रकर सकता है उसी तरह वह पुत्र भी कर सकता है जो इन्तक़ालके समय गर्भमें हो। सिर्फ एक ऐसी सूरत है जिसमें हिन्दूलॉ गर्भमें रहने वाले पुत्रको मौजूद नहीं मानता वह सूरत दत्तक पुत्रके सम्बन्धमें है क्योंकि आदमी अपनी स्त्रीके गर्भवती होनेपर भी दत्तक पुत्र ले सकता है पीछे चाहे गर्भसे पुत्रही उत्पन्न हो, देखो—हनूमन्त बनाम रामचन्द्र 12 Bom 105. और देखो दफा १०५.

बादको पैदा हुये पुत्रका पिताकी जायदादमें हिस्सा है—ओङ्कारेश्वर बनाम दुशान्तप्रसाद A. I R 1925 Oudh 56.

मुश्तरका खान्दान—बंटवारा—बंटवारेके सम्बन्धमें फ़रीक़ोंके बीचका बर्ताव एक बड़ी शहादत है—अलाहिदीके प्रमाणित करनेकी जिम्मेदारी उस पक्षपर होती है जो कि इसे पेश करना है जबकि कोई खान्दानी जायदादका होना क़बूल कर लिया जाता है—हरनारायन पांडे बनाम सुरेश पांडे A I R. 1925 Oudh. 56

पुत्रका अधिकार जब वह जायदाद बापके हकसे निकल जानेके बाद पैदा हुआ हो—कोई हिन्दू पुत्र, उसके पिताके खिलाफ दीगई रेहननामेकी डिकरीपर एतराज़ नहीं कर सकता, जबकि वह, पिताके उस जायदादसे अधिकार चले जानेके बाद पैदा हुआ हो, नरायन बनाम मु० धूधाबाई 21 Nag. L R 38; A I R. 1925 Nag 299.

दायभाग लॉ

दायभागलॉके अनुसार कोपार्सनर और कोपार्सनरी जायदाद

दफा ७७ दायभागलॉके अनुसार मुश्तरका ख़ानदानकी ख़ास पहिचान

कोपार्सनर और कोपार्सनरी जायदादके सम्बन्धमें दायभाग लॉ—मिताक्षरालॉ से बिल्कुल भिन्न है, परन्तु जहां दायभागमें कुछ नहीं कहा गया वहां पर जहां तक सम्भव है मिताक्षरालॉ ही माना जाता है क्योंकि बङ्गालमें भी मिताक्षरालॉ का प्रमाण सबसे ऊंचे दर्जेका माना जाता है, जहां पर मिताक्षरा और दायभागमें मतभेद होता है वहींपर सिर्फ दायभागलॉ बङ्गालमें माना जाता है, देखो—कलक्टर आफ मदुरा बनाम मोटोराम लिंग 12 M. I. A 397–405 भगवानदीन बनाम मैनाबाई 11 M.I. A 487–507. अक्षय बनाम हरीदास 35 Cal 721.

पैतृक सम्पत्तिमें पिता और पुत्रोंके अधिकारके सम्बन्धमें दायभागके सिवाय दो और भी ग्रन्थ हैं जो बङ्गालमें मान्य है १–दायतत्व २–दायक्रम संग्रह; दायतत्वके कर्ता हैं पं० रघुनन्दन जो सोलहवीं शताब्दीमें हुये और दायक्रम संग्रहके कर्ता हैं श्रीकृष्ण तत्वालंकार जो अट्ठारहवीं शताब्दीमें हुये यह दोनों ग्रन्थ वरासतसे सम्बन्ध रखते हैं देखो–दफा २३–५

यह विचार कि संयुक्त खान्दानमें, व्यक्तिगत नामकी जायदाद भी संयुक्त खान्दानकी ही जायदाद होती है, उस दशामें जबकि खान्दान केवल पिता पुत्र का हो और दायभागला के अधीन हो, नहीं माना जाता। इस बातके निर्णय में कि आया जायदाद स्वय उपार्जित है, इसपर ध्यान दिया जाता है कि वह रक़म जिससे वह ख़रीदी गई है कहासे प्राप्त हुई है। इस बातके सुबूत न होनेपर, कि उस सदस्यके पास कोई पृथक फण्ड है, यह माना जाता है कि वह संयुक्त खान्दानकी जायदाद है—यशोदा सुन्दरी बनाम पालमोहन 42 C L J 486

दफा ७८ लड़के अपनी पैदाइशसे कोई हक़ नहीं प्राप्त करते

मिताक्षरालॉ के अनुसार प्रत्येक पुत्र कुल पैतृक जायदादमें अपनी पैदाइशसे बापके साथ बराबरका हक़ प्राप्त कर लेता है, और बापके मरनेके बाद लड़का सरवाइवरशिपके अनुसार बापकी छोड़ी हुई जायदाद लेता है न कि उसके वारिसकी तरह। दायभागलॉ के अनुसार लड़के पैतृक जायदादमें अपनी पैदाइशसे कोई भी हक़ नहीं प्राप्त करते, उनका हक़ बापके मरनेके पश्चात् पैदा होता है बापके मरनेपर लड़के उतनीही जायदाद पाते हैं जितनी कि बाप छोड़ गया हो चाहे वह जायदाद मौरूसी हो या उसकी अलहदा कमाईकी हो इस स्कूलमें लड़के सरवाइवरशिपके अनुसार बापकी जायदाद नहीं पाते बल्कि वह बतौर वारिसके पाते हैं। बाप और लड़कोंके बीचमें कोपार्सनरी नहीं होती। हिन्दूलॉ के कुछ लेखकोंकी राय है कि बाप और लड़के पैतृक जायदादमें मुश्तरका हक़ प्राप्त करते हैं और इसलिये वह कोपार्सनरीकी हक़दारीके भीतर आ सकते हैं मगर यह बात पूरे तौरसे तय नहीं हुई है कि कहा तक यह बात इस बङ्गाल स्कूलमें माननीय होगी।

दफा ७९ पैतृक जायदादके इन्तक़ाल करनेमें बापको पूरा अधिकार है

जब दायभागलॉ में यह बात मानी गयी है कि लड़के अपनी पैदाइशसे पैतृक जायदादमें कोई हक़ नहीं प्राप्त करसकते इसीलिये कुल पैतृक जायदादको बाप अपनी मरज़ीके अनुसार बेंच सकता है, रेहन कर सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है, और दूसरे तरीक़ोंसे भी दे सकता है चाहे वह जायदाद मनकूला हो या ग़ैर मनकूला हो। मौरूसी जायदादमें बापके वैसेही अधिकार होते हैं जैसे उसको अपनी अलहदा जायदादमें, देखो—रामकिशोर बनाम भुवनमयी (1859) Beng S D. A. 229, 250-251 देवेन्द्र बनाम बृजेन्द्र 17 Cal 846 यही क़ायदा वहांपर भी लागू होगा जहां पर जेठे लड़केका हक़ जायदाद पानेका माना गया हो, देखो—उदय बनाम

16

जादोलाल 5 Cal. 113. नरायन बनाम लोकनाथ 7 Cal 461. मिताक्षरालॉ में बापके अधिकार मौरूसी जायदादके इन्तकालमें महदूद रखे गये हैं देखो इस किताबकी दफा ४४४

दफा ८० लड़के बापसे बटवारा नहीं करा सकते और न हिसाब मांग सकते हैं

दायभागलॉ में लड़कोंका कोई हक उनकी पैदाइशसे मौरूसी जायदाद में नहीं होता इसलिये उस जायदादका बटवारा भी लड़के बापसे नहीं करा सकते और न उस जायदादके इन्तज़ाम करनेका हिसाब तलब कर सकते है। बाप जायदादका तनहा पूरा मालिक होता है और ऐसा माना जाता है कि वह उसकी खास जायदाद है, उसे अधिकार है कि जैसा इन्तज़ाम चाहे करे, देखो —दायभागलॉ चेप्टर १ दफा ११-३१-३८-४४-५०, चेप्टर २ दफा ८ मिताक्षरालॉ में ऐसा नहीं होता उसमें लड़के बटवारा करा सकते हैं तथा हिसाब देख सकते हैं देखो इस किताबकी दफा ४१०

दफा ८१ दायभागलॉके अनुसार पैतृक सम्पत्ति कौन है ?

यह बात दोनों स्कूलोंमें मानी गयी है कि बाप, दादा, परदादासे मिली हुई जायदाद पैतृक जायदाद होती है मगर मिताक्षराके अनुसार पैतृक जायदादमें लड़का अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्तकर लेता है दायभागलॉमें नही करता।

दफा ८२ दायभागलॉके अनुसार कोपार्सनर

मिताक्षरालॉ में कोपार्सनरीकी बुनियाद पुत्रका उत्पन्न होना है यानी पुत्र पैदा होतेही कोपार्सनरी शुरू हो जाती है देखो दफा ३८६ लेकिन दायभागलॉ में बापके मरनेके बादसे कोपार्सनरीकी बुनियाद पड़ती है जब तक बाप जीवित है कोपार्सनरी नहीं समझी जाती मरनेके बाद कोपार्सनरी होने पर मृत पिताके पुत्र उसके वारिस बनकर उसकी पैतृक और अलहदा जायदाद आपसमें कोपार्सनरकी तरह रखते हैं। इन पुत्रों अर्थात् कोपार्सनरोंमें से किसीके मरनेपर उसके वारिस उसके हिस्सेके पानेके अधिकारी होते हैं और उसकी जगह कोपार्सनरीकी हिस्सेदारीमें शरीक हो जाते हैं इस स्कूल में पुत्र, लड़कियां विधवा या विधवायें भी वारिस हो सकती है इससे साफ़ है कि दायभागमें स्त्रियां भी अपने बाप या पतिकी वारिस बनकर कोपार्सनरीमें शरीक हो जाती हैं, परन्तु मिताक्षरालॉ में कोई स्त्री कोपार्सनरीमें नहीं शरीक हो सकती। दायभागलॉ में कोपार्सनरी स्त्रीसे शुरू नहीं होती, तथा स्त्रिया आपसमें कोपार्सनर नहीं होतीं बल्कि वारिस तरीके कोपार्सनरी में शामिल रहती हैं।

(१) देखो, दायभाग मानने वाला विजय अपने तीन पुत्र मुकुंद, कुमुद और अनन्तको छोड़कर मर गया यह तीनों भाई अपने बापके वारिस और आपसमें कोपार्सनर हैं पीछे मुकुन्द एक विधवा छोड़कर मर गया तथा कुमुद एक लड़की छोड़ कर मर गया यह विधवा और लड़की अनन्तके साथ कोपार्सनर होंगी।

(२) दायभागका मानने वाला विजय बिना वसीयत किये मर गया उसने अपना एक पुत्र, और एक पोता जिसका बाप मर गया है, और एक परपोता जिसका बाप और दादा मरगया था, छोड़ा यह सब विजयके वारिस होकर उसकी जायदादमें कोपार्सनर होंगे। परपोतेका लड़का कोपार्सनरीमें नहीं शामिल होगा।

(३) दायभागके अनुसार कोपार्सनरी भाइयों, चाचाओं, भतीजों, या चाचाओंके पुत्रों आदिमें होती है मगर वह बाप और बेटे, तथा दादा और पोते, इसी तरह परदादा और परपोतेके बीचमें नहीं होती देखो—

विचार करो अगर विजय मुकुन्द, कुमुद, अनन्तको छोड़कर मर जाय तो वह तीनों वारिस हैं तथा आपसमें कोपार्सनर हैं। अगर प्रयाग को छोड़कर मुकुन्द और धीरजको छोड़कर कुमुद मर जाय तो उस समय अनन्त प्रयाग, और धीरज आपसमें कोपार्सनर हैं। अगर मुकुन्द, कुमुद अनन्त, प्रयाग तथा धीरज सब जीवित हों तो प्रयाग और धीरज कोपार्सनर नहीं होंगे। अगर कोपार्सनरीकी हालतमें प्रयागको छोड़कर मुकुन्द मर जाय तो प्रयाग अपने बापका वारिस होगा और कोपासनरीमें शामिल हो जायगा।

नोट—मुसलमान, पारसी, ईसाई आदिमें दो भाइ आपसमें कोएयर (Coheir) अर्थात समान अधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी होते हैं परन्तु दो हिन्दू भाई आपसमें कोपार्सनर होते हैं।

दफा ८३ दायभागलॉ की कोपार्सनरी जायदाद

मिताक्षरालॉ में जितनी क़िस्मकी जायदाद कोपार्सनरी जायदाद में शामिल मानी गयी है वही दायभागलॉ में भी मानी गयी है देखो इस किताबकी दफा ४१७

दफा ८४ दायभागमें हर एक कोपार्सनर अपना हिस्सा लेता है

मिताक्षरालॉ की कोपार्सनरी में सब कोपार्सनरोंका मालिकाना अधिकार एक समान मिला हुआ रहता है अर्थात् मुश्तरका खान्दानका कोई

आदमी अपने हिस्सेकी तादाद नहीं बता सकता क्योंकि दूसरे कोपार्सनरोंके मरने या पैदा होनेसे उसके हिस्सेकी तादाद बढ़ घट सकती है बटवारा होने के बाद हिस्सेकी तादाद मालूम हो सकती है बीचमें नहीं।

दायभागमें मालिकाना अधिकारकी नहीं बल्कि क़ब्ज़ेके अधिकारकी एकता है अर्थात् हर एक कोपार्सनरका हिस्सा निश्चित रहता है किसी दूसरे कोपार्सनरके मरने या पैदा होनेसे बढ़ता घटता नहीं, बटवाराके पहिले यह बात मालूम रहती है कि किस कोपार्सनरका कितना हिस्सा है पिताके मरने के बाद पुत्रोंका क़ब्ज़ा जायदादपर एकसा होता है क़ब्ज़ा एकसा होनेकी हालतमें कोई दो पुत्र यह नहीं कह सकते कि दो आधे हिस्सोंमें अमुक आधे हिस्सा हमारा है (हिस्साकी तादाद निश्चित रहेगी मगर जायदादके क़ब्ज़े में नहीं) ऐसा वह बटवाराके बादही कह सकते हैं। दायभागमें मुश्तरका क़ब्ज़ा तोड़नेका नाम बटवारा है और मिताक्षरामें मुश्तरका अधिकार तोड़ने का नाम बटवारा है

दफा ८५ दायभागमें सरवाइवरशिप

दायभागलॉमें सरवाइवरशिपका हक़ नहीं होता जैसा कि मिताक्षरामें होता है, देखो—दफा ५५८-१ इस स्कूलमें अपने हिस्सेपर कोपार्सनरका पूरा अधिकार होता है।

दफा ८६ कोपार्सनरका पूरा अधिकार

दायभाग लॉमें हरएक कोपार्सनर अपने हिस्सेको बिना पूंछे दूसरे कोपार्सनरोंके इन्तक़ाल कर सकता है यानी बेंच सकता है, रेहन कर सकता है, दान कर सकता है, वसीयत या और जो जी चाहे कर सकता है मगर मिताक्षरा लॉमें ऐसा नहीं हो सकता, देखो—केवलराम बनाम रामहरी 4 Beng Sel R. 196.

दफा ८७ अदालतकी डिक्रीका असर

जब किसी दायभागलॉ मानने वाले कोपार्सनरपर क़र्ज़ेकी डिकरी अदालतसे हो उसमें उसका हिस्सा जिसने नीलाममें ख़रीद कियाहो वह ख़रीदार उस कोपार्सनरकी जगहपर अधिकार प्राप्त कर लेता है मगर मिताक्षरा लॉमें ऐसा नहीं होता, देखो—10 Cal. 244.

इसी तरहपर हर एक कोपार्सनर अपना हिस्सा किसी दूसरे आदमी को पट्टापर भी दे सकता है और पट्टा लेने वाला उसकी जगह कोपार्सनर बन जाता है जैसा कि ख़रीदार, देखो—रामदेवल बनाम मित्रजीत 17 W. R. 320, मेकडानल्ड बनाम लालाशिव 21 W. R. 17.

दफा ८८ दायभागलॉका मेनेजर

मुश्तरका खान्दान की जायदाद के मेनेजरके अधिकार दायभाग और मिताक्षरा लॉमें एक समान हैं, देखो—32 Mad 271, 274

दफा ८९ कोपार्सनरी जायदादका लाभ

दायभागलॉका कोई कोपार्सनर जिस तरहपर चाहे अपने हिस्सेको काममें लावे, देखो—ईश्वरचन्द्र बनाम नन्दकुमार 8 W R 239 रामदुबल बनाम मित्रजीत 17 W R 420 लेकिन वह ऐसा कोई काम नहीं करसकता कि जिससे कोपार्सनरी जायदादको हानि पहुंचे (13 W R 322) या जिससे दूसरे कोपार्सनरोंके अधिकारमें फरक पड़े मसलन् वह किसी मुश्तरका खेत का कोई एक हिस्सा सिर्फ अपने लाभके लिये नहीं जोत सकता (20 W R 168) अगर उसका हिस्सा उस खेतमें अलग बता दिया गया हो तो वह ऐसा कर सकता है (18 Cal 10, 21, 17 I A 110, 120)

दफा ९० बटवारा करानेका अधिकार

मिताक्षरा लॉकी तरह दायभाग लॉमें भी हर एक बालिग कोपार्सनर बटवारा करानेका दावा कर सकता है, देखो—6 M I A 526.

दफा ९१ कोपार्सनरी जायदादमें अदालतका ख्याल

मुश्तरका खान्दान और मुश्तरका जायदादके विषयमें अदालत जो कुछ ख्याल करके मान सकती है वह अधिकांश मिताक्षरा लॉ और दायभाग लॉ दोनोंमें एकही है। लेकिन दायभाग लॉमें यह नहीं ख्याल किया जासकता कि बापने अपने पुत्रके नामसे जो जायदाद खरीदी वह मुश्तरका खान्दानकी जायदादमें शामिल है अर्थात् वह शामिल नहीं मानी जायगी क्योंकि इस स्कूलमें बाप और बेटेके दरमियान मुश्तरका खान्दान नहीं होता, ऐसे मामले कि वह जायदाद बापकी थी या बेटेकी इसमें बार सुबूत उस पक्षपर होगा जो यह बयान करता हो कि यह जायदाद बाप की है, देखो—सारदा बनाम महानन्द 31 Cal 448.

पैतृक ऋण अर्थात् मौरूसी क़र्ज़ा

पुत्र और पौत्रकी जिम्मेदारी

दफा ९२ पुत्रका कर्तव्य और ज़िम्मेदारी

जब कोई हिन्दू पुत्र या पौत्र अपने बाप या दादासे अलग न हुआ हो तो हिन्दूलॉ के अनुसार उस पुत्र और पौत्रका कर्तव्य है कि अपने बाप या दादाका लिया हुआ कर्ज़ा अदा करे, देखो—नारदस्मृति, कोलब्रुकड़ाईजेस्ट Vol 1 P 267, 334 फकीरचन्द बनाम दयाराम 25 All 67 मगर शर्त यह है कि वह कर्जा अनुचित और बे क़ानूनी कामोंके लिये न लिया गया हो देखो - कोलब्रुकड़ाईजेस्ट P. 300 और यह कि उस कर्जेकी तमादी न हो गयी हो, सुब्रह्मण्य ऐय्यर बनाम गोपाल ऐय्यर 30 Mad 308.

हिन्दू धर्म शास्त्रानुसार हिन्दू पुरुष और उसका बाप तथा उसका दादा और परदादा ये चारों एकही आत्मा भिन्न भिन्न चार शरीरमें माने जाते हैं इस सिद्धांतके अनुसार परदादाके कर्जेका पाबन्द परपोता होना चाहिये परंतु लिमीटेशन एक्टके खास क़ायदेके अनुसार परदादाके कर्जेकी देनदारी परपोतेपर नहीं पड़ती। बापका कर्जा अनुचित है सिर्फ इस कारण कोई पुत्र बापका कर्जा अदा करनेकी ज़िम्मेदारीसे छूट सकता है लेकिन वह जायदाद पर किसी विवाद को डालकर नहीं छूट सकता। मतलब यह है कि चाहे जायदाद मौरूसी हो या कर्ज लेने वालेकी खुद कमाई हो दोनोंही हालतोंमें उसका क़र्जा पुत्रको पाबन्द करता, देखो—हनूमानप्रसाद पांड़े बनाम मुनराजकुमारी 6 Mad I. A. 393, 10 W. R C. R P. 81, 1 I A. 321, 14 B. L R. 187, 197, 22 W R C. R. 56, 58

मिताक्षराके अनुसार कोपार्सनरी जायदादमें बाप और बेटेका यद्यपि एकसाही हक़ होता है परन्तु बाप उस जायदादकी आमदनीमेंसे अपने ज़ाती क़र्जा चुका सकता है और जायदादपर उस कर्जेका बोझ डाल सकता है और जायदादका या उसके किसी हिस्सेका इन्तकाल करके अपने बेटों या पोतोंको चाहे वे बालिग़ हों या नाबालिग पाबन्दकर सकता है, लेकिन

भतीजेको पावन्द नहींकर सकता, देखो—गंगूलू वनाम अचावापूलू 4 Mad. 73, रामरतन वनाम लक्ष्मणदास (1908) 30 All 460, फूलचन्द वनाम मानसिंह 4 All 309, 9 Cal 495, 12 C L R 292, 297, परिमनदास वनाम महूमल 24 Cal 672, परन्तु शर्त यह है कि वह क़र्जा जायदादके इन्तक़ालसे पहले लिया गया हो इसपर फैसले देखो—29 Mad 200, चन्द्रदेवसिंह वनाम माताप्रसाद 31 All 176, कालीशङ्कर वनाम नवावसिंह (1909), 35 Bom. 169, 12 Bom L R 910, 20 Cal 328, 34 Cal 735, 11 C. W N 613, 27 Cal 762, 6 Cal 135, 7 C L R 97, 5 Cal 855, 6 C L R. 470, 15 All 75, 80

अगर क़र्जा अनुचित और वेक़ानूनी कामोंके लिये लिया गया हो तो उसके ज़िम्मेदार पुत्र और पौत्र नहीं होते, देखो—6 Mad 1 A 393, 18 W R C R 81, 8 Cal 517, 10 C L R 489, 8 Bom 481, 15 B L R 264, 23 W R C R 365, 3 Cal 1, 4 Mad 1, 4 Mad. 73. 9 Mad 343, 2 Bom 494 498, 5 Bom 621, 6 Bom 520, 2 Bom L R 59, 3 All 125' 11 Cal 396, 5 C L R 224, 2 Cal 438, 6 Mad 400, 2 C W N 603, 12 C L R 104, 1 Bom 262 25 W R C. R 311

घावुआना—वावुआना (Grant) के तौरसे जो जायदाद मिली हो उससे भी यह नियम लागू होता है, देखो—दुर्गादत्तसिंह वनाम रामेश्वरसिंह वहादुर (महाराज) (1909) 36 I A 176 36 Cal 943, 13 C W N 1013, 11 B L R 901

वापका कर्जा वेटे चाहे मजूर करें या न करें वे पावन्द अवश्य माने जायगें देखो—फूलचन्द वनाम मानसिंह (1882) 4 All 309, वापका क़र्जा चुकाने के लिये वेटोंको जायदाद का इन्तकाल करनाही पड़ेगा इसलिये पिता अपनी जिन्दगीमें अपने ज़ाती क़र्जे के लिये कोपार्सनरी जायदादके इन्तक़ाल करनेका अधिकार रखता है मानो वह अपने वेटोंकी तरफसे इन्तक़ाल करता है इस लिये वाप कोपार्सरी जायदादका इन्तक़ाल इस ढंग से नहीं कर सकता कि उसके वेटका हक भी पावन्द होजाय अर्थात् वेटका हक़ जब किसी डिकरीमें कुर्क़ होगया हो तो वाप उसे इन्तक़ाल नहीं कर सकता—सुवारागा वनाम नागाअप्पा 33 Bom 264, 10 Bom LR 1206

वापने क़र्ज वेकानूनी और अनुचित कामोंके लिये लिया यह वात पुत्रको साबित करना होगा और यह भी सबित करना होगा कि खरीदारको या कर्जा देनेवालेको यह वात मालूम थी या वह जाच करके मालूम कर सकता था कि वह कर्जा अनुचित कामोंके लिये लिया गया था, देखो गिरधारीलाल वनाम कांतोलाल 1 I A 321, 14 B. L R 187, 22 W

R. C. R. 56, 6 I A. 88, 5 Cal. 148-171; 4 Cal L R. 226. 238, 16 Mad. 99, 5. N. W. P 89, 24 Bom. 343, I Bom L. R 839; 31 All. 599, 6 Mad 400, 15 I. A. 99; 15 Cal 717; 24 W. R. C. R. 231; 25 W. R. C R. 185.

पुत्र ऐसा सुबूत इस समय भी पेशकर सकता है जब कि रुपया किसी तीसरेसे लेकर कोई कर्जा बापने अदा किया हो, देखो—महाराजसिंह बनाम बलवंतसिंह 28 All. 508;

केवल इस क़दर साबित कर देना काफी नहीं होगा कि बाप फिजूल खर्च और ऐय्याश था, बल्कि उसे स्पष्टरीतिसे साबित करना पड़ेगा—30 All. 156; 8 All. 231, 6 All. 193. 23 W. R. C. R. 260; 15 I. A. 99; 15 Cal.717; 20 Bom. 534; 14 Bom 320, 8 Mad. 75, 21 All. 238; 6 Bom. 520.

बापके क़र्जा लेनेके समय जो पुत्र पैदा नहीं हुआ वह उस रेहनपर कुछ आपत्ति नहीं कर सकता जो उस क़र्जेके अदा करनेके लिये किया जाय भोलानाथ खत्री बनाम कार्तिक कृष्णदास खत्री 34 Cal. 372, 11 C. W N. 462.

जब पुत्र यह साबितकरे कि क़र्जेका कोई भाग अनुचित तथा बेकानूनी काम के लिये बापने लिया था तो बाक़ी क़र्जेके लिये जायदाद जिम्मेदार रहैगी देखो—ऊपरकी नजीरें।

संयुक्त खान्दान के जायज़ रेहननामे को अदा करनेके लिये, संयुक्त खान्दानी जायदाद का बेचा जाना जायज़ है उसकी पाबन्दी प्रत्येक साझेदार पर होती है। लालबहादुर बनाम अम्बिकाप्रसाद 52 I. A. 443. 2 O W. N. 913. (1925) M. W. N. 852, 47 A 795, A. I. R 1925; P C. 264 (P C.)

जब किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के पितापर मालगुजारीके आखिरी निर्णीत बैटवारेकी पाबन्दी होती है, तो उसकी पाबन्दी पुत्रपर उसी प्रकार होगी, चाहे पुत्र का नाम मालगुज़ारी के कागजोंमें न चढ़ा हो। गजाधरसिंह बनाम हरीसिंह L. R. 6 A. 237, 23 A. L J. 291, 47 All 416, 87 I. C. 647, L. R. 6 A 95 (Rev.) A. I R 1925 All 421.

केवल इस बात पर, कि हिन्दू पुत्र के लिये यह पवित्र प्रतिबन्ध है कि वह अपने पिता का ऋण चुकाये, ऐसा रेहननामा जो कानूनी आवश्यकता या पहिले का कर्ज चुकाने की वजह की कमी के कारण नाजायज़ हो जायज नहीं हो सकता। वंसीधर बनाम विहारीलाल 2 O W. N. 369, 12 O. L. J. 359, 89 I. C. 67, A. I. R. 1925 Oudh. 626.

ज़मानत—हिन्दू प्रपौत्रपर उस ज़मानतके क़र्जेकी पाबन्दी है जो उसके पितामहपर, किसी व्यक्तिकी जमानत करनेके कारण, जो गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्टके अनुसार वली मुक़र्रर किया गयाहो, हुआ हो, बृजनाथप्रसाद बनाम बिन्धेश्वरी प्रसादसिंह 6 Pat. L I 560; 86 I.C. 791 (2); A. I. R. 1925 Patna. 609

मिताक्षराके अनुसार पुत्रोंको माताका ऋण चुकाना चाहिये, तथापि ऋण चुकानेके बाद जो बाक़ी रह जाता है लड़की उसकी वारिस होती है, माधवराव हरबा जी बनाम अम्बा बाई लक्ष्मन 85 I C. 193, A I R. 1925 Bom 125

पिता और पुत्रमें बटवारा हो जानेके पश्चात पिताके फ़र्जका जिम्मेदार पुत्र नहीं होता, जगदीशप्रसाद बनाम श्रीधर A I R 1927 All 60

ज़मानतका क़र्जा—एक हिन्दू पुत्रपर, पिता द्वारा किये हुए ज़मानत नामेकी, जो उसने हाजिरी या ईमानदारीके सम्बन्धमें किया हो, पाबन्दी हैं, निद्वोलू अटचूटम् बनाम रतनजी 23 L W 193, (1926) M W N 258; 49 Mad. 211; 92 I. C 977, A I. R. 1926 Mad 323; 50 M. L J. 208

पिता द्वारा अन्य सदस्यके साथ किया हुआ ऋण—पुत्रपर अदाईकी पाबन्दी है, सुरेन्द्र मोहनसिंह बनाम हरीप्रसादसिंह 24 A L J 33, (1926) M. W N 49; 5 Pat 135, 91 I. C 1033; 7 Pat L I 97; 30 C. W. N 482, A I. R 1925 P C 80, 50 M L J. 1 (P C)

खान्दानके सम्बन्धमें पिताकी नालिश—पुत्रोंपर कितनी पाबन्दी है—हुलेम माह लो बनाम सण्ट साहो A I R 1925 Pat 308.

धार्मिक पाबन्दी—पुत्रपर, पिताके खिलाफ उस डिकरीका, जो मुनाफ़ा जायदादके उस समयके सम्बन्धमें, जब कि वह उसपर नाजायज़ रीतिपर क़ाबिज़ रहा हो, धार्मिक रीतिपर (Pious) पाबन्दी है। इस प्रकारका मुनाफा, न दण्ड और न जुर्मानाके रूपमें है और न यही कहना सम्भव है कि वह ऋण या क़र्ज नहीं है, पलानिवेल रामसुब्रामनिया पिल्ले बनाम सिवकामी अम्माल 21 L W 606; (1925) M W N. 371, 90 I. C 165, A A. I R. 1925 Mad 841.

पुत्रकी जिम्मेदारी—पिता द्वारा दूसरे सदस्योंके सहित लिया हुआ क़र्ज—लड़केपर जिम्मेदारी है, सुरेन्द्र मोहनसिंह बनाम हरिप्रसादसिंह 52 I A 418, 42 C. L J. 592, A. I. R 1925 P. C. 280, 50 M L. J. 1 (P. C)

पिताकी जिन्दगीमें ही पिताके क़र्जकी जिम्मेदारी पुत्रपर पैदा हो जाती है, मु० कालका देवी बनाम गङ्गा बक्ससिंह 12 O L J 306, 88 I C 127; A. I. R. 1925 Oudh 435.

पिता द्वारा--पुत्रोंपर पिताके कर्जकी अदाईकी जिम्मेदारी है यदि वह गैर-क़ानूनी या गैर-तहजीबी न हो, गिरधारीलाल बनाम किशनचन्द 85 I.C 463; A I. R 1925 Lah. 240.

पुत्रोंकी जिम्मेदारी--कान्तीचन्द्र बनाम उदयवंश A.I R.1925 Nag.7

पुत्रकी जिम्मेदारी अलाहिदा होनेके बाद--पिता और पुत्रकी अलाहिदगीके पश्चात, पुत्रपर पिताके साधारण क़र्जकी जिम्मेदारी नहीं होती। इस सूरतमें पिताका कोई सरमाया पुत्रके क़ब्जेमें नहीं होता, इसलिये कोई असर नहीं पड़ता, रामगुलामसिंह बनाम नन्दकिशोरप्रसाद 4 Pat 469, 6 Pat. L. I 613; 88 I. C 813; (1925) P H. C. C 341, A. I R *1925 Pat 688*

पवित्र जिम्मेदारी--पुत्रोंपर अपने पिताका कर्ज. उसकी जिन्दगीमें ही अदा करनेकी पवित्र जिम्मेदारी है। केवल यह बात कि बटवारेकी नालिशमें पिताके ख़िलाफ़ एक व्यक्तिगत डिकरी हुई, इस बातका प्रभाव नहीं है कि क़र्ज गैर तहजीबी या गैर क़ानूनी है। रघुनाथ प्रसादसिंह बनाम वासुदेव प्रसादसिंह 3 Pat L J 764, 88 I C 1012, A I.R 1925 Patna 823

धार्मिक जिम्मेदारी--दुरुपयोगका प्रश्न, नियतका प्रश्न है। जब कोई हिन्दू पिता, किसी ऐसी रकमको जो उसे दी जाती है, दूसरे मनुष्योंमें जो उसमें हिस्सा पानेके अधिकारी हैं तकसीम करनेमें देर लगाता है या तकसीम नहीं करता, तो यह दुरुपयोग नहीं होता और उसके पुत्रोंपर उस क़र्ज़की अदाईके लिये धार्मिक या पवित्र पाबन्दी होती है--गनेशप्रसाद बनाम जोतासिंह 87 I. C. 1017, A. I. R 1925 Oudh. 719

पिता द्वारा क़र्ज़--चितनवीस बनाम नाथू साहु A I R. 1925 Nag 2.

एक हिन्दू विधवाने अपनी जायदादको किसी मनुष्यके हक़में समर्पित किया। उसकी मृत्युके पश्चात् दूसरे व्यक्तिने उसके क़र्ज़के लिये नालिश किया। उस व्यक्तिने जिसके हक़में समर्पण किया गया था. मुक़द्दमेमें चाराजोईकी, किन्तु वह अन्तमें नाकामयाब रहा। तय हुआ कि फैसलेका कर्ज़ न तो गैर क़ानूनी था और न गैर तहज़ीबी, और डिकरीदारको अधिकार था कि वह अपने खर्चेकी डिकरी की तामील, उस पैतृक सम्पत्तिपर करावे जो क़र्ज़दारके पुत्रके क़ब्ज़ेमें थी; रुद्रप्रताप बनाम शारदा महेश 23 A. L. J. 467; L. R. 6 All. 321; 88 I. C. 200, A. I. R. 1925 All. 471.

यदि किसी अविभाजित हिन्दू परिवारका प्रबन्धक पिता हो और शेष सदस्य पुत्र हों, तो पिता द्वारा लिये हुए समस्त क़र्ज़ोंकी डिकरीकी तामील, केवल उस क़र्ज़े को छोड़कर, जो ग़ैर तहज़ीबी साबित किया जाय, मुश्तरका जायदादपर होगी। अतएव इस बातका भार पुत्रोंपर होगा, कि यदि वे ख़ान्दानी जायदादको उस डिकरीसे बचाना चाहें, जो उनके पिता द्वारा लिखे हुए प्रामिजरी नोटकी बिनापर है तो वे उस क़र्ज़ को ग़ैर तहज़ीबी साबित करें। शाह श्री किशनदास बनाम कन्हैय्यालाल 20 W N 206, 86 I C 897, 12 O L J 232, A I R 1925 Oudh 559.

पितामह द्वारा क़र्ज़े—पितामहके क़र्ज़के अदा करनेकी जिम्मेदारी पिताके क़र्ज़के साथही साथ है और उसके सूदके अदाई की भी जिम्मेदारी है। बृहस्पतिका वह वाक्य, जिसमें यह बताया गया है कि पितामहके क़र्ज़के सूदकी अदाईकी पाबन्दी नहीं है भारतीय अदालतोंमें नहीं माना गया है, लाडू नारायनसिंह बनाम गोवर्धनदास 1925 P H C C 104; 6 P L T 497, 86 I C 721; 4 Pat 478, A I R 1925 Paha 470

बटे हुए ख़ान्दानमें क़र्ज़का बार सुबूत—जब दोनों फरीकैंके यह बयान हों कि परिवार, नालिश करने की तारीख़ में पृथक था, तो इस सुबूत की जिम्मेदारी कि क़र्ज़ उस वक्त लिया गया था जब परिवार संयुक्त था, उस फरीकपर होगी जो यह बयान करेगा। भोजन और पूजन की अलाहिदगी कितने ही कारणोंसे हो जाती है, किन्तु फिर भी परिवार संयुक्त परिवार ही बना रहता है, प्रताप नारायनसिंह बनाम रामकुमारसिंह 94 I. C 944, 24 A. L J 513

दफा ९३ क़र्ज़ा देनेवालेका कर्तव्य

रुपया देनेवाला महाजन अपने रुपये के लिये या वह आदमी जिसके पास बापने जायदादका इन्तक़ाल किया हो उस जायदाद पर क़ब्ज़ापानेके लिये दावा करे तो इन दोनोंको यह साबित करना होगा कि क़र्ज़ा पहले का था या यह कि उन्होंने ख़ूबही उचित जाच करके नेकनीयतीसे यह विश्वास कर लिया था कि क़र्ज़ा पहलेका है, देखो—8 Mad 75, 5 Mad 337; 6 Mad 400, 13 Mad 51, 26 Bom. 326, 3 Bom L R 898, 5 N. W P H C 89, 28, All 508

मगर इन दोनोंको यह साबित करनेकी ज़रूरत नहीं हैं कि क़र्ज़ा क़ानूनी जरूरतसे लिया गया था या नहीं, लेकिन यदि साबित करें तो और भी अच्छी बात होगी, 30 All 156; 24 All 459, 28 All 508.

नीलाममें जायदादके ख़रीदारको यह साबित करनेकी ज़रूरत नहीं है कि ख़रीदनेसे पहले उसने कुछ जांच की थी या नहीं, देखो—15 I. A. 99; 15 Cal 717.

जब इन्तकाल पिता द्वारा किया जाता हो तो उस व्यक्तिका, जिसके हक़में इन्तक़ाल हो रहा हो, कर्तव्य है कि क़र्ज़की यथार्थता की जांच करे, गिरधारीलाल बनाम किशनचन्द 85 I C. 463; A. I R. 1925 Lah 240.

महाजन जो किसी खान्दानी जायदादपर, जो उसके मेनेजर को रेहनमें क़र्ज़ देता है, उसका कर्तव्य है कि वह कर्जकी आवश्यकताकी जांच करे और जहांतक सम्भव हो उन फरीकोंके सम्बन्धमें जिनके साथ वह मामला कर रहा है और इस बातके विषयमें कि मेनेजर वह मामला खान्दानी फ़ायदेके लिये कर रहा है इतमीनान करले। यदि उसने इस प्रकार जांचकर लिया है और ईमानदारीसे व्यवहार कर रहा है तो काफी और मान्य आवश्यकता, उसके दावेसे बाहर नहीं है और इस परिस्थितिसे उसके लिये यह बाध्य नहीं है कि रक़मके खर्चकी ओर देखे या इस बातपर विचार करे, कि वह रक़म जो वह दे रहा है, खान्दानी आवश्यकतासे अधिक तो नहीं है। इस बातसे कि रेहननामेकी दर-व्याज अदालत की दरसे अधिक है या रेहननामें की जायदाद उस जायदादसे जो डिकरीके अनुसार नीलामकी जा रही है अधिक है रेहननामा नाजायज़ नहीं हो सकता। शिव बिहारी बनाम शिवरतनसिंह 90 I. C 345, A I. R. 1925 Oudh 740

बापके ग़बन करनेकी रक़मके जिम्मेदार पुत्र माने गये--हिन्दुलॉ के अनुसार पुत्रपर उस रक़मकी अदाईकी पाबन्दी है जो उसके पिताने, बहैसियत ट्रस्टीके ग़बन किया हो, यह पाबन्दी उस सूरतमें भी रहेगी, जब ग़बन ज़ाब्ता फौजदारीका अपराध समझा गया हो। बेङ्कट कृष्णप्पा बनाम कुन्दर्थी बैरागी (1926) M W N 194; 23 L. W 714, 94 I. C. 634; A. I. R. 1926 Mad. 535, 50 M L. J 353

एक हिन्दू पुत्रपर अपने पिता द्वारा लोहेके व्यवसायमें लिये हुए ऋण की जिम्मेदारी है। व्यवसायक ऋण अव्यवहारिक ऋण नहीं है। गौतमका सिद्धांत, जो इसके विरुद्ध, आधुनिक समयके लिये असामयिक समझा जाना चाहिये; निदावोलू अटचूटाम् बनाम रतनजी 23 L. W 193, (1926) M. W. N. 258, 49 Mad 211, 92 I C. 977, A. I. R. 1926 Mad. 323; 50 M. L J 208.

ऋण, जो न तो ग़ैर क़ानूनी है और न गैर तहजीबी और हिन्दू पिता द्वारा मुश्तरका खान्दानकी जायदादपर लिया गया है, उस रेहननामेके पूर्व, जिसकी नालिश की गयी है, पूर्वजोंका ऋण है और उसकी पाबन्दी पुत्रोंके हिस्सेपर है, ठकुरी बाई बनाम जसपतराय 93 I C. 911.

जब कोई हिन्दू पिता मुश्तरका खान्दानी जायदाद का रेहन किसी पहिलेके रेहननामेकी अदाईके लिये करता है तो वह पूर्वजोंका ऋण है और

उसकी पावन्दी पुत्रोंपर है, छोटूराम भीखराम बनाम नारायन A I R 1926 Nag 49

पहिलेके रेहननामे की अदाईके हेतु माता द्वारा इन्तकाल--ख़रीदारपर यह पावन्दी नहीं है कि वह इस बातको देखे. कि रक़म ठीक रीतिपर ख़र्च की गई है, विश्वनाथ भाट बनाम मालप्पा निंगप्पा 92 I C 628, A I R. 1925 Bom 514.

इस बातके साबित करनेकी जिम्मेदारी कि वह क़र्ज जो संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा लियागया है। परिवारके लाभके लियेथा, क़र्ज देनेवाले पर होना चाहिये और ख़ास कर उस समय, जब उसने परिवारके कुदरती प्रधान यानी पिताके साथ मामला न किया हो, बल्कि पुत्रके साथ जो अन्य ग्राममें रहता हो और जिसने क़र्ज लेनेपर केवल अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और इस सम्बन्धमें, कि वह क़र्ज किस लिये या किस पारिवारिक व्यवसायके लिये लिया गया है. कुछ भी न बताया गया हो । नारायणसिंह बनाम मोहन सिंह 8 Lah L J 10, 27 Punj L R 95, 93 I C 340, A I R. 1926 Lah 214,

पिता द्वारा इन्तक़ाल—जब हिन्दू पुत्रों द्वारा अपने पिताके किये हुए इन्तकाल को,क़ानूनी ज़रूरत या पूर्व क़र्जकी अदाई न होनेकी सूरतमें, मसूख करनेकी नालिशकी जाती है उस सूरतमें उन्हें यह बतानेकी ज़रूरत नहीं होती कि क़र्ज ग़ैर क़ानूनी या ग़ैर तहजीबी था; यह ख़रीदने वालेका क़र्ज साबित करे। जगतसिंह बनाम विक्रमसिंह 88 I C. 900, A I R 1925 Oudh. 675

दफा ९४ अनुचित कामोंके क़र्जका पुत्र जिम्मेदार नहीं है

याज्ञवल्क्य स्मृति ऋणदान प्रकरण में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—

सुराकामंद्यूतकृतं दण्ड शुल्कावशिष्टकम्

वृथादानं तथैवेह पुत्रोदद्यान्नपैतृकम् । याज्ञवल्क्य १–४७

धूर्ते बंदिनि मल्लेच कुवैद्ये कितवे शठे

चाट चारण चौरेषु दत्तंभवति निष्फलम् । शातातप

अर्थात्—शराब पीनेके लिये, कामेच्छासे विषय भोग करनेके लिये, जुवा खेलनेके लिये, और जुरमानेका या महसूलका जो रुपया देना बाक़ी हो, या वृथादान या धूर्त, वन्दीजन, पहेलवान, कुवैद्य, कपटी, शठ, चाट, चारण तथा चोरके देनेका जो इक़रार किया हो, बापके किये हुए ऐसे क़र्जोंके देनेका

जिम्मेदार पुत्र नहीं है। धूर्त आदिकोंके देनेके लिये पिताका इक़रार पुत्रोंके लिये निश्चित निष्फल होता है, यही बात शातातपने कही है—

अनुचित काम कौनसे हैं इसका वर्णन बृहस्पतिने इस प्रकार किया है- बापने जो क़र्ज़े शराब पीनेके लिये या जुवा खेलनेके लिये, लिये हों या बदला पाये बिना किसी लिखत द्वारा अपने ऊपर क़र्ज़ा मान लिया हो या कामान्ध होकर या क्रोधान्ध होकर क़र्ज़ा लियाहो या उस रकमके लिये जिसका ज़ामिन् बाप हुआ हो, या जुर्माना, या महसूलकी रक़मके लिये, या उनका बक़ाया अदा करनेके लिये, पुत्र पाबन्द नहीं है। मि० कोलब्रुक कहते हैं कि जो रुपया बापने रिश्वतमें देनेका वादा किया हो या उसका कोई हिस्सा बाक़ी हो तो वह पुत्रकी जिम्मेदारीसे भिन्न है इस रिश्वतके मामलेपर, दिवाकर बनाम नर जनार्दन पाटंकर (1822) 2 Borr 194, 200, का मुक़द्दमा देखो—स्ट्रेन्ज Vol. 1 P. 167 में कहते हैं कि खिलौने, या अनावश्यक सुखोप भोगकी वस्तुयें जो बापने देने कही हों उनकाभी जिम्मेदार पुत्र नहीं होता। नीचे साफ तौरसे वर्तमान क़ानूनके अनुसार अर्थ और उसका फल समझिये—

ऊपर जो यह कहा गया है कि जिस रक़मके लिये बापने जमानत की हो उसके लिये पुत्र पाबन्द नहीं है इसमें जमानत इस तरहकी समझना चाहिये कि जैसे किसीसे अदालतकी हाजिरीके लिये, या शांति बनाये रखनेके लिये या नेक चलन रहनेके लिये ज़मानत ली जाती है, देखो—बुकडाइ जेस्ट Vol 1 P. 246 परन्तु जब बापने किसी क़र्जेकी ज़मानतकी हो तो कई मुक़द्दमोंमें पुत्र उस ज़मानतके क़र्जेके पाबन्द माने गये हैं, देखो--28 Mad 377; 26 All. 611, 23 Bom 454, 11 Mad 373; 13 C W. N. 9, लेकिन साथ ही यह भी माना गया है कि जब बापने ज़ामिन् होनेके बदलेमें कोई रक़म पायी हो या उसका बदला किसी दूसरे रूपमें पाया हो तभी पुत्र उस ज़मानत के पाबन्द हो सकते है अन्यथा नहीं हो सकते, देखो—नारायण बनाम वेङ्कटा चार्य 28 Bom. 408, 6 Bom L. R 434 यह ध्यान रहे कि इस मामलेमें पुत्र और पौत्र दोनों समान हैं जो पुत्रके लिये क़ायदा लागू होगा वही पौत्र के लिये।

कोई फौजदारी अपराध या जाल या और कोई ऐसा काम, जो काम बापको एक भले और प्रतिष्ठित आदमीकी हैसियतसे नहीं करना चाहिये था अगर वह करे और उससे कोई क़र्ज़ पैदा हो तो पुत्र उसके पाबन्द नहीं होंगे। जैसे बापने यदि कोई माल चुराया हो और उसे ख़र्च भी कर डाला हो ऐसे मालके बारेमें जो डिकरी रुपया दिला दिये जानेकी दीवानी अदालतसे हो उस डिकरीके देनदार पुत्र नहीं होंगे; देखो—दुरबार ख़चार बनाम खचर हार- सुर (1908) 32 Bom. 348; 10 Bom. L. R. 297, या—

जो माल बापने अनधिकारसे खर्च कर लिया हो उसके रुपयेके दिला दिये जानेकी जो डिकरी दीवानी अदालतसे हो ऐसी डिकरीके देनदार पुत्र नहीं होंगे देखो—परेमनदास बनाम मट्टू महतों 24 Cal 672 परन्तु यह बात उस मामले से लागू नहीं होगी कि जिसमें बापने किसीका रुपया अनधिकारसे दबा रखा हो, देखो—महाबीरप्रसाद बनाम वासुदेवसिंह 6 All 234. चन्द्रसेन बनाम गङ्गाराम 2 All 899; 27 Mad 71, 28 All 718 बापने यदि हिसाब न दिया हो तो देखो—16 Mad 99, 31 Mad. 161) और अगर बापपर किसी आदमीने पिछले मुनाफेकी डिकरी प्राप्त की हो कि जिसकी गैर मनकूला जायदाद बापने अनधिकारसे अपने क़ब्ज़ेमें रख छोड़ी थी तो उस डिकरीके भी पुत्र पाबन्द होंगे, देखो—गुरूनाथम् चट्टी बनाम राघ वेलूचट्टी 31 Mad 472 और इसी तरहपर पुत्र उस मुक़द्दमेंके खर्चके भी पाबन्द होंगे जो बापसे दिलाया गया हो मगर फौजदारी मामलोंसे सम्बन्ध न रखता हो, देखो—11 C W N 163, 14 C W N 659; 33 All 472

पिता द्वारा सासुको जायदादका एक हक़ीकी भाग समर्पण किया जाना, बतौर इस रिश्वतके कि वह बहूकी ओरसे मुक़द्दमा न चलाये—पुत्रके विरुद्ध उस समर्पणकी पाबन्दी नहीं है पुत्रकी ओरसे समर्पणकी जायदादके वापसीकी नालिश हुयी उसमें डिकरी यदि समर्पण पिताके हिस्से तक जायज़ है—साकी वेंकट सुब्बप्पा बनाम एस० कोरम्मा A I R 1926 Mad 578, 50 M. L. J. 369

यदि किसी मुश्तरका खान्दानकी जायदाद, जो मिताक्षरा स्कूलके आधीन हो, खान्दानके पिता के खिलाफ उसकी व्यक्तिगत डिकरी द्वारा कुर्ककी गई हो, तो पुत्र उस जायदादके अपने अधिकारोंको कुर्की या नीलामसे केवल इस बिनापर बचा सकते हैं कि वे यह साबित करें, कि कर्ज़ जिसकी बिनापर वह कुर्की है गैर तहजीबी क़र्ज है या ऐसा क़र्ज है जिसकी अदाईकी पाबन्दी पुत्रोंका पवित्र कर्तव्य नहीं है—अब्दुलकरीम बनाम रामकिशोर 23 A L J 196, 86 I C. 837, 47 All 421, A I R 1925 All 327

सूद न्यायानुसार मिलेगा—जब संयुक्त परिवारकी जायदादका रेहननामा सूदकी ऊंची दर पर किया जाय, तो मुर्तहिनको सूदकी दरकी न्यायानुकूलता और आवश्यकताका सुबूत देना चाहिये—केदारनाथ बनाम भीखम सिंह—92 I C 679.

दफा ९५ सूद दिया जायगा

पुत्र और पौत्र अपने बाप या दादाके क़र्जके सूद देनेका भी पाबन्द है। सूद कितना देना चाहिये यह बात अदालत निश्चित करेगी। दाम दुपटका

क़ानून जो इस किताबकी दफा ७८० से ७८८ प्रकरण १५ में बताया गया है जहां पर नहीं लागू किया गया वहां वह किसी तरहसे भी लागू नहीं होगा, देखो—2 C W. N. 603 लँक्ष्मणदास बनाम खुन्नूलाल 19 All 26, 31 Bom. 354. में माना गया है कि जब क़र्जेकी जिम्मेदारी मानली गयी हो तो उसके सूदकी जिम्मेदारी भी उसीके साथ मानली जायगी।

जब कोई हिस्सेदार किसी अतिरिक्त अदाईका दस्तावेज़ लिखता है जिसमें कि वह पूर्व अदाईके दस्तावेज़का जिक्र करता है, तो उसे इसके बाद यह दावे स्थापित करनेका अधिकार नहीं रहता कि दस्तावेज़का दर सूद अधिक था जबकि वह स्वयं दस्तावेज़का एक फ़रीक़ है, उसके बयान या कार्यवाहीसे यह साबित होता है कि उसने सूदकी मुनासिबतको स्वीकार कर लिया है, तो वह उसपर बादको एतराज़ नहीं कर सकता—चन्द्रिका प्रसाद बनाम नाजिर हुसेन—92 I C. 681 (2), A I R. 1926 Oudh. 306.

दफा ९६ बापका अधिकार

बापको जो अधिकार प्राप्त हैं उसे खान्दानका कोई दूसरा आदमी, बापकी ग़ैरहाजिरीमें भी काममें नहीं ला सकता देखो, प्रेमजी बनाम हुकुमचन्द 10 Bom 363 यह माना गया है कि अगर बाप दिवालिया हो जाय तो फिर आफीशल-एसाइनी को वही अधिकार प्राप्त हो जाता है जो बापको है, देखो—फकीरचन्द मोतीचन्द बनाम मोतीचन्द हरखचन्द 7 Bom 438, 19 Mad. 74.

पहलेके क़र्जे को अदा करनेके लिये या किसी कानूनी ज़रूरतके लिये ही बाप मुश्तरका जायदादका इन्तकाल या उसे पाबन्द करसकती है, देखो–चिन्नाया बनाम पीरूमल 13 Mad. 51, परन्तु और किसी मतलबके लिये नहीं यदि करे तो उस जायदादका नीलाम या रेहन रद किया जासकता है, देखो–रामदाल बनाम अयोध्याप्रसाद 28 All. 328; वीरकिशोरसिंह बनाम हरबल्लभी नरायनसिंह 7 W. R C R. 502, 31 All. 176.

पिता द्वारा किये हुये इन्तकाल, महज़ खान्दानकी ज़रूरतका बनाना काफ़ी न होगा—गिरधारीलाल बनाम किशनचन्द्र 85 I C. 463, A. I R. 1925 Lah 240.

पिता द्वारा रेहननामा —जबकि पिता, जो कि किसी संयुक्त हिन्दू परिवारका प्रबन्धकर्ता होता है यदि वह बिना क़ानूनी आवश्यकता या पहिलेका क़र्जे चुकानेकी ग़रज़से, कोई रेहननामा करे, और इसके पश्चात् जायदादका बटवारा हो और बटवारेमें राहिनकी स्त्रीका भी हिस्सा लगाया जाय, तो रेहननामेका प्रभाव राहिनकी स्त्रीके हिस्सेपर न पड़ेगा, सिर्फ राहिनके हिस्से

पर उसकी पायन्दी होगी—मु० कालका देवी बनाम गङ्गाबक्ससिंह 12 O L J 306, 88 I. C 127, A I. R 1925 Oudh 435

माता द्वारा—जबकि नाबालिग़की माताने नाबालिग़की जायदाद, रेहननामेका क़र्ज़ चुकानेके लिये इस बिनापर बेंच डालीहो, कि उसका बेचना नाबालिग़के लिये फायदेमन्द था, क्योंकि उस जायदादकी आमदनी, जो रेहन थी. रेहननामेकी रक़मके सूदसे अधिक थी, किन्तु यह विरोध किया गया कि माता द्वारा अदा की हुई रक़म अधिक थी। तय हुआ कि उस सूरतमें भी, जबकि मुर्तहिन को अधिक रक़म दी गई हो कानूनी ख़रीदार पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका केवल यह कर्तव्य था कि वह यह समझ ले कि आया रेहननामेका रुपया देना बाक़ी है या नहीं। इस बातसे इतमीनान करनेके बाद, वह इस बातके लिये बाध्य न था कि वह इस बातकी चिन्ता करे, कि आया बिक्रीकी रक़म मुद्दईके वली द्वारा मुनासिब रीतिपर ख़र्च की गई या नहीं—विश्वनाथ भट्ट बनाम मल्लप्पा 49 Bom 821, 27 Bom. L R. 1103, A. I R. 1925 Bom. 514

हक़शिफाके लिये जायदादका इन्तक़ाल—जबकि एक हिन्दू पिताने, जो कि अपनी जायदादकी रक्षाके लिये क़र्ज़ लेनेकी विवशतामें न था, एक दूसरी जायदादको हक़शिफा द्वारा हासिल करनेकी गरज़से अपने पूर्वाधिकारियोंकी संयुक्त जायदादको रेहनकर दिया। तय हुआ कि उसे यह अधिकार न था कि वह ऐसा करता और पूर्वजोंकी संयुक्त जायदादपर भार डालता—शङ्करसहाय बनाम बेंचू 47 A 381, 23 A. L. J 204, L. R. 6 A 214, 86 I. C. 769; A I R 1925 All 333

मंसूख़ीके लिये नालिश—रक़म सावज़के एक भागकी आवश्यकता नहीं साबित हुई—प्रश्न यह है कि आया बयनामा क़ानूनी आवश्यकताकी बिना पर था—जब बयनामा क़ानूनी आवश्यकताके लिये हो, तो उसका समस्त ख़र्च परिवारके लाभके लिये समझा जाता है, क़ानूनी ख़रीदारपर जिसने उचित जाचके पश्चात् ख़रीद किया है यह पाबन्दी नहीं है कि वह उस रक़म को जो क़ानूनी आवश्यकताके लिये न साबित हुई हो विरोधी मुद्दईको वापस करे—86 I C 91, A I R 1925 All 324, 47 All 355; 1927 A. I. R P. C 37—Over Ruled (यह नज़ीर मंसूख़ हो गयी है)।

जब जायदाद किसी संयुक्त हिन्दू परिवारसे, किसी डिकरीकी तामील में, निकल गई हो और तीसरे फरीक़का अधिकार, उसके अन्दर आगया हो, तो नीलाम इन्तक़ालकर्ताके पुत्र और प्रपौत्रोंकी तहरीकपर नीलाम मंसूख़ नहीं किया जा सकता, जब तक यह न साबित किया जाय कि ऋण ग़ैर क़ानूनी या ग़ैर तहजीबी है। किन्तु जब इन्तक़ाल केवल चचा या मेनेजर द्वारा किया

गया हो, तो इस प्रकारका विचार नहीं होता। इस सूरतमें, यदि इन्तक़ाल क़ानूनी आवश्यकता द्वारा प्रमाणित न किया गया हो, तो वह बहाल नहीं किया जा सकता--नानकचन्द बनाम रामप्रसाद 92 I. C 316, A. I. R. 1926 All. 250.

क़र्ज़--एक मुर्तहिनने एक हिन्दू पिता और उसके पुत्रोंके ख़िलाफ़ रेहन-नामेकी रक़म वसूल पानेके लिये नालिश किया। दौरान नालिशमें मुर्तहिनके वकीलने बयान किया, कि उस क़र्ज़की पाबन्दी पुत्रोंपर आयद होती है। पिताके विरुद्ध एक सादी रक़मकी डिकरी प्राप्त हो गई। इसके पश्चात पुत्रों ने नालिश द्वारा यह हुक्म इस्तक़रारिया चाहा कि पिताके ख़िलाफ़ प्राप्त सादी रक़मकी डिकरीकी पाबन्दी संयुक्त परिवारकी जायदादपर नहीं हो सकती और उसके अनुसार वह कुर्क या नीलाम नहीं की जा सकती। इस नालिश के सम्बन्धमें मुर्तहिनके वकील के बयानकी वजहसे न तो इस्टापल और न अम्र तजवीज़ शुदा (Res Judicata) के सिद्धांत लागू होते हैं, मनोहरलाल बनाम इमदादअली A. I. R. 1927 Oudh. 15.

पितामह द्वारा रेहननामा--रेहननामेकी रकम चुकानेके लिये, बादको बयनामा हुआ उसमें प्रपौत्रके विरोध करनेका अधिकार है जिसका बयनामेके पश्चात जन्म हुआ था। नालिशके चलाये जानेकी योग्यता--मियाद, लाल बहादुर बनाम अम्बिकाप्रसाद 23 L. W. 220, 91 I. C. 471, 28 O C. 371; 12 O L.J. 689, 30 C.W.N. 701, A.I.R. 1925 P. C. 264.

मुद्दाअलेहको हक़शिफ़ाकी एक डिकरी, एक बयनामेके सम्बन्धमें, जोकि एक हिन्दू मुश्तरका ख़ान्दानके पिता द्वारा लिखा गया था, प्राप्त हुई। उसके डिकरी प्राप्त करने तक, वह पूर्वजोंका क़र्ज़, जिसके लिये पिताने बयनामा लिखा था अदा कर दिया गया और हक़शिफ़ा करने वाले द्वारा ख़रीदारको बयनामेका अदा किया हुआ रुपया ख़रीदार (पिता) द्वारा ऐसे कामके लिये ख़र्च कर डाला गया, जिसकी पाबन्दी ख़ान्दान पर नहीं थी। पुत्रों द्वारा मुद्दाअलेहके पक्षके बयनामेको रद करनेकी नालिशमें तय हुआ कि उनपर बयनामेकी पाबन्दी नहीं है और उन्हें जायदादको वापस पानेका अधिकार है, जवाहिरसिंह बनाम उदय प्रकाश 24 A. L. J. 97; (1926) M. W. N. 197, 53 I. A. 36, 3 C W. N. 365; 48 A. 152, 93 I. C. 216, 43 C. L J. 374; 30 C W. N. 698, A. I. R. 1926 P. C. 16, 50 M. L. J. 344 (P. C.)

संयुक्त परिवारका पिता--प्रतिनिधि स्वरूप नालिशमें माना जायगा, नारायण बनाम धूंधा बाई 92 I. C. 663; A. I. R. 1925 Nag. 299.

पिता द्वारा बतौर मेनेजरके बिला ज़रूरत रेहननामा--पीछेका रेहन-नामा--पीछेके मुर्तहिनको, जिसने पहिलेके रेहननामेको चुकानेकी ग़रज़से

रुपया दिया हो, यह अधिकार नहीं है, कि उस नालिशमें, जिसे कि राहिनके पुत्रने पीछेके रेहननामेको मंसूख़ करनेके लिये दावा किया हो, पहिलेके रेहन-नामेकी अदाई में दिये हुए क़र्ज़ेका दावा करे, प्रतापसिंह बनाम शमशेर बहादुर A I R 1925 Oudh 708

पितामह द्वारा रेहन—रेहननामेका क़र्ज़ अदा करनेके लिये पीछेसे बयनामा--पाबन्दीकी सूरत--पहिलेका क़र्ज़—प्रपौत्रका अधिकार विरोध करनेका—बयनामेके बाद जन्म—किस सूरतमें नालिश हो सकती है-मियाद, लालबहादुर बनाम अम्बिकाप्रसाद 2 O W. N. 913, 47 A 795, A. I. R 1925 P. C. 264

किसी मुश्तरका ख़ान्दानका पिता, उस ख़ान्दानका ऐसा एजेण्ट है जिसे यह अधिकार है कि ख़ान्दानपर लागू क़र्ज़की मियाद बढ़ानेके लिये उसकी तस्दीक़ करे, सीतला बख्श शुक्ल बनाम जगतपालसिंह 12 O L J 114, 86 I. C 693; A. I R 1925 Oudh 394

पिता द्वारा किसी नाबालिगके प्रबन्धक व वलीकी हैसियतसे इन्तकाल —इन्तक़ालकी पाबन्दी होगी यदि वह किसी ग़ैरक़ानूनी तात्पर्यके लिये नहीं किया गया, अलगर आयंगर बनाम श्रीनिवास आयंगर 91 I C 709, A. I R 1925 Mad 1248, 50 M L J 406

पिता द्वारा इन्तक़ाल—पिताके विरुद्ध व्यक्तिगत डिकरी—ग़ैर तहजीब से रक्षा हुआ क़र्ज़—मुश्तरका पूर्वजोंकी जायदादकी तामील नीलाम—उसमें पिताका हिस्सा बरी नहीं किया जा सकता, शिवनाथ प्रसाद बनाम तुलसीराम 48 All 1, A I R 1935 All 801.

दफा ९७ पेहलेके क़र्ज़ोंके लिये रेहन

पहलेके क़र्जके लिये अगर रेहन न किया गया हो तो बंगाल हाईकोर्टने उस रेहनकी पाबन्दी बापके हक़ तक मानी है, देखो—पहलेके क़र्जके लिये रेहन न था, 5 Cal 855; 6 C. L. R. 473; 6 Cal 135, 6 C L. R. 97, 100, 8 Cal 131, 9 C. L. R 417, 20Cal. 328, 24 All 459, 9 All 493, 21 Mad. 28, 10 Cal. 528; 34 Cal 735; 11 C W. N 613, 34 Cal 184, 11 C W N. 294, 29 Mad 484, रेहनकी पाबन्दी बापके हक़ तक मानी गयी 34 Cal. 735, 11 C W N 613, 29 Cal 328 इलाहाबाद हाईकोर्टकी राय बङ्गाल हाईकोर्टके विरुद्ध है, देखो—चन्द्रदेवसिंह बनाम माताप्रसाद 31 All 176, कालीशङ्कर बनाम नवाबसिंह (1909) 31 All 507, मोहम्मद मिर्जा सिल्लुल्लाह बनाम सिट्टूलाल (1911) 33 All 783.

इस विषयमें मि० ट्रिवेलियन कहते हैं कि—इलाहाबाद हाईकोर्टकी राय ठीक है क्योंकि मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदादमें कोई कोपार्सनर अपना

कोई हिस्सा निश्चित नहीं कर सकता लेकिन बम्बई और मदरास प्रांतमें ऐसा हो सकता है इसलिये बापका हक उस रेहनके क़र्जेका पावन्द माना जाता है। यद्यपि यह क़र्ज़ा पुत्र और पौत्रके सम्बन्धमें (Unsecured) अर्थात् ज़मानत रहित है तो भी पुत्र और पौत्र देनेके पावन्द होंगे और इसकी डिकरी कोपार्सनरी जायदादसे वसूलकी जायगी। जो जायदाद रेहन हो उससे भी वसूल की जासकेगी, देखो--दत्तात्रेय बनाम विष्णु (1911) 36 Bom. 68, 13 Bom. L. R. 1161; चिन्तामणिराव बनाम काशिनाथ 1889 Bom. 320 किन्तु शर्त यह है कि (Unsecured) अर्थात् ज़मानत रहित कर्जेके सम्बन्धमें जो तमादीका नियम है, लागू होगा, देखो--सूरज प्रसाद बनाम गुलाबचन्द (1900) 27 Cal. 762; इस नजीरसे इन नजीरोंमें फरक़ है, 34 Cal. 184; 11 C. W. N. 294; 12 C. W. N 9, 29 All 544.

इससे मतलब यह निकला कि पहलेके क़र्जेके लिये रेहन, और उसी वक्तके क़र्जेके बदलेमें रेहन, इन दोनों रेहनोंके वसूलीके दावामें कोई फरक नहीं है लेकिन इनमें तमादीकी शर्तोंका ध्यान रखना ज़रूर होगा और उस जायदादका प्रश्नभी इससे अलग है जिसकी कार्रवाई दावासे पूर्व करदी गई हो। चिदम्बरा मुदालिया बनाम कूथापेरूमल (1903) 27 Mad 326, 328 में कहा गया है कि पहलेके कर्जके रेहन और उसी वक्त लिये हुए क़र्जेके बदलेमें रेहन इन दोनोंमें कोई विशेष भेद मानना बहुत कठिन है क्योंकि दोनों ही सूरतोंमें पुत्र और पौत्र उन क़र्ज़ोंके देनदार हैं सिर्फ यह अन्तर है कि बाप ने कोई जायदाद रेहन करके कर्ज़ा लिया हो तो व जायदाद ही उस कर्जेकी पावन्द होगी पुत्र और पौत्र नहीं होंगे, देखो--गङ्गाप्रसाद बनाम शिवदयाल सिंह 9 C. L. R. 417; 31 All. 176

अगर बापने कोई जायदाद बेंची हो लेकिन वह बिक्री किसी पुराने क़र्जेके बारेमें न हो, और किसी बे क़ानूनी या दुराचारके ग़रज़से न हो, तो पुत्र उस बिक्रीका रुपया अदा किये बिना उस बिक्रीको मंसूख़ नहीं करासकते ऐसी बिक्रीका रुपया एक प्रकारका क़र्ज है इसलिये वह पुत्रोंको देना ही पड़ता है, देखो--हसमतराय बनाम सुन्दरदास 11 Cal. 396, 4 B. L R. A C. 15; 12 W. R. C. R. 447

कई पुराने मुक़द्दमोंमें यह माना गया था कि अगर रेहनके पहलेका क़र्ज़ा खान्दानी ज़रूरतके लिये न लिया गया हो तो महाजनको कोई हक़ नहीं है कि वह उसे कोपार्सनरी जायदादसे वसूल कर सके; देखो--हनूमानकामत बनाम दौलत मन्दिर 10 Cal. 528. लालसिंह बनाम देवनरायणसिंह 8 All. 279. अरुणाचलचट्टी बनाम मुनिसामी मुदाली 7 Mad. 39.

जबकि बापने कुल मुश्तरका जायदाद या सिर्फ अपना हिस्सा रेहन या बय या कोई इन्तक़ाल किया हो तो इसबारेमें जो कोई प्रश्न उठेगा उसका

विचार रेहन या बय या इन्तक़ालके फरीक़ोंके कामों तथा उस मुक़द्दमेंकी सूरतपर निर्भर होता है, देखो—शम्भूनाथ पाण्डे बनाम गुलाबसिंह 14 I. A 77-83, 14 Cal 572-579

अगर ऐसा मामला हो कि बापने मौरूसी जायदाद किसी पुराने क़र्ज़े के देनेके लिये नहीं बेंची तो भी जब तक पुत्र यह साबित न करे कि वह रुपया किसी बे क़ानूनी या बुरे कामोंके मतलबके लिये बापने लिया था और उन्हीं कामोंमें खर्च किया तब तक उस बयनामाको ख़ारिज नहीं करा सकते अर्थात ऐसा साबित करनेपर बिना रुपया वापिस दिये ख़ारिज करा सकते हैं, देखो हसमतराय कुवर बनाम सुन्दरदास 11 Cal 396 नाथूलाल चौधरी बनाम बादीसाही 4 B L R. A C 15; 12 W R. C R 447

जब बापने सिर्फ अपना हिस्सा या कुल मुश्तरका जायदाद इन्तकाल किया हो और कोई यह कहता हो कि यह इन्तक़ाल नाजायज है तो इस प्रश्नका फैसला इन्तक़ालकी दस्तावेज़के शब्दोंही से नहीं कर दिया जायगा बल्कि उस इन्तक़ालके दूसरे चारो तरफके सम्बन्धोंको देखकर भी किया जायगा और इसके साबित करनेका बार सुबूत उस पक्षकारपर है जो दावा करता हो, देखो—नरायनराव दामोदर बनाम बालकृष्ण Bom P J. 1881 P. 293

प्रिवी कौन्सिलका आख़ीर फैसला—भूपसिंह मुद्दाअलेह नं०१ के लड़के और पोते मिताक्षराके मुश्तरका हिन्दू ख़ान्दानमें रहते थे, भूपसिंह ख़ान्दान का मुखिया था उसने सन् १८८२ ई० में मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदाद मौज़ा 'पंदात' का एक बिस्वा हिस्सा चूरनसिंहके पास रेहनकर दिया। सन १८८३ में उसी जायदादको २००) रु० पर उसने भागीरथीके पास फिर रेहन कर दिया। सन् १८८४ ई० में उसने फिर वही जायदाद साहू रामचन्द्र मुद्दईके पास रेहन की। सन् १८९३ ई० में साहू रामचन्द्रने रेहनकी नालिश करके बापपर डिकरी प्राप्त करली, पहलेके रेहननामोंका रु० अदा करके अपने हक़ में उन्हें इन्तक़ाल करा लिया। सन् १९१० ई० में भागीरथके रेहननामेकी नालिश कीगयी इस रेहननामेमें लिखा था 'मैंने अपनी ज़रूरतसे क़र्ज़े लिया दावामें कहा गया कि भूपसिंहने क़ानूनी जरूरतसे रु० लिया था, सब जजने क़ानूनी जरूरत साबित न होनेसे दावा डिस्मिस् किया, इलाहाबादमें अपील हुयी किन्तु वहां भी अपील डिस्मिस हुआ। प्रिवी कौन्सिलमें जब यह मामला पेश हुआ जजोंने निम्न लिखित नतीजे निकाले।

१—मिताक्षरालॉ के हिन्दू सम्मिलित परिवारके मेम्बरोंके द्वारा जो जायदाद पैदा कीगयी हो वह दानमें नहीं दी जा सकती और न वह रेहन या बिक्री की जा सकती है जब तक कि सब मेम्बरोंकी मंजूरी न हो जाय।

२—बाप, मेनेजर और मुखियाकी हैसियतसे मुश्तरका जायदादको अपनी स्थिति सुधारने या परिवारकी ज़रूरतके लिये इन्तक़ाल कर सकता है इसके सिवाय उसे कोई अधिकार रेहन करने या बेंच देनेका नहीं है किंतु मौरूसी क़र्ज़ा यानी पैतृक ऋणमें ऐसा हक़ बना रहता है (अब प्रश्न यह है कि पैतृक ऋण कौन है ? देखो 'नोट') जो क़र्ज़ा बापने पैतृक जायदाद रेहन करके लिया हो वह पैतृक ऋण नहीं है लेकिन अगर ऐसा क़र्ज़ा खान्दानकी ज़रूरतके लिये लिया गया हो तो है। पैतृक ऋणके रेहननामेको जायज़ साबित करनेके लिये केवल पहलेका क़र्ज़ा होनाही जरूरी नहीं है बल्कि यह भी साबित करना चाहिये कि वास्तवमें वह क़र्ज़ा लिया गया था।

३—मिताक्षराके अनुसार पुत्र और पौत्रपर अपने बाप और दादाके सम्बन्धमें जो धार्मिक कर्तव्य माने गये हैं कि वे उनका क़र्ज़ा चुकावें, बाप और दादाकी जिन्दगीमें क़र्ज़ उन्हें पावन्द नहीं करते।

४—ऐसे रेहनके मामलेमें जहां क़ानूनी ज़रूरत बयानकी जाती हो तो बार सुबूत उसपर होगा जिसके हक़की रक्षा उस ज़रूरत बयान करनेसे होती हो; देखो—साहू रामचन्द्र बनाम भूपसिंह (1917) 19 Bom L.R. 498, 31 All. 176 वह क़र्ज जोकि संयुक्त खान्दानकी ज़मानतपर लिया गया हो, पीछे के क़र्जके प्रमाणमें पूर्वजोंका क़र्ज है—छोटूराम भीखराज बनाम नारायन 90 I. C. 210 रेहननामेके पहिले—सन्मुख पांडे बनाम जगन्नाथ पांडे 83 I. C. 838; A. I R. 1924 All 708.

क़र्ज—पूर्वजोंका क़र्ज—संयुक्त खान्दानकी जायदाद—मेनेजर द्वारा रेहननामा—आवश्यकता—प्रतापसिंह बनाम शमशेर बहादुरसिंह 10 O & A. L. R 1389; 87 I. C 66.

पूर्वजोंका क़र्ज—पिता द्वारा किये हुये ऋणकी जिम्मेदारी पुत्रोंपर होने के लिये दो बातोंका होना आवश्यक है। प्रथम यह कि यह नालिशके मामले के पहिले लिया गया हो और दूसरे यहकि यह बहैसियत संयुक्त जायदादके मालिकके अतिरिक्त लिया गया हो या जमानत दीगई हो या इस प्रकारकी संयुक्त जायदादसे उसका प्राप्त होना समझा गया हो—सुरेन्द्रनाथ पांडे बनाम वृन्दावन चन्द्र घोष A. I. R 1925 Cal. 545.

पहिलेका ऋण—उस रेहननामेके ऋणके पहिलेका, जिसके सम्बन्धमें नालिश द्वारा निर्णय हो रहा हो, ऋण पिताका ऐसा ऋण नहीं है जिसकी पावन्दी पुत्रपर हो सके, किन्तु पिताके पिता (बाबा) के साझी द्वारा किया हुआ ज़बानी ऋण, जिसकी पावन्दी बाबा पर रही हो, उसकी पावन्दी पुत्रके पुत्र (पोते) पर इस प्रकार होती है जैसे कि वह पिदरी कर्ज हो—रामरतन मिश्र बनाम कपिलदेवसिंह 83 I. C. 417; A. I. R. 1923 All. 20.

पूर्वजोंका ऋण—पूर्वजोंका ऋण उस समय और वाक़येसे पहिलेका होना चाहिये, जवकि पिता अलाहिदा हुआ था—गजाधरवक्ससिंह वनाम वैजनाथ A. I. R 1925 Oudh 9

पूर्वजोंका क़र्ज, जो फिजूलखर्ची या असावधानीके कारण हुआ है पुत्रों पर लागू है—वंशीधर वनाम पाण्डुरङ्ग A. I. R 1925 Nag 196

पहिलेकी आवश्यकताके लिये क़र्ज—किसी इन्तक़ालके सम्बन्धमें आवश्यकता—प्रमाणित करनेके लिये, यह काफी नहीं है कि पिता द्वारा खान्दानी जायदादको रेहन करके जो क़र्ज लिया गया है उससे किसी पहिले रेहननामेका क़र्ज जो खान्दानी जायदाद पर था चुकाया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिये कि पहिलेका रेहननामा भी आवश्यकता के लिये ही था—सुरेन्द्रनाथ पाडे वनाम वृन्दावनचन्द्र घोष A I R 1925 Cal. 545

पुत्र और प्रपौत्र दोनों पर पूर्वजोंके ऋणकी समान जिम्मेदारी है—माधोप्रसाद वनाम नियामत 84 I C. 501; 27 O C 366, A I. R 1925 Oudh 185

साझीदार द्वारा क़र्ज—खान्दानी जायदादका ऋण चुकानेके लिये बेचा जाना—साझीदारकी स्त्री अपनी सकूनत (Residence) का दावा तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह उस क़र्जको ग़ैर-तहजीब न साबित करे—ननकी वनाम श्यामदास सालिकराम A I R 1925 Lah 638

मुश्तरका खान्दान—पूर्व क़र्जमें वह क़र्ज भी शामिल है जो भोगबन्धक रेहननामेके अनुसार हो—माधोप्रसाद वनाम नियामत 27 O C. 366, 84 I C 501, A. I R 1925 Oudh 185

मुद्दाअलेहके पिता द्वारा किया हुआ पहिलेका रेहननामा—मुद्दाअलेह के चचा द्वारा किया हुआ पीछेका रेहननामा, जिसकी अदाई पहिले होनी है पहिले रेहननामेका क़र्ज पूर्वजोंका क़र्ज नहीं है—केवल पुत्रकी पवित्र पाबन्दी इन्तक़ालको जायज़ नहीं बनाती—हिन्दूलॉ—इन्तक़ाल—बन्शीधर वनाम विहारीलाल 89 I. C 67, 12 O L J 359, 2 O W N. 369, A. I. R 1925 Oudh 626

पहिली दस्तावेज़ जो पूर्वजोंका क़र्ज हो, उसके वदले जानेमें, पाबन्दी नहीं रहती—केवल इस वजहसे किसी मुर्तहिनने अपने पहिले दस्तावेज़ोंकी रक़म वसूल करनेके वजाय जो कि विल्कुलही अलाहिदा, साफ और स्वतन्त्र थी, उसकी मियाद ख़तम होनेके समय, उन्हें रेहननामेमें मय और मावजोंके शामिल कर लिया और सूदकी दर भी घटा दी, पहिलेके रेहननामाका जो कि पूर्वजोंके क़र्ज पर था प्रभाव नहीं पड़ सकता, और उसके लिये यह आव-

श्यक नहीं है कि क़ानूनी आवश्यकता साबित की जाय—शिवप्रसाद बनाम बलवन्तसिंह A. I. R. 1927 All. 150.

नोट—पहिले यह फैसला प्रिवीकौंसिलका हुआ सब जगह माना जाने लगा है कि बापने यदि कोई क़र्ज़ा प्रामेसरी नोट या सादी दस्तावेज़ या दूसरी तरहसे लिया हो जिसमें जायदाद रेहन नहीं कीगयी, पीछे उस कर्ज़के चुकानेके लिये बापने मुश्तरका जायदाद रेहन करदी ऐसी सूरत में वह क़र्ज़ा मौरूसी कर्ज़ा (पैतृक ऋण) माना जायगा, रेहन नामा जायज़ होगा, पुत्र जिम्मेदार होंगे । किंतु यदि बापने पहलेही मुश्तरका जायदाद रेहन करके क़र्ज़ा लिया हो तो वह पैतृक ऋण नहीं माना जायगा। यही बात दादा और पोतेके बीच समझना । अब प्रिवी कौंसिलने अपनी राय बदल दी है अब यह बात नहीं मानी जाती, देखो इस किताबका पेज ९८ में "अब प्रिवीकौंसिलकी क्या रायहै" ।

दफा ९८ जब लड़के फरीक़ न बनाये गये हों तो क्या पाबन्दी है ?

मुश्तरका जायदादको जब बापने रेहन कर दिया हो और उस रेहन-नामाके अनुसार अदालतसे डिकरी होगयी हो मगर उस मुक़द्दमेमें लड़के फरीक़ न बनाये गये हों तो भी उस डिकरीके लड़के पाबन्द हो सकते हैं किन्तु इसमें भी मतभेद है ।

ट्रान्सफर आफ् प्रापर्टी (क़ानून इन्तक़ाल जायदाद) एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० के अनुसार जब रेहनका कोई दावा किया जाय तो माना गया है कि उस दावासे वही फ़रीक़ पाबन्द होंगे जो उसमें दरअसल फ़रीक़ बनाये गये हों—इसपर मतभेद है । मिताक्षरालॉ मानने वाले कुटुम्बके बापने मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदाद रेहन करदी हो, वह रेहन, और मुश्तरका ख़ान्दानके मेनेजरकी हैसियतसे जो रेहन कीगयी हो, इन दोनोंका दर्जा बराबर है । उपरोक्त ऐक्ट न० ४ सन् १८८२ ई० के पास होनेसे पहले यह माना जाता था कि बापकी रेहनकी हुई जायदादके रेहननामेके अनुसार जो डिकरी अदालतसे हो जाय और चाहे उसमें लड़के जो बापके शरीक रहते थे फ़रीक न भी बनाये जांय तो भी लड़के उस डिकरीके पाबन्द माने जायंगे क्योंकि बाप कुटुम्बके मुखियाकी तौरपर माना गया है, देखो—4 Mad. 1, S. C. (1885) 9 Mad. 343, 5 Mad. 251, 6 Bom 520, 9 Cal. L. R. 350; 4 Mad. 111, 14 I. A. 187, 15 Cal. 70, 2 All. 746, 3 All 72, 3 All. 191; 3 All. 443, 11 Cal. L. R. 263.

उपरोक्त क़ानून इन्तक़ाल जायदादकी दफा ८५ में कहा गया है कि जो जायदाद रेहन रखी गयी हो उसमें जितने आदमियोंका हक़ हो वे सब उस रेहनके मुक़द्दमेमें फ़रीक़ बनाये जायंगे मगर शर्त यह है कि मुद्दईको यह मालूम हो कि उस जायदादमें उन लोगोंका भी हक़ है । इस पर बङ्गाल हाई-

कोर्टने माना कि जब मुद्दईको यह मालूम हो कि उस जायदादमें हक़ रखने वाले कुछ और लोग भी हैं लेकिन उसने मुक़द्दमेमें उनको फरीक़ न बनाया हो तो उन लोगोंको अर्थात् पुत्रोंको अधिकार है कि वे उस मुक़द्दमेकी डिकरी अपने ऊपरसे ख़ारिज करा दें, देखो--सूरजप्रसाद लाला बनाम गुलाबचन्द 28 Cal 517, 5 C W N 640, 27 Cal 724, 4 C W N 701 इस बातका बार सुबूत पुत्रोंपर है, देखो—रामनाथराय बनाम लक्ष्मणराय 21 All. 193 इलाहाबाद हाईकोर्टकी राय, उक्त बङ्गाल हाईकोर्टकी रायके विरुद्ध कुछ मुक़द्दमोंमें रही है, जैसे-बलवन्तसिंह बनाम अनन्तसिंह (1910) 33 All 7 लेकिन एक और मुक़द्दमेमें इलाहाबाद हाईकोर्टने बङ्गालके हाई-कोर्टकी रायके अनुसार अपनी राय प्रकाश की है, देखो-रामप्रसाद बनाम मनमोहन 30 All 257.

बङ्गाल हाईकोर्टकी रायका यह मतलब है कि जब मुक़द्दमेमें पुत्र फरीक़ बनाये जानेसे छूट गये हों तो वह डिकरी महज इस वज़हसे ख़ारिज नहीं हो जायगी बल्कि मुद्दईको पुत्रोंके विरुद्ध नया दावा करना होगा और इस नये दावेसे वह क़र्ज़ा कोपार्सनरी जायदादके नीलामसे वसूल किया जासकता है, देखो—धर्मसिंह बनाम अङ्गनलाल 21 All 301 लछिमनदास बनाम डालू 22 All 394 रामसिंह बनाम सोभाराम 29 All. 544, 28 Cal 517, 5 C W N 640, 24 All. 211.

मदरास और बम्बई हाईकोर्टकी यह राय है कि इस विषयमें जो क़ानून है वह ट्रान्सफर आफ प्रापरटी एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० के पास होनेसे नहीं बदल गया, देखो—21 Mad 222, 22 Mad 207, 34 Bom 354, 12 Bom L R. 219, 12 Bom L. R 811, 12 Bom. L. R. 940.

मुहम्मद असकरी बनाम राधेरामसिंह 22 All. 307 वाले मामलेमें अदालतने माना कि जब कोई मुक़द्दमा बाबत रेहन या किसी कन्ट्राक्टके मुश्तरका ख़ान्दानके मेनेजरपर दायर किया गया हो तो उसकी डिकरी हो जानेके पश्चात् वे सब मेम्बर पाबन्द होंगे जिनका कि हक़ उस जायदादमें था और एकही हैसियत रखते थे। अर्थात् ऐसी डिकरी हो जानेपर फिर डिकरी-दारको दूसरे मेम्बरोंपर दावा करनेकी ज़रूरत नहीं है।

क़ानून ज़ाबता दीवानी एक्ट नं० ५ सन १९०८ ई० आर्डर नं० ३४ के रूल नं० १ में कहा गया है कि—"इस क़ानूनकी शर्तोंका ख़्याल रखते हुए यह जरूरी है कि वह सब लोग जो किसी रेहनकी जायदादमें हक़ रखते हों उस रेहनके दावेमें फरीक बनाये जायें" इस क़ानूनके आर्डर ३४ से वे सब मुशकिलें जो क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० की दफा २५वीं के अनुसार पैदा होती हैं साफ तौरसे तय नहीं होगयीं, यह बात मानी

गयी है कि मुश्तरका खान्दानके जो लोग इनफिक़ाक़ रेहन (रेहनसे छुटाने का हक़) रखते हों वे सब रेहनके मुक़द्दमेमें फरीक़ बनाये जायंगे।

जब बापके किये हुए रेहननामे के मुक़द्दमेमें लड़के फरीक न बनाये गये हों तो लड़कोंके लिये सिर्फ एकही मौक़ा उस डिकरीमें उज्रदारी करनेका रहता है या तो वे उज्रदारी उस डिकरीके इजरा होनेपर करें या नया मुक़द्दमा डिकरीकी मन्सूखीका दायर करें। मतलब यह है कि अगर लड़के उस रेहनके दावेमें फरीक़ बनाये जाते तो जो कुछ वे जवाब उस वक्त लगाते वही जवाब वे उस समय भी लगा सकते हैं जब कि वे फरीक़ न बनाये गये हों और उस डिकरीका इजरा उनके लाभके विरुद्ध किया गया हो इससे ज्यादा पुत्रोंके लिये उज्रदारीका मौक़ा कोई नहीं है, देखो—8Mad 376,33Cal 676 21All.356,इस आखिरी केसमें माना गया कि जब पुत्रकेद्वाराबापका स्थानापन्न (Representative) बनाकर दावा किया गया हो तो पुत्रोंकी उज्रदारीका मौक़ा नष्ट हो जाता है—

ऐसी डिकरीकी उज्रदारीमें या नया मुकद्दमा उस डिकरीकी मन्सूखीके लिये दायर करनेमें जिसमें लड़के फरीक़ न बनाये गये हों, वे (पुत्र) अदालत को दिखला सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि जिस क़र्ज़ेके सम्बन्धमें रेहननामा लिखा गया था वह क़र्ज़ा कानूनी और बुरे कामोंके लिये लिया गया था, देखो—रामकृष्ण बनाम विनायक नरायन 34 Bom. 354; 12 Bom. L. R 219 मातादीन बनाम गयादीन 31 All. 599. लड़के इन्फिक़ाक़ रेहन (जायदादको रेहनसे छुटाना) करा सकते हैं, देखो—4 Mad. 1, 69; 8 Bom 481, 21 Mad 222 मगर ऐसे दावेमें सिर्फ यह उज्रदारी काफी नहीं होगी कि हम उस मुक़द्दमेमें फरीक़ नहीं बनाये गये थे, देखो—लालसिंह बनाम पुलन्दरसिंह 28 All 182 देवीसिंह बनाम जैराम 25 All. 214. केहरीसिंह बनाम चुन्नीलाल 33 All. 436.

जो लड़का रेहनकी डिकरी हो जानेके बाद पैदा हुआ हो उसको इन्फिक़ाक़ रेहनका हक़ नही पैदा होगा, देखो—22 Mad. 372.

कुछ मुक़द्दमोंमें यह कहा गया कि बापके विरुद्ध रेहनकी डिकरी हो या सादे कर्जेकी हो और उस मुकद्दमेमें पुत्र फरीक़ न बनाये गये हों और जायदाद उस डिकरीसे नीलाम होगयी हो तो दोनोंही प्रकार (रेहन और सादे क़र्ज़े) की डिकरियोंमें पुत्रोंको सिर्फ यही एक उपाय बाक़ी रहता है कि वे यह दिखलायें कि वास्तवमें कोई ऐसा क़र्जा नहीं था कि जिससे नीलाम जायज़ समझा जाय, देखो—21 Mad. 222; 11 Mad. 64; 27 All. 16.

रेहनके मुक़द्दमेके समय जो लड़का बापके शरीक न रहा हो उसे भी रेहनसे जायदाद छुड़ानेके दावा करनेका अधिकार प्राप्त है, देखो—त्र्यम्बक बालकृष्ण बनाम नरायण दामोदर दभोलकर 8 Bom. 481.

जबकि पुत्र रेहनके मुक़द्दमेमें फरीक़ हों तो वह किसी दूसरे मुक़द्दमेमें यह प्रश्न नहीं उठा सकते कि रेहन या नीलाम जायज़ नहीं था। बापपर जो दावा किया जाय उसमें यदि पुत्र फरीक़ न बनाये जायें तो महाजनको अधिकार है कि वह पुत्रोंपर अलग दावा दायर करे, देखो—रामसिंह बनाम शोभाराम (1907) 29 All 544 धर्मसिंह बनाम अङ्गनलाल (1899) 21 All. 301. आर्यचुद्र बनाम डोरासामी (1888) 11 Mad 413

वैवातकी डिकरी—किसी संयुक्त परिवारके केवल मेनेजरके खिलाफ प्राप्त वयवातकी डिकरी, जो किसी ऐसे रेहननामेकी विनापर हो, जो क़ानूनी आवश्यकतापर किया गया हो, परिवारके उन समस्त सदस्योंके खिलाफ भी लाजिमी है जो कि मुक़द्दमेमें फरीक़ नहीं बनाये गये। यदि हिन्दू पिता अपने पुत्रोंका क़ानूनी प्रतिनिधि हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि क्यों चाचा या भाई जो संयुक्त परिवारका मेनेजर हो, उसी प्रकार अपने भाइयों या भतीजोंका प्रतिनिधि न हो सके, किसी ऐसे रेहननामेकी नालिशमें जो क़ानूनी आवश्यकतापर किया गया हो। यदि इस प्रकारका मामला हो, तो उसका प्रभाव समस्त परिवारपर पड़ता है और यदि उस दस्तावेज़की विना पर केवल मेनेजरके खिलाफ नालिश की जाती है, तो इस प्रकारकी नालिश द्वारा प्राप्त डिकरीकी पाबन्दी समस्त परिवारके सदस्योंपर होती है—पिरथी पालसिंह बनाम रामेश्वर A I R. 1927 Oudh. 27.

नोट—बापके किये हुए रेहनकि दावेमें जहा तक होसके सब पुत्रोंको चाहे वे बापके शरीक रहते हों या न रहते हों या नवजात (एक दिनका बच्चा भी) हो, फरीक़ बना देना चाहिये। और उन लोगोंको भी फरीक़ बनाना इतनाही जरूरी है जो किसी क़िस्मका हक़ रेहनकी जायदादमें रखते हों।

दफा ९९ नीलामसे पुत्रके हक़का चला जाना

(१) बापके विरुद्ध जो डिकरी हुई हो उसके अनुसार कोपार्सनरी जायदादके नीलाम हो जानेपर पुत्रोंका हक़ भी चला जाता है, देखो—मदन थाकुर बनाम कंट्रलाल 1 I A 321; 14 B L. R 187, 22 W R C. R 56, 13 I. A 1, 13 Cal 21, 15 I A. 99, 15 Cal 717; 16 I A. 1, 12 Mad 142, 17 Bom 718, 8 Cal 617, 10 C L. R. 489, 23 Cal 262, 6 All 234, 5 Cal L R 36.

मातादीन बनाम गङ्गादीन 31 All 599 में माना गया कि सिर्फ दो हालतोंमें हक़ नहीं चला जाता, वह दोनों हालतें यह हैं—

(१) जब कि पुत्रोंके हक़ न बेचे गये हों, या

(२) जब कि पुत्र यह साबित करें कि बापने क़र्जा बे क़ानूनी या बुरे कामोंके लिये लिया था और महाजन, खरीदार या दूसरा खरीदार

जांच करने हीसे यह मालूम कर सकता था कि वह क़र्ज़ा बे कानूनी था और बुरे कामोंके लिये ही लिया गया था, देखो--जुहारमल बनाम एकनाथ 24 Bom. 343, 1 Bom L R. 839; 16 Mad. 99.

पुन उस क़र्ज़ेके वास्तविक (दरअसल क़र्ज़ा नहीं लिया गया यानी दस्तावेज़ किसी अन्य कारणसे लिखी गई थी या रुपया दिखलाकर फिर वापिस ले लिया गया इत्यादि) होने और न होनेका झगड़ा भी उठा सकते हैं, देखो—13 I. A. 1–18, 13 Cal 21.

(२) नीलामसे हक़ नहीं मारा गया—हालका एक मुक़द्दमा देखो—हनूमानदास रामदयाल बनाम वल्लभदास (1918) 20 Bom L R. 472. मुद्दाअलेह नं० ६ और ७ ने सन् १६०४ ई० में मुद्दाअलेह नं० ५ से कुछ रक़म दिला पानेका दावा किया था जिसकी डिकरी उन्हें प्राप्त होगई किन्तु उस समय मुद्दाअलेह नं० ५ के एक लड़का ४ वर्षका था जो इस हालके मुक़द्दमेमें मुद्दई है। उक्त डिकरीमें अदालतके बाज़ाबिता नीलामके द्वारा मुद्दाअलेह नं० ५ के दो मकान नीलाम होगये जिन्हें मुद्दाअलेह नं० १ से ४ ने ख़रीद किया। सन् १६१५ ई० में मुद्दाअलेह नं० ५ के लड़के ने दावा किया कि जो नीलाम मौरूसी मकानोंका हो चुका है उनमें आधा हिस्सा मेरा क़रार दिया जाय क्योंकि वह हिस्सा खरीदार मुद्दाअलेह नं० १ से ४ के पास नहीं गया और मालिकाना दख़ल दिलाया जाय। मुद्दाअलेह नं० १ से ४ ने यह उज़ुर किया कि अदालतके नीलामसे लड़केका हक़ ख़रीदारके पास चला गया अब वह दावा नहीं कर सकता अदालतने माना कि लड़केका हिस्सा अदालतके नीलामसे ख़रीदारके पास नहीं गया, लड़का उससे ले सकता है, मुद्दाअलेह की उज़ुरदारी ऐसे मामलेमें नहीं मानी जायगी जहां किसी कोपार्सनरने ख़रीदारके विरुद्ध दावा किया हो।

प्रिवी कौन्सिलका मुक़द्दमा भी देखो जिसमें एक हिन्दू शामिल शरीक परिवारका बाप छत्रपति मिताक्षरालॉ के प्रभुत्वमें रहता था, बेनीमाधवने छत्रपतिपर नालिश करके सादे क़र्ज़ेकी डिकरी प्राप्त करली, छत्रपतिके पुत्रोंने बेनीमाधव पर दावा किया कि उनका हिस्सा डिकरीसे बरी कर दिया जाय किन्तु यह दावा अनायास डिस्मिस होगया। बेनीमाधवने कुल मौरूसी जायदाद नीलाम कराई और खुद ख़रीद लिया, नीलामकी मंजूरी अदालतने इन शब्दोंमें दी "Right. title and interest of the Judgment debtor" मद्यूनका हक़, स्वत्व, तथा अधिकार ख़रीदारको दिया गया, अपीलमें एक प्रश्न ज़रूरी माना गया कि अदालतके नीलामसे क्या चला गया? सबजजने यह माना था कि छत्रपतिका बिना बटा हुआ हिस्सा चला गया, हाईकोर्टने

यह माना कि सब जायदाद चली गई जिसपर कि छत्रपति इन्तक़ालका हक़ रखता था प्रिवी कौन्सिलमें खूब बहस होकर यह तय हुआ कि मुश्तरका हिन्दू ख़ान्दानके बापपर जो डिकरी हो और उसमें बापका हक़, स्वत्व, तथा अधिकार नीलामहो जाय तो यही समझा जायगा कि केवल बापकाही हिस्सा जो मौरूसी जायदादमें था जाता रहा दूसरेका नहीं, देखो—श्रीपतिसिंह दुगार बनाम महाराजा, सर पी०के० टगोर (1916) P C 19 Bom L R 290 और देखो दफा ४८८

पिताके खिलाफ डिक्री—महाजनको अधिकार है कि उस डिकरीकी तामीलमें, जो हिन्दू पिता द्वारा लिया गया हो तमाम संयुक्त ख़ान्दानकी जायदादको मय पुत्रों के अधिकारके नीलाम कराले—दे सोडजा बनाम वामन राव 27 Bom L R 1451

स्त्री वारिस—परिमित अधिकारीकी स्वीकृति भावी वारिसोंके खिलाफ मियादसे बढ़ नहीं सकती—लक्ष्मी बनाम वेङ्कटराव 82 I C 1052, A I. R 1925 Nag 207

क़र्ज पिता द्वारा—जबकि किसी हिन्दू पिताके खिलाफ किसी रक़मकी डिकरी प्राप्त हुई हो और उसकी तामीलमें ख़ान्दानी जायदाद नीलाम कीगई हो, पुत्र उसे केवल ग़ैर तहजीबी साबित करनेके बाद ही मंसूख करा सकते हैं, रञ्जीतसिंह बनाम रम्मनसिंह 87 I C 654, A. I. R 1925 All 781.

क़र्ज पिता द्वारा - पुत्रोंकी जिम्मेदारी—पार्थसारथी अप्पाराव बनाम सुब्बाराव 84 I C. 276, A I R 1924 Mad 840.

दफा १०० रुपयेकी डिकरी

सिर्फ रुपयाके क़र्जेके बारेमें जो डिकरी बापपर हो उसके द्वारा बापकी जिन्दगीमें सब कोपार्सनरी जायदाद नीलामकी जा सकती है, देखो—हरीराम बनाम विश्वनाथसिंह 22 All 408 यह मामला रेहनके क़र्जेका था जिसमें दावेकी रक़म अनिश्चित थी, 16 I A 1, 12 Mad 142, 20 Cal 328; 9 Cal 389, 12 Cal L R 494, 1 Bom 262, 5 Cal 855, 6 Cal. L R 473; 5 N W P. 89 मगर शर्त यह है कि वह क़र्जा बे क़ानूनी न हो और बुरे कामोंकी ग़रज़से न लिया गया हो। ख़ान्दानके कामोंके लिये लिया गया था या नहीं इस बातका कोई प्रश्न नहीं उठता। उक्त डिकरीके पाबन्द पुत्र भी होंगे चाहे पुत्र उस मुक़द्दमेमें फरीक़ बनाये गये हों या न बनाये गये हों देखो—1 I. A 321, 14 B L R 187, 22 W R. C R 56-59; 9 Mad 343-345-349, 13 I. A 1; 13 Cal 21, 6 I. A. 88; 5 Cal. 148-171, 5 Cal. L R. 226-238, 15 I A 99, 15 Cal 717, 16 I.

A. 1; 12 Mad 142; 27 All 16, 25 All 57, 23 Mad.292; 16Mad. 99; 11 Mad. 64; 12 Mad 309; 9 Cal. 452, 12 O L. R 47, 36 Bom. 68, 13 Bom. L R. 1161, 28 All. 288.

लेकिन अगर पुत्र उस मुक़द्दमेमें फ़रीक़ न बनाये गये हों तो वह किसी दूसरे मुक़द्दमेमें जो उनपर हो उस क़र्ज़ेकी पाबन्दीपर अपत्ति कर सकते हैं, देखो—22 Mad 49, 4 Mad 320, 24 Bom 135, 11 Bom. 37, 27 All 16. या कानून ज़ाबता दीवानी ऐक्ट नं० ५ सन् १९०८ ई० आर्डर २१ रूल ५७ के अनुसार इजरा डिकरीमें उज्रदारी करें। उक्त रूल ५७ इस प्रकार है:—"अगर कोई जायदाद इजरा डिकरीसे कुर्क हुई हो मगर डिकरीदारके क़सूरकी वजहसे अदालत इजरा दरख़्वास्तकी निस्बत आगे कोई कारवाई न कर सके तो अदालतको लाजिम होगा कि इजराकी दरख़्वास्त नामंजूर करे या उचित कार्रवाईके वास्ते आगेकी किसी तारीख़ तक मुलतवी रखे और इजराकी उक्त दरख़्वास्तकी नामन्जूरीपर कुर्क़ी रद हो जायगी" इस विषयमें फैसले भी देखो—शिवराम बनाम सखाराम 33 Bom. 39; 10 Bom. L. R. 39, 20 Bom. 385, 12 All. 209; 1 Mad. 358.

इलाहाबाद हाईकोर्टने दो मुक़द्दमोंमें से एकमें यह कहाकि जब नीलाम न हुआ हो तो पुत्र उस डिकरीपर केवल इस कारण से ही आपत्ति कर सकते हैं कि वे उस मुक़द्दमेमें फरीक़ नहीं बनाये गये थे, लेकिन दूसरे मुक़द्दमेमें उसी हाईकोर्टने कहा कि पुत्रोंके फरीक़ बनाये जाने या न बनाये जानेमें कुछ भेद नहीं है, देखो—रामदयाल बनाम दुर्गासिंह 12 All. 209; 9 All. 142. करण सिंह बनाम भूपसिंह (1904) 27 All. 16.

दफ़ा १०१ बे क़ायदा नीलामसे पुत्रोंका हक़ रक्षित रहता है

जिसके पास बापने रेहन रखा हो उस आदमीने अगर क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं० ४ सन् १८८२ ई० की दफा ९९ के विरुद्ध, क़र्जेकी डिकरी में जायदाद नीलाम कराली हो या नीलाम दूसरी तरहसे बे क़ायदा हो तो पुत्रोंका हक़ नहीं जाता, देखो—22 Mad. 372.

दफ़ा १०२ बापके मरनेके बाद इजराय डिकरी

बापके मरनेके बाद पुत्रोंके हाथमें जो कोपार्सनरी जायदाद हो उसके विरुद्ध डिकरीदार डिकरी इजरा करा सकता है—इस विषयमें ज़ाबता दीवानी एक्ट ५ सन् १९०८ ई० की दफा ५०-५२-५३ देखो। नीचे इन दफाओंका वर्णन किया गया है, देखो दफा ४८७.

किसी हिन्दू पिताके ख़िलाफ रेहननामेकी डिकरीकी तामील उस जायदादपर जो पुत्रोंके अधिकारमें ही हो सकती, किन्तु वे क़र्जेको ग़ैर क़ानूनी या ग़ैर तहज़ीबी साबित कर सकते हैं। केवल यह साबित करना काफ़ी न होगा

कि मामले फ़ुजूल खर्ची या असावधानीके साथ किया गया था और रक़म उससे सस्ते सूदकी दरपर मिल सकती थी—टिकैत गायननाथ बनाम मल्हा जी वैद्य (1925) P H C C 160, 6 Pat L T 507, 90 I C 276, A I R 1925 Patna 588

दफा १०३ क़ानूनी प्रतिनिधि

इस विषयपर क़ानून जाबता दीवानी एक्ट ५ सन् १६०८ ई० की दफायें ५०-५२-५३ इस प्रकार हैं—

दफा ५० (१) अगर वह आदमी जिसपर डिकरी हुई हो डिकरीकी तामील होनेसे पहले मर जाय तो डिकरीदारको अख़्त्यार है कि उस आदमी के कानूनी प्रतिनिधि अर्थात् उसके क़ायम मुक़ामपर डिकरी जारी होनेकी दरख़्वास्त, डिकरी देने वाली अदालतमें करे।

(२) अगर उस प्रतिनिधिके नाम डिकरी जारी कराई जाय तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनीही होगी जितनी कि मरने वालेकी जायदाद उसके हाथमें आई हो और वह खर्च न कीगई हो। प्रतिनिधिकी जिम्मेदारी कितनी है यह मालूम करनेके लिये डिकरी इजरा करने वाली अदालतको अधिकार है कि अपनी मरजीसे या डिक्रीदारकी दरख़्वास्तपर उस प्रतिनिधिसे हिसाब के ऐसे कागजात जबरदस्ती दाखिल कराये जो अदालतको मुनासिब मालूम हों।

दफा ५२ (१) मरने वालेका क़ानूनी प्रतिनिधि होनेकी हैसियतसे अगर किसी आदमी पर डिकरी हुई हो और वह डिकरी मरने वालेकी जायदादसे नक़द रुपया दिलानेके वास्ते हो तो इजरा डिकरी उस जायदादकी कुर्की और नीलामके जरियेसे हो सकती है।

(२) अगर ऐसी कोई जायदाद उस कानूनी प्रतिनिधिके हाथमें बाकी न रहे और वह अदालतके इतमीनानके लिये यह साबित न कर सके कि उसने मरने वालेकी जायदादको जो उसके कब्ज़ेमें आई उचित रीतिसे खर्च किया है तो उसपर उतनीही आयदादकी बाबत डिकरी जारी हो सकती है जिसकी निस्बत वह पूर्व्वोक्त रीतिसे अदालतका इतमीनान न करा सका था और वह डिकरी उसपर उसी तरह जारी होगी कि मानो वह उसीकी ज़ात खास पर हुई है।

दफा ५३—पूर्वोक्त दफा ५० और ५२ के मतलबोंके लिये, जो जायदाद किसी आदमीके बेटे या दूसरी औलादके क़ब्ज़ेमें इस तरहपर आये कि उस जायदादपर हिन्दूलॉ के अनुसार मरने वालेके क़र्ज़ेका बोझ हो तो समझा जायगा कि वह जायदाद मरने वालेकी वही जायदाद है जो उसके बेटे या दूसरी औलादके क़ब्ज़ेमें उसके क़ानूनी प्रतिनिधिकी हैसियतसे आयी है।

इस विषय पर नज़ीर देखो—शङ्करनाथ पण्डित बनाम मदनमोहनदास 14 C. W N. 298.

पहली जनवरी सन् १६०८ ई० के पहले जैसा क़ानून था उसके अनुसार पुत्र उस जायदादकी कुर्कीपर आपत्ति कर सकता था जो उसके बापकी जिन्दगीमें सादे क़र्जेकी हुई हो, देखो—प्यारेलालसिंह बनाम कुञ्जीलाल 16 All 449; 11 All. 302; 28 All 51; 32 Mad. 429, 16 Mad. 99, 11 Mad. 413; 13 Mad 265, 5 Mad. 232, 6 C. W. N.223,28Cal 517.

काली कृष्ण सरकार बनाम रघुनाथदेव (1903) 31 Cal 224. लेकिन जब बापके जीवनकालमें उस डिकरीकी इजरासे कुर्की न हुई हो (चाहे इजरा हो भी गयी हो), तो मदरास और इलाहाबाद हाईकोर्टकी रायमें और बङ्गाल के भी कुछ फैसलोंके अनुसार पुत्र पर नये सिरेसे दावा करना होगा, देखो—इसी पैराकी नजीरें।

बम्बई हाईकोर्ट और बङ्गाल हाईकोर्टके फुलबेंचकी यह राय हुई कि ऐसी डिकरी पुत्रोंके विरुद्ध जारीकी जा सकती है नये सिरेसे मुक़द्दमेकी ज़रूरत नहीं है, देखो—28 Bom 383; 6 Bom. L. R. 344, 20 Bom. 385; 34 Cal. 642, 11 C W. N. 593.

रेहनकी डिकरीका इजरा भी इसी तरह पर होगा, देखो—20 Cal. 895. अगर डिकरीका बोझ कोपार्सनरी जायदादपर हो तो बापके मरनेके बाद इजराकी कार्रवाई उसके पुत्रोंके विरुद्ध हो सकती है, देखो—7 Mad. 339, 4 Mad. 1.

दफा १०४ पुत्रोंका हक़ कब चला जाता है?

बापके विरुद्ध जो डिकरी हुई हो उसके इजराके नीलामसे सिर्फ बाप का ही विना बटा हुआ हक़ चला जाता है या सारे ख़ान्दानका बिना बटा हुआ हक़ चला जाता है? इस प्रश्नका फैसला इजराकी कार्रवाईपर निर्भर है। अदालत सिर्फ यह देखेगी कि वास्तवमें क्या बेंचा गया और ख़रीदारने उसको क्या समझकर ख़रीदा, देखो—14 I A. 84, 10 Mad. 241, 14 I. A. 77, 83, 14 Cal. 572, 31 I. A. 1, 27 Mad 131; 8 C. W. N. 180, 8 Cal. 898, 10 C. L. R 505, 12 Bom 691. इस प्रश्नमें क़ानून और वास्तविक घटनायें दोनों मिली रहती हैं, देखो—नीचेके मुक़द्दमोंमें माना गया है कि केवल बापका हक़ नीलामसे चला गया 4 I. A. 247, 3 Cal. 198, 1 C. L. R. 49, 14 I. A. 77; 14 Cal. 572, 11 I. A. 26, 10 Cal. 626; 9 All 672, 14 I. A. 84; 10 Mad. 241, 8 Bom. 489, 15 Bom. 87; 23 Cal. 262; 2 All. 800, 2 All. 899, 7 C. L. R. 218, 5 Cal. 425; 5 C. L. R. 112. अब देखिये नीचेके मुकद्दमोंमें यह माना

गया कि नीलामसे लड़कोंका हक भी चला जाता है 15 I A 99, 15 Cal. 717, 16 I A 1, 12 Mad 142, 17 I A 11, 17 Cal 584, 17 Bom. 718, 29 Mad 484, 11 Mad. 64, 11 Bom 42, 6 Bom. 530, देखो दफा ४८४-२

पिताका क़र्ज़—पिताके खिलाफ डिकरीकी तामीलमें पुत्रका हिस्सा नीलाम किया जा सकता है—नारायण गनेश बनाम सगुनाबाई गङ्गाधर 49 Bom 113, 85 I. C 181, A I R 1925 Bom. 193

पिता द्वारा हिबा या दानकी पुत्रपर पाबन्दी—अवस्था—दान स्त्री या माताको—दान, पुत्रीको—अन्तर—मोव्वा सुव्वाराव बनाम मोव्वा आदम्मा 83 I C 72, A I. R 1925 Mad 68

नोट—डिकरीदारका यह कर्तव्य है कि कुर्की और नीलामके हुक्ममें या नीलामके सर्टीफिकट (किबाला) में यह देखले कि उसमें जायदाद सम्बन्धी मदयून का हक साफ साफ लिखा है या नहीं।

दफा १०५ बार सुबूत

बार सुबूतके विषयमें मतभेद है, प्रश्न यह है कि जायदादके नीलामसे जायदाद परसे बेटोंका भी हक चला जाना माना जावे या केवल बापका हक़ चला जाना माना जावे—14 All 191; 14 All 179, 12 All 99, 15 Bom 87 मनोहर बनाम बलवन्त (1901) 3 Bom L. R 97 माना गया है कि इस विषयमें बार सुबूत उस पक्षकारपर है जो नीलामका समर्थन करता हो, देखो—हज़ाहिरा बनाम माईजी मदन ईसबजी Bom. P J 1875 P 97.

दफा १०६ खरीदारका कर्तव्य

नीलामके ख़रीदारका केवल यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि डिकरी बापपर हुई है और जो जायदाद नीलाम की जाती है वह उस डिकरीके अनुसार नीलाम होना चाहिये, जब ख़रीदार इतना करले और ठीक मूल्य देकर नेकनीयतीसे ख़रीद ले तो पुत्रोंका यह अधिकार नहीं है कि पीछेसे उसमें हस्तक्षेप कर सकें और जायदादको ख़रीदारसे वापिस ले सकें, देखो—6 I A 321, 14 B L R 187, 22 W. R C R 56, 6 All 234, 15 I. A 99 15 Cal 317, 4 Mad 96, 2 Cal 213, 25 W R C R 421, 23 W R C R 260, 1 S W R C R 55

नानोमी बबुआसिन बनाम मदनमोहन (1885) 13 I A. 1-18, 13 Cal 21 36, 15 I. A 99, 15 Cal 370 इन मुक़द्दमोंमें कहा गया कि अगर बापका क़र्जा ऐसा था कि जिससे नीलाम जायज़ हो सकता था तो ऐसी सूरतमें बाप उस जायदादको चाहे स्वयं बेंच देता या महाजन दावा

करके नीलाम करवाता। ऐसे मामलेमें पुत्र यदि कुछ आपत्ति करें तो वे यही कह सकते हैं कि नीलाम या इजराकी काररवाईमें वे फ़रीक़ नहीं थे इसलिये उन्हें अपने मुक़द्दमेमें बापके उस क़र्ज़ेके जायज़ या नाजायज़ होनेका प्रश्न उठानेकी इजाज़त दी जाय, यदि उन्हें ऐसा हक़ मिले तो भी वे जब तक यह न साबित करदें कि क़र्ज़ा ऐसा नहीं था जिससे नीलाम जायज़ समझा जाय तब तक उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा। जिस लिखतके अनुसार जायदाद ख़रीदारके क़ब्ज़ेमें गयी हो उससे अगर यह ठीक न मालूम होता हो कि सारी जायदादसे उस लिखतका सम्बन्ध है या केवल बापकी कोपार्सनरी जायदादके हिस्सेसे तो ऐसे मामलेमें बेटोंका फ़रीक़ न बनाया जाना अवश्य ध्यान देने योग्य होगा लेकिन जब ख़रीदारने सारी जायदादका खूब भाव ताव करके और ठीक दाम देकर नेकनीयतीसे जायदाद ख़रीद की हो तो ख़रीदार उसी बिनापर अपने हक़की रक्षा कर सकता है जिस बिनापर वह नीलाम जिसके इजराका विरोध पुत्रोंने किया हो जायज़ समझा जाता।

दफा १०७ पुत्रोंपर डिकरी

बापकी जिन्दगीमें जब पुत्रोंको फरीक़ बनाकर उनपर डिकरी हो जाय तो उससे कोपार्सनरी जायदाद पाबन्द हो जाती है मगर शर्त यह है कि पुत्रों पर डिकरी तभी होगी जबकि बापने वह क़र्ज़ा किसी बेक़ानूनी और बुरे कामों के लिये न लिया हो देखो—22 Mad. 49, 8 Cal. 517; 10 C. W.R.489.

मतलब यह है कि जब बापके क़र्ज़ेकी नालिशमें पुत्र भी फ़रीक़ बना दिये गये हों और उनके मुक़ाबिलेमें डिकरी हो जाय तो उस समय कुल मुश्तरका जायदाद पाबन्द हो जाती है फिर बेटोंको कोई मौक़ा उजुर करनेका बाक़ी नहीं रहता। जहांपर कोपार्सनरी जायदाद डिकरीसे पाबन्द न हो वहां पर बाप अपनी ज़ात ख़ाससे उस क़र्ज़ेके चुकानेका पाबन्द माना गया है।

दफा १०८ पुत्रोंपर बापके क़र्ज़ेकी साधारण ज़िम्मेदारी

(१) बाप और दादाके क़र्ज़े जिनका बोझ जायदादपर न पड़ा हो पुत्र और पौत्रको आवश्यक है कि वे कर्ज़े वह मुश्तरका जायदादसे चुका दें जिसमें कि उनका हिस्सा भी शामिल है और जिस जायदादमें बाप और दादा हिस्सा रखते थे मगर शर्त यह है कि वे क़र्ज़े बेक़ानूनी या बुरे कामोंके लिये न लिये गये हों देखो—1 I. A 321, 14 B L. R. 187, 22 W. R. C R 56, 5 Cal. 855, 6 C. L. R. 473; 27 Mad. 243, 11 Bom. H. C. 76; 17 Mad. 268, 4 Mad 1; 9 Cal 389, 12 C. L. R. 494, 5 Mad. 61; 6 Mad. 293, 9 I. A. 128, 6 Mad. 1; 29 Mad. 484.

(२) हर्जानेका दावा—गोपाल भट्ट अपने नाबालिग़ भतीजे गणेश और चिन्तामणिके साथ मुश्तरका रहता था उसने एक वसीयतके द्वारा मुश्तरका

खान्दानकी जायदादका ट्रस्टी काशीनाथको नियत किया। काशीनाथपर यह दावा किया गयाकि उसकी बेहद बदइन्तज़ामीके सबबसे जायदादको नुक़सान पहुंचा है, (१४४०३=) ७ की डिकरी काशिनाथपर हुई इस डिकरीका रुपया वसूल करनेके लिये सताराकी अदालतमें डिकरी भेजी गयी। वहांपर काशीनाथ और उसके लड़के हनुमन्त और नारायणके हक़ सहित मौरूसी जायदाद कुर्क की गई, हनुमन्त और नारायणने उज्र किया कि हमारा हिस्सा बरी कर दिया जाय। हाईकोर्टने कहा कि अदालत दीवानीके नियम भङ्ग करनेसे बाप पर जो डिकरी ट्रस्टीकी हैसियतसे हो उसका विचार हिन्दूलॉ के असदव्यवहार और बे क़ानूनी क़र्ज़ोंके अनुसार नहीं किया जा सकता, इसलिये लड़के ऐसी डिकरीके पाबन्द हैं, देखो—हनुमन्त काशीनाथ जोशी बनाम गणेश अन्नाजी (1918) 21 Bom L. R. 435-448

जब पिता द्वारा पूर्वजोंका ऋण अदा करनेके लिये इन्तक़ाल किया जाय, तो उसकी पाबन्दी पुत्रोंपर होगी, चाहे पूर्वजोंके रेहननामेका कोई भाग, बतौर रेहननामेके ही तामीलके योग्य हो और पितापर व्यक्तिगत उसकी कोई जिम्मेदारी न हो—सत्यनारायन बनाम सत्यनारायन मूर्ति—(1926) M W. N. 7, 92 I. C 85 (1), A. I. R 1926 Mad 428, 50 M. L J. 144.

पिताके विरुद्ध डिकरी—तामीलके समस्त खान्दानी जायदादका मय पुत्रोंके अधिकारके नीलाम होना दे सोडजा बनाम वामनराव 91 I C 984 (1), A. I R 1926 Bom 117

हिन्दू पुत्रके खिलाफ, डिकरीका डिकरीदार यह अधिकार रखता है कि उसके मुश्तरका खान्दानकी जायदादके बंटे हुये हिस्सेको, जो पिताके क़ब्जेमें हो कुर्क और नीलाम करा सके, किन्तु यह अधिकार उसी सूरतमें है जब पुत्रको यह अधिकार प्राप्त हो कि वह पिताके जीवनकालमें ही बटवारा करा सकता है। पञ्जाबमें यह आम तरीक़ा है कि पुत्र इस प्रकार बटवारा नहीं करा सकता—गहरूराम बनाम ताराचन्द 89 I. C 176

दफा १०९ बापकी ज़िन्दगीमें पुत्र कहां तक ज़िम्मेदार हैं

बापके जीवनकालमें लड़के अपने बापके क़र्ज़ेके लिये मुश्तरका जायदादके अपने हिस्से तक ज़िम्मेदार हैं और बापकी जायदाद जो उनके हाथमें आयी हो वह भी जिम्मेदार है अर्थात् बापने दुनियांसे सम्बन्ध छोड़कर सन्यास या साधुता अङ्गीकार करली हो या इतने दिनों तक लापता होगया हो जिससे वह मरा हुआ समझा जा सकता हो और समझा भी जाता हो। इन दोनों सम्बन्धोंसे जो जायदाद बापके हिस्सेकी लड़कोंके पास आये वह

भी जिम्मेदार होगी। विष्णुस्मृतिमें कहा गया है कि बीस वर्ष तक लापता रहनेपर वह मरा हुआ माना जायगा, और देखो—कोलब्रुक डाइजेस्ट Vol. 1, P. 266. और देखो क़ानून शहादत एक्ट नं० १ सन १८७२ ई० की दफा १०७-१०८ इस किताबकी दफा ४६४.

पुत्रपर पाबन्दी नहीं--पिता द्वारा किये हुये इन्तक़ालकी पाबन्दी, पिता के जीवनकालमें, उस सूरतमें जब कानूनी आवश्यकता न साबित हो पुत्रके अधिकारपर नहीं होती। जब पुत्र द्वारा नालिश कीगयी और क़ानूनी ज़रूरतकी शहादत केवल दस्तावेज़ और उस आदमीके ज़रिये ही प्राप्त हुई जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया था। तय हुआ कि क़ानूनी ज़रूरत नहीं साबित हुई—नागप्पा बनाम चादेप्पा 2 Mags. L. J. 284

दफा ११० ज़िन्दा है या मर गया

जब किसी मामलेमें ऐसा प्रश्न उठे कि अमुक आदमी (या स्त्री) मर गया या जीवित है और किस पक्षकारपर बार सुबूत है, इस विषयमें देखो कानून शहादत दूसरा एडीशन, छपा हुआ सन १९०२ ई० एक्ट नं० १ सन १८७२ ई० की दफा १०७ और १०८, उपरोक्त दफायें इस प्रकार हैं—

दफा १०७--'जबकि यह प्रश्न उठे कि अमुक आदमी जीवित है या मर गया और यह साबित किया जाता हो कि वह तीस वर्षके अन्दर जीवित था तो बार सुबूत उस पक्षकार पर होगा जो उसका मर जाना बयान करता हो।'

दफा १०८--'बशर्ते कि जब, यह प्रश्न उठे कि अमुक आदमी जीवित है या मर गया, और यह साबित हो कि उसके जीवित रहनेका समाचार अगर वह आदमी जीवित होता तो स्वभावतः जिन लोगोंके पास आ सकता था सात वर्ष तक नहीं आया, तो बार सुबूत उस पक्षकारपर होगा जो कहता हो कि वह जीवित है।'

दफा १११ पुत्रोंपर नालिश करनेकी मियाद

क़ानून मियाद एक्ट नं० ९ सन १९०८ ई० आर्टिकल १२० के अनुसार पुत्रोंपर बापके क़र्जेका दावा करनेके लिये छः (६) वर्षकी मियाद मानी गयी है और यह मियाद उस समयसे शुरू होगी जबकि महाजनको क़र्ज़के दावा करनेका हक़ पैदा हुआ हो; देखो—महाराजसिंह बनाम बलवन्तसिंह 28 All. 508; 23 All. 206, 16 Mad. 99, 17 Mad. 422.

ध्यान रखना चाहिये कि जब बापको क़र्ज़ा देने वाले महाजनका हक़ पुत्रोंपर दावा करनेका बापकी जिन्दगीमें पैदा हो जाय तो बापके मर जानेसे

मियादमें कुछ भी फरक़ नहीं पड़ेगा, देखो—23 Mad. 292, 22 Mad 49, 16 Mad 99. उक्त क़ानून मियादका आर्टिकल इस प्रकार है:—

'ऐसा दावा जिसके लिये इस क़ानूनमें कोई मियाद नियत नहीं कीगई ६ छः वर्षकी मानी जायगी और यह मियाद उस वक्तसे शुरू होगी जबकि नालिश करनेका हक़ पैदा हो जाय।'

नोट—क़ानून मियादमें यह १२० आर्टिकल सिर्फ उस वक्त काममें लाया जाता है जबकि किसी मुक़द्दमेंकी मियाद स्पष्ट रीतिसे उस क़ानूनमें न बतायी गया हो, जब अदालतका पूरे तौरसे इतमीनान हो जाय कि जिस मुक़द्दमेमें यह आर्टिकल लागू किये जानेकी प्रार्थनाकी जाती है उस मुक़द्दमेके बारेमें क़ानून मियादमें कोई निश्चित मियाद नहीं बतायी गई तब वह इसके अनुसार मियाद मान लेगी इस आर्टिकलमें एक बारीक बात यह ध्यानमें रखने योग्य है कि इसके अनुसार मियाद उस वक्तसे शुरू होती है जबकि वादीको हक़ नालिश करनेको पैदा होजाय न कि विनाय मुखासमत (Cause of Action) पैदा होनेसे।

दफा ११२ क़र्ज़े जिनका बोझ जायदादपर नहीं पड़ता

बापके किये हुये सादे कंट्राक्ट (मुआहिदा) चाहे वह ज़बानी या किसी लिखत द्वारा किये गये हों उनका बोझा मुश्तरका ख़ान्दानकी जायदाद पर नहीं पड़ता और न बापकी अलहदा पैदा की हुई जायदादमें पड़ता है अर्थात ऐसे क़र्ज़ेसे दोनों क़िस्मकी जायदाद कुर्क़ और नीलाम नहीं हो सकती और जबकि लड़का या कोई वारिस जिसे बापके या पूर्वजके मरनेपर जायदाद मिली हो उस जायदादका इन्तक़ाल करदे तो बापके क़र्ज़ेका डिकरीदार उस आदमीके विरुद्ध दावा नहीं कर सकता जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया हो, मगर शर्त यह है कि जब वह आदमी जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया है यह बात जानता हो कि क़र्ज़ेके मारनेके लिये ही यह इन्तक़ाल किया जाता है या यह जानता हो कि डिकरीदारका हक़ मारनेके लिये किया गया है तो ऐसी सूरतमें लड़कों और वारिसोंके विरुद्ध डिकरीदारका हक़ डिकरी वसूल करनेके लिये सिर्फ उनकी जातसे पैदा होगा, देखो—जबरदस्तखा बनाम इन्द्रमन, आगरा हाईकोर्ट फुलबेंच रिपोर्ट 1903 P 71, 2 W R. C R 296, 9 Bom H C 116, 4 Mad. H C 84, 4 Cal 897, 4 C L R. 193, 11 I A. 164, 6 All 560.

दफा ११३ बापके क़र्ज़का बोझा पुत्रकी जायदादपर नहीं पड़ता

बापका क़र्ज़ा पुत्रकी अलहदा जायदादसे कदापि वसूल नहीं किया जा सकता और न पुत्रकी उस जायदादसे वसूल किया जा सकता है जो बापने नेकनीयतीसे पुरस्कार (इनाम) में दी हो चाहे वह मुश्तरका जायदादका कोई हिस्सा भी हो, बापके कर्ज़ेका डिकरीदार सिर्फ मुश्तरका ख़ान्दानकी

जायदादसे और उस जायदादसे जो बापके मरनेके पश्चात् पुत्रोंको मिली हो क़र्ज़ा वसूल कर सकता है, देखो—4 Mad 1; 4 Mad. 21–45, 8 Bom 220; 8 Bom. 309, 25 W. R. C. R 202, 10 Bom. H. C. 361; 11 Bom. H C. 76; 13 Bom. 653; 12 W. R. C. R. 41; 3 Mad. 42.

बापके क़र्ज़ेका डिकरीदार उस जायदादसे भी अपनी डिकरी वसूल नहीं कर सकता जो बाप और पुत्रोंके बीचमें नेकनीयतीसे बटवारा हो जाने पर पुत्रोंके हिस्सेमें आयी हो, देखो—बटवारेसे पहलेके क़र्ज़ेसे इसका सम्बन्ध नहीं होगा, 24 Mad 555.

कृष्णासामी बनाम रामसामी एय्यर 22 Mad. 519. में माना गया कि अगर बटवारा बापके क़र्ज़ेके मारनेकी नीयतसे किया गया हो तो डिकरीदार वसूल कर सकता है।

बङ्गाल स्कूल—बङ्गाल स्कूलमें बापकी जिन्दगीमें पुत्रोंका कोई हक़ मौरूसी जायदादमें नहीं होता इसलिये बापके उचित और अनुचित सब तरह के क़र्ज़े जिनका दावा किया जा सकता हो मौरूसी जायदादसे वसूल किये जा सकते हैं और बापके मरनेपर उसकी छोड़ी हुई मौरूसी जायदाद और अलहदाकी जायदाद जो पुत्रोंके क़ब्जेमें आवे दोनों से यह क़र्ज़ा वसूल किया जा सकता है।

हक़शिफ़ाकी हुई जायदादपर लदे क़र्जकी अदाईके लिये रेहननामा—परिवारके लिये कोई लाभ न प्रमाणित हुआ—पुत्रपर पाबन्दी नहीं है—भगवतीसिंह बनाम गुरुचरन दुबे 92 I. C. 332 (1); A. I. R 1925 All. 96

पुत्रके बरी करनेकी दशामें—एक नालिश, एक हिन्दू पिता द्वारा लिखे हुये प्रामिज़री नोटपर दायर कीगई। पुत्र भी बतौर मुद्दाअलेहके फ़रीक़ बनाये गये किन्तु बादको रिहा कर दिये गये। रकमकी एक डिकरी प्राप्त कीगई और उसकी तामीलमें खान्दानी जायदाद नीलाम कराई गई। अर्ज़ी तामील और नीलामकी सार्टीफिकट दोनोंमें यह नोट लिखा था कि पुत्र रिहा कर दिये गये हैं—तय हुआ कि जो कुछ ख़रीदारको प्राप्त हुआ वह पिताका अधिकार था और यह वाकया कि सार्टीफिकट नीलाममें सर्वे नम्बर बिना यह बताये हुये, कि केवल पिताका अधिकार ही नीलामके योग्य है दर्ज किया गया है, विरोधजनक नहीं है—नाटेश पाथार बनाम सुब्बू पाथार 23 L W. 349; 94 I. C. 68.

किसी हिन्दू पिता द्वारा किया हुआ रेहननामा, अपनी स्वयं उपार्जित जायदादके बचानेके लिये, यानी उस जायदादको बचानेके लिये, जिसे उसने अपने चचाज़ाद भाईसे बतौर वारिस पाया है, ऐसा रेहननामा नहीं है, जो किसी पारिवारिक आवश्यकता या पूर्वजोंका ऋण चुकानेके लिये किया गया

समझा जाता हो, अतएव उसकी पाबन्दी उसके पुत्रों और प्रपौत्रों पर नहीं है। तथापि जब इस प्रकारके रेहननामेकी डिकरी हो जाय तो वे उसकी जिम्मेदारीसे तब तक नहीं बच सकते, जब तककि वे यह न साबित कर सकें, कि रेहननामा किसी ग़ैर क़ानूनी या ग़ैर तहजीबी अभिप्रायके लिये किया गया था--नन्दलाल बनाम उमराई 93 I. C 655, 3 O W N. 359, A I. R. 1926 Oudh 321

क़र्ज--पिता द्वारा रेहननामा--जातीय जिम्मेदारी--संयुक्त खान्दान की जायदाद--पुत्रोंका हक--यदि क़ायिले नीलाम है--मुसम्मात महराजी बनाम राघोमन 89 I C 476.

क़र्ज़ और पिता द्वारा दुरुपयोग--किसी हिन्दू पिताने किसी दूसरे की ओरसे क़र्ज लिया और बादको उसका दुरुपयोग किया। किसी दूसरे व्यक्तिने रक़मकी अदाईके लिये रेहननामा लिख दिया और उसकी मृत्युके पश्चात् उसके पुत्रोंपर उस रेहननामेकी बिनापर नालिश हुई। तय हुआ कि असली क़र्जका लिया जाना फौजदारीका जुर्म न था, उसकी बिनापर केवल क़र्ज सम्बन्धी दीवानीके नियमोंका उल्लंघन था। क़र्ज इस क़िस्म का था, जिसके अदा करनेके लिये पुत्रोंपर धार्मिक (Pious) जिम्मेदारी थी। चूंकि क़र्ज खान्दानके फायदेके लिये न लिया गया था इसलिये रक़मकी डिकरी दी जा सकती है न कि रेहननामेकी--रामेश्वरसिंह बहादुर बनाम दुर्गामन्धर 90 I. C 454

दफा ११४ पैतृक ऋण देना जायदादही पर निर्भर नहीं है

हिन्दू धर्म शास्त्रानुसार अपने बाप, दादा, और परदादाके क़र्जेका अदा करना पुत्र, पौत्र, और प्रपौत्रका धार्मिक कर्तव्य कर्म माना गया है जिस तरह से कि अन्य धार्मिक कृत्योंके पूरा करनेकी जिम्मेदारी है उसी तरहपर पैतृक ऋणके चुका देनेकी मानी गयी है, देखो--याज्ञवल्क्य २-६२ और नारद १-३-४ कहते हैं--

ऋणलेख्यकृतन्देयं पुरुषस्त्रिभिरेव च
आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्नप्रदीयते। याज्ञ०
क्रमादव्याहृतं प्राप्तं पुत्रैर्यन्नर्णमुद्धृतम्
दद्युः पैतामहं पौत्रास्तच्चतुर्थान्निवर्तते। नारद-वि०

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि किसी लिखतके द्वारा जो क़र्जा लिया गया हो वह तीन पीढ़ी तक चुकाया जायगा और जो क़र्जा जायदाद रेहन करके लिया

गया हो तो जब तक वह चुकाया न जाय तब तक जायदाद धनीके पास रहेगी। नारद कहते हैं कि बापका क़र्ज़ा क्रमसे पुत्रादिकोंपर प्राप्त होता है यानी पुत्र यदि वह क़र्ज़ा न दे सकें तो पौत्र देवें और यदि वे भी न दे सकें तो प्रपौत्र देवें मगर चौथी पीढ़ीको वह क़र्ज़ा पाबन्द नहीं करता।

यह बात अभी हिन्दुओंमें बहुत कुछ प्रचलित है, क्योंकि जबकोई हिन्दू गया श्राद्ध करनेके लिये जाता है तो वह जानेसे पहिले अपने पैतृक ऋण चुका देता है। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि वह पैतृक ऋण चुकाये बिना गया में श्राद्ध करे तो पितरोंकी मुक्ति नहीं होती। अङ्गरेजी क़ानूनसे बढ़कर हिन्दू धर्म शास्त्रोंने पैतृक ऋण चुकानेकी आज्ञा दी है, अङ्गरेजी क़ानूनमें तो सिर्फ बाप और दादाके क़र्ज़ा चुकानेकी जिम्मेदारी पुत्र और पौत्रकी मुश्तरका जायदादके हिस्से तक मानी गई है। मगर धर्मशास्त्रोंमें इससे बहुत ज्यादा मानी गयी है उन्होंने बाप, दादा, और परदादाके कर्जेकी जिम्मेदारी जायदाद और उनकी सन्तानकी ज़ात पर मानी है तथा यह उपदेश किया गया है कि बिना पैतृक ऋण चुकाये पितरोंकी मुक्ति नहीं होती और ऐसा करना पुत्र, पौत्र, और प्रपौत्रपर परमावश्यक धर्म है। इस विषयपर और भी देखो—डबल्यु मेंकनाटन हिन्दूलॉ 2 Vol. P. 284 कोलब्रुक डाइजेस्ट 1 Vol. P. 270, तथा Act No. 5 of 1881 की दफा 101-105.

दफा ११५ दूसरे हिस्सेदार ज़िम्मेदार नहीं होंगे

पुत्र और पौत्रके सिवाय मुश्तरका खान्दानके दूसरे कोपार्सनरोंपर कर्जा चुकानेकी जिम्मेदारी नहीं है जिन्हें सरवाइवरशिपके अनुसार हक़प्राप्त होता हो, देखो—जबकि हिस्सा बेंच दिया गया हो 3 Mad. 145. जहां पर कि न बट सकने वाली जायदाद हो 29 Mad. 453; 32 Mad 429, 30 Mad. 454.

यदि कोई नाजायज़ तौरसे किसीके मरनेपर उसकी जायदादपर क़ब्ज़ा दख़ल करले तो उस जायदादसे मृत पुरुषके क़र्जे वसूल किये जा सकते हैं, देखो—3 Mad. 359; 7 Mad. 586, 4 Cal. 342, 3 C. L. R. 154; 4 Cal. 508, 35 Cal 276; 12 C W. N. 237.

पट्टेसे मिली हुई ज़मीनमें, जिसपर क़र्जेकी डिकरीकी इजरा नहीं हो सकती, उपरोक्त नियम कोई भी लागू नहीं होंगे, देखो—9 I. A 104, 6 Bom. 211. 7 Mad. 85; 10 Cal. 677; 15 I. A. 19, 15 Cal. 471; 15 Bom. 13; 25 Cal. 276, 12 C. W. N. 237.

दफा ११६ क़र्ज़ा न चुकानेमें धर्मशास्त्रका मत

देखो नारदस्मृति प्रथम विवादपद अध्याय २ श्लोक १-१०

कोटिशतेतुसंपूर्णे जायतेतस्यवेश्मनि
ऋणसंशोधनार्थाय दासो जन्मनि जन्मनि
तपस्वी वाग्निहोत्रीवा ऋणवान् म्रयते यदि
तपश्चैवाग्निहोत्रंच तत्सर्वं धनिनां धनम्

नारद कहते हैं कि ऋण लिया हुआ और दान दिया हुआ न देनेसे सौ करोड़ तक बढ़ता है, सौ करोड़ पूरा होनेपर वह ऋण चुकानेके लिये धनीके घर अनेक जन्म तक दास होकर क़र्जा लेने वाले या दान देने वालेको रहना पड़ता है। यदि तपस्वी अथवा अग्निहोत्री विना ऋण चुकाये मर जाय तो तपस्वीके तप और अग्निहोत्रीके अग्निहोत्रका फल धनीको मिलता है।

नोट—'दान दिया हुआ' इससे मतलब यह है कि दान तो दिया मगर दानकी वस्तु दान लेने वाले को नहीं दी था उसे काम में नहीं लगाया जिसके लिये दान किया था।

बेक़ानूनी या बुरे कामोंके वास्ते बापके लिये हुए क़र्ज़ोंके उदाहरण

दफा ११७ बेक़ानूनी या बुरे कामोंके लिये बापके क़र्ज़े

निम्नलिखित बापके क़र्जोंके अदा करनेके लिये पुत्र मजबूर नहीं किये जा सकते और ऐसे क़र्ज़ोंकी डिकरी अदालतसे उनपर नहीं हो सकती। यह ध्यान रहे कि जिस प्रकारके क़र्जे बापके लिये हुये पुत्रोंको मजबूर नहीं करते, वैसाही दादाके लिये हुये क़र्जे पौत्रोंको मजबूर नहीं करते यानी बाप और दादाके क़र्ज़ोंमें कोई फरक़ नहीं है दोनों एकही तरहके माने जाते हैं।

(१) जो क़र्जा शराब पीनेके लिये लिया गया हो।

(२) खेल, तमाशों, या जुवा खेलने आदिके कामोंके लिये या शर्त लगाने के लिए या ऐसे कामों में जो नुक़सान हो गया हो उसके अदा करने के लिये।

(३) ऐसे इक़रारसे जो विना वदलावका हो अर्थात् बापने किसीको १००) देनेका वचन दिया मगर उसके वदलेमें कुछ नहीं लिया।

(४) कामेच्छा पूर्ण करनेके लिये या रंडीबाजी आदिके लिये।

(५) ऐसे कामोंके लिये, जो काम किसी शुद्ध चरित्रको घृणित कर देने वाले हों, देखो—28 All. I. L. R. 508, All. W. N. (1906) 117; 3 A. L J.274, मेन हिन्दूला P. 378. कोलब्रुकडाइजेस्ट Vol. 1 P 247, 300, 305, 311.

(६) जो क़र्ज़ा बापने बुरे कामोंके लिये लिया हो उनके देनेका पुत्र जिम्मेदार नहीं है, देखो—3 Bom. L. R. 647; 23 Suth. 260, 25 Suth 421; 2 Cal. 213, 25 Suth. 311, 5 Cal. 148, 6 I. A. 88, 8 All. I. L. R. 231; 7 N. W. P.110.

(७) मिताक्षरा और दायभाग दोनों स्कूलोंमें यह माना गया है कि जब बापके मरनेपर उसकी जायदाद पुत्रोंके हाथमें आ जावे और उस वक्त बापकी जायदादसे क़र्ज़ा वसूल करनेके लिये कोई ऐसा दावा करे कि मैंने पुत्रोंके बापके हाथ इतनी क़ीमतकी शराब बेची थी जिसका वह जिम्मेदार था तो ऐसा दावा ख़ारिज हो जायगा, देखो—2 P. W R. (1909), 24P. R. (1909), 1 Indian Cases 13; P. L. R. 1908.

(८) एक मामलेमें बुरे कामोंके वास्ते लिये हुए बापके क़र्ज़े दिलापाने का दावा पुत्रोंके विरुद्ध किया गया था उसमें कहा गया कि ऐसे क़र्ज़ेके बारे में पुत्रोंकी जिम्मेदारी अनुचित जिम्मेदारी है इसलिये ऐसे क़र्ज़ेका कोई लड़का जिम्मेदार नहीं है, देखो—S. C. 151. सिलेक्ट केस (1878) 8 No. 14; 1 C. P. L. R. 43.

(९) एक हिन्दू बापने बहैसियत अपने अज्ञान लड़केके वलीके, उसकी तरफ़से यह दावा किया था कि दत्तक जायज़ क़रार दिया जावे। अदालतने दत्तक ख़ारिज कर दिया और कहा कि दत्तक झूठा था तथा बापने जानबूझ कर ऐसा दावा किया है और यह भी हुक्म दिया कि गवर्नमेन्टका ख़र्चा जो इस मुक़द्दमेमें पड़ा हो बाप (मुद्दई) अदा करे। इस मुक़द्दमेमें ख़र्चा अदा करनेकी जो बात है वह जुरमानेके तौरपर है क्योंकि बापको दत्तकके झूठे होनेकी बात पहलेसे मालूम थी ऐसे खर्चेके देनेके लिये पुत्र जिम्मेदार नहीं माने गये देखो—20 M. L. J. 89, 6 M L T. 308.

(१०) इस मुक़द्दमेमें, खेतमें पानी जानेके रास्तेको बापने रोक दिया था यद्यपि यह काम बे क़ानूनी नहीं था फिर भी बेइन्साफ़ी (Wrongful) का ज़रूर था अदालतने उस आदमीकी नुक़सानकी डिकरी बापपर की जिसे पानी रोक देनेसे नुक़सान हुआ था। कहा गया कि पुत्र ऐसी जिम्मेदारीके जवाबदार नहीं हैं जो उनके बापने बेइन्साफ़ीसे किया। बापके मरनेके बाद

जब जायदाद पुत्रोंके हाथमें आयी तब उस डिकरीका असर नहीं रहेगा, देखो—32 B 348; 10 Bom L R. 297

(११) कोई कंट्राक्ट जो बापने किया हो उससे हिन्दूलॉ के अनुसार हमेशाकी जिम्मेदारी नहीं पैदा होती यानी वह कंट्राक्ट पुत्रोंको पाबन्द नहीं कर सकता पुत्र सिर्फ बापके क़र्जेके देनेके जिम्मेदार हैं। बापके किये हुए हर एक कंट्राक्टसे पुत्र पाबन्द नहीं हो जाते और जब बापने कोई ऐसा कंट्राक्ट किया हो जिससे हमेशाके लिए रुपया देनेकी जिम्मेदारी पैदा होती हो तो जब उसकी जायदाद उसके प्रपौत्रके हाथमें आ जावेगी तो उस कंट्राक्टका असर टूट जावेगा इसी तरहपर पुत्रोंके सम्बन्धमें भी लागू होगा, तथा पौत्रों से भी, देखो— 6 Bom L. R 642.

(१२) नीचेके मुक़द्दमेमें यह सूरत थी कि बाप खजाञ्ची था। उसने कुछ रुपया दग़ाबाजीसे चुराया। अदालतने उस रुपएके वसूल करनेकी डिकरी बापपर करदी, माना गया कि पुत्र डिकरीके जिम्मेदार नहीं हैं और यही सूरत उस समय भी होगी जब बापने कोई रुपया किसी अपराध करनेके लिये क़र्ज़ लिया हो, देखो—27 M 71, 6 All 234, 24 Cal 672

(१३) बापने कुछ जायदाद चुराई और पीछे ईसाई होगया या दूसरे मज़हबमें चला गया पीछे अदालतने उतने रुपयेकी डिकरी बापपर की जितनी कीमतकी जायदाद उसने चुराई थी, डिकरीके इजरामें जब मुश्तरका जायदाद सब कुर्क हुई तब पुत्रोंने अलग दावा दायर किया कि डिकरी ख़ारिज करदी जाय। अदालतने कहा कि बापने बुरे कामोंके लिये जो क़र्जा लिया हो वह पुत्रोंसे नहीं दिलाया जा सकता इसलिये कुल मुश्तरका जायदाद कुर्की और नीलामके योग्य नहीं है, देखो—No 128 of 1879 Civil

(१४) ऐसे क़र्जे जैसे बापने किसीके नेक चलन रहने या शांति बनाये रखनेके लिये ज़मानतकी हो (मुचलका आदि) उनके देनेके लिये पुत्र ज़िम्मेदार नहीं हैं, देखो—28 M 377. इस केसमें कहा गया है कि बाप और पुत्र शामिल रहते हों और बापके मरनेपर वह जायदाद पुत्रोंके हाथमें आजाय तो उस जायदादपरसे बापके ऐसे सब क़र्जोंका बोझ हट जाता है जो बापने मुचलका आदिकी तरहपर किये हों।

ग़ैर तहजीबी क़र्जेके अन्दर किन किन बातोंका समावेश है, और ग़ैर तहजीबी क़र्ज किस प्रकार होता है—पिता द्वारा धनका दुरुपयोग—फौजदारीके जुर्मकी अदायगी, यदि आवश्यक हो—अपराधकी डिकरी—जगन्नाथ प्रसाद बनाम जुगुलकिशोर L. R 6 All. 518, 89 I. C. 492, 23 A. L. J. 882, A. I R. 1926 All 89

जब पिता द्वारा किये हुये रेहननामेकी डिकरी हो जाय, तो पुत्रोंके लिये यह काफ़ी नहीं है कि वह यही साबित करें कि रेहननामा आवश्यकता के लिये न था, बल्कि यह भी साबित करें, कि वह ग़ैर क़ानूनी और ग़ैर तहजीबी था—केदारनाथ बनाम शङ्करदयाल 94 I. C. 250.

ग़ैर तहजीबी ऋणमें क्या शामिल है--पिता द्वारा दुरुपयोगकी हुई रक़म ज़ाब्ता फौजदारीके अनुसार कैद—अपराधकी तादाद—जगन्नाथप्रसाद बनाम जुगुलकिशोर 48 All. 9, A. I. R. 1926 A. 89.

ग़ैर क़ानूनी और ग़ैर तहजीबी क़र्ज़—प्रतिस्पर्द्धाके कारण नालिश करने पर हर्जाना—पुत्रोंपर इस प्रकारके क़र्ज़की अदाईकी जिम्मेदारीका विचार किया गया है, देखो—सुन्दरलाल बनाम रघुनन्दनप्रसाद 83 I. C. 413; A. I. R. 1924 P. 465.

पिता द्वारा रेहननामा हक़शिफ़ाकी हुई जायदादका क़र्ज़ चुकानेके लिये खान्दानके लिये कोई फ़ायदा नहीं साबित हुआ—पुत्रोंपर पाबन्दी नहीं है—भगवतीसिंह बनाम गुरुचरन दुबे A I R. 1925 All 96.

पिता द्वारा रेहननामा--डिकरीकी तामीलपर नीलाम--पुत्रपर इस बातकी जिम्मेदारी है कि वह क़र्ज़को ग़ैर तहजीबी साबित करे--विश्वनाथ राय बनाम जोधीराय A I. R. 1925 All. 120

बापके लिये हुए क़ानूनी क़र्ज़ोंके उदाहरण

दफ़ा ११८ बापके लिए हुए क़ानूनी क़र्ज़े

जिन क़र्ज़ोंका ज़िकर नीचे किया गया है उसके लिये पुत्र और पौत्र पाबन्द होंगेः—

(१) बापने अपने बापके श्राद्ध करनेके लिये जो क़र्ज़ लिया हो, चाहे पुत्र बालिग़ या नाबालिग़ हों या कोई पौत्र जो अपने बापके मरनेपर पैदा हुआ हो सब उस क़र्ज़के पाबन्द हैं, देखो—6 W. R. 34, 11 W. R. 52. मेकनाटन हिन्दूलॉ Vol. 2 Ch. 11 P. 296.

हिन्दूलॉ के अनुसार पौत्र अपने बापकी माता (दादी) की अन्त्येष्टी क्रियाके खर्चके लिये जिम्मेदार नहीं माना गया, देखो—7 M. L. T. 263; 5 Indian Cases 55.

(२) मुश्तरका खान्दानके लोगोंकी शादीके लिये जो छोटे हों, और बाप जो क़र्जा अपने पुत्रोंके विवाहोंके लिये उचित लेवे मगर शर्त यह है कि मुश्तरका जायदादकी आमदनी विवाहके खर्चके लिये काफी न हो, देखो-- (1910) M W N 649, 8 Indian Cases 195, 9 M L T 26, 20 M L. J 855, 9 Bom L R 1366; 32 B 81, 6 Indian Cases 465, 32 All 575, 15 N. C C. R 159, 7 M. L T 384, 27 Mad 206

(३) बेटियोंकी शादीके लिये बापका क़र्जा चाहे बाप ब्राह्मण हो या दूसरे किसी भी वर्णका हो क़ानूनी क़र्जा माना गया है, देखो--8 Indian Cases 854, 32 T L R. 74, 1 C 289, 25 W. R 235, 3 I A. 72, 16 W. R 52, 7 Beng Sel R 513; 14 Mad 316, 26 M 505

8 M L J. 105 में कहा गया कि हिन्दू बापपर अपनी बेटियोंकी शादी करना क़ानूनी फर्ज नहीं है बल्कि सभ्यताका है और इसी तरहसे व्याही हुई बेटियोंकी परवरिश करना भी है। एक मामलेमें माताने अपनी बेटीका विवाह कर दिया पीछे उसके बापपर विवाहके खर्चा पानेका दावा किया अदालतने कहा कि बापपर धार्मिक फर्ज है कि वह बेटीका विवाह करे मगर क़ानूनी नहीं है, देखो—26 Mad. 505 यही बात मद्रासके हालके एक मुक़द्दमेमें मानी गयी, देखो—8 Indian Cases 854.

भाई—भाईपर क़ानूनी फर्ज है कि वह अपने शामिल शरीक मृत भाई की बेटीका विवाह करे। यदि वह इनकार करदे और बेटीकी विधवा माता किसी तरहसे उसका विवाह करदे पीछे वह विधवा माता अपने पतिके भाई पर उस विवाहके खर्च पानेका दावा कर सकती है जो कुछ कि उसकी बेटी के विवाहमें पड़ा हो, देखो—23 Mad 512; 16 W R 52, 6 C 36, 6 C. L R 429

खान्दानकी इज्ज़तको बचाये रखनेके लिये जो क़र्ज़े हो वह ऐसा है मानो विवाहके खर्चके लिये लिया गया है, देखो--No 63 of 1886 Civil

(५) जो क़र्जा खान्दानके लाभके लिये लेकर किसी व्यापारमें लगाया गया हो या व्यापार करनेके लिये लिया गया हो, देखो—No 67 of 1873 Civil

(६) किसी शराबी या नशेबाज़का क़र्जा जबकि वह नशेकी हालतमें न हो और शान्त बुद्धि हो तथा उसने व्यापारके लिये या रक्षा करनेके लिये लिया हो देखो—No 44 of 1872 Civil.

(७) हिन्दू जिमींदारका क़र्जा, जो व्यापारमें लगानेके लिये लिया गया हो, देखो—No. 77 of 1876 Civil, No 53 of 1869 Civil; No 11 of

1871 Civil, No. 77 of 1876 Civil, No 98 of 1879 Civil, No. 78 of 1879 Civil, 87 P. R. 1887, 93 P. R 1883, 152 P. R. 1888

(८) बापने अपनी और अपने नाबालिग़ पुत्रोंकी तरफ़से जिनकाकि वह वली था मुश्तरका जायदादकी किसी ज़मीनकी ज़मानतपर चौदह वर्षकी लिखत करदी, इसकी रजिस्टरी नहीं हुई थी, माना गया कि खान्दानके लाभ के लिये ऐसी लिखत जायज़ मानी जायगी, देखो—5 Indian Cases 762, 7 M. L. T 92.

(६) मुश्तरका खान्दानके बापको जब कोई रुपया किसी दूसरे आदमीके देनेके लिये मिला हो और वह उसे ख़र्च कर डाले, और उसने यह रुपया खान्दान वालोंके लाभके लिये ख़र्च किया हो जिस खान्दानमें बाप मेनेजरकी हैसियत रखता था तो यही माना जा सकेगा कि बापने दीवानी क़ानून के अनुसार विश्वासघात किया मगर फौजदारी क़ानूनके अनुसार नहीं, इसलिये साथ रहने वाले उसके पुत्र ऐसे रुपयेके अदा करनेके जिम्मेदार हैं, पुत्रों के हिस्सेकी जायदाद जिम्मेदार होगी, देखो—31 Mad. 161, 17 M. L. J. 613, 3 M. L. T. 353, 31 Mad 472.

(१०) जो क़र्ज़ा बापने लिया हो उसकी जिम्मेदारी पुत्रोंपर है क्योंकि बाप पुत्रोंका एजेन्ट है पुत्रोंकी जिम्मेदारी उसी वक्त पैदा हो जाती है जबकि बापपर वह पैदा होती है और अगर बाप पीछे से कोई रक़म बुरे इरादेसे अनुचित ख़र्च करदे चाहे वह ऐसा करनेसे फौजदारी क़ानूनसे अपराधीकी हैसियतसे जिम्मेदार होगया हो तो भी पुत्र उसके देनेके पाबन्द हैं, देखो—19 M. L. J 759.

(११) मिताक्षरालॉ के अनुसार पुत्र ऐसी डिकरीके पाबन्द माने गये हैं जो उनके बाप पर किसी हक़दारके वासलातकी बाक़ीकी हुई हो यानी यदि बापने किसी हक़दारकी जायदाद दबा ली हो और उसका मुनाफ़ा लिया हो, पीछे हक़दारके दावा करनेपर मुनाफ़ा वापिस करनेकी डिकरी बापपर हो जाय तो वह पुत्रोंके हिस्से जायदादसे वसूलकी जा सकेगी, देखो—5 C. L. J. 80, 11 C. W. N. 163.

(१२) गवर्नमेन्टकी मालगुज़ारी चुकानेके लिये जो क़र्ज़ा बापने लिया हो, देखो—1 W. R. 96. मेकनाटन हिन्दूला Vol. 2 P. 293

(१३) जो क़र्ज़ा बापने कुटुम्बके ख़र्चके लिये, अपनी आमदनीका ज़रिया ठीक करनेके लिये लिया हो देखो—2 B. 666

(१४) खान्दानकी क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये देखो इस किताबकी दफा ४३०.

(१५) जब बापने किसीके साथ कोई इकरार ऐसा किया हो कि जिसके सबबसे दीवानी और फौजदारी जिम्मेदारी हो जाती हो यानी दीवानी

क़ानूनके अनुसार तो उस इक़रारके पूरे करनेकी जिम्मेदारी पैदा होगई हो और फौजदारी क़ानूनके अनुसार वह इक़रार अपराध समझा जा सकता हो, और बाप उस फौजदारी अपराधसे बचनेके लिये तीसरे आदमीसे प्रामेसरी नोट (रुक्का) लिखकर क़र्जा लिया हो तो ऐसी सूरतमें पुत्र उस क़र्जेके ज़िम्मेदार हैं, पुत्र ऐसा कहकर कि हमारे बापने फौजदारी अपराधकी धमकीके असरसे वह रुक्का लिखा था इसलिये वह नाजायज़ है अपना बचाव नहीं कर सकते देखो—28 All 718; 3 A L. J 506, A W N 1906P 222

(१६) बापने किसीके क़र्जा चुका देनेकी ज़मानत करली हो–इसमें मतभेद है—

बम्बई—बम्बई हाईकोर्टके अनुसार पुत्र अपने बापकी ज़मानतका क़र्जा देनेके लिये मौरूसी जायदाद तक पाबन्द माना गया है। एक मामलेमें बापने अनाज देनेकी ज़मानतकी, अदालतने कहा कि बापके पास जो मौरूसी जायदाद थी वह कुल जिम्मेदार है और जब बापके मरनेपर वह जायदाद पुत्रों के हाथमें आवे तो उस जायदाद तक पुत्र भी ज़िम्मेदार होंगे, देखो—22 Bom 454 मगर पौत्र अपने दादाकी ज़मानतका पाबन्द नहीं होगा जब तक कि दादाने उस ज़मानतके बदलेमें कोई चीज़ न पाई हो 28 Bom 408 ट्रिवेलियन फेमिलीलॉ 308, ट्रिवेलियनका कहना है कि पुत्र और पौत्रमें कुछ फरक नहीं है।

इलाहाबाद—इलाहाबाद हाईकोर्टने, महाराजा आफ बनारस बनाम रामकुमार मिश्र 26 All 611 वाले मुक़द्दमेमें कहा कि शामिल शरीक हिन्दू कुटुम्बमें किसी पट्टेका रुपया देनेकी ज़मानत यदि बापने की हो तो उस लिखतके अनुसार बापपर पूरी तौरसे जिम्मेदारी पैदा हो जानेपर पुत्र भी, अपने मौरूसी जायदादके हिस्से तक पाबन्द माने गये हैं।

मद्रास—अगर ऐसा मुक़द्दमा मद्रास हाईकोर्टमें हो तो यहा भी ऐसाही होगा, देखो—28 Mad 377, 11 Mad. 378

मध्य भारत—मध्य भारत और पञ्जाबमें भी बापकी ज़मानतके क़र्ज़ेमें पुत्र जिम्मेदार माने गये हैं, देखो—1 N L R 178; No. 60 of 1886 Civil

कलकत्ता—कलकत्ता हाईकोर्टको इस विषयमें अभी तक सन्देह है 4 M L J 429, 13 C W N 9 वाले मुक़द्दमेमें जजोंने कहा कि हम मद्रास, इलाहाबाद और बम्बई हाईकोर्टोंकी रायके विरुद्ध कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं करना चाहते मगर हमारी राय यह है कि उक्त हाईकोर्टोंके फैसले, इस विषयके शास्त्रोंमें कहे हुये श्लोकोंके अर्थानुसार विचारने योग्य हैं। यह ऊपरका मुक़द्दमा रेहनका था इसमें बापने कहा था कि अगर महाजन रेहन

रखी हुई जायदादपर क़ब्ज़ा न पा सके या उसका रुपया न वसूल कर सके तो हमारे खान्दानकी अमुक जायदादसे वह क़र्ज़ हरजाना सहित वसूल किया जावे। ६ वर्षके बाद उस रेहन रखी हुई जायदादसे बेदखल होनेपर महाजन ने पुत्रोंपर बापके इक़रारके अनुसार क़र्ज और हरजानेके वसूल करनेकी नालिश की परन्तु अदालतने उसकी डिकरी नहीं दी।

पिता द्वारा रेहननामा--यदि किसी मुश्तरका खान्दानका मेनेजर किसी रेहननामे द्वारा जायदादपर क़र्ज़ करता है और यदि वह संयोगवश पिता है तो उसके पुत्रोंपर उस रेहननामेकी पाबन्दी होगी, यदि रेहननामेकी रकम पूर्व कर्ज चुकानेके लिये सर्फ़ कीगई है। यह बात साधारण नियमके मातहत है कि पुत्र उस जिम्मेदारीसे उस वक्त बच सकते हैं जब वे यह साबित करें, कि पूर्व क़र्ज़ ग़ैर तहजीवी या ग़ैर क़ानूनी था।

एक नालिशमें, जो मुद्दईने एक रक़मकी वसूलीके लिये, जिसे कि प्रतिवादियोंके पिताने रेहननामेके द्वारा लिया था दायर किया था यह मालूम हुआ कि एक पूर्व रेहननामेके ख़िलाफ डिकरीमें जिसका कि पिता एक फ़रीक़ था, पीछेसे रेहनकी हुई जायदादका एक हिस्सा प्रतिवादियों द्वारा खरीदा गया था। तय हुआ कि मुद्दई प्रतिवादियों द्वारा इस प्रकार खरीदी हुई जायदाद को अपने रेहननामेकी बिनापर नीलाम नहीं करा सकता था—कन्हैयालाल बनाम निरञ्जनलाल 23 A. L. J 52, L. R. 6 All. 247, 47 A. 351; A. I R. 1925.